रजिस्ट्री सं. डी-(डी एल)--128/90 REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 13, 1990 (आश्विन 21, 1912)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13, 1990 (ASVINA 21, 1912)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III--SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक,

(केन्द्रीय कार्यालय)

सूचना

बम्बई, दिनांक 14 सितम्बर 1990

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 के अन्तर्गत बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमन 1955 के विनियम 76(1) के अनुसरण में केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्नलिखित पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करती है :

तत्समय, वे जिस कार्यालय में कार्यरत हों, वहां उन्हें समय समय पर तथा समनुदेशित बैंक के ग्राहकों की पास बुकों में खाताधारकों के खातों के विवरण पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करना ।

आशुलिपिक ((स्टेनोग्राफर)

तत्समय वे जिस कार्यालय में कार्यरत हों,, वहां उन्हें यथा समनुदेशित ऐसे सभी प्रलेखों पर हस्ताक्षर करना जिन पर अपने कर्तव्य के निर्वहन में प्रधान लिपिक को हस्ताक्षर करना होता है ।

--टैलेक्स आपरेटर ।

तत्समय वे जिस कार्यालय में वहां उन्हें समय समय पर यथा समनुदेशित ऐसे सभी प्रलेखों पर हस्ताक्षर करना, जिन पर अपने कर्तव्य के निर्वहन में लिपिक को हस्ताक्षर करना होता है ।

--टेलिफोन ऑपरेटर

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी
समिति के आदेशानुसार
के० रूकनुद्दीन
उप प्रबंध निदेशक
(कार्मिक एवं प्रणाली)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 1990

सं० यू-16/53/90-चि० 2 (पश्चिमी बंगाल) :— कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दिनांक : 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक : 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर, मैं इसके द्वारा लै० कर्नल डा० पी० के० भट्टाचार्य को कलकत्ता [क्षेत्र क्षेत्रों का आबंटन उप-चिकित्सा आयुक्त (पूर्वीजोन) द्वारा किया जाएगा] के लिए बीमा कृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए 1-9-90 से 31-8-91 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशों के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

डा० कृष्ण मोहन सक्सेना
चिकित्सा आयुक्त

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 1990

सं० 25-4/90-एल० आई०.—अविभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्ताओं के नाम दूसरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र० संख्या	पालिसी सं०	दिनांक	बीमाकर्ता का नाम	राशि (रुपये)
1.	एल 18681	25-10-75	श्री किशोर चंद	55,00/-

पी० गोपीनाथ
निदेशक (पी एल आई)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

42वीं वार्षिक रिपोर्ट 1989-90

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 के अधीन निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

1. परिचालन वातावरण और परिप्रेक्ष्य

1.01 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भा०औ०वि०नि०) का निदेशक बोर्ड 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखा विवरण सहित भा०औ०वि०नि० के परिचालनों पर 42वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

1.02 वर्ष 1989-90 में भाऔविनि के परिचालनों, कार्य-निष्पादनों और कार्य-परिणामों की पृष्ठभूमि के रूप में आर्थिक और औद्योगिक वातावरण, नीतिगत पहल, सामान्य रूप से उद्योग के क्रियाकलाप तथा भावी दृष्टिकोण के बारे में एक संक्षिप्त झलक नीचे प्रस्तुत है।

(क) भारतीय अर्थव्यवस्था—1989-90

1.03 पिछले कुछ वर्षों में देशव्यापी सूखे से दुष्प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1988-89 में तेजी से सुधार के पश्चात् 1989-90 के दौरान कुछ सीमा तक मिश्रित रुख प्रदर्शित किया।

1.04 1989-90 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 4.5% के लगभग प्रत्याशित विकास दर, जो वर्ष 1988-89 में प्राप्त 10.4% की सर्वोच्च विकास दर के बाद थी, 1986-87 तथा 1987-88 में प्राप्त क्रमशः 3.9% तथा 3.8% की विकास दरों से, निश्चय ही अधिक रही।

1.05 सारणी-1 में 1989-90 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट अनुमानित संकेतकों को पिछले वर्ष के संगत संकेतकों सहित और 1989-90 में 1988-89 की तुलना में प्रतिशत हुए परिवर्तन दर्शाए गए हैं।

1.06 वर्ष 1989-90 के दौरान देश की आर्थिक स्थिति एवं क्रियाकलापों का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी रहेगा :

(i) 1988-89 असाधारण रूप से एक अच्छा वर्ष था, जिसमें कृषि उत्पादन में 20.8% की तथा औद्योगिक उत्पादन में 8.8% की वृद्धि हुई। 1989-90 में कृषि उत्पादन में संभावित 1.2 की विकास दर, तथा औद्योगिक उत्पादन में 6.9% की विकास दर, 1988-89 में प्राप्त शीर्ष विकास दरों एवं उच्च स्तरीय उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के पश्चात् उपलब्ध हुई है।

(ii) 1989-90 में मुख्य अवस्थापना क्षेत्र ने कम-से-कम विद्युत जनन और पैट्रोलियम उत्पादन एवं पैट्रोलियम उत्पादों, कोयला और लिग्नाइट, सीमेंट, आदि में काफी हद तक अच्छी प्रगति की ।

(iii) थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 17 फरवरी, 1990 को अंक से अंक के आधार पर 7.7% रही, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 5.3% थी । पिछले कई वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मुख्य तौर पर खाद्य भंडार की आपूर्ति के प्रबंध पर निर्भर था । पिछले तीन वर्षों के दौरान, खाद्यान्नों का भंडार जनवरी, 1987 में 22.8 मिलियन टन से घटकर जनवरी, 1990 में 12.6 मिलियन टन रह गया तथा अनाज, खाद्य तेलों तथा चीनी का क्रमश: 2.8 मिलियन टन, 3.4 मिलियन टन और 1.0 मिलियन टन का आयात करना पड़ा। इस प्रकार के आपूर्ति प्रबंध में जो सीमान्तक तीन वर्ष पहले उपलब्ध थे, उनकी स्थिति में भी कमी आ गई । ऐसी परिस्थिति में 1989-90 में मुद्रा स्फीति के दबाव को रोका तो गया, लेकिन बहुत सीमित मात्रा तक ही यह संभव हो सका ।

(iv) निर्यातों में उत्साहवर्धक रुख तथा आयात में कमी के बावजूद, 1989-90 में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों पर, कुछ हद तक तो व्यापार और चालू खाते में घाटे के कारण और कुछ भुगतान संतुलन के अदृश्य और पूंजी खातों की स्थिति बिगड़ने के कारण, लगातार दबाव बना रहा । वर्ष के दौरान, निर्यात विकास की गति को तीव्र कर, पर्यटन से प्राप्त आय में वृद्धि करके, प्रभावी आयात प्रतिस्थापकों के विकास, सहमत बाह्य सहायता से किए जाने वाले संवितरणों को बढ़ाकर, प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियों निवेशों को बढ़ाकर तथा सीमित विदेशी मुद्रा के मितव्ययी प्रयोग को प्रोत्साहित करके बाह्य अदायगियों में असंतुलन को दूर करने के लिए बहुत से नीतिगत उपाय आरम्भ किए गए । विभिन्न अनिवासी खातों में निक्षेप बढ़ाने के लिए, अनिवासी विदेशी रुपया खातों और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में जमा राशि पर ब्याज की दरें समय-समय पर बढ़ाई गईं । फिर भी इन उपायों का प्रभाव, वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकांश भाग में भुगतान संतुलन स्थिति पर दबाव में राहत के रूप में नहीं महसूस किया जा सका ।

सारणी 1 : भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट सूचक

आधारभूत आर्थिक सूचक	इकाई	1989-90 (अप्रैल-मार्च) (अनुमानित)	1988-89 (अप्रैल-मार्च) (अनन्तिम)	1989-90 में 1988-89 की तुलना में प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—जनसंख्या	मिलियन	827.2	811.8	1.9
—सकल राष्ट्रीय उत्पाद (सराउ) (1980-81 के मूल्यों के आधार पर)	रु० करोड़	1,96,963	1,88,481	4.5
—निवल राष्ट्रीय उत्पाद (निराउ) (1980-81 के मूल्यों के आधार पर)	रु० करोड़	1,76,607	1,69,017	4.5
—सराउ प्रति व्यक्ति (1980-81 के मूल्यों के आधार पर)	रु०	2,381	2,322	2.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—निराउ प्रति व्यक्ति (1980-81 के मूल्यों के आधार पर)	रु०	2,135	2,082	2.5
—कृषि उत्पादन सूचकांक	1969-70=100	184.9	182.7	1.2
—खाद्यान्न उत्पादन	मिलि० टन	173.0	170.2	1.6
—उर्वरक उत्पादन (पोषकों के आधार पर नाइट्रोजन पोटाश खाद)	मिलि० टन	8.6	8.9	(-)3.4
—बिजली उत्पादन	बिलि० कि० वा०	245.0	221.1	10.8
—कोयला उत्पादन	मिलि० टन	200.9	194.5	3.3
—तेल उत्पादन (कच्चा)	मिलि० टन	34.1	32.0	6.6
—सीमेंट उत्पादन	मिलि० टन	45.6	44.2	3.2
—तैयार इस्पात उत्पादन	मिलि० टन	13.1	12.8	2.3
—रेलवे द्वारा राजस्व-अर्जक माल यातायात	मिलि० टन	311.0	301.0	3.3
—प्रमुख बन्दरगाहों पर माल का लदान-उतार	मिलि० टन	147.1	146.4	0.5
—औद्योगिक उत्पादन (सामान्य सूचकांक)	1980-81=100	193.6	181.1	6.9
—निर्यात	रु० करोड़	27,681	20,281	36.5
—आयात	रु० करोड़	35,412	27,693	27.9
—व्यापार सन्तुलन	रु० करोड़	(-)7,731	(-)7,412	4.3
—विदेशी मुद्रा रिजर्व (स्वर्ण एवं विशिष्ट आहरण अधिकारों को छोड़कर)	रु० करोड़	5,787	6,605	(-)12.4
—विदेशी ऋण (बकाया वर्ष की समाप्ति पर)	रु० करोड़	71,240	68,831	3.5
—कुल ऋण शोधन	रु० करोड़	8,133	7,036	15.6
—मुद्रा पूर्ति (मुद्रा[3])	रु० करोड़	2,28,330	1,91,231	19.4
—बैंक प्रदत्त उधार	रु० करोड़	1,00,539	84,719	18.7
—वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा	रु० करोड़	1,66,065	1,40,150	18.5
—थोक मूल्य सूचक (औसत)	1981-82=100	165.0	154.3	6.9
—औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचक (औसत)	1982=100	173.4	162.8	6.5
—मुद्रा स्फीति दर (उ० मू० सूच-कामगार पर आधारित) (बिन्दु से बिन्दु आधार पर)	प्रतिशत	6.6	8.5	

(ख) निवेश वातावरण और पूंजी बाजार

1.07 अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और अवस्थापना, द्वारा 1988-89 में बेहतर कार्य-निष्पादन के कारण 1989-90 में निवेश वातावरण अत्यधिक उत्साहवर्धक रहा। सारणी-2 में कैलेण्डर वर्ष 1988 तथा 1989 में औद्योगिक निवेश वातावरण के परिवर्ती सूचकों के उपलब्ध आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 2 : औद्योगिक निवेश वातावरण के चुनिंदा सूचक

सूचक	इकाईयां	1989 (जनवरी–दिसम्बर),	1988 (जनवरी–दिसम्बर),	1989 में 1988 की तुलना में प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—विदेशी सहयोग	संख्या	605	926	(–) 34.7
—अनुमोदित विदेशी निवेश	रु० करोड़	316.67	239.76	32.1
—जारी किए गए आशय पत्र	संख्या	1,182	1,083	9.1
—प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेंस	संख्या	418	360	16.1
—लाइसेन्समुक्ति व्यवस्था के अधीन रजिस्ट्रेशन	संख्या	1,203	1,352	(–) 11.0
—विमुक्त उद्योग रजिस्ट्रेशन स्कीम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन (जून 1988 से प्रारम्भ)	संख्या	922	114	708.8
—100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को स्वीकृति–पत्र	संख्या	31	305	.4.6
—अप्रवासी भारतीयों के आवेदनों पर विशिष्ट स्वीकृतियां	संख्या	42	102	(–) 58.8
—तकनीकी विकास निधि के योजनान्तर्गत स्वीकृतियां	संख्या	125*	183*	(–) 31.7
—पूंजी–माल निर्बाधता	रु० करोड़	1,298.37	1,084.20	19.8
—पूंजी निर्गमों के लिए अनुमतियां (बोनस निर्गम सहित)	रु० करोड़	12,217@	8,243@	48.2
—पूंजी निर्गम	रु० करोड़	10,772@	5,066@	112.6

*आंकड़े अप्रैल—दिसम्बर तक @आंकड़े अप्रैल—मार्च के आधार पर हैं

1.08 उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि जारी किए गए आशय–पत्रों/प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेंसों और प्रदान किए गए अन्य अनुमोदनों में स्पष्ट रूप से उत्साहवर्धक रुख रहा। विशेष रूप से अनुमोदित किए गए पूंजी निर्गमों के मामले में यह वृद्धि पिछले वर्ष इसी अवधि से 70% से भी अधिक रही। 1989–90 के दौरान पूंजी और स्टाक बाजार कुल मिलाकर उत्साहवर्धक रहा। वर्ष 1988–89 में 5,066 करोड़ रुपये की तुलना में 1989–90 में पूंजी बाजार से अनुमानित 10,772 करोड़ रुपये की राशि उगाही गई। यह स्थिति कुछ हद तक 1988–89, में निगमित क्षेत्र के बेहतर वित्तीय कार्य–निष्पादन, पूंजी बाजार में संस्थानात्मक निवेशकों, पारस्परिक निधियों (म्युचुअल फण्ड्स), उद्यम पूंजी निधियों (वेन्चर कैपीटल फन्ड्स) आदि की उपस्थिति तथा कई मेगा निर्गमों के बाजार में आने के कारण संभव हुई।

1.09 सरकार ने पूंजी बाजार में संरचनात्मक सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए। पूंजी बाजार से संसाधनों को जुटाने के लिए इस वर्ष अनेक वित्तीय मध्यस्थों तथा अभिनव वित्तीय प्रलेखों का भी अभ्युदय हुआ। वर्ष के दौरान, पूंजी निर्गम नियंत्रक ने मार्गनिर्देशों की घोषणा की, जिनके अन्तर्गत डिबेंचर जारी करके परियोजना वित्त प्राप्त करने वाली कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया, कि वे अपनी परियोजनाओं का वित्तीय संस्थान से मूल्यांकन करायें, चाहे वे उस वित्तीय संस्थान से सहायता प्राप्त करें या न करें। बड़े आकार अर्थात् 50 करोड़ रुपये या अधिक के पूंजी निर्गमों द्वारा एकत्रित की गई निधियों के उपयोग पर वित्तीय संस्थानों द्वारा नजर रखी जानी भी सुनिश्चित हुई। सार्वजनिक निर्गम के अधीन 25 प्रतिशत राशि, आवेदन पर, 25 प्रतिशत राशि आबंटन पर और शेष राशि, पहले ही एकत्रित की गई निधियों के उपयोग पर नजर रखने वाले उपर्युक्त वित्तीय संस्थान की संतुष्टि पर, दो या अधिक बार के अनुरोध पर अब एकत्रित की जा सकती है। पूंजी बाजार को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये निर्गमों की अवधि 24 मास से घटाकर 12 मास कर दी गई। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने भी बैंकों द्वारा परस्पर निधि (म्युचुअल फंड) के परिचालन हेतु मार्ग निर्देश जारी किए। वर्ष की समाप्ति पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मर्चेन्ट बैंकरों से यह कहा गया, कि वे अपने कारोबार चलाने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करें।

1.10 भारतीय रिजर्व बैंक का साधारण शेयर मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक (आधार : 1980-81=100) दिनांक 27 जनवरी, 1990 को 384.9 तक पहुंच गया जो कि 25 मार्च, 1989 को निर्धारित सूचकांक 308.2 से 25% अधिक था । इकनामिक टाइम्स (अखिल भारतीय) सूचकांक (1984-85=100) 28 फरवरी, 1990 को इक्विटी शेयरों हेतु 392.4 था, जो 28 फरवरी, 1989 के पिछले वर्ष के सूचकांक 375.3 से 9.8% अधिक था ।

1.11 पूंजी बाजार के आशावादी दिखाई देने का एक अन्य सकारात्मक पहलू सभी वित्तीय संस्थानों अर्थात भाऔविबैं, भाऔविनि, भाऔसानिनिलि, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता में समग्र वृद्धि थी, जो 1988-89 में 53.7% की अधिकतम वृद्धि से 3.2% अधिक रही । इसी प्रकार, उपर्युक्त वित्तीय संस्थान द्वारा किए गए संवितरण पिछले वर्ष किए गए संवितरणों में 33.3% की वृद्धि से 9.5% अधिक रहे ।

(ग) औद्योगिक परिदृश्य

नीतिगत पहलू

1.12 औद्योगिक नीति संबंधी अभिक्रम (क) क्षमता सृजन को सुविधाजनक बनाने, (ख) उत्पादन विस्तार को सुविधाजनक बनाने, और (ग) प्रक्रियात्मक रुकावटें दूर करने के उपायों की दिशा में पहल करते रहे ।

1.13 औद्योगिक उपक्रमों में सरलतापूर्वक प्रवेश अथवा उनके विस्तार के लिए उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने पर पिछले कुछ समय से विशेष जोर दिया जाता रहा है । वर्ष के दौरान, जिन उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, उनकी सूची में गैर-एम० आर० टी० पी०/गैर-फेरा कम्पनियों के लिए 31 उद्योग शामिल किए गए । 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार, पिछड़े क्षेत्रों के लिए एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों के लिए लाइसेंस मुक्त उद्योगों की संख्या 72 हो गई । इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों तथा गैर-एम० आर० टी० पी०/ गैर-फेरा कम्पनियों सहित सभी औद्योगिक उपक्रमों के लिए ऑटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों को विनिर्दिष्ट स्थान निर्धारण नीति की शर्तों के अधीन लाइसेंस मुक्त कर दिया गया । जून 1988 में घोषित की गई लाइसेंस से छूट की सुविधा में इस वर्ष के दौरान अनिवार्य लाइसेंस के अधीन की मदें भी शामिल कर ली गईं, परन्तु इन्हें लघु क्षेत्र, बुनाई की इकाइयों, जहां 50 व्यक्तियों से कम व्यक्ति काम करते हों, और संचार उपस्कर, औद्योगिक नियंत्रण उपकरण प्रणाली, कम्प्यूटर फेरीफेरल्स, आदि के मुख्य कार्य के अधीन आने वाली विभिन्न मदों के लिए आरक्षित रखा गया ।

1.14 वर्ष 1989-90 के दौरान 24 और उद्योगों के शामिल किए जाने से न्यूनतम आर्थिक क्षमता योजना के अधीन उद्योगों की कुल संख्या 109 हो गई । प्रतिस्थापित क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु उद्योगों का विस्तार करने की योजना तथा बाजार मांग के अनुसार उनके मिश्रित उत्पादन का समायोजन करने के लिए निर्माताओं को उपलब्ध कराई गई सुविधा में ग्लास फाइबर तथा कृत्रिम रेशे उद्योगों को शामिल किया गया ।

मार्च, 1990 तक विस्तृत-वर्गीकरण योजना में 46 उद्योग शामिल किए गए ।

1.15 चीनी लाइसेंसिंग नीति* के अधीन दूरी और क्षमता विषयक मानदण्डों में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की नई चीनी फैक्टरियों को छूट प्रदान की गई । इस छूट के अधीन सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नई चीनी इकाइयां 1,750 टन प्रतिदिन की प्रारंभिक गन्ना पिराई क्षमता से स्थापित की जा सकती हैं, बशर्ते कि उत्पादन प्रारम्भ करने के पांच वर्ष की अवधि में उनकी क्षमता 2,500 टन प्रतिदिन तक बढ़ा दी जाए । 40 कि०मी० की विशेष दूरी की शर्त को घटाकर 25 कि० मी० कर दिया गया; नई चीनी इकाइयों हेतु पर्याप्त गन्ने की उपलब्धता को समग्र रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत माना गया ।

1.16 वस्त्र उद्योग के मामले में, ओपन-एण्ड-रोटर/एयर जेट स्पिनिंग इकाइयों सहित तकुओं के अन्तरण हेतु विद्यमान संपरिवर्तन अनुपात की समीक्षा की गई । ओपन-एण्ड-रोटरों या एयर जेट स्पिनिंग इकाइयों द्वारा तकुओं के अन्तरण में अब तक चल रहे 5 : 1 की जगह 1 :1 का अनुपात तथा इसके विलो की अनुमति दी जा सकती है ।

1.17 किसी तैयार उत्पाद और उपभोग हेतु निर्माण संघटक और उनके पुर्जों के लिए जिन औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस प्रदान किए गए या रजिस्टर्ड किए गए हों, उनके अपने उपभोग से अधिक संघटकों और पुर्जों की मर्चेन्ट बिक्री की अनुमति दी गई, बशर्ते घरेलू बाजार में इस प्रकार की मर्चेन्ट बिक्री तैयार माल की आय के 25% से अधिक न हो ।

1.18 कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स/शीट्स के निर्माण हेतु इस्पात उद्योग में नयी क्षमताओं के लाइसेंसीकरण को उदार बनाया गया । साइकिल, सूक्ष्म औजार और कोटेड स्टील स्ट्रिप्स/शीट्स के निर्माताओं को विभिन्न शर्तों के अधीन उनके प्रयोग के लिए कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स/शीट्स के निर्माण की अनुमति दी गई । इसी प्रकार, जिन मिश्रित इकाइयों को अग्रिम, एकीकरण के रूप में हाट रोल्ड स्ट्रिप्स/शीट्स की अनुमति प्राप्त थी, उनके अपने उत्पादन के आधार पर कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स/शीट्स का उत्पादन करने की अनुमति दी गई । सरकार ने उद्योग की प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए फेरो-निकल और फेरो-सिलिकान की अतिरिक्त क्षमता के सृजन की भी अनुमति दी ।

1.19 औद्योगिक परियोजनाओं के निर्बाध और त्वरित कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक पद्धति को सरल बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए । विदेशी निवेश बोर्ड को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं, तथा जिन मामलों में, इक्विटी भागीदारी में प्रतिशत अपरिवर्तित रहे हों, उनमें विदेशी इक्विटी की राशि में निवेश तथा परिवर्तनों का अनुमोदन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं ।

1.20 लघु, ग्राम और कृषि पर आधारित उद्योगों में तेजी लाने के लिए प्रमुख नीतिगत पहल के रूप में, लघु कृषि और ग्रामीण उद्योग के नए विभाग की स्थापना की गई । खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के अधीन ग्रामोद्योग के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने के लिए 26 उद्योगों की विद्यमान सूची में 34 नए ग्रामोद्योग शामिल किए गए ।

औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति

1.21 औद्योगिक उत्पादन का मासिक शासकीय सूचकांक 1989–90 में पिछले महीनों की इसी अवधि की तुलना में निरन्तर बढ़त दर्शाता रहा, जैसा कि सारणी–3 से स्पष्ट है, तथापि प्रथम सात महीनों की विकास दर 8% के औसत लक्ष्य से कम रही । औद्योगिक उत्पादन का औसत सामान्य सूचकांक (आधार 1980–81=100), जो 1985–86 में 142.1, 1986–87 में 155.1, 1987–88 में 166.4 और 1988–89 में 181.1 था, अनुमानतः 193.6 तक ही पहुंच सका, जो 1989–90 में केवल 6.9% का समग्र विकास दर्शाता है ।

सारणी 3: औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक

आधार 1980–81=100

मास	1989-90	1988-89	प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	177.5	169.9	4.5
मई	175.7	173.3	1.2
जून	181.3	179.1	1.2
जुलाई	178.5	169.6	5.2
अगस्त	181.3	169.4	7.0
सितम्बर	183.3	171.6	6.8
अक्तूबर	185.5	174.6	6.2
नवम्बर	198.4	181.0	9.6
दिसम्बर	211	194.5	8.7
जनवरी	215.3	192.8	11.7
फरवरी	206.3	186.3	10.7
मार्च	228.7	211.1	8.3
अप्रैल से मार्च के दौरान औसत	193.6	181.1	6.9

1.22 औद्योगिक उत्पादन की क्षेत्रवार प्रवृत्ति, वर्ष 1988–89 की (वास्तविक) और 1989–90 की (अनुमानित), सारणी–4 में दी गई है । यद्यपि "खान" और खनन ने पिछले वर्ष की 7.8% की तुलना में 6.7% की विकास दर प्राप्त की, "विद्युत उत्पादन" में विकास दर पिछले वर्ष की 9.4% की तुलना में 10.8% रही । वस्तुतः प्रमुख अधिस्थापना क्षेत्र ने (जो प्रसंगवश अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र में है) आमतौर पर ठीक ही कार्य-परिणाम दिए । विद्युत उत्पादन, कच्चे पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों, कोयले और लिग्नाइट उत्पादन, सीमेंट, नाइट्रोजनस खाद, रेलवे राजस्व अर्जन यातायात और दूर–संचार—सभी के विकास की गति प्रायः अच्छी रही । केवल फास्फेटिक खाद और बिक्री योग्य इस्पात (मुख्य संयंत्रकों) के उत्पादन में गिरावट आई । फास्फेटिक खाद के मामले में यह गिरावट आयातित फास्फोरिक एसिड की कमी तथा बिक्री–योग्य इस्पात के मामले में यह कमी आपूर्ति से संबंधित विशिष्ट कारणों से हुई ।

सारणी 4: औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्ति

आधार 1980–81=100

भार	क्षेत्र	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि 1989-90* अप्रैल-मार्च	1988-89 अप्रैल-मार्च
(1)	(2)	(3)	(4)
11.46	खनन एवं खदान	6.7	7.8
77.11	विनिर्माण	6.4	8.9
11.43	बिजली	10.8	9.4
100.00	समस्त उद्योग	6.9	8.8

1.23 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के 2 अंकों वाले स्तर में 17 प्रमुख औद्योगिक समूहों में से, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 59.5% के संयुक्त भार सहित 13 उद्योग समूह (अर्थात् पेय–पदार्थों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, सूती वस्त्र, वस्त्र उत्पाद, कागज और कागज के उत्पाद, चमड़ा और चमड़ों के उत्पाद, रबड़, प्लास्टिक, पैट्रोलियम और कोयला–उत्पाद, रसायन और रसायन उत्पाद, अलौह खनिज उत्पाद, धातु उत्पाद तथा पुर्जे, मशीनें और मशीनों के औजार, बिजली मशीनरी और उपयंत्र, परिवहन उपस्कर और अन्य विनिर्माण उद्योग) ने सकारात्मक विकास किया । केवल चार समूहों अर्थात् खाद्य उत्पाद, पटसन और पटसन उत्पाद, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद तथा मूल धातुओं के उत्पादन में गिरावट आयी ।

1.24 सारणी–5 में बड़े उपयोग–आधारित समूहों के रूप में वर्गीकृत 155 चुनिंदा उद्योगों की विकास दर दी गई है ।

सारणी 5 : उपयोग आधारित औद्योगिक समूह उत्पादन सूचकांकों पर आश्रित विकास दरें

आधार 1980–81=100

उद्योग–समूह	भार	पिछले वर्ष की तुलना में सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि 1985–86	1986–87	1987–88	1988–89	1989–90*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. मूल माल उद्योग	39.4	6.8	9.2	9.6	9.9	4.7
2. पूंजी माल उद्योग	16.4	10.6	18.2	15.9	7.4	9.1
3. मध्यवर्ती माल उद्योग	20.5	7.5	4.4	4.8	11.5	2.2
4. उपभोक्ता माल उद्योग						
—उपभोक्ता टिकाऊ माल	2.6	18.7	18.9	7.8	22.1	0.8
—उपभोक्ता उपभोज्य माल	21.1	11.5	4.9	6.2	2.4	5.9

टिप्पणी :—*1989–90 में 1988–89 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अप्रैल—नवम्बर की अवधि के आंकड़ों पर आधारित है ।

1.25 जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, 1988-89 में आयात- गहन उपभोक्ता टिकाऊ सामान और मध्यवर्ती माल ने औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में समग्र विकास में बड़ा योगदान दिया था। यह एक ऐसी औद्योगिक उत्पादन पद्धति दर्शाता था, जिसका समाज के समृद्ध वर्ग की ओर ज्यादा झुकाव था। वर्ष 1989-90 में पिछले पांच वर्षों के दौरान पहली बार यह पद्धति बदल गई, जिससे पूंजीगत माल और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामान को, जिसे स्थायी आर्थिक मूलाधार कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण स्थान मिला।

1.26 जहां तक क्षमता उपयोग तत्व का संबंध है, इसमें संदेह नहीं है कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के मामले में वर्ष 1989-90 में क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। पूंजीगत माल और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामान उद्योग क्षेत्र में, क्षमता उपयोग में विशिष्ट सुधार हुआ। अन्य उद्योगों के संबंध में क्षमता उपयोग में सुधार बहुत मामूली या सीमान्तक रहा। इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-I में वर्ष 1989-90 के लिए साठ चुने हुए औद्योगिक उत्पादों की प्रतिस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग और उनके संबंध में भाऔविनि की 525 वित्तपोषित संस्थाओं से संबंधित आंकड़े, उनसे प्राप्त निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर दिए गए हैं।

औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय प्रगति

1.27 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के लिए (जिनके खाते 31 मार्च, 1989 या उससे पूर्व बंद हो चुके थे) 1988-89 का वर्ष, आमतौर पर बेहतर वित्तीय प्रगति का वर्ष रहा। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने ऐसी 222 सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण किया, जिससे यह पता चलता है कि 60% इकाइयों ने 75% से अधिक और, 20% इकाइयों ने 50 से 75% तक क्षमता का उपयोग किया, केवल 20% इकाइयां ऐसी थी जिनमें 50% से कम क्षमता का उपयोग हुआ। इन इकाइयों द्वारा लगाई गई पूंजी लागत पर सकल लाभ (अर्थात् ब्याज और कर-पूर्व लाभ) 12.7% रहा, जबकि पूंजी लागत से निवल लाभ का अनुपात 4.4% था। वर्ष 1987-88 की अपेक्षा वर्ष 1988-89 में इन उद्यमों में सकल-मूल्य में 25.4% का परिवर्धन हुआ। सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य का एक विशिष्ट पहलू अनुसंधान और विकास पर व्यय था। वर्ष 1987-88 में अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय की तुलना में 1988-89 में 44% की वृद्धि हुई।

1.28 निजी निगमित क्षेत्र की कम्पनियों में भी, सेन्टर फार मानीटरिंग इंडियन इकानमी द्वारा 397 चुने हुए उद्यमों का प्रतिदर्श अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 1988-89 के दौरान पूंजी लागत पर आय, जोकि ब्याज और कर-पूर्व लाभ और कुल निवल परिसम्पत्तियों पर कर के अनुपात से परिमेय है, 10.4% रही। वर्ष 1988-89 में कुल इक्विटी और अधिमान शेयर पूंजी पर लाभांश 17.3% रहा, जो इससे पिछले वर्ष 12.2% था। वर्ष 1988-89 के दौरान जिन निजी क्षेत्र इकाइयों का अध्ययन किया गया, उनमें जोड़ा गया निवल मूल्य उनके सकल उत्पादन मूल्य का 21% था।

1.29 जहां तक उद्योगवार स्थल का सम्बन्ध है, अध्ययन से यह पता चलता है कि 1988-89 के दौरान मूल औद्योगिक रसायन समूह ने सकल बिक्री पर 13.2 प्रतिशत का उच्च परिचालन लाभ प्राप्त किया। कागज और कागज उत्पादन करने वाली इकाइयों ने भी पिछले दो वर्षों में निवल हानि उठाने के पश्चात् 1988-89 के दौरान निवल लाभ अर्जित किया। वर्ष 1988-89 में शेयरधारी पूंजी पर भी लाभ दर तेजी से बढ़कर एल्यूमिनियम, लोहा और इस्पात और गैर विद्युत मशीनें निर्माण करने वाली कम्पनियों के मामले में 16 प्रतिशत व इससे अधिक तथा टायर और ट्यूब कम्पनियों के मामले में 21 प्रतिशत रही।

1.30 1989-90 वर्ष के लिए, यद्यपि औद्योगिक संस्थाओं के अन्तिम परिणाम अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, तथापि अपेक्षा की जाती है कि वस्त्र (कताई), मूलभूत रसायन, दवाइयां तथा औषधि, टायर और ट्यूबें, कागज, लोहा और इस्पात, गैर-विद्युत और विद्युत मशीनें और धातु उत्पाद और पुर्जों से सम्बन्धित औद्योगिक संस्थानों के द्वारा पिछले वर्ष की अपेक्षा बहतर कार्य-परिणाम सामने आयेंगे। पटसन, मूलभूत धातु, शीशा और शीशा उत्पाद, खाद्य उत्पाद, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, आदि से सम्बन्धित औद्योगिक समूहों में अधिकांश इकाइयों के कार्य परिणाम निर्बल रहने की संभावना है, जबकि शेष उद्योगों में काफी हद तक संतोषजनक वित्तीय कार्य-परिणाम संभावित है।

(घ) सातवीं योजना (1985-90)

—एक सिंहावलोकन

1.31 1989-90 का वर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) का अंतिम वर्ष था। अतः यह उचित होगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक रूपरेखा में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाए। अनेक प्रतिकूल घटनाओं के बावजूद, इस अवधि के दौरान देश की अनेक उपलब्धियां उल्लेखनीय रहीं। समग्र वार्षिक विकास दर लक्ष्य से कुछ अधिक 5.6% प्रतिवर्ष होने की आशा है। कृषि उत्पादन में औसतन 3.5% प्रतिवर्ष विकास होने की संभावना है। इस उपलब्धि की विशेषता यह है कि मुख्य रूप से प्रति हैक्टेयर उपज के वृद्धि के कारण ऐसा संभव हो सका है।

1.32 सातवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र में औसत वार्षिक विकास दर 8 प्रतिशत की परिकल्पना की गई थी। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में प्राप्त विकास दर लगभग 8.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही, और 1989-90 में 6.9 प्रतिशत की संभावित विकास दर से, योजना के अनुरूप, उद्योग में करीब-करीब 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आस-पास विकास दर का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाना चाहिए।

1.33 अवस्थापना क्षेत्र में, प्राप्तियां अत्यधिक प्रशंसनीय रही हैं। विद्युत उत्पादन में छठी योजना अवधि के दौरान प्राप्त की गई 8.4 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में सातवीं योजना में लगभग 9.3 प्रतिशत की औसत विकास दर प्राप्त होने की आशा है। विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्थापित क्षमता में बढ़ोतरी भी लगभग लक्ष्य के स्तर तक प्राप्त कर ली गई है। छठी योजना अवधि में विद्युत उत्पादन की प्रतिस्थापित क्षमता लक्ष्य में 27.7 प्रतिशत की कमी को ध्यान में रखते हुए वास्तव में यह वृद्धि उल्लेखनीय है। सातवीं योजना अवधि में, कोयले के उत्पादन में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और कोयले की कमी अब प्रायः अतीत की बात हो गई है। निधियों में कमी और रेल के डब्बे और मालवाहकों की संख्या कम होने के बावजूद, रेलवे ने छठी योजना के दौरान प्राप्त 4.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में, माल यातायात में सातवीं योजना के दौरान 5.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर प्राप्त की। एकमात्र महत्वपूर्ण अवस्थापना क्षेत्र, जिसमें संभवतः देश पीछे रह सकता है—वह है, कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य। छठी योजना अवधि में कच्चे तेल के उत्पादन में 19.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि सातवीं योजना में केवल 3.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ही वृद्धि हुई। कच्चे तेल और तेल-उत्पादों का निवल आयात, जो 1979-80 में किए गए 20.76 मिलियन टन के आयात से घटाकर 1984-85 में 12.32 मिलियन टन कर दिया गया था, फिर 1988-89 में बढ़कर 21.88 मिलियन टन हो गया।

1.34 बेहतर कृषि और अवस्थापना, औद्योगिक विकास और उदारीकरण से सातवीं योजना अवधि के दौरान कारोबार में आमतौर पर सुधार हुआ। पूंजी निर्गमों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जो 1984-85 (जुलाई-जून) में 1,452 करोड़ रुपए के सात गुणा से भी अधिक बढ़कर 1989-90 (अप्रैल-मार्च) में 10,772 करोड़ रुपए हो गए। नए उद्यमियों का उत्साह काफी बढ़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही, कि बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बल पर नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए सामने आयीं। प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने काफी महत्वाकांक्षी बने रहे, और पूंजी बाजार में मेगा निर्गमों का प्रचलन शुरू हुआ। म्युचुअल फंड, वेंचर फंड, बट्टा गृह, फैक्टोरिंग सेवाएं, प्रौद्योगिकी वित्त, पर्यटन वित्त, आवास वित्त, आदि नई तथा विविध स्वरूप के संस्थान सातवीं योजना अवधि में अपने अस्तित्व में आए। शेयर और पूंजी बाजारों के स्वस्थ विकास की व्यवस्था अतिवार्यतः करनी पड़ी। निक्षेप प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र जैसे नए मुद्रा बाजार प्रलेख शुरू किए गए, और बचत के लिए आकर्षक पहलुओं वाले विभिन्न नए कार्यक्रम नवीन मुद्रा और वित्तीय नीतियों के भाग बन गए। अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की दरों में लोच और तत्पश्चात् पूंजी बाजार दरों पर ब्याज की सीमा हटाने से एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण विनियंत्रण हुआ, और पूंजी बाजार में लेनदेन को अत्यधिक पारदर्शिता प्रदान की गई।

1.35 सातवीं योजना में औसत वास्तविक सकल पूंजी निर्माण 6.1 प्रतिशत होने की संभावना है, जो छठी योजना अवधि में प्राप्त की गई 3.3% प्रतिवर्ष की दर से काफी बेहतर है। सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक सकल पूंजी निर्माण के मूल योजना के 94 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। आशा है कि सातवीं योजना अवधि के दौरान निजी क्षेत्र का निवेश भी सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लगभग बराबर ही होगा।

1.36 इन उपलब्धियों के साथ-साथ ही सातवीं योजना अवधि को चार समस्या क्षेत्रों को भी देखना पड़ा, जो हैं—भुगतान संतुलन, राजस्व में घाटा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में वृद्धि। व्यापार असंतुलन, जो एक समय छठी योजना में 6,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष था, सातवीं योजना में बढ़कर एक समय में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक जा पहुंचा। निवल अदृश्य राशियों में कमी आई, और ऋण सेवा अनुपात 1980-81 में 9 प्रतिशत से बढ़कर 1988-89 में 23 प्रतिशत हो गया। बाह्य सहायता, बाह्य वाणिज्यिक उधार और अनिवासी भारतीय निधि ऋणों सहित विदेशी ऋण जो 1984-85 में 37,725 करोड़ रुपए था, 1988-89 में बढ़कर 68,831 करोड़ रुपए हो गया। इस संदर्भ में, प्रसन्नता की बात केवल यह है, कि निर्यात में विशेषतः सातवीं योजना अवधि के अंतिम तीन वर्षों के दौरान, मूल्य की दृष्टि से, औसतन 30 प्रतिशत से अधिक की प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई।

1.37 सातवीं योजना की पांच वर्षों की सम्पूर्ण अवधि के दौरान, बजट में चालू खाते में घाटा बना रहा। राजस्व घाटा और पूंजीगत व्यय, दोनों को ही, पर्याप्त सीमा तक उधारों और घाटे की वित्तव्यवस्था द्वारा पूरा करना पड़ा, परिणामतः सातवीं योजना अवधि के दौरान समग्र घाटे की वित्तव्यवस्था 35,000 करोड़ रुपए, योजना में निर्धारित स्तर से लगभग ढाई गुणा अधिक संभावित है।

(ङ) आठवीं योजना के लिए प्राथमिकता क्षेत्र और नीतियां (1990-95)

1.38 सातवीं योजना के अंतिम वर्ष में सरकार द्वारा किया गया प्रमुख उपाय चालू आर्थिक स्थिति और कार्रवाई के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करना था। यह पत्र इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें चालू आर्थिक स्थिति पर गहन (शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों तथा खतरों के संबंध में) विश्लेषण किया गया है, और की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों को सुझाया गया है, ताकि विद्यमान संरचनात्मक असंतुलनों को दूर किया जा सके। श्वेत पत्र में सुझाए गए प्रत्यक्ष प्रासंगिक कार्य-बिन्दु इस प्रकार हैं :—

— जनसंख्या-वृद्धि की दर में कमी, केवल परिवार-नियोजन उपायों के द्वारा ही नहीं, अपितु महिला शिक्षा, मातृत्व देख-भाल तथा शिशु-स्वास्थ्य, तथा महिला रोजगार पर विशेष ध्यान देते हुए।

— देश की भावी आर्थिक विकास नीति के केन्द्र-बिन्दु के रूप में लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था।

— कृषि विकास के लक्ष्य को उच्च तथा कम अस्थिर दरों पर रखा जाना, तथा फसल एवं क्षेत्रों की दृष्टि से विशाखित किया जाना ।

— कृषि अनुसंधान, विस्तार और समर्थन प्रणाली द्वारा अति-वृष्टि तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि की ओर अधिक ध्यान दिया जाना ।

— उपभोक्ता वस्तुओं की अपेक्षा मजदूरी दिलाने वाली आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान देकर औद्योगिक विकास हेतु विशाखन पद्धति को अपनाना ।

— उत्पादों की उपयुक्त प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करके पूंजीगत माल और मध्यवर्ती माल की ओर अधिक ध्यान दिया जाना ।

— अवस्थापना के एकीकरण और संप्रेषण-प्रणाली को महत्वपूर्ण मदों में और अधिक निवेश किया जाना ।

— गैर-विकासशील व्यय में वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाना ।

— यह सुनिश्चित करते हुए कि गरीबी उन्मूलन उपसहायता पूर्ण रूप से गरीबों के लाभ के लिए केन्द्रित हो, तथा इनके परिणामों के अनुसार प्रवर्तन उप-सहायता पूर्णत: युक्तिसंगत हो, उपसहायता पर और अधिक नियंत्रण ।

— बेहतर राजस्व प्रबन्ध, गैर-कर राजस्व को अधिकतम करना तथा वित्तीय विकास में संतुलन ।

— विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले निर्यातों को तीव्रता से बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करना तथा आयात गहन निर्यातों की घरेलू संसाधन लागत तथा उच्च लागत की स्थिति में वित्तीय सहायता तथा आयात गहन निर्यातों को हर संभव सीमा तक कम किया जाना ।

— प्रभावी आयात प्रतिस्थापन के संवर्धन में सहायता के लिए गतिशील औद्योगिक नीति का निर्धारण तथा स्पष्ट रूप से प्राथमिकता निर्धारित करके काफी सोच-समझ कर आयात किया जाना ।

उपर्युक्त प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को कार्यवाही के लिए ध्यान में रखते हुए सरकार ने आठवीं योजना (1990–95) के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण के पुनरावलोकन के लिए कदम उठाया हुआ है ।

(च) 1990–91 के लिए संभावनाएं

1.39 1990–91 के बजट में मुद्रास्फीति और घाटे की वित्तव्यवस्था दोनों को दृढ़तापूर्वक नियंत्रित करने के निश्चित प्रयासों सहित रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन तथा कृषि एवं उद्योग में तीव्रतर वृद्धि करने पर बल दिया गया है । निवेश योग्य संसाधनों की लगभग 50% राशि कृषि और ग्रामीण विकास की प्रगति में लगाने का प्रस्ताव है । उद्योग में तीव्रतर वृद्धि तथा अवस्थापना, विशेष रूप से विद्युत और परिवहन के संतुलित विकास सहित कृषि में श्रम को अधिकाधिक समाहित करने की एक नीति प्रस्तावित है । सरकार स्पर्धात्मक और गैर–एकाधिकार पूर्व वातावरण में औद्योगिक प्रगति को बढ़ाने के लिए भी वचनबद्ध है । अनुसंधान और विकास पर सरकारी खर्च, कृषि और उद्योग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास गैर–परम्परागत और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का विकास और अनेक रोजगार उन्मुख योजनाएं तथा कार्यक्रम वर्ष 1990–91 के बजट प्रस्तावों की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं ।

1.40 सरकार ने पहले ही निर्यात–आयात नीति 1990–93 की घोषणा कर दी है, जिसमें ऐसे निर्यात को परम अग्रता और विशेष प्रोत्साहन दिया गया है जिससे अत्यधिक निवल विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती हो । इस योजना की मुख्य विशेषताओं में आयात–निर्यात पासबुक योजना समाप्त करना, प्रतिष्ठित विनिर्माता निर्यातकर्ताओं के लिए ब्लैंकेट एडवांस लाइसेंसिंग योजना आरंभ करना, "स्टार" ट्रेडिंग हाऊसिस के लिए एक नवीन योजना, सेवा क्षेत्र के लिए आयात अनुपूरक लाईसेंस की व्यवस्था शुरु करना, आयात लाईसेंसिंग और लदान पूर्व निर्यात प्रलेखन पद्धतियों का सरलीकरण, मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास केन्द्रों के लिए उदार आयात सुविधा, निर्यात उत्पादन के लिए 25 प्रतिशत रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात, वास्तविक प्रयोक्ता के लिए आटोमेटिक आयात लाईसेंसिंग योजना और अनुपूरक लाईसेंसिंग योजना के अधीन सीमित अनुमत्य तथा नान सेंसिटिव केनलाईज्ड कच्चे माल और उपस्करों के आयात में पूर्ण ढील शामिल है ।

1.41 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित वर्ष 1990–91 की पहली छमाही की साख नीति में भी अर्थव्यवस्था की अत्यावश्यक ऋण अपेक्षाओं को पूरा करते हुए द्रव्यता की वृद्धि और ऋण विस्तार पर नियंत्रण करने के महत्वपूर्ण प्रयास शामिल है । मांग मुद्रा बाजार के अस्थिर स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔविबैंक) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारतीय साधारण बीमा निगम (जी० आई० सी०) को ऋणदाताओं के रूप में मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा बाजार में भागीदारी करने की अनुमति दी गई है । जमा प्रमाण–पत्र निर्गम तथा वाणिज्यिक पत्रों की शर्तों को उदार बनाया गया है तथा नगद आरक्षित अनुपात में कमी पर जुर्माना राशि में भी ढील दी गई है । एक निश्चित तिथि के रूप में दिनांक 23 मार्च, 1990 तक भारतीय रिज़र्व बैंक में रखी गई उपयुक्त नकद राशियों पर एक दोहरी ब्याज दर निरूपित की गई है । विदेशी और अप्रवासी खातों में दिनांक 28 जुलाई, 1990 से तथा निवल मांग एवं समयावधि देयता के सांविधिक द्रव्यता अनुपात में दिनांक 22 सितम्बर 1990 से वृद्धि सुनिश्चित की गई है । बैंकों को दिनांक 25 अगस्त, 1990 से वर्ष 1988–89 (और 1987–88 नहीं) के लिए मासिक औसत स्तर से निर्यात ऋण में 75 प्रतिशत की वृद्धि के बराबर निर्यात पुन: वित्तपोषण की अनुमति दे दी गई है । ऋण नियंत्रण के चुनिंदा क्षेत्र में, गेहूं के लिए दिए जाने वाले बैंक के सभी अग्रिमों पर न्यूनतम अतिरिक्त राशि के अंश को कम कर दिया गया है

सूत के लिए अग्रिम अतिरिक्त राशि के अंश पर पूरी छूट दी गई है, और जिन वस्तुओं के लिए ऋण सीमा की शर्त निर्धारित है, उनके मामले में आधार को दिनांक 16 अप्रैल, 1990 से दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है ।

1.42 सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के केन्द्र बिन्दु के रूप में, कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सुविचारित "कृषि नीति" को अपनाते हुए कृषि विकास का मूलाधार स्थापित करना चाहती है । "औद्योगिक नीति"* "और विदेशी निवेष नीति" को भी नए सिरे से देखने का इरादा है । पूंजी बाजार के समुचित विकास की प्रक्रिया और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की भूमिका को भी सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है । अर्थव्यवस्था में एक स्थिर पहलू के रूप में कार्य करने के लिए एक सुदृढ़ और उपयुक्त दीर्घकालीन राजस्व नीति की घोषणा शीघ्र ही की जानी है । इस बीच सरकार ने सुनिश्चित किया है कि देश के आर्थिक विकास के मुख्य प्रतिबोधित क्षेत्र हैं— (i) ग्रामीण विकास (ii) रोजगार की व्यवस्था (iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन और (iv) निर्यात संवर्धन । वर्तमान चिन्तन की विद्यमान मुख्य विशेषता यह है कि निर्यात संवर्धन और निर्यातोन्मुखता के साथ साथ आयातों का गहन अनुवर्तन एवं "आयात प्रबंध" को बेहतर बनाने को भी समान अग्रता दिए जाने का प्रस्ताव है ।

1.43 वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय की राशि बढ़ाकर 39,329 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो वर्ष 1989–90 की तुलना में 14.2 प्रतिशत वृद्धि की द्योतक है । भारतीय अर्थव्यवस्था की अवस्थापना सहायता के लिए ऊर्जा क्षेत्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए योजना परिव्यय का मुख्य हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र को (12,280 करोड़ रुपए) उसके बाद परिवहन को (7,145 करोड़ रुपए) तथा उद्योग और खनिजों को (7,116 करोड़ रुपए) आबंटित किए गए हैं । वर्ष 1990–91 के योजना परिव्यय में उद्योग और खनिजों के अधीन ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए रुपए 467.14 करोड़ आबंटित किए गए हैं । शेष व्यय खनन और अन्य बड़े उद्योगों के विकास के लिए आवंटित किया गया है, जिनमें लोहा और इस्पात, अलौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग, सीमेंट तथा अधातु खनिज उद्योग, उर्वरक, पेट्रो–रसायन, रसायन तथा भेषज (फार्मास्यूटिकल) उद्योग, इंजीनियरिंग, दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स, परमाणु, ऊर्जा तथा अन्य उच्च अग्रता प्राप्त उद्योग शामिल हैं ।

1.44 उपर्युक्त के अतिरिक्त 1990-91 के बजट में निगमित अधिदान (अर्थात् व्यापक रूप से धारित घरेलू कंपनियों हेतु कर की दर घटा कर 40 प्रतिशत करने के साथ-साथ अन्य घरेलू कंपनियों हेतु दर में तदनुरूप परिवर्तन), घरेलू कम्पनियों द्वारा अन्य घरेलू कम्पनियों से प्राप्त लाभांश की पूर्ण सीमा तक छूट न्यूनतम लाभ पर कर के संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 115–जे समाप्त करना, कम्पनियों के मामले में नए उद्योग स्थापित करने के लिए कटौती की दर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तथा अन्य मामलों में 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने के साथ ही उपर्युक्त सुविधा हेतु समय की अवधि 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने तथा अप्रत्यक्ष कर ढांचे को युक्ति संगत बनाने सहित उद्योग को विभिन्न सीमा-शुल्क, आयात शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में राहतों की घोषणा, आदि कुछ ऐसी स्वागत-योग्य विशेषताएं हैं, जिनसे उद्योगीकरण में उन्नति होगी, तथा विद्यमान उद्योगों के वित्तीय निष्पादन में सुधार होगा ।

1.45 यद्यपि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि और भुगतान संतुलन पर दबाव एक चिन्ता का विषय बना हुआ है, किन्तु निवेश वातावरण उत्साहजनक प्रवृत्ति तथा देश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुदृढ़ता से वर्ष 1990–91 के लिए एक सुखद आशावादी परिप्रेक्ष्य के संकेत मिलते हैं । मौसम के बारे में प्रारंभिक पूर्वानुमान से पता चलता है, कि सामान्य मानसून तथा कृषि सुधार और ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, देश को कृषि उत्पादन में बेहतर तथा विविध विकास प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । अप्रत्याशित बाधाओं को छोड़कर उद्योग के संपूर्ण कार्यों में सुधार होने की आशा है, क्योंकि अवस्थापना संबंधी बाधाएं अब अतीत का विषय बन गई हैं, और नए नीति–प्रोत्साहनों द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित कर दिए गए हैं ।

1.46 देश में सभी स्तरों पर एक नवीन स्फूर्तिदायक परिवर्तन दिखाई दे रहा है । इसके साथ ही विद्यमान आर्थिक स्थिति के बारे में अधिकाधिक जागरूकता पैदा हुई है, और सुदृढ़ आर्थिक मूलाधारों तथा शक्तियों के द्वारा, जो देश भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, अर्थव्यवस्था में उत्थानशीलता लाने की प्रेरणा मिली है । समग्र रूप से उत्पादकता सुधार और प्रौद्योगिकी-उन्नयन पर बल देने के कारण ऐसी संभावनाएं हैं, कि 1990-91 का वर्ष कृषि क्षेत्र में 2.5 प्रतिशत औसत विकास, उद्योग क्षेत्र में 8.5 प्रतिशत औसत विकास तथा सेवा क्षेत्र में प्रायः विकास 5.5 प्रतिशत प्राप्त कर सकेगा जिसके फलस्वरूप समग्र आर्थिक विकास में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की संभावना बनती है । इस आशावादी दृष्टिकोण से भाओविनि, उद्योग द्वारा उत्पादन और निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में उद्योगों की सहायता करने के लिए उद्यत है और आशा करता है कि उपयुक्त राजस्व तथा वित्तीय अनुशासन के फलस्वरूप वर्ष 1990-91 भी अन्य वर्षों की भांति समग्र आर्थिक प्रगति और विकास का वर्ष होगा ।

परिचालन, संसाधन एवं कार्य परिणाम

(क) परिचालन

समग्र परिचालन

2.01 वर्ष 1989-90 के दौरान, भाओविनि की समग्र मंजूरियां, इसकी विभिन्न सहायता योजनाओं के अंतर्गत पहली बार 2,000 करोड़ रुपये की सीमा पार की गईं, और 928 परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 2,294.90

*नई औद्योगिक नीति 31.5.1990 को घोषित ।

करोड़ रुपये की रहीं। ये मंजूरियां, वार्षिकीय आधार पर 1988–89 (जुलाई-मार्च) की 1,333.4 करोड़ रुपये की मंजूरियों से 29.1 प्रतिशत अधिक थीं।

2.02 वर्ष के दौरान, कुल संवितरण पहली बार 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हुआ, और 1988-89 (जुलाई-मार्च) में संवितरित 739.92 करोड़ रुपये की तुलना में 1,121.67 करोड़ रुपये के रहे। इस प्रकार, संवितरणों में वार्षिकीय आधार पर 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.03 संचयी रूप से मार्च, 1990 के अन्त तक भाऔविनि द्वारा इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल मंजूरियां 3,564 परियोजनाओं के लिए 8,712.98 करोड़ रुपये की रहीं। 31 मार्च, 1990 तक समग्र संवितरण 5,474.64 करोड़ रुपये के रहे, जिसमें से नकद संवितरण, अर्थात् गारंटी रहित संवितरणों की राशि 5,397.34 करोड़ रुपये की थी। 31 मार्च, 1990 तक कुल बकाया राशि ऋणियों द्वारा पुनर्अदायगियों की निवल राशि को छोड़कर 4,529.62 करोड़ रुपये थी।

सहायता का योजना-वार वर्गीकरण

2.04 रुपया ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी/प्रत्यक्ष अभिदान और गारंटियों के रूप में परियोजना वित्त सहायता के अतिरिक्त, भाऔविनि अब औद्योगिक क्षेत्र की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अनेक योजनाएं चला रहा है ये हैं—(क) उपस्कर वित्तपोषण, (ख) उपस्कर लीजिंग, (ग) उपस्कर उपार्जन, (घ) उपस्कर उधार (ङ) पूर्तिकार उधार, (च) क्रेता उधार और (छ) लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं को वित्तीय सहायता। उपस्कर उधार तथा क्रेता उधार से संबंधित योजनाएं समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पहली बार 28 जुलाई, 1989 से लागू की गईं।

(करोड़ रुपये)

सारणी 6: मंजूर एवं संवितरित सहायता का योजना–वार वर्गीकरण

वित्त पोषण योजना	1989-90 (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च, 1990 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परियोजना वित्त	692	1,580.35 (68.9%)	824.30 (73.5%)	3,203	7,607.12 (87.3%)	4,937.67 (90.2%)
उपस्कर वित्त	92	129.36 (5.6%)	92.63 (8.3%)	237	314.01 (3.6%)	250.38 (4.6%)
उपस्कर लीजिंग	46	135.55 (5.9%)	85.02 (7.6%)	68	226.64 (2.6%)	147.73 (2.7%)
उपस्कर उपार्जन	20	31.39 (1.4%)	16.91 (1.5%)	27	34.50 (0.4%)	16.91 (0.3%)
उपस्कर-उधार	57	114.32 (5.0%)	53.56 (4.8%)	57	114.32 (1.3%)	53.56 (1.0%)
पूर्तिकार-उधार	26	194.83 (8.5%)	4.86 (0.4%)	63	283.34 (3.3%)	8.73 (0.2%)
खरीदार उधार	19	71.10 (3.1%)	19.21 (1.7%)	19	71.10 (0.8%)	19.21 (0.3%)
लीजिंग एवं किराया खरीद-संस्थाओं को वित्त	31	38.00 (1.6%)	25.18 (2.2%)	48	61.95 (0.7%)	40.45 (0.7%)
जोड़	983*	2,294.90 (100%)	1,121.67 (100%)	3,722*	8,712.98 (100%)	5,474.64 (100%)

वार्षिकीय आधार पर तुलना का अर्थ है, 31 मार्च 1989 को समाप्त लेखा अवधि के नौ महीने के आंकड़ों को अनुपातत: 12 महीने तक बढ़ाकर वर्ष 1989-90 के आंकड़ों से तुलना करना।

टिप्पणी: (1) *वास्तविक सहायता-प्राप्त परियोजनायें वर्ष 1989-90 को 928 हैं, और 31 मार्च, 1990 तक 3,564। कुछ परियोजनाओं ने एक से अधिक योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की है।

(2) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

1989-90 में मंजूर और संवितरित सहायता का विस्तृत योजना-वार वर्गीकरण एवं 31 मार्च, 1990 की संचयी स्थिति सारणी 26 में दी गई है ।

परियोजना वित्त

2.05 वर्ष 1989-90 के दौरान 1,709.71 करोड़ रुपये की परियोजना वित्त मंजूरियां (उपस्कर वित्त सहित), भाओविनि द्वारा 1988-89 (जुलाई-मार्च) में वार्षिकीय आधार पर मंजूर की गई 1,210 करोड़ रुपये की परियोजना वित्त मंजूरियों की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक रहीं ।

इसी प्रकार 1989-90 में परियोजना वित्त के अंतर्गत किए गए 916.93 करोड़ रुपये के संवितरण भी पिछली अवधि में किए गए 671.32 करोड़ रुपये के संवितरणों की तुलना में वार्षिकीय आधार पर 2.4 प्रतिशत अधिक रहे । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तथा 31 मार्च, 1990 तक संचयी रूप से मंजूरियां और संवितरण तथा उक्त तारीख को बकाया राशियां दर्शाते हुए परियोजना वित्त का सुविधा-वार वर्गीकरण चार मुख्य शीर्षकों अर्थात रुपया ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान और गारंटियों के अधीन सारणी 7 में दिया गया है ।

सारणी 7 परियोजना वित्त का सुविधा-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

सुविधा	1989-90 (अप्रैल-मार्च)		31 मार्च 1990 तक संचयी		31 मार्च, 1990 को बकाया
	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	(रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परियोजना वित्त					
—रुपया ऋण**	1,235.71 (72.3%)	744.23 (81.2%)	5,710.97 (72.1%)	4,147.44 (79.9%)	3,285.01 (77.2%)
—विदेशी मुद्रा ऋण	345.72 (20.2%)	140.74 (15.4%)	1,540.22 (19.4%)	814.10 (15.7%)	790.29 (18.6%)
—हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान	100.90 (5.9%)	31.56 (3.4%)	510.52 (6.5%)	149.21 (2.9%)	142.00* (3.3%)
—गारंटियां					
—आस्थगित अदायगियों हेतु	3.45 (0.2%)	0.40	87.91 (1.1%)	45.00 (0.9%)	20.95 (0.5%)
—विदेशी ऋणों हेतु	23.93 (1.4%)	—	71.51 (0.9%)	32.30 (0.6%)	18.89 (0.4%)
जोड़	1,709.71 (100%)	916.93 (100%)	7,921.13 (100%)	5,188.05 (100%)	4,257.14 (100%)

* इसमें इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित बकाया ऋण राशि का भाग, जहां ऋण सहायता की शर्तों के सथ संपरिवर्तन के अधिकार को शर्त रखी गई थी, इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित संपरिवर्तनीय डिबेंचर और शेयरों/डिबेंचरों में संपरिवर्तित बकाया ऋणों (अतिदेय ब्याज आदि) के भाग भी शामिल है।

** इसमें उपस्कर वित्त शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक है।

2.06 1989-90 के दौरान परियोजना-वित्त के अंतर्गत मंजूरियों की मुख्य विशेषता यह रही कि विदेशी मुद्रा ऋणों की मांग उतनी नहीं थी जितनी कि पिछले वर्ष देखी गई थी । वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा ऋणों की मंजूरियां 345.72 करोड़ रुपए की रहीं जबकि नौ माह की अवधि में पिछले वर्ष ये 359.47 करोड़ रुपए की थीं । रुपया ऋणों पर दबाव बढ़ता रहा, वास्तव में पिछली अवधि के आंकड़ों से रुपया ऋणों में वार्षिकीय आधार पर 18.2% की वृद्धि हुई । वर्ष के दौरान, परियोजना वित्त से संबंधित कुल मंजूरियों में 1,235.71 करोड़ रुपए के ऋण 72.33 प्रतिशत रहे । पिछले वर्ष की कुल रुपया वित्तपोषण मंजूरियों (ऋणों, हामीदारियों और प्रत्यक्ष अभिदानों के रूप में) की तुलना में 1989-90 में मंजूरियों में वार्षिकीय आधार पर 18% की वृद्धि हुई।

निवेश परिचालन

2.07 भाओविनि ने, समीक्षाधीन अवधि के दौरान 73 संस्थाओं को इक्विटी शेयरों की हामीदारी के रूप में 54.87 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की, और तीन संस्थाओं को 12.70 करोड़ रुपए की सीमा तक डिबेंचरों की हामीदारी की मंजूरी दी। इस प्रकार, 1988-89 में वार्षिकीय आधार पर अनुमोदित कुल हामीदारी सहायता की तुलना में, वर्ष के दौरान मंजूर की गई कुल हामीदारी सहायता 12 प्रतिशत अधिक रही।

2.08 वर्ष के दौरान, प्रत्यक्ष अभिदान में सम्बन्धित मंजूरियों में काफी वृद्धि परिलक्षित हुई। ये मंजूरियां 111 मामलों के सम्बन्ध में 33.33 करोड़ रुपए की रहीं, जिनमें से 88 मामले साधारण शेयरों (20.89 करोड़ रुपये) 15 मामले अधिमान शेयरों (4.96 करोड़ रुपये) और 8 मामले डिबेंचरों (7.48 करोड़ रुपये) के थे। इनमें वार्षिकीय आधार पर पिछले वर्ष प्रत्यक्ष अभिदान की कुल मंजूरियों की तुलना में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

2.09 वर्ष के दौरान, भाऔविनि द्वारा हामीदारीकृत संस्थाओं के 33.27 करोड़ रुपये के 54 निर्गम पूंजी-बाजार में जारी किए गए। हामीदारी दायित्व के रूप में जो शेयर भाऔविनि को लेने पड़े, उनकी राशि 6.27 करोड़ रुपये की रही। इसके अतिरिक्त, भाऔविनि ने वस्तुतः प्रत्यक्ष अभिदान से सम्बन्धित मंजूरियों के लिए 85 कम्पनियों के 15.55 करोड़ रुपए के साधारण शेयरों, 0.25 करोड़ रुपए के अधिमान शेयरों तथा 6.75 करोड़ रुपये के डिबेंचरों में अभिदान किया।

गारंटियां

2.10 वर्ष के दौरान, मशीनरी और उपस्कर के विदेशी संभरकों को तीन मामलों में 3.45 करोड़ रुपए की आस्थगित अदायगी गारंटी सहायता मंजूर की गई। ये इकाइयां थीं—(1) गोआ में एक आयरन ओर पेलिटाइजेशन प्लांट, (2) महाराष्ट्र में एक वस्त्र इकाई, और (3) उड़ीसा में एक मूल रसायन निर्माण इकाई। इनके अतिरिक्त तीन मामलों में विदेशी मुद्रा ऋण के लिए 23.93 करोड़ रुपए की गारंटी देने के लिए भी सहमति व्यक्त की गई। ये इकाइयां थीं—(1) गुजरात में एक पालिएस्टर फिलामेंट यार्न परियोजना (2) महाराष्ट्र में एक स्पान्ज आयरन परियोजन, और (3) आंध्र प्रदेश में एक अमोरफोस सिलीकान अलॉय फोटो-वोल्टेक सैल्स/मॉड्यूल्स परियोजना। लेकिन, जहां तक गारंटी निष्पादन करने का सम्बन्ध है, केवल एक मामले में ही 0.40 करोड़ रुपये की गारंटी दी गई।

1989-90 में परियोजना वित्त के अंतर्गत सहायता का प्रयोजन-वार वर्गीकरण

(क) नई परियोजना को सहायता

2.11 जहां तक नई परियोजनाओं की स्थापना का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान कुछ शिथिलता की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। 1989-90 में भाऔविनि द्वारा 1,580.35 करोड़ रुपये की कुल मंजूर परियोजना वित्त सहायता (उपस्कर वित्त योजना के अन्तर्गत सहायता को छोड़कर) में से 54 प्रतिशत (854.01 करोड़ रुपए) 215 नई परियोजनाओं को प्राप्त हुई। हालांकि, नई परियोजनाओं की संख्या और इनसे सम्बद्ध मंजूरियां 1988-89 (जुलाई-मार्च) की 166 नई परियोजनाओं को दी गई 804.17 करोड़ रुपये की मंजूरियों की तुलना में निश्चय ही अधिक रहीं, लेकिन सम्बन्धित शर्तों पर नई परियोजनाओं को प्रदत्त 50 प्रतिशत सहायता पिछले वर्ष के वार्षिकीय आधार पर 66.5 प्रतिशत से काफी कम रही।

2.12 वर्ष के दौरान वित्तपोषित 215 नई परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं के मामले में प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ रुपये तक थी; 48 परियोजनाएं अलग-अलग 3 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये की पूंजी लागत के बीच की थीं; 55 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच की थी; 51 परियोजनाओं की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये के बीच थी और 52 परियोजनाएं ऐसी थीं, जिनकी पूंजी लागत प्रति परियोजना 20 करोड़ रुपये से अधिक थी।

(ख) विस्तार एवं विशाखन योजनाओं के लिए सहायता

2.13 1989-90 में विस्तार और विशाखन कार्यक्रमों के लिए 81 परियोजनाओं को 271.98 करोड़ रुपये की सहायता (परियोजना वित्त के अधीन मंजूर कुल सहायता का 15.9 प्रतिशत) मंजूर की गई। वर्ष के दौरान विस्तार एवं विशाखन योजनाओं के लिए मंजूर की गई सहायता पिछले वर्ष केवल 48 परियोजनाओं की विस्तार एवं विशाखन योजनाओं के लिए वार्षिकीय आधार पर दी गई 82.21 करोड़ रुपये की मंजूरियों की तुलना में ढाई गुणा अधिक रही।

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए सहायता

2.14 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए 188 परियोजनाओं को 242.73 करोड़ रुपये की सहायता (परियोजना वित्त के अधीन मंजूर कुल सहायता का 14.2 प्रतिशत) मंजूर की गई, जो वर्ष 1988-89 (जुलाई-मार्च) में आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए 132 परियोजनाओं को दी गई 127.50 करोड़ रुपये की मंजूरियों की तुलना में परियोजना-वार तथा मात्रा-वार दोनों ही दृष्टियों से काफी अधिक थी।

2.15 वर्ष के दौरान, उदार ऋण योजना के अधीन 106 परियोजनाओं को 142.23 करोड़ रुपये की सहायता (आधुनिकीकरण सहायता के आंकड़ों में निहित) मंजूर की गई जबकि 1988-89 (जुलाई-मार्च) में यह सहायता 64 परियोजनाओं के लिए 86.26 करोड़ रुपए की थी, अतः वार्षिकीय आधार पर इसमें 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(i) चीनी इकाइयों का आधुनिकीकरण

2.16 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, 2,500 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता तक आनुषंगिक विस्तार के साथ-साथ आधुनिकीकरण करने वाली उन चीनी इकाइयों को उदार ऋण योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करने का उल्लेख किया गया था, जो न्यूनतम पांच पेराई (परिचालन) मौसमों में काम करती रही थीं। वर्ष के दौरान इस बात पर सहमति हुई, कि अपने पुराने संयंत्रों को हटा कर नए स्थल पर 2,500 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता के किफायती आकार तक विस्तार और आधुनिकीकरण करने वाली चीनी इकाइयों/संयंत्रों को आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत न रखकर उन्हें नई चीनी इकाइयों के रूप में माना जाए। फिर भी, ऐसी इकाइयों के मामले में, विद्यमान नियमों के अनुसार चीनी विकास निधि योजना के अन्तर्गत सहायता

के लिए विचार, यदि वे पात्र हों, किए जाने की अनुमति दी गई । यह भी सहमति हुई कि ऐसी इकाइयों की वर्तमान परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग विद्यमान संस्थानात्मक देय राशियों को, यदि कोई हों, कम करने के लिए किया जाए ।

2.17 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने पहली जुलाई, 1989 को/अथवा उसके बाद चीनी विकास निधि के अंतर्गत गन्ना विकास के लिए प्राप्त ऋण आवेदनों के मूल्यांकन से सम्बन्धित कार्य भी भाऔविनि को सौंपने का निर्णय लिया । यद्यपि, चीनी विकास निधि योजना के अन्तर्गत सहायता केन्द्रीय सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा मंजूर की जाती रही, चीनी मिलों को उनकी आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि में से मंजूर किए गए ऋणों के संबंध में भाऔविनि केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करता रहा ।

2.18 आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990–95) के दौरान चीनी उद्योग के लिए एक विकास कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग में एक समिति का गठन किया था, जिसने भारत सरकार को इस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा आठवीं योजना के लिए चीनी नीति शीघ्र घोषित किए जाने की संभावना है ।*

(ii) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना

2.19 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पहली अगस्त, 1986 से, प्रारम्भिक तौर पर दो वर्ष के लिए, शुरू की गई वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना की अवधि में इस शर्त पर बढ़ोतरी की गई थी, कि सातवीं योजना अवधि के अन्त में इसकी पुन: समीक्षा की जाएगी । योजना का उद्देश्य, उद्योग को प्रभावित करने वाली कमियों अर्थात पुरानी मशीनें/उपकरण, तथा कम मशीन/श्रम उत्पादकता आदि को दूर करने के लिए वस्त्र इकाइयों को रियायती सहायता उपलब्ध करवाना और साथ ही उपयुक्त उत्पाद प्रक्रिया एवं टेक्नोलाजी उन्नयन सहित निर्यातोन्मुख बनाना है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अग्रणी दायित्व में, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के लिए आरम्भिक निधि पांच वर्ष की अवधि अर्थात 1986–1991 के लिए 750 करोड़ रुपय निर्धारित की गई थी । इस निधि में से 100 करोड़ रुपये की राशि कमजोर लेकिन व्यवहार्य इकाइयों को विशेष ऋण प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई ताकि वे आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए अपेक्षित प्रवर्तक अंशदान जुटा सकें ।

2.20 उक्त योजना के प्रति उद्योग ने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की और 31 दिसम्बर, 1989 तक 228 इकाइयों को भागीदार संस्थानों, अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक से 881 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जिसमें 48 इकाइयों को दी गई 24 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सहायता भी शामिल है । वस्त्र उद्योग की स्थिति में सुधार लाने में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कुल मिलाकर, योजना के अधीन सहायता प्राप्त इकाइयों में उत्पादकता तथा निर्यात क्षमता में सुधार हुआ है ।

2.21 जहां तक भाऔविनि का संबंध है, यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के साथ इस योजना में भाग लेता रहा है । वर्ष 1989–90 के दौरान, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत मंजूर सहायता में भाऔविनि ने 64 परियोजनाओं को कुल 35.81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी । 1988–89 की जुलाई–मार्च अवधि के दौरान वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत मंजूर सहायता में भाऔविनि द्वारा मंजूर 49 इकाइयों को 21.62 करोड़ रुपये की तुलना में यह राशि काफी अधिक थी ।

2.22 वर्ष के अन्त तक, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत विशेष ऋणों के उपयोगिता पक्ष में सुधार लाने के लिए इस बात पर सहमति हुई, कि विशेष ऋणों के साथ सम्बद्ध संपरिवर्तनीयता विकल्प से छूट दे दी जाए, और उसके विकल्प के रूप में वित्तीय संस्थान प्रवर्तकों के अपने शेयर्स को बंधक रख सकते हैं तथा स्थिर परिसम्पत्तियों पर उनकी व्यक्तिगत गारंटियां तथा अवशिष्ट प्रभार प्राप्त करना जारी रख सकते हैं । इसके अतिरिक्त, चूंकि अनेक कमजोर वस्त्र इकाइयों के मामले में नकद हानियों के कारण वित्तीय संसाधनों पर पड़े दबाव को कम करने की दृष्टि से पुनर्स्थापन सहायता के साथ आधुनिकीकरण सहायता मंजूर करना आवश्यक हो गया था, अत: इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन गठित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) द्वारा अनुमोदित पुनर्स्थापन सहायता के परिणामस्वरूप वस्त्र आधुनिकीकरण निधि सहायता के अन्तर्गत विशेष ऋण सहायता न केवल उन मामलों में दी जाए जिनमें आधुनिकीकरण सहायता को पुनर्स्थापन सहायता के साथ जोड़ा गया हो अपितु उन मामलों में भी प्रदान की जाए जिनमें अनिवार्य अतिरिक्त पुनर्स्थापन सहायता दी गई हो ।

(iii) जूट आधुनिकीकरण निधि योजना

2.23 पहली नवम्बर, 1986 से आरम्भ की गई जूट आधुनिकीकरण निधि योजना समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चालू रही । यद्यपि वर्ष के दौरान, जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के अधीन मंजूर की गई सहायता 4 परियोजनाओं को केवल 3.75 करोड़ रुपये की रही । जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवर्तन भारत सरकार के सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में अनुवर्तन समिति द्वारा किया जाता रहा । जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए अलग–अलग जूट मिलों की प्रतिक्रिया अनेक कारणों अर्थात् प्रौद्योगिकी का चयन, श्रम यौक्तीकरण, फसल कम होने के कारण वर्ष के दौरान कच्चे पटसन की कीमत में अत्यधिक वृद्धि,

*नई चीनी नीति 1 जून 1990 को घोषित ।

आदि की वजह से संतोषजनक नहीं रही । इसके अतिरिक्त, अनेक विद्यमान जूट मिलें रुग्ण होने के कारण स्वत: उस समय तक जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत सहायता का लाभ नहीं उठा सकीं, जब तक कि उनके लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) द्वारा पुनर्स्थापन पैकेज तैयार करके अनुमोदित न कर दिया जाए । तदनुसार वर्ष के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने जूट, आधुनिकीकरण निधि योजना की प्रगति की समीक्षा करने तथा जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के अधीन निधियों का तीव्र संवितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया । यह आशा की जाती है, कि समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद उन्हें आवश्यक सीमा तक लागू किए जाने पर जूट उद्योग उक्त योजना का व्यापक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होगा । भाऔविनि ने पृथक रुप से, जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के अधीन विशेष ऋण सुविधा को अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से वर्ष के अन्त में, प्रवर्तक अंशदान के लिए विशेष ऋणों पर अब तक लागू संपरिवर्तनीयता खण्ड के स्थान पर प्रवर्तकों द्वारा उनके अपने शेयरों के बंधक को स्वीकृति देने का निर्णय लिया । रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा अनुमोदित पुनर्स्थापन पैकेज के परिणामस्वरुप, विशेष ऋण अब पुनर्स्थापन सहायता अथवा आवश्यक अतिरिक्त पुनर्स्थापन सहायता के साथ उपलब्ध होंगे ।

(घ) पुनर्स्थापन सहायता सहित अधिव्यय सहायता, आदि

2.24 सामान्य अधिव्यय सहायता और पुनर्स्थापन सहायता आदि के रूप में 208 इकाइयों को 211.63 करोड़ रुपये (परियोजना वित्त के अधीन मंजूर की गई कुल सहायता का 12.4%) मंजूर किए गए, जबकि पिछले वर्ष 136 इकाइयों को 113.53 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी ।

परियोजना वित्त के अधीन भाऔविनि की सहायता के विशेष पहलू (1989–90)

2.25 1989–90 में परियोजना वित्त के अधीन भा० औ०वि०नि० की सहायता की कुछ प्रमुख विशेषताएं/विशेष पहलू इस प्रकार हैं :—

— 215 नई परियोजनाओं में से, 39 परियोजनाएं ऐसी थीं जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित की गई थी । इन्हें 60.66 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

— निगमित अस्पतालों और बहु-आयामी स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भाऔविनि की सहायता योजना के अधीन 12 अस्पतालों को 15.92 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई ।

— 65.43 करोड़ रुपये की सहायता में 47 होटल तथा अन्य पर्यटन–उन्मुख परियोजनाएं शामिल हैं ।

— महत्वपूर्ण निर्यात दायित्व वाली निर्यातोन्मुख 43 परियोजनाओं को 180.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

— प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित बारह परियोजनाओं को 28.48 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई ।

— वर्ष के दौरान, 109 ऐसी परियोजनाओं को सहायता मंजूर की गई जिनमें विदेशी सहयोग और/अथवा विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण की सुविधा उपलब्ध थी । इन्हें 509.80 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई ।

— सोलह परियोजनाएं ऐसी थीं जिन्होंने देश में पहली बार कुछ उत्पादों के विनिर्माण या देश में पहली बार बेहतर और उन्नत प्रौद्योगिकी आरम्भ करने पर विचार किया । ऐसी परियोजनाओं को 135.92 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई ।

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के अधीन सहायता

(i) **उपस्कर वित्त**

2.26 पूंजीगत उपस्कर की खरीद के लिए, जो किसी विशिष्ट परियोजना से सम्बद्ध नहीं है, विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने के लिए, भाऔविनि 1984–85 से एक उपस्कर वित्त योजना चला रहा है, जिसके अधीन, समीक्षाधीन वर्ष में 92 इकाइयों को 129.36 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की गई । वर्ष 1988–89 (जुलाई–मार्च) में इस योजना के अधीन 53 इकाइयों को मंजूर की गई 82.59 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से यह वार्षिकीय आधार पर 17.5% अधिक थी । संचयी रूप से, भाऔविनि ने इस योजना के अधीन 237 इकाइयों को 314.01 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की ।

(ii) **उपस्कर लीजिंग**

2.27 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लीज के आधार पर उपस्कर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भाऔविनि द्वारा पहली जून, 1988 से लागू की गई उपस्कर लीजिंग योजना के बारे में उल्लेख किया गया था । वर्ष के दौरान भाऔविनि को, निर्यात लीजिंग हेतु साख पत्र खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, विनिमय नियंत्रण विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई । अब भाऔविनि द्वारा प्रदान की जा रही लीजिंग सुविधा में वित्तीयलीज (मास्टर लीज सहित), सामूहिक लीज, बिक्री तथा लीज पुनर्खरीद और आयात लीज शामिल हैं । वर्ष के दौरान 135.55 करोड़ रुपये की लीज लागत पर उपस्कर प्रदान करने के लिए 48 लेन-देनों को अन्तिम रूप प्रदान किया गया । ये वर्ष 1988–89 (जुलाई–मार्च) में अन्तिम रुप से 26 लेन-देनों के लिए प्रदान किए गए 75.38 करोड़ रुपये की लागत से वार्षिकीय आधार पर 34.9% अधिक है । संचयी रूप से, 31 मार्च, 1990 तक उपस्कर लीजिंग के अधीन 226.64 करोड़ रुपये की समग्र मंजूरियां दी गई, जिनमें से 147.73 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया ।

(iii) उपस्कर उपार्जन

2.28 पहली नवम्बर, 1988 से लागू उपस्कर उपार्जन योजना के अधीन भाऔविनि उपस्कर उपार्जित करने तथा निगमित और/अथवा सहकारी क्षेत्रों की पात्र विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को प्रलेखों के पृष्ठांकन द्वारा पुनर्विक्री करने की सुविधा प्रदान करता रहा है; स्थायी प्रभारों सहित उपस्कर का बीजक मूल्य क्रेता संस्था से तीन से पांच वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में वसूल किया जाता है । यद्यपि, 1988–89 में योजना आरम्भ होने के बाद के पांच महीने की अवधि में 8 विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को 4.61 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, वर्ष 1989–90 में 20 विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को 31.39 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । संचयी रूप से, 31 मार्च, 1990 तक उपस्कर उपार्जन योजना के अधीन समग्र मंजूरियां 34.50 करोड़ रुपये की थीं, जिनके अन्तर्गत 16.91 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया था ।

(ii) उपस्कर उधार

2.29 28 जुलाई, 1989 से लागू उपस्कर उधार योजना के आरम्भ होने से भाऔविनि की विभिन्न वित्तीय सेवाओं में, वर्ष 1989–90 में एक नया आयाम जुड़ गया । इस योजना के अन्तर्गत, भाऔविनि विद्यमान वास्तविक उपभोक्ता संस्था द्वारा इसके विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में खरीदे गए/बनाए गए उपस्कर की समग्र लागत का वित्तपोषण करने के लिए सहमति प्रदान करती है । योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के पात्र उपस्करों में सामान्य कार्य–निष्पादन संयंत्र एवं मशीनरी, कम्प्यूटर, प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर, ऊर्जा संरक्षण उपस्कर, सुरक्षा उपस्कर तथा कुछ अन्य अनुषंगी उपस्कर शामिल हैं । योजना के अधीन भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित उपस्कर की लागत और उस पर देय ब्याज 54 बराबर मासिक किस्तों में वसूल किया जाता है । यह योजना काफी लोकप्रिय रही, और वर्ष की 8 माह की अवधि के दौरान 57 विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को 114.32 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । योजना के अधीन प्रदान की गई मंजूरियों में से, उक्त अवधि के दौरान 53.56 करोड़ रुपये के संवितरण किए गए ।

(v) पूर्तिकार उधार

2.30 भाऔविनि द्वारा 01 जुलाई, 1987 से आरम्भ की गई पूर्तिकार उधार योजना आस्थगित अदायगी आधार पर वास्तविक उपभोक्ता–क्रेता संस्था को अपने उपस्कर की बिक्री के लिए मशीनरी/उपस्कर निर्माता तथा कम्प्यूटर निर्माता संस्थाओं को अनावर्ती ऋण प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी । इस योजना की लोकप्रियता पहले से ही अच्छी रही, तथा वर्ष 1989–90 के दौरान 26 उपस्कर निर्माता इकाइयों को 194.83 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । संचयी आधार पर 31 मार्च, 1990 तक पूर्तिकार उधार योजना के अधीन 63 उपस्कर निर्माता, इकाइयों को 283 34 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की जा चुकी थी । 31 मार्च, 1990 तक इस योजना के अधीन की गई मंजूरियों में से समग्र संवितरण 8.73 करोड़ रुपये का रहा ।

(vi) क्रेता उधार

2.31 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔविनि की विविध वित्तीय सेवाओं में क्रेता उधार योजना एक नई शुरुआत रही । इस योजना के अन्तर्गत मशीनरी, उपस्कर, कम्प्यूटर, आदि के वास्तविक प्रयोक्ता–क्रेता को अनावर्ती उधार देने का प्रावधान है ताकि वे अपने विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आस्थगित अदायगी आधार पर ऐसे उपस्कर खरीद सकें । यह योजना वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा स्वतः विनिर्मित उपस्कर तथा आयातित उपस्कर पर भी लागू होती है । इस योजना के अन्तर्गत आस्थगित अदायगी उधार सामान्यतः पांच से सात वर्ष की अवधि के लिए होती है । आस्थगित अदायगी अग्रिम की पुनर्अदायगी किश्तों में की जाती है, जिसे हर मामले में परिस्थितियों और गुणदोष के आधार पर अनुमति दी जाती है । यह सुविधा ऐसी सभी औद्योगिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध है, जो निगमित अथवा सहकारिता क्षेत्र में हैं तथा औविनि अधिनियम, 1948 के अनुसार पात्र औद्योगिक संस्थाओं की परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं । 28 जुलाई, 1989 को लागू होने के बाद से इस योजना के अच्छे परिणाम रहे हैं, और लगभग 8 महीने में इस योजना के अन्तर्गत 19 विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को 71.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है । मार्च, 1990 के अन्त तक 19.21 करोड़ रुपये का संवितरण करके इस दिशा में भी एक अच्छी शुरुआत की गई ।

(vii) लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं का वित्तपोषण

2.32 निगमित और सहकारी क्षेत्रों की ऐसी विद्यमान लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं को, जो कम–से–कम तीन लेखांकन वर्ष से लीजिंग और/अथवा किराया खरीद कारोबार में लगी हों, एवं जिनका वित्तीय निष्पादन तथा लाभांश का संतोषजनक रिकार्ड हो, वित्त उपलब्ध कराने की दृष्टि से भाऔविनि पहली नवम्बर, 1987 से लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं के लिए वित्तपोषण नामक योजना चला रहा है । इस योजना का उद्देश्य किसी ऋण के रूप में या ऋण–अप्रतिबंधक, अथवा लीज किरायों के लिए नोट भुनाने के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है । सहायता का परिशोधन 55 मासिक किस्तों में किया जाता है, और सहायता की राशि सामान्यतः निवल मूल्य, ऋण–इक्विटी के अनुपात तथा कारोबार के पिछले एवं संभावित स्तर के आधार पर होता है । भाऔविनि द्वारा सहायता प्राप्त करने वाली लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं को चयनात्मक रूप से सहायता देने के बावजूद वर्ष 1989-90 के दौरान 31 लीजिंग संस्थाओं को 38 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । यह, वर्ष 1988–89 (जुलाई–मार्च) में 16 लीजिंग संस्थाओं को मंजूर की गई 12.80 करोड़ रुपये की सहायता से काफी अधिक रही । 31 मार्च, 1990 तक भाऔविनि संचयी आधार पर 48 लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं को 61.95 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर कर चुका था, जिसके अन्तर्गत उक्त तारीख तक 40.45 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया था ।

मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं

2.33 वर्ष के दौरान भाऔविनि के मर्चेन्ट बैंकिंग विभाग ने (बम्बई स्थित ब्यूरो कार्यालय सहित) 69 दत्तकार्य पूरे किए

जिनमें से 39 सार्वजनिक निर्गम से संबंधित थे । इनसे ग्राहक संस्थाओं को 333.58 करोड़ रुपये की निधियां जुटाने में सहायता मिली । संचयी रूप से, भाऔविनि के मर्चेन्ट बैंकिंग विभाग ने, जुलाई, 1986 में अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1990 तक 146 दत्तकार्य पूरे किए, जिनमें 871.93 करोड़ रुपये की निधियां जुटाने के लिए 98 सार्वजनिक निर्गम भी शामिल हैं । मर्चेन्ट बैंकिंग विभाग अन्य वित्तीय सेवाओं, विशेषत: परियोजना परामर्श, पूंजी पुनर्संरचना, समामेलन, विलयन, न्यासिता दत्त-कार्य आदि को सम्मिलित करने के लिए अपने कार्यकलापों को धीरे-धीरे विस्तृत करने के साथ साथ उसे विविध स्वरूप प्रदान कर रहा है ।

आवेदनों की प्राप्ति

2.34 भाऔविनि को परियोजना वित्त और इसके द्वारा प्रदत्त वित्तीय सेवाओं से संबंधित योजनाओं, दोनों के अधीन आवेदन पत्रों की प्राप्ति नियमित रूप से बनी रही ।

2.35 परियोजना वित्त के अधीन, भाऔविनि ने 1989-90 के दौरान या तो स्वयं या संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर 729 पात्र संस्थाओं से कुल मिलाकर 6,691.43 करोड़ रुपये के आवेदनों (उपस्कर वित्त योजना के अधीन आवेदनों सहित) पर विचार किया । 53.80 करोड़ रुपये की सहायता के लिए 8 संस्थाओं के आवेदनों को, या तो आवेदकों द्वारा वापिस ले लिया गया, अथवा प्रगति के अभाव या प्रस्तावित परियोजना के व्यवहार्य न होने के कारण उन्हें अस्वीकार मान लिया गया । मार्च, 1990 के अन्त तक 158.51 करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में 27 संस्थाओं (17 संयुक्त वित्त पोषण के आधार पर) के आवेदन विचाराधीन थे और उनके संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई चल रही थी । 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान बाकी 694 संस्थाओं के आवेदनों पर वित्तीय सहायता मंजूर की गई; 96.4% मामलों में पूरी सूचना एवं आंकड़ों की प्राप्ति की तारीख से चार माह से भी कम की अवधि में निपटान सुनिश्चित कर लिया गया ।

2.36 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में विचाराधीन 27 संस्थाओं के आवेदनों के अतिरिक्त संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर समग्रत: 2,996.57 करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए 132 संस्थाओं के आवेदन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम के अग्रणी दायित्व में विचाराधीन थे, जिनमें आगे चलकर भाऔविनि को सम्मिलित किए जाने और भागीदार बनाए जाने की भी पूरी संभावना थी ।

2.37 वित्तीय सेवाओं के अधीन अपनी योजनाओं के संबंध में भाऔविनि ने 726.21 करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए 240 संस्थाओं से सहायता (उपस्कर वित्त योजना से भिन्न) के आवेदनों पर विचार किया । इनमें से 201 संस्थाओं के आवेदनों के लिए भाऔविनि द्वारा उपलब्ध वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता मंजूर की गई । 27 संस्थाओं के मामलों में यह आवेदन पात्रता के अभाव में और/अथवा अन्य संबंधित पहलुओं के कारण वापस ले लिए मान लिए गए । मार्च, 1990 के अन्त में 30.34 करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए 12 संस्थाओं के आवेदन भाऔविनि के विचाराधीन थे ।

समग्र सहायता—उद्योगवार

2.38 वर्ष 1989-90 के दौरान उद्योगवार सहायता का प्रसार एवं 31 मार्च, 1990 तक संचयी आंकड़े सारणी 8 में दिए गए हैं :

सारणी 8 : सहायता का उद्योग-वार प्रसार (करोड़ रुपये)

उद्योग	1989-90 (अप्रैल—मार्च)			31 मार्च, 1990 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी :						
—सहकारितायें	17	25.29	1.1	216	308.57	3.5
अन्य	26	33.64	1.5	93	153.87	1.8
वस्त्र	138	140.71	6.1	647	859.00	9.8
पटसन	5	4.90	0.2	41	51.32	0.6
रसायन :						
—मूल रसायन	56	109.50	4.8	166	459.78	5.3
—उर्वरक व कीट नाशक	15	31.44	1.4	76	531.25	6.1
—कृत्रिम रेशे	30	241.83	10.5	67	642.72	7.4
—कृत्रिम रेसिन्स, प्लास्टिक सामान व उत्पाद	32	54.32	2.4	115	295.01	3.4
—अन्य रसायन व रसायन उत्पाद	52	130.31	5.7	179	322.11	3.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद . .	24	53.88	2.3	151	641.10	7.4
कागज व कागज उत्पाद . .	24	61.66	2.7	120	285.43	3.3
रबर उत्पाद . . .	11	45.44	2.0	46	160.72	1.8
लोहा व इस्पात . . .	54	214.70	9.3	227	699.63	8.0
मशीनरी तथा उपांग . .	54	233.91	10.2	223	518.46	6.0
परिवहन उपस्कर व पुर्जे . .	40	142.37	6.2	152	416.67	4.8
इलैक्ट्रानिक्स . . .	63	172.16	7.5	173	473.30	5.4
बिजली मशीनरी व उपस्कर . .	22	41.46	1.8	108	189.87	2.2
धातु उत्पाद	17	52.79	2.3	110	193.20	2.2
अलौह धातुएं . . .	4	4.68	0.2	43	98.18	1.1
विविध अधातु खनिज उत्पाद . .	36	54.73	2.4	101	208.84	2.4
गैस व बिजली . . .	6	130.68	5.7	27	307.20	3.5
होटल और पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलाप	47	65.43	2.9	110	185.83	2.1
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें . .	12	15.92	0.7	22	47.99	0.6
मत्स्य	1	3.26	0.1	1	3.26	—
खनन	12	51.77	2.2	28	88.65	1.0
विविध अन्य उद्योग . . .	99	140.12	6.1	274	509.07	5.9
लीजिंग . . .	31	38.00	1.7	48	61.95	0.7
जोड़ . . .	928	2,294.90	100.0	3,564	8,712.98	100.0

2.39 1989–90 के दौरान भाऔविनि की सहायता में से जिन उद्योगों को उल्लेखनीय भाग प्राप्त हुआ वे है: कृत्रिम रेशे (10.5 प्रतिशत), रसायन और रसायन उत्पाद (10.5 प्रतिशत), मशीनरी (10.2 प्रतिशत), लोहा व इस्पात (9.3 प्रतिशत), इलेक्ट्रानिक्स (7.5 प्रतिशत), परिवहन उपस्कर एवं पुर्जे (6.2 प्रतिशत), वस्त्र (6.1 प्रतिशत), बिजली और गैस (5.7 प्रतिशत), होटल (2.9 प्रतिशत), कागज और कागज उत्पाद (2.7 प्रतिशत), चीनी (2.6 प्रतिशत), विविध खाद्य उत्पाद (2.5 प्रतिशत), विविध अधातु खनिज उत्पाद (2.4 प्रतिशत), सिन्थेटिक रेसिन्स तथा प्लास्टिक (2.4 प्रतिशत), सीमेंट (2.3 प्रतिशत), धातु उत्पाद (2.3 प्रतिशत), खनन (2.2 प्रतिशत), रबर उत्पाद (2 प्रतिशत), तथा अन्य (0.7%)। वर्ष के दौरान दी गई सहायता की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि संख्यावार आधार पर, वस्त्र उद्योग की 138 इकाइयां इस दृष्टि से सर्वाधिक रहीं, उसके पश्चात् रसायन और रसायन उत्पादों से सम्बन्धित इकाइयां (108), इलेक्ट्रानिक्स (63), मशीनरी (54), लोहा व इस्पात (54), होटल, (47), चीनी (43), सिन्थेटिक रेसिन्स और प्लास्टिक (32) आदि। लीजिंग एवं किराया खरीद संस्था (31), खनन इकाइयां (12), अस्पताल (12) तथा मत्स्य उद्योग (1) ने भी वर्ष के दौरान सहायता का लाभ प्राप्त किया। मत्स्य उद्योग प्रथम बार सहायता के अन्तर्गत शामिल किया गया।

2.40 संचयी आधार पर भाऔविनि के कुल निवेश में से वस्त्र, लोहा व इस्पात, रसायन एवं रसायन उत्पाद, कृत्रिम रेशे, सीमेंट, उर्वरक एवं कीटनाशक सामान, मशीनरी, इलेक्ट्रानिक्स, चीनी, परिवहन उपस्कर, बिजली, सिन्थेटिक रेसिन्स एवं प्लास्टिक का सामान और कागज सर्वाधिक सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों के रूप में उभर कर आए, जिन्हें भाऔविनि की सहायता का 79.4 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ, इसके बाद विविध अधातु खनिज उत्पाद (2.4 प्रतिशत), धातु उत्पाद (2.2 प्रतिशत), विद्युत मशीनरी (2.2 प्रतिशत) होटल (2.1 प्रतिशत), रबर (1.8 प्रतिशत), अलौह धातु उत्पाद (1.1 प्रतिशत), खनन (1 प्रतिशत), लीजिंग (0.7 प्रतिशत), तथा अन्य विविध उद्योग (7.1 प्रतिशत) को सहायता मिली।

2.41 उत्पादों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार 1989-90 के दौरान मंजूर की गई सहायता एवं 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार संचयी सहायता उद्योग-वार वितरण सारणी-9 में दिया गया है :

सारणी 9 : उत्पादों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार सहायता का उद्योग-वार वितरण

(करोड़ रुपये)

उद्योग	1989-90 (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च 1990 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मूल उद्योग	171	596.65	26.0%	718	2,825.79	32.4%
(अर्थात् मूल धातु उद्योग, औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन, आदि	(143)	(546.35)	(41.0%)	(651)	(2,277.14)	(34.8%)
पूंजी माल उद्योग	179	589.90	25.7%	656	1,598.30	18.3%
(अर्थात् मशीनरी व उपांग, बिजली मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्कर आदि)	(104)	(187.60)	(14.1%)	(564)	(1,020.15)	(15.6%)
मध्यवर्ती माल उद्योग	195	607.10	26.5%	695	2,010.28	23.1%
(अर्थात् रसायन उत्पाद, धातु, उत्पाद, अधातु खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एवं ट्यूब, आदि)	(125)	(331.55)	(24.9%)	(614)	(1,433.80)	(21.9%)
उपभोक्ता माल उद्योग						
(अर्थात् चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद, सूती/ऊनी वस्त्र, कागज और अन्य विविध उद्योग)	287	367.10	16.0%	1,301	1,951.71	22.4%
	(185)	(194.28)	(14.5%)	(1,196)	(1,607.82)	(24.5%)
सेवा उद्योग						
(अर्थात् होटल, चिकित्सा सेवाएं, जहाजरानी, आदि)	96	134.15	5.8%	191	326.90	3.8%
	(47)	(73.56)	(5.5%)	(134)	(208.37)	(3.2%)
जोड़	928	2,294.90	100.00	3,564	8,712.98	100.0
	(601)	(1,333.34)	(100.0)	(3,159)	(6,546.78)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष 1988-89 (जुलाई-मार्च) की अवधि, और संचयी 31 मार्च 1989 के हैं।

2.42 पिछले वर्ष की तुलना में 1989-90 में भाऔविनि की सहायता में पूंजी माल उद्योगों, मध्यवर्ती माल उद्योगों, उपभोक्ता माल उद्योगों और सेवा उद्योगों की स्थिति में सुधार हुआ। तथापि, 1988-89 में पिछले नौ माह की अवधि में सहायता में वृद्धि होने से वार्षिकीय आधार पर पूंजी माल उद्योगों में 135.8 प्रतिशत, उसके बाद उपभोक्ता माल उद्योगों में 41.7 प्रतिशत, माध्यमिक माल उद्योगों में 37.3 प्रतिशत और सेवा उद्योगों में 36.8% का सुधार परिलक्षित हुआ। लेकिन 1989-90 में बुनियादी उद्योगों में कोई वृद्धि नहीं हुई। वर्ष के दौरान प्रतिशत के हिसाब से वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि सेवा-उद्योगों (53.2 प्रतिशत) में रही और उसके बाद पूंजीगत माल उद्योग (29.1 प्रतिशत), मध्यवर्ती माल उद्योग (17.0 प्रतिशत) तथा उपभोक्ता माल उद्योग (16.4 प्रतिशत) में बढ़ोतरी देखी गई।

समग्र सहायता—राज्य-वार

2.43 वर्ष 1989-90 में तथा 31 मार्च, 1990 तक भाऔविनि की सहायता का राज्य-वार ब्यौरा सारणी 10 में दिया गया है।

2.44 वर्ष के दौरान, मात्रा-वार आधार पर भाऔविनि की सहायता में प्रथम पांच स्थान क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को प्राप्त हुए। यद्यपि परियोजनाओं की संख्या-वार आधार पर प्रथम पांच स्थान क्रमशः महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात के रहे।

2.45 पिछले वर्ष सहायता के प्रतिशत भाग की तुलना में आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्यों और चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली संघ राज्य

क्षेत्रों ने 1989-90 के दौरान भाऔविनि की सहायता में अपनी स्थिति में सुधार किया।

2.46 समग्र रूप से स्थिति को देखने पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि पिछले 42 वर्षों के दौरान भाऔविनि की सहायता, मिजोरम राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के सिवाय देश के लगभग सभी भागों में पहुंच चुकी है। विभिन्न संस्थान अनेक प्रवर्तन उपायों के द्वारा सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मिजोरम और लक्षद्वीप द्वीप समूह में भी औद्योगिक कार्यकलाप बढ़ सकें। समग्रतः 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य भाऔविनि की कुल संचयी सहायता में प्रथम पांच स्थानों पर बने रहे। इसके बाद पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा।

सारणी 10 : सहायता का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार प्रसार

(करोड़ रुपये)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1989-90 (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च, 1990 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	111	195.90	8.5	336	835.92	9.6
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	1	0.16	—
असम	8	44.42	1.9	40	89.53	1.0
बिहार	17	53.58	2.3	79	166.65	1.9
गोवा	10	20.69	0.9	27	57.65	0.7
गुजरात	79	199.41	8.7	321	1,029.48	11.8
हरियाणा	48	87.73	3.8	165	294.21	3.4
हिमाचल प्रदेश	18	35.42	1.5	46	102.82	1.2
जम्मू कश्मीर	3	3.58	0.2	20	26.76	0.3
कर्नाटक	36	59.23	2.6	226	397.76	4.6
केरल	19	24.50	1.1	99	146.05	1.7
मध्य प्रदेश	32	86.18	3.8	151	396.04	4.5
महाराष्ट्र	150	730.98	31.9	629	1,643.94	18.9
मणिपुर	—	—	—	2	3.96	0.1
मेघालय	2	0.34	—	6	8.13	0.1
नागालैंड	—	—	—	4	2.97	—
उड़ीसा	17	71.01	3.1	74	281.65	3.2
पंजाब	54	116.17	5.1	169	456.15	5.2
राजस्थान	48	74.13	3.2	147	449.62	5.2
सिक्किम	—	—	—	3	2.90	—
तमिलनाडु	106	125.94	5.5	337	627.61	7.2
त्रिपुरा	1	2.36	0.1	3	4.41	0.1
उत्तर प्रदेश	102	202.15	8.8	381	1,124.33	12.9
पश्चिम बंगाल	23	67.40	2.9	203	326.90	3.7
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	1	0.98	—
चण्डीगढ़	4	5.67	0.2	6	7.72	0.1
दादरा तथा नगर हवेली	2	3.72	0.2	8	10.85	0.1
दमन एवं दीव	3	2.94	0.1	5	5.30	0.1
दिल्ली	29	74.72	3.3	57	166.27	1.9
पाण्डिचेरी	6	6.73	0.3	27	46.26	0.5
जोड़	928	2,294.90	100.0	3564	8,712.98	100.0

समग्र सहायता—क्षेत्र-वार

2.47 सारणी-11 में परियोजनाओं का क्षेत्र-वार वर्गीकरण एवं 1989-90 के दौरान तथा 31 मार्च, 1990 तक संचयी आधार पर मंजूर सहायता का विवरण दिया गया है।

सारणी 11 : मंजूर और संवितरित की गई सहायता का क्षेत्र-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1989-90 (अप्रैल-मार्च)			31 मार्च 1990 तक संचयी		
	मंजूरियां		संवितरण	मंजूरियां		संवितरण
	परियोजनाओं की संख्या	राशि	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहकारी	32	69.67 (3.0%)	44.29 (3.9%)	334	531.51 (6.1%)	445.89 (8.1%)
निजी	764	1,808.93 (78.8%)	875.28 (78.0%)	2639	6,293.66 (72.2%)	3,830.64 (70.0%)
संयुक्त	86	288.72 (12.6%)	126.19 (11.3%)	286	1,162.63 (13.4%)	675.04 (12.3%)
सरकारी	46	127.58 (5.6%)	75.91 (6.8%)	305	725.18 (8.3%)	523.07 (9.6%)
जोड़	928	2,294.90 (100%)	1,121.67 (100%)	3,564	8,712.98 (100%)	5,474.64 (100%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

(क) सहकारी क्षेत्र को सहायता

2.48 1989-90 के दौरान भाऔविनि ने सहकारी क्षेत्र की 32 परियोजनाओं को 69.67 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की। मात्रा-वार दृष्टि से 1988-89 (जुलाई-मार्च) में 23 औद्योगिक सहकारिताओं को 52.40 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना में वर्ष के दौरान मंजूर की गई सहायता वार्षिकीय आधार पर लगभग समान स्तर पर रही। वर्ष के दौरान औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर की गई सहायता में 17 चीनी सहकारिताओं को 25.29 करोड़ रुपये, 10 वस्त्र सहकारिताओं को 10.46 करोड़ रुपये तथा 5 अन्य सहकारिताओं (उर्वरकों, कृत्रिम रेशे, कागज तथा विविध रसायन उद्योगों के समूह से संबंधित) को 33.92 करोड़ रुपए की सहायता शामिल थी।

2.49 संचयी आधार पर, 31 मार्च, 1990 तक भाऔविनि ने 334 औद्योगिक सहकारिताओं को 531.51 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की थी, जिसके अन्तर्गत 445.89 करोड़ रुपए की सहायता संवितरित की जा चुकी थी। भाऔविनि की सहायता में सहकारिताओं की संख्या तथा मंजूर की गई राशि, दोनों की ही दृष्टि से महाराष्ट्र का स्थान सर्वोपरि रहा। भाऔविनि द्वारा औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर की गई संचयी सहायता में इसका भाग लगभग 36 प्रतिशत था। औद्योगिक सहकारिताओं को संचयी आधार पर भाऔविनि की वित्तीय सहायता में महाराष्ट्र के बाद, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान रहा जिन्हें क्रमशः 15.6 प्रतिशत, 14.4 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत सहायता प्राप्त हुई।

(ख) निगमित क्षेत्र को सहायता

2.50 1989-90 के दौरान निगमित क्षेत्र की 896 परियोजनाओं को कुल 2,225.23 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। निजी क्षेत्र को, जो भाऔविनि की स्थापना से ही इसे सौंपे गए विशेष दायित्व की पूर्ति के फलस्वरूप इसकी वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा लाभभोगी रहा है, 764 परियोजनाओं के लिए 1,808.93 करोड़ रुपये की सहायता (कुल का 78.8 प्रतिशत), प्राप्त हुई, जो 1988-89 (जुलाई-मार्च) में निजी क्षेत्र की 501 परियोजनाओं को मंजूर की गई 1,053.40 करोड़ रुपये की सहायता से वार्षिकीय आधार पर 28.8 प्रतिशत अधिक थी।

2.51 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संयुक्त और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को क्रमशः 288.72 करोड़ रुपये और 127.58 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई, जो क्रमशः 12.6 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत रही। यह सहायता संयुक्त क्षेत्र की 86 परियोजनाओं और सरकारी क्षेत्र की 46 परियोजनाओं से सम्बन्धित थी। परियोजनाओं की संख्या और सहायता की राशि, दोनों में संयुक्त और सरकारी क्षेत्रों का भाग, पिछली अवधि में इनके भाग की तुलना में काफी अधिक रहा। संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूर की गई 288.72 करोड़ रुपए की सहायता 1988-89 (जुलाई-मार्च) में मंजूर 135.41 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना

में वार्षिकीय आधार पर 59.9 प्रतिशत अधिक थी। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान की गई 127.58 करोड़ रुपये की सहायता 1988-89 (जुलाई–मार्च) में उन्हें प्रदान की गई 92.13 करोड़ रुपये की तुलना में वार्षिकीय आधार पर 3.9 प्रतिशत अधिक थी।

2.52 संचयी रूप से, 31 मार्च 1990 तक निगमित क्षेत्र की 3,230 परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता 8,181.47 करोड़ रुपये हो चुकी थी, और 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि की कुल सहायता में इनका भाग 93.9 प्रतिशत था, जबकि निजी, संयुक्त और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का भाग परस्पर क्रमशः 72.2 प्रतिशत, 13.4 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत था। निगमित क्षेत्र की परियोजनाओं को संचयी संवितरण 5,028.75 करोड़ रुपये किए गए।

2.53 निगमित क्षेत्र में, 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि की संचयी सहायता की मात्रा की दृष्टि से महाराष्ट्र का स्थान सर्वप्रथम रहा, जिसे 1,454.96 करोड़ रुपये की सहायता (17.8 प्रतिशत) प्राप्त हुई। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश 1,041.33 करोड़ रुपये (12.7 प्रतिशत), गुजरात 953.06 करोड़ रुपए (11.6 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश 812.34 करोड़ रुपये (9.9 प्रतिशत), तमिलनाडु 600.06 करोड़ रुपये (7.3 प्रतिशत) और राजस्थान 444.90 करोड़ रुपये (5.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। संख्या की दृष्टि से निगमित क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाओं की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र (510) में थी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश (339), तमिलनाडु (314), आन्ध्र प्रदेश (312), गुजरात (298) और पश्चिम बंगाल (200) का स्थान रहा।

पिछड़े क्षेत्रों तथा उद्योग-रहित जिलों को वित्तीय सहायता

2.54 वर्ष 1989–90 के दौरान, भाऔविनि ने केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 420 परियोजनाओं को 1,012.42 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। यह 1988–89 (जुलाई–मार्च तक) अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 307 परियोजनाओं को मंजूर की गई 614.92 करोड़ रुपये की सहायता के मुकाबले वार्षिकीय आधार पर 23.5 प्रतिशत अधिक थी।

2.55 पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की श्रेणी "क", "ख" और "ग" के अन्तर्गत वर्गीकरण करने की विद्यमान योजना के अनुसार श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिले) में स्थित 93 परियोजनाओं को 214.86 करोड़ रुपए, श्रेणी "ख" जिलों/क्षेत्रों में स्थित 180 परियोजनाओं को 369.46 करोड़ रुपये और श्रेणी "ग" जिलों/क्षेत्रों की 147 परियोजनाओं को 428.10 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। अधिसूचित पिछड़े जिलों की प्रत्येक श्रेणी अर्थात् श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिले), "ख" और "ग" को, केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर की गई कुल सहायता का प्रतिशत के रूप में क्रमशः 21.2 प्रतिशत, 36.5 प्रतिशत और 42.3 प्रतिशत अंश प्राप्त हुआ।

2.56 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से भाऔविनि ने अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित 1,650 परियोजनाओं को 4,269.53 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की, जो भाऔविनि की समग्र निवल संचयी मंजूरियों का 49 प्रतिशत है। इन मंजूरियों के अन्तर्गत 31 मार्च, 1990 तक 2,749 करोड़ रुपये का संवितरण किया जा चुका था।

भाऔविनि द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति

2.57 643 परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार (जिसमें परियोजनाओं की लागत में केवल अधिव्यय के वित्तपोषण के लिए 1989-90 के दौरान अतिरिक्त सहायता की मंजूरियों के 141 मामले शामिल नहीं हैं) 1989–90 में भाऔविनि के परिचालनों से यह पता चलता है कि भाऔविनि की सहायता 13,212.82 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने में समर्थ होगी, जिसका विवरण सारणी 12 में दिया गया है :

सारणी 12 : भाऔविनि० द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति 1989–90 (अप्रैल—मार्च) (करोड़ रुपये)

वित्तपोषण प्रवृत्ति	नई परियोजनायें	विस्तार/विशाखन परियोजनायें	आधुनिकीकरण परियोजनायें	पुनर्स्थापन, सन्तुलन उपस्कर आदि के लिये सहायता	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परियोजनाओं की संख्या	215	81	188	159	643
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
I. प्रवर्तक योगदान					
—शेयर पूंजी	901.89	85.27	22.53	21.10	1030.79
	(11.8)	(4.6)	(0.8)	(2.9)	(7.8)
—अप्रतिभूत गौण ऋण	67.68	21.57	29.38	17.98	136.61
	(0.9)	(1.1)	(1.0)	(2.5)	(1.0)
—आंतरिक, प्रोद्भूत, आदि	420.09	311.22	613.50	140.15	1,484.96
	(5.5)	(16.7)	(20.8)	(19.2)	(11.2)

1	2	3	4	5	6
II. दीर्घकालीन, ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं अर्थात् भा औ वि नि, भा औ वि बैंक, भा औ ऋ नि नि, एवं भा औ पु बैंक द्वारा सहायता					
—ऋण तथा अग्रिम	2680.82 (35.0)	974.82 (52.3)	836.22 (28.3)	398.63 (54.6)	4,890.49 (37.0)
—इक्विटी सहायता	310.36 (4.0)	7.15 (0.4)	8.35 (0.3)	— —	325.86 (2.5)
III. बीमा संस्थाएं अर्थात् जीबीनि, साबीनि और भायूट, द्वारा सहायता					
—ऋण तथा अग्रिम	164.08 (2.1)	58.28 (3.1)	33.53 (1.1)	42.68 (5.8)	298.57 (2.3)
—इक्विटी सहायता	43.00 (0.6)	— —	3.00 (0.1)	1.15 (0.2)	47.15 (0.4)
IV. (क) बैंकों द्वारा सहायता (दीर्घकालीन वित्त)	510.74 (6.7)	131.44 (7.0)	190.04 (6.4)	42.31 (5.8)	874.53 (6.6)
(ख) बैंकों आदि द्वारा इक्विटी सहायता . .	237.70 (3.1)	18.95 (1.0)	0.60 (नेग)	— —	257.25 (2.0)
V. (क) राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा सहायता (दीर्घकालीन वित्त)	0.70 (नेग)	—	1.50 (0.1)	3.18 (0.4)	5.38 (0.1)
(ख) इक्विटी सहायता	81.58 (1.0)	1.13 (0.1)	0.10 (नेग)	—	82.81 (0.6)
VI. अधिकारिक निर्गम	720.14 (9.4)	226.78 (12.1)	596.97 (20.2)	31.13 (4.3)	1,575.02 (11.9)
VII. आस्थगित अदायगियां	150.65 (2.0)	18.12 (1.0)	—	17.44 (2.4)	186.21 (1.4)
VIII. विदेशी संस्थानों से ऋण	1,020.52 (13.3)	—	0.44 (नेग)	0.72 (0.1)	1,021.68 (7.7)
IX. अन्य	355.05 (4.6)	10.75 (0.6)	616.27 (20.9)	13.44 (1.8)	995.51 (7.5)
जोड़	7,665.00 (100.0%)	1,865.48 (100.0%)	2,952.43 (100.0%)	729.91 (100.0%)	13,212.82 (100.0%)

टिप्पणियां : 1. इक्विटी सहायता में हामीदारियां एवं प्रत्यक्ष अभिदान सम्मिलित हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

3. उपरोक्त में परियोजना लागत आदि में अधिव्यय को पूरा करने के लिये सहायता की मंजूरियों के मामले शामिल नहीं हैं।

नई, विस्तार और विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान (1989–90)

2.58 1989–90 में भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित 296 नई और विस्तार/विशाखन परियोजनाओं के अध्ययन से यह पता चलता है, कि इस अवधि के दौरान भाऔविनि की सहायता विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण क्षमता सृजित करने में समर्थ रही है। आशा है कि उपर्युक्त परियोजनाओं से लगभग 63,496 हजार व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। इन परियोजनाओं का उत्पादन मूल्य 8,086.75 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। प्रवर्धित सकल मूल्य लगभग 3,398.17 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो इन परियोजनाओं द्वारा देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान है। इससे सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशिष्ट–II में दिया गया है।

जन-हित में प्रदान की गई मंजूरियां

2.59 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 26(2) की व्यवस्थाओं के अनुसार निदेशक(कों) के हिततद्ध होने के कारण भाऔविनि को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982 की शर्तों के अधीन जन-हित में सहायता मंजूर करनी पड़ी हो।

(ख) परिचालन गतिविधियां

पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं को रियायती सहायता

2.60 भारत सरकार की केन्द्रीय निवेश उप-सहायता योजना के पहली अक्तूबर, 1988 से बंद हो जाने के बावजूद वित्तीय संस्थानों ने, वर्ष के दौरान अब तक प्रचलित केन्द्रीय निवेश उप-सहायता योजना की स्वीकार्यता के प्रयोजन से यथा वर्गीकृत पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त की अपनी योजना लागू रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि वित्तीय संस्थान, पंजाब की सभी नई इकाइयों को 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले दो वर्ष की आगामी अवधि के दौरान वरीयता देंगे, तथा रियायती आधार पर उसी प्रकार सहायता प्रदान करते रहेंगे, जैसा कि अधिसूचित "ख" श्रेणी जिलों की नई परियोजनाओं के मामले में दी जाती है।

निर्यात प्रोत्साहन योजना

2.61 देश में निर्यात को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं ने वित्तपोषित औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना को अगले वर्ष तक के लिए लागू रखने पर सहमति व्यक्त की। इस योजना के अन्तर्गत, वित्तपोषित औद्योगिक इकाइयां वित्तीय संस्थानों को उनकी ब्याज अदायगियों के 1/5 वें भाग के बराबर ब्याज रियायत के रूप में प्रोत्साहन की पात्र हैं बशर्ते कि न्यूनतम ब्याज दर 10 प्रतिशत हो, और उनकी निर्यात बिक्री 25 प्रतिशत (पांच सितारे श्रेणी के होटलों के मामले में 50 प्रतिशत) या उससे अधिक हो। जिन मामलों में कुछ निर्यात दायित्व पहले ही निर्धारित किए गए हैं उनमें, इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन के प्रयोजन के लिए निर्यात बिक्री का हिसाब उपर्युक्त निर्धारित दायित्व को पूरा किए जाने के बाद लगाया जाएगा।

विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना

2.62 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में विनिमय जोखिम प्रबंध निधि नामक निधि के माध्यम से, विनिमय जोखिम से विदेशी मुद्रा उप-ऋणियों की हित-रक्षा करने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा विनिमय जोखिम प्रबंध योजना आरम्भ किए जाने का उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, उक्त योजना के परिचालनों की पद्धतियों में और सुधार किया गया। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई, कि विनिमय जोखिम प्रबंध योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली अधिकतम राशि समग्रतः प्रति कम्पनी, 60 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली फरवरी, 1990 से 30 अप्रैल, 1990 तक की अवधि के दौरान निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण करारों के मामले में ऋणियों से प्रभार के रूप में ली जानी वाली समेकित लागत 16 % वार्षिक निर्धारित की गई, जो न्यूनतम 15 % वार्षिक और अधिकतम 18 % वार्षिक पर बैंड सहित परिवर्ती थी। 1 मई, 1990 से बैंड सहित प्रभार्य समेकित लागत 17 % वार्षिक हो गई है, जिसकी न्यूनतम दर 15 % और अधिकतम 18 % वार्षिक है। परिवर्ती दर निर्धारण की समयावधि ऋण करार के निष्पादन की तारीख से संबंधित है, मंजूर ऋण सहायता में से किस्तों के संवितरण के समय से नहीं। इसके अतिरिक्त, इस बात पर भी सहमति हुई, कि मूलधन/ब्याज की चार क्रमिक किस्तों की अदायगी में चूक करने वाली ऋणी संस्था को विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि के अधीन हित-रक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, लेकिन उसे विनिमय जोखिम प्रबंध निधि से बाहर नहीं हटाया जाएगा। सहमत प्रक्रिया के अधीन, चूक करने वाली ऋणी संस्था को उस सीमा तक पूल की मूल्य वृद्धि के अपने यथानुपात हिस्से के रूप में अतिरिक्त प्रभार की अदायगी करनी होगी, जिस सीमा तक विनिमय जोखिम प्रबंध निधि में अभिवृद्धि शामिल नहीं की जाती। विनिमय जोखिम अंश को निष्प्रभावी करने के लिए पूल का चालू मूल्य और प्रीमियम में घाटा, यदि कोई हो एवं ब्याज अभिवृद्धि को शामिल करते हुए प्रत्येक तिमाही में यथानुपात हिस्से का हिसाब लगाया जाएगा। ऋणी संस्था से वसूली योग्य ऐसी अतिरिक्त राशि वास्तव में प्राप्त होने तथा संस्थानों द्वारा चूक करने वाली संस्था की ओर से उन्हें प्रदत्त प्रीमियम के लिए संस्था को प्रतिपूर्ति करने के बाद ही विनियम जोखिम प्रबंध निधि में क्रेडिट की जाएगी। चूक की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा, और यह ऋण करार के प्रावधानों के अनुसार चूक के लिए देय सामान्य रूप से निर्धारित किए गए निर्णीत हर्जानों के अतिरिक्त होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया

2.63 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि 25 करोड़ रुपये या इससे अधिक के मूल्य वाले संयंत्र और मशीनरी का आयात करने वाली बड़े आकार की सभी औद्योगिक परियोजनाओं को ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के सदृश हो। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के आधार पर, आयातित पूंजीगत माल की प्राप्ति के लिए मार्गनिर्देशों को वर्ष के दौरान अन्तिम रूप प्रदान किया गया। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, संविदा के निर्णय और व्यवस्था की जिम्मेवारी ऋणी की होगी। वित्तीय संस्थान अपने आप को इस बात से आश्वस्त करेंगे कि ऋणियों ने समुचित प्रक्रिया अपनाई है। संस्थानों को, (क) प्राप्त किए जाने वाले माल की सूची एवं संविदागत माल के समूहीकरण/पार्सल बनाने, तथा (ख) बोली मूल्यांकन परिणाम एवं संविदा देने के लिए प्रस्तावों, को अनुमोदित करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी होगी।

ऋण की शर्तों, आदि में परिवर्तन

(क) ब्याज, दर आदि

2.64 ऋण लागत में वृद्धि के बावजूद वर्ष के दौरान, ऋण की ब्याज दर के मूल ढांचे में तथा लगाए जाने वाले अन्य प्रभारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तथापि 1 जुलाई, 1989 से डालर/येन मुद्रा में ऋण/बांड/अन्य किसी प्रकार के वाणिज्यिक उधार के मामले में यूरो मुद्रा बाजार से लिए गए वाणिज्यिक उधारों में से

विदेशी मुद्रा उप-ऋणों पर ब्याज की दरों को इस तरह युक्ति-संगत बनाया गया कि वह विदेशी मुद्रा उधार की कुल लागत से ऊपर 2 प्रतिशत वार्षिक हो । इसी प्रकार, लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं के वित्त पोषण की योजना के अन्तर्गत सहायता के संबंध में ब्याज दर के ढांचे को, ऐसी संस्थाओं की दर-निर्धारण एजेंसियों द्वारा अनुमोदित दर को ध्यान में रखकर युक्तिसंगत बनाया गया । उपस्कर लीजिंग, उपस्कर उपार्जन और उपस्कर उधार संबंधी योजनाओं के मामले में, लीज पर दिए गए/बेचे गए/वित्त पोषित किए गए उपस्कर की लागत की एकमुश्त सीमान्तक शुल्क को लाभ उठाने वाली इकाइयों से प्रभार्य किया गया । इसी प्रकार, प्रत्यक्ष रूप से अभिदत्त शेयरों की राशि पर पहली जुलाई, 1989 से संस्थानों द्वारा लगाए जाने के लिए 2.5 प्रतिशत की समान दर पर सीमान्तक शुल्क के लिए भी सहमति दी गई ।

2.65 देखा गया है कि अक्सर वित्तपोषित संस्थाएं, नकद लाभ कमाने के बावजूद अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से ब्याज की देय राशियों के आस्थगन के लिए संस्थानों से सम्पर्क करती हैं । वर्ष के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि ऐसे मामलों में जिनमें वित्तपोषित इकाइयों द्वारा नकद लाभ कमाने के बावजूद मामले के गुणावगुणों तथा परिस्थितियों के आधार पर, देय राशियों के आस्थगन के लिए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया हो उनमें संस्थान आस्थगित राशि पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लागू ब्याज दर (इस समय 17.5%) प्रभारित करेंगे । ऐसे मामलों में देय राशियों का आस्थगन, यदि उसकी सहमति दी गई हो, वरीयतः इकाई को नए ऋण का प्रस्ताव देकर किया जायेगा ।

(ख) संपरिवर्तनीयता विकल्प

2.66 सपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों के संबंध में विद्यमान मानदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वित्तीय संस्थानों ने वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना तथा जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के अधीन विशेष ऋण सहायता की शर्तों में से संपरिवर्तनीयता खण्ड हटा देने के लिए सहमति व्यक्त की जैसा कि पैरा 2.22 और 2.23 में पहले ही बताया जा चुका है ।

2.67 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंजूर की गई सहायता के संबंध में विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार 101 मामलों में संपरिवर्तन की शर्त लागू की गई । समीक्षाधीन अवधि में 3 मामलों में संपरिवर्तनीयता अधिकार का उपयोग किया गया, और 31 मामलों में इसे छोड़ दिया गया । संचयी रूप से, संपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों के प्रारम्भ होने से अब तक भाआवित्रि ने 1,503 मामलों में संपरिवर्तनीयता की शर्त लगाई, और 129 मामलों में संपरिवर्तन विकल्प का उपयोग किया, तथा 545 मामलों में सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकल्प के उपयोग से छूट प्रदान की गई ।

विद्यमान प्रक्रियाओं को सरल बनाना

2.68 विद्यमान प्रक्रियाओं को चाहे वे मूल्यांकन प्रलेखन या अनुवर्तन किसी से भी संबंधित हों, उनमें जहां भी संभव हो अनावश्यक भाग को समाप्त करके सरल बनाने का कार्य जारी रहा । विशेष रूप से जम्मू व कश्मीर राज्य में संस्थानात्मक निवेश बढ़ाने की दृष्टि से सहमति हुई कि भाआवित्रि तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि० उन व्यवहार्य औद्योगिक परियोजनाओं के वित्त पोषण पर भी विचार कर सकते हैं, जिनकी पूंजी लागत 3 करोड़ रुपये या उससे कम की हो । इसी प्रकार मूलभूत प्रतिभूति के प्रलेखन और सृजन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से सहमति हुई, कि जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा 20 जुलाई, 1988 और 21 नवम्बर, 1988 द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार वित्तीय संस्थान, वित्तपोषित संस्थाओं को जम्मू व कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा आबंटित भूमि को, उस पर बने सभी भवनों और ढांचे तथा उनके जुड़नारों सहित बंधक रख सकते हैं, बशर्ते कि वित्तपोषित संस्था ने ऐसे बंधक पर या तो अपेक्षित स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार अदा किया हो, अथवा राज्य सरकार से उससे छूट प्राप्त की हो । जिन मामलों में वित्त-पोषित संस्था ने प्राइवेट पार्टियों से भूमि प्राप्त की हो, उनमें वित्तीय संस्थानों ने निगमित गारंटियों जैसी वैकल्पिक प्रतिभूतियों और/अथवा जम्मू व कश्मीर राज्य से बाहर स्थित सम्पत्तियों, यदि कोई हो, को बंधक रखने के लिए भी सहमति व्यक्त की ।

अनुवर्तन प्रक्रिया

2.69 अनुवर्तन व्यवस्था की मूल विधाओं में सिवाय इसके कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कि अनुवर्तन उपायों को 'अग्रणी संस्थान की अवधारणा' के आधार पर व्यापक बनाया गया, और विशेषतः उन परियोजनाओं में जो या तो कार्यान्वित की जा रही थीं, अथवा जिन वित्तपोषित इकाइयों में वित्तपोषित वित्तीय प्रगति धीमी रही हो । ऐसे मामलों में, वित्तपोषित संस्थाओं के कार्यों का व्यापक अनुवर्तन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकों तथा नामित निदेशक संस्थान मंत्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया ।

नामित निदेशक

2.70 नामित निदेशकों की व्यवस्था के संबंध में सरकारी मार्गनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । जिन एम०आर० टी० पी० कम्पनियों में भाआवित्रि अग्रणी संस्थान था उनके बोर्ड में भाआवित्रि ने नामित निदेशक नियुक्त किए, केवल कुछ ऐसे मामलों को छोड़ दिया गया जिनमें या तो बकाया सहायता बहुत कम थी अथवा भाआवित्रि की वित्तीय सेवाओं से सम्बद्ध किसी योजना के अन्तर्गत सहायता मंजूर की गई थी । 83 गैर-एम० आर०टी० पी० संस्थाओं के संबंध में जिनमें भाआवित्रि अग्रणी संस्थान था और जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में दी गई परिभाषा के अनुसार रुग्ण कम्पनियां थीं, भाआवित्रि ने केवल कुछ ऐसी कम्पनियों के सिवाय सभी मामलों में नामित निदेशक नियुक्त किए थे जिनमें ऋण वापस ले लिए गए थे, या मुकदमे दायर किए गए थे अथवा कम्पनियों का परिसमापन हो चुका था, या जिनमें पहले ही एकमुश्त समझौता हो चुका था । जिन मामलों में वित्तीय संस्थानों की समग्र शेयर-धारिता 50% या अधिक थी, उनमें भाआवित्रि ने, वर्ष के दौरान समय-समय पर नामांकनों के सभी मामलों की समीक्षा जारी

रखी । कुल मिलाकर, 31 मार्च 1990 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि ने 927 वित्तपोषित संस्थानों के निदेशक बोर्डों में 383 नामित निदेशक नियुक्त किए हुए थे, जिनमें से 166 शासकीय और 217 गैर–शासकीय थे ।

2.71 भाऔविनि में स्थापित नामित निदेशक कक्ष की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक द्वारा, सहायक स्तर पर अन्य अधिकारियों सहित की जाती रही, और इसके अतिरिक्त प्रधान–कार्यालय के तीन वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय/शाखा/ अन्य कार्यालयों से एक–एक अधिकारी को नामित निदेशक कक्ष के सदस्य के रूप में पदनामित किया गया, ताकि वे कक्ष को सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सकें ।

2.72 परियोजना प्रबंध समितियों और लेखा परीक्षा उप–समितियों को प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ष के दौरान नामित निदेशकों को मार्ग निर्देश जारी किए गए । यह भी सहमति हुई कि परियोजना प्रबंध समिति, जहां कहीं भी परियोजना के कार्यान्वयन को गहन रूप से अनुवर्तन करने के लिए स्थापित किए जाने हेतु निर्धारित की गई हो, परियोजना के कार्यान्वयन के बाद उस समय तक परिचालन में रहेगी, जब तक कि वित्तपोषित संस्था अपने परिचालनों को सुदृढ़ करने और लाभांश घोषित करने में सक्षम न हो जाए ।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय

2.73 बैंकों और वित्तीय संस्थानों की स्थायी समन्वय समिति की बैठकों में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय बना रहा । वर्ष के दौरान स्थायी समन्वय समिति की 11 वीं बैठक भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री ए० घोष की अध्यक्षता में 13 फरवरी 1990 को आयोजित की गई । समिति ने राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर उपयुक्त डाटा बेस विकसित करने की आवश्यकता पर विचार किया, जिससे विभिन्न संस्थाओं के साथ उद्यमियों के सम्बन्धों, ऋण खातों में उनकी कमियों/चूक के पूरे ब्योरे दिए जाएं ताकि ऐसी जानकारी द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों का मार्गदर्शन किया जा सके । इसके अतिरिक्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सूचना के आदान–प्रदान को और अधिक सार्थक बनाने पर सहमति हुई । समिति ने रुग्णता के प्रारंभिक लक्षणों वाली औद्योगिक इकाईयों के मामले में प्रतिभूतियों में सहभागिता से सम्बंधित मामलों में, पुनर्वास सहायता के कार्यान्वयन के लिए बैंकों द्वारा निधियों की अदायगी में विलम्ब के कारणों पर विचार किया, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को एवं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्य वित्तीय निगमों को जारी किए गए मार्गनिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने पर जोर दिया । बैठक में हुई आम सहमति के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जाने वाले परियोजना मूल्यांकन में प्रारंभ से ही बैंकों को भी साथ रखा जाएगा ।

उद्योग व्यवहार्यता/ बाजार अध्ययन

2.74 वित्तीय संस्थानों से अपेक्षा की जाती है, कि वे उद्योगों में ऐसी नई इकाईयां लगाने को प्रोत्साहित करें जिनमें, मांग और पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त क्षमता सृजित किए जाने की गुंजाइश हो । इस सम्बन्ध में, योजना की प्राथमिकता एवं लक्ष्यों पर निश्चय ही समुचित बल दिया जाना अपेक्षित है । वित्तीय संस्थानों से यह भी आशा है कि, वे कार्यकुशलता एवं उत्पादकता के मानदण्डों के अनुरूप आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाईयों के विस्तार अथवा विशाखन को प्रोत्साहित करें । इन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, संस्थानों ने समय समय पर विभिन्न उद्योगों से सम्बंधित व्यवहार्यता/बाजार अध्ययन किया, ताकि सम्बंधित क्षेत्रों में नई इकाईयां लगाने के लिए वित्तपोषण अथवा विद्यमान इकाइयों के विस्तार एवं विशाखन कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करते समय समुचित नीतियां निर्धारित की जा सकें ।

2.75 वर्ष 1989–90 के दौरान संस्थानों ने टेलिविजन पिक्चर ट्यूब्स, विनायल फ्लोरिंग टाइल्स, कलाई घड़ियों, मल्टी–लेयर फिल्म/लिमिनेटिड फिल्म्स, स्टील कास्टिंग्स, डयूप्लेक्स/ट्रिप्लेक्स बोर्ड, बायक्सली ओरिएन्टिड पालिप्रोपिलीन फिल्मों, मल्टी–लेयर सिरेमिक चिप केपिसिटर्स, पालियुरेथिन आर्टिफिशियल चमड़े रिकंडीशन्ड कलर पिक्चर ट्यूब, प्रि–फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, पुश बटन टेलिफोन, सिंगल सुपर फास्फेट, हाइड्राजिन हाइड्रेट, पालिएस्टर फिलामेंट यार्न, कोल्ड रोल्ड कॉयल्स और शीट्स, आटोमोबाइल रेडियेटर्स, वीडियो मैग्नेटिक टेप्स, वनस्पति, पैनिसिलिन जी और हास्पिटल प्रोजैक्ट्स, आदि जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों पर अनेक बाजार मूल्यांकन अध्ययन किए । संस्थानों द्वारा इनमें से कुछ अध्ययन भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में किए गए ।

सरकार और उद्योग से पारस्परिक सम्पर्क

2.76 भाऔविनि ने सरकार के सभी संबंधित विभागों तथा योजना आयोग के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि द्वारा गठित सभी महत्वपूर्ण समितियों/कार्यकारी समूहों आदि के साथ समय-समय पर पारस्परिक सम्पर्क और विचारों का आदान–प्रदान जारी रखा । भाऔविनि चीनी, वस्त्र, जूट, पर्यटन और सम्बन्धी मामलों के आधुनिकीकरण और विकास से संबंधित सभी मामलों में सक्रिय रहा । चीनी विकास निधि और जूट आधुनिकीकरण निधि तथा पर्यटन एवं पर्यटन संबंधी मामलों में यह केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करता रहा ।

2.77 विभिन्न उद्योगों की न्यूनतम आर्थिक क्षमता तय करने तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के आबंटन की प्रक्रिया निर्धारित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा गठित कुछ समितियों कार्यकारी समूहों में तथा राष्ट्रीय साख परिषद् में भाऔविनि ने प्रतिनिधित्व किया ।

2.78 भाऔविनि ने निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया के रूप में निगमित संस्थाओं और विशेष औद्योगिक समूहों के संघों, वाणिज्य एवं उद्योग संस्थाओं की बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों से भाऔविनि को निगमित क्षेत्र के विचारों तथा नीतिगत मामलों और सहायता की योजनाओं के बारे में उनके दृष्टिकोण की पूरी जानकारी मिली। इन बैठकों से निगमित तथा सहकारिता क्षेत्रों के बीच बेहतर समझ-बूझ कायम करने में मदद मिली तथा एक-दूसरे के विचारों को सही ढंग से समझने का अवसर मिला।

(ग) संसाधन और वित्तीय प्रबन्ध

रुपया संसाधन जुटाना

2.79 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के दौरान, भाऔविनि द्वारा कुल 1,112.73 करोड़ रुपये (131.71 करोड़ रुपये के प्रारंभिक रुपया नकद शेष को छोड़कर) के रुपया संसाधन जुटाए गए। कुल मिलाकर, 1989-90 का वर्ष संसाधनों तथा वित्तीय प्रबन्ध की दृष्टि से अत्यन्त कठिनाइयों वाला वर्ष रहा। तथापि संसाधन जुटाने की कठिन स्थिति में आशा की किरण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई गई रुपया निधि सहायता और भारत सरकार द्वारा इस मामले में दी गई समग्र सहायता थी।

2.80 रिपोर्ट की अवधि के दौरान देश के भीतर जुटाए गए रुपया संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रहीं:—

—17.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शेयर पूंजी का जुटाया जाना (5 करोड़ रुपये 31 मई, 1989 को जुटाए गए, और 12.50 करोड़ रुपये 30 मार्च, 1990 को जुटाए गए)।

—आरक्षित निधियों में 54.80 करोड़ रुपये की वृद्धि द्वारा आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि—यह अब तक सर्वाधिक रही।

—(क) ऋणियों द्वारा ऋणों की पुनर्भवायगी, और (ख) निवेशों की बिक्री/विमोचन के द्वारा कुल 250.88 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई प्राप्ति।

—तीन सार्वजनिक बांड निर्गमों (30 मई, 1989, 19 सितम्बर, 1989 और 26 दिसम्बर, 1989 को जारी की गई क्रमशः 53वीं, 54वीं और 55वीं सीरीज) द्वारा कुल 438 करोड़ रुपये के रुपया संसाधन में वृद्धि।

—निम्नलिखित से कुल 265 करोड़ रुपये के अल्पावधि रुपया उधार—

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक—100 करोड़ रुपये	12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 4 माह की अवधि के लिए 5 मार्च, 1990 और 15 मार्च, 1990 को 50 करोड़ रुपये प्रत्येक को दो किस्तों में लिया गया।
(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम 100 करोड़ रुपये	13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए 18 दिसम्बर, 1989 और 24 जनवरी, 1990 को 50 करोड़ रुपये। प्रत्येक को दो किस्तों में लिया गया। जीवन बीमा निगम को तीन वर्ष से पहले लेकिन तीन महीने के नोटिस की अवधि पर ऋण की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले नहीं, राशि के 75 प्रतिशत की पुनर्अदायगी के प्राप्त करने के विकल्प का प्रावधान।
(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट—65 करोड़ रुपये	निक्षेपों के रूप में जुटाए गए 7 सितम्बर, 1989 को (50 करोड़ रुपये), 19 फरवरी, 1990 को (10 करोड़ रुपये) और 1 मार्च, 1990 को (5 करोड़ रुपये)। निक्षेप 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट को 5 वर्ष से पहले लेकिन जमा की तारीख से 3 वर्ष पूरे होने से पहले नहीं, सात दिन के नोटिस पर, 25 प्रतिशत राशि वापस लेने का विकल्प है।

—10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर (अर्थात बैंक दर) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मंजूर की गई कार्यशील निधियों का पूर्णतः लाभ उठाना, 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार खाते में बकाया देय राशि 30 करोड़ रुपये थी।

—भारत सरकार से ब्याज अन्तर-जन्य निधियों में से 7.41 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई राशि की प्राप्ति।

रुपया संसाधनों का उपयोग

2.81 रुपया संसाधनों का उपयोग, मंजूर सहायता के अन्तर्गत 980.53 करोड़ रुपये का नकद संवितरण करने, 75 करोड़ रुपये मूल्य के बांडों के विमोचन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 8.40 करोड़ रुपये के ऋणों की पुनर्अदायगी करने, केन्द्रीय सरकार को 1.00 करोड़ रुपये के ऋण पुनर्भदा करने, 12.14 करोड़ रुपये के लाभांश की

अदायगी, 22.70 करोड़ रुपये के कर देयता प्रावधान के लिए तथा 110.26 करोड़ रुपये अन्य उपयोगों के लिए किया गया। वर्ष के अन्त में नकद शेष 34.21 करोड़ रुपये था।

विदेशी मुद्रा संसाधन और उनका उपयोग।

2.82 दिसम्बर, 1966 में एशियाई विकास बैंक के संस्थानात्मक परिदृश्य पर आने के बाद पहली बार भाऔविनि ने, भारत के निजी क्षेत्र उद्यमों की मध्यम आकार की विकास परियोजनाओं के लिए अपेक्षित माल और वस्तुओं की विदेशी मुद्रा लागत के वित्तपोषण के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त किया जो 5 जनवरी 1990 को एशियाई विकास बैंक तथा भाऔविनि के बीच निष्पादित किए गए ऋण करार में निहित निबंधनों और शर्तों पर लिया गया। ऋण को केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त है, और यह पहली फरवरी, 1993 से शुरू होने वाली 24 छमाही किस्तों में पुनर्देय है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार यह ऋण 5 अप्रैल, 1990 से ही, अर्थात्, ऋण करार के निष्पादन के 90 दिन बाद ही लागू हुआ है।

2.83 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भाऔविनि ने, बैंक आफ टोकियो लि०, टोकियो के माध्यम से 12 बिलियन जापानी येन का ऋण भी लिया। इसने, दिसम्बर, 1988 में जुटाए गए 20 बिलियन जापानी येन की मूलधन राशि का, मूलधन और ब्याज दोनों के संबंध में, भाऔविनि की देयता को निश्चितता प्रदान करने की दृष्टि से, मेरिल लिन्च कैपिटल सर्विसेज इन्कार्पोरेटेड के माध्यम से 7.25 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर 162.074 मिलियन अमरीकी डालर में विनिमय भी किया।

2.84 वर्ष की समाप्ति पर, भाऔविनि बैंकर्स ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से 100 मिलियन अमरीकी डालर के सामूहिक ऋण को भी अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत था। यह ऋण प्रत्येक 50 मिलियन अमरीकी डालर की दो किस्तों में होगा और 50 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी किस्त एजेंट अर्थात् मैसर्स सनवा बैंक लिमिटेड के विकल्प पर चार वर्ष के बाद स्विस फ्रैंक्स में संपरिवर्तनीय होगी। उपर्युक्त ऋण सुविधा के संबंध में बैंकर्स ट्रस्ट कम्पनी, भाऔविनि के 50 मिलियन अमरीकी डालर (स्विस फ्रैंक्स में संपरिवर्तनीय) के विद्यमान ऋण में सन्निहित स्विस फ्रैंक्स विकल्प को निष्प्रभावी कर देगी। सौदे के व्यावहारिक रूप लेने के बाद 31 अगस्त, 1990 को स्विस फ्रैंक में 50 मिलियन अमरीकी डालर के वर्तमान ऋण के संपरिवर्तन को निःशुल्क निष्प्रभावित किया जाएगा, और भाऔविनि का ऋण 50 मिलियन अमरीकी डालर बना रहेगा जिस पर कि लन्दन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर से 1.92 प्रतिशत की दर से घटा कर ब्याज लगेगा।

2.85 समग्रतः, 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि के विद्यमान विदेशी मुद्रा संसाधनों में (क) जर्मन मार्क में 25 ऋण व्यवस्थाओं के अधीन जर्मन संघीय गणराज्य के क्रेडिटान्स्टाल्ट–फर–वाइडराफबाऊ से कुल 408 मिलियन जर्मन मार्क का उधार, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से विदेशी मुद्राओं में जुटाए गए अमरीकी डालर 320 मिलियन, जापानी येन 52 बिलियन और जर्मन मार्क 15 मिलियन के संचयी वाणिज्यिक उधार, (ग) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को–आपरेशन लि०, फिनलैंड की फिनिश निधि से 30 मिलियन फिम ऋण की व्यवस्था और (घ) एशियाई विकास बैंक से 150 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की व्यवस्था (5 अप्रैल, 1990 से लागू) शामिल हैं।

2.86 उपर्युक्त विदेशी मुद्रा संसाधनों में से भाऔविनि, 31 मार्च, 1990 तक 1,540.22 करोड़ रुपये के समकक्ष विदेशी मुद्राओं के उप-ऋणों का वचन दे चुका था। 31 मार्च, 1990 तक विदेशी मुद्रा उप–ऋणों का वास्तविक संवितरण 814.10 करोड़ रुपये के बराबर का रहा, जिसमें से 140.74 करोड़ रुपये का संवितरण वर्ष 1989–90 के दौरान किया गया।

2.87 वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में लिए गए वास्तविक उधार कुल 235.77 करोड़ रुपये के समकक्ष थे और विदेशी मुद्रा ऋणों की पुनर्अदायगी 80.68 करोड़ रुपये के समकक्ष की गई। 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार निवल बकाया विदेशी मुद्रा ऋण 1,357.80 करोड़ रुपये थे जो 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार (31 मार्च, 1990 को लागू दर पर पुनर्मूल्यांकित आधार पर) 1,202.71 करोड़ रुपये थे।

2.88 विदेशी मुद्रा परिचालनों एवं प्रबन्ध के क्षेत्र में यद्यपि संसाधन स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही लेकिन वर्ष 1989–90 के दौरान मांग कुछ मंदी रही, क्योंकि रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में निरन्तर गिरावट होती रही। अतः आने वाले वर्षों में भाऔविनि का झुकाव संभव सीमा तक इक्विटी उधारों सहित सर्वाधिक मितव्ययी उधारों पर और मुद्रा एवं ब्याज स्वैप के माध्यम से देयता प्रबन्ध व्यवस्था, अनुकूल शर्तों, आदि पर वर्तमान विदेशी मुद्रा के पुनः समझौता वार्ता पर रहने की संभावना है।

निधियों के स्रोत और उपयोग (संस्था)

2.89 भाऔविनि के आरम्भ से लेकर और 31 मार्च, 1990 तक इसके स्रोत कुल 6,888.37 करोड़ रुपये के थे जिनमें सम्मिलित हैं शेयर पूंजी 100.00 करोड़ रुपये, आन्तरिक जनन 1,835.23 करोड़ रुपये, बाह्य वाणिज्यिक उधार 1,186.71 करोड़ रुपये, विदेशी ऋण 278.77 करोड़ रुपये तथा सरकार एवं भारतीय वित्तीय संस्थानों से उधार 592.67 करोड़ रुपये और बाजार उधार 2,894.99 करोड़ रुपये। इनका उपयोग 4,434.03 करोड़ रुपये के रुपया संवितरणों, 814.10 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा संवितरणों, 149.21 करोड़ रुपये के निवेश, 395.44 करोड़ रुपये के बांडों के विमोचन, सरकार तथा भारतीय वित्तीय संस्थानों को 204.73 करोड़ रुपये की पुनर्अदायगी, 239.17 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा ऋणों की पुनर्अदायगी, 54.75 करोड़ रुपये के लाभांश की अदायगी के प्रावधान के लिए तथा

167.80 करोड़ रुपये कर के लिए और 382.34 करोड़ रुपये अन्य उपयोगों के लिए किया गया। नकद शेष अन्त में 46.80 करोड़ रुपये का था।

बकाया और अतिदेय

2.90 31 मार्च, 1990 को समाप्त स्थिति के अनुसार 2,410 संस्थाओं से 4,075.30 करोड़ रुपये की ऋण सहायता बकाया थी। वित्तपोषित कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में भाऔविनि की धारिता 142 करोड़ रुपये थी और 39.84 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए गारंटियां, जारी थीं।

2.91 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण सहायता में से, कुल अतिदेय राशि 153.64 करोड़ रुपये (मूलधन के रूप में 95.38 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 58.26 करोड़ रुपये) थी। ये अतिदेय राशियां 31 मार्च 1990 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि के कुल बकाया ऋणों का लगभग 3.8 प्रतिशत थीं।

2.92 दीर्घकाल से समस्याओं का सामना करती आ रही वित्तपोषित इकाइयों के मामले में परियोजनाओं के वित्त-पोषण में संबंधित सभी भागीदार संस्थानों/बैंकों की संयुक्त बैठकें आयोजित की गई, ताकि इनके पुनर्स्थापन/पुनर्जीवन के लिए संभव एकमुश्त सुविधाओं को निर्धारित करने हेतु सम्मति प्राप्त की जा सके। वसूली अभियान एवं भाऔविनि की बकाया सहायता के गुणात्मक पहलुओं में सुधार लाने के लिए क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों को भी इस कार्य में सक्रिय रूप से सम्मिलित किया गया।

पुनर्स्थापन कार्यक्रम

2.93 रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए भाऔविनि के प्रयास रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधि-नियम, 1985 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड, जो पिछले चार वर्षों से कार्यरत है, के साथ संबद्ध रहे।

2.94 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान, भाऔविनि के 63 अग्रणी मामलों के सम्बन्ध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड द्वारा 92 सुनवाइयां हुई। प्रत्येक मामलों में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड द्वारा निर्धारित विशिष्ट मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन एवं पुनर्स्थापन कार्यक्रम बनाने के लिए 25 मामलों के संबंध में भाऔविनि को परिचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। परिचालन एजेंसी के रूप में भाऔविनि ने, 23 मामलों के संबंध में मसौदा पुनर्स्थापन योजनाएं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत कीं। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के तत्वावधान में भाऔविनि ने 4 अग्रणी मामलों में व्यवहार्यता अध्ययन और/अथवा पुनर्स्थापन कार्यक्रम बनाने का दायित्व निभाया, यद्यपि यह परिचालन एजेंसी के कार्यों में नहीं शामिल था। भाऔविनि की सुविज्ञता कतिपय गैर-वित्तपोषित रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए योजनाओं को संवीक्षा करके नया रूप देने के लिए भी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उपलब्ध करवाई गई। वर्ष की समाप्ति पर भाऔविनि के पास परिचालन एजेंसी के रूप में विस्तृत जांच के लिए 17 मामले थे।

2.95 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की परिधि में न आने वाले मामलों के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिये तथा अन्तर संस्थानात्मक स्तर पर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिये बनाये गये मार्गनिर्देशों की पृष्ठभूमि में पुनर्स्थापन कार्यक्रम बनाये गये। ऐसे पांच मामलों में वर्ष के दौरान पुनर्स्थापन योजनायें बनाई गईं। रुग्ण इकाइयों के लिये सिफारिश किये गये/प्रत्याशित उपायों में जो विस्तृत पहलू निहित थे उनमें आधुनिकीकरण, विस्तार, विशाखन, सन्तुलन आदि शामिल थे। तीन मामलों में बकाया देय राशियों के निपटान की तथा दो मामलों में परिसम्पत्तियों की बिक्री की व्यवस्था की गई। भा० औ० वि० नि० के अग्रणी दायित्व के दो मामलों में, प्रवर्तकों द्वारा इकाईयों के पुनर्स्थापन/संस्थानों को देय राशि की समुचित पुनर्भदायगी के लिये उपाय आरम्भ न किये जाने के कारण ऋणी संस्थाओं से ऋण वापस मांग लिये गये। अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके अग्रणी दायित्व के मामलों के सम्बन्ध में किये जा रहे पुनर्स्थापन प्रयासों के साथ भी भा० औ० वि० नि० को सक्रिय रूप से सहयोजित किया जाता जारी रहा।

2.96 यद्यपि रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिये अपनाये जाने वाले उपायों पर औद्योगिक एवं वित्तीय पुन-निर्माण बोर्ड द्वारा विचार किया जाना जारी रहा, किन्तु केन्द्रीय सरकार ने 17 अक्तूबर, 1989 से, कमजोर औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद शुल्क में राहत देने की योजना आरम्भ की, ताकि ऐसी कमजोर इकाइयां शीघ्र पुनः व्यवहार्य हो सके। योजना में ऐसी औद्योगिक कम्पनियों को ब्याज-मुक्त उत्पाद ऋणों की मंजूरी पर विचार करने का प्रावधान है, जिनकी संचयी हानियां पांच वित्तीय वर्षों के एकदम पहले की अवधि के दौरान उनकी अधिकतम निवल मूल्य में 50% या अधिक की कमी में परिणीत हुई हों। उत्पाद ऋण, नामोदिष्ट कि वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित पुर्नस्थापन पैकेज के भाग के रूप में ब्याज-मुक्त आधार पर दिए जाने की व्यवस्था है, पैकेज के अनुमोदन की तारीख से बाद के तीन वर्षों में वास्तविक रूप से अदा किये गये उत्पादन शुल्क के 50% या पुनर्स्थापन पैकेज के लागत के 25%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक न होंगे। ये ऋण अन्तिम संवितरण की तारीख से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की ऋण स्थगन अवधि के बाद सात वर्षों में पुनर्भदा किये जाने हैं। उपर्युक्तानुसार उत्पाद राहत योजना के शुरू होने से यह आशा की जाती है कि वह एक सुचारू तरीके से बहुत सी कमजोर/रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्स्थापन को प्रोत्साहित कर सकेगी।

2.97 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भा०औ०वि०नि० के कार्यक्रम से उपचारित की गई कुछ इकाइयों ने उल्लेखनीय

प्रगति की। इसके अतिरिक्त मार्च, 1990 की समाप्ति पर समामेलन/अधिग्रहण के कुछ प्रस्ताव संस्थानों द्वारा विचाराधीन थे।

(घ) कार्य-परिणाम

लाभ

2.98. 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ हानि लेखों के लेखा परीक्षित लेखे तथा उसी तारीख के तुलन पत्र से, जिन्हें कि इस रिपोर्ट के साथ लगाया गया है, पता चलता है, कि इस अवधि के दौरान भा० औ० वि० नि० का कर पूर्व लाभ 90.14 करोड़ रुपये रहा जबकि 31 मार्च, 1989 को समाप्त 9 माह की अवधि (जुलाई-मार्च) के दौरान यह 60.55 करोड़ रुपये था। इससे वार्षिकीय आधार पर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.6% की वृद्धि परिलक्षित होती है। वर्ष के दौरान 22.70 करोड़ रुपये के लिये कराधान की व्यवस्था करने के पश्चात् 67.44 करोड़ रूपये का निवल लाभ रहा, जबकि 31 मार्च, 1989 को समाप्त 9 माह की अवधि (जुलाई, मार्च) के लिये यह 50.53 करोड़ रुपये था।

सारणी 13 : निवल लाभ का विनियोजन

(करोड़ रुपये)

		इस वर्ष 1989–90 (अप्रैल-मार्च) रु०	पिछला वर्ष 1988–89 (जुलाई-मार्च) रु०
(1)		(2)	(3)
निवल लाभ		67.44	50.53
विनियोजन			
निम्नलिखित को अन्तरित—			
(क) सामान्य आरक्षित निधि	22.30		27.53
(ख) हितकारी आरक्षित निधि	2.50		1.00
(ग) विशेष रिजर्व (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन)	30.00	54.80	14.29
कर्मचारी कल्याण निधि को आवंटन		0.50	0.50
लाभांश की अदायगी		12.14 (14%)	7.21 (13%)
जोड़		67.44	50.53

विनियोजन

2.99 भा० औ० वि० नि० के निदेशक बोर्ड द्वारा निवल लाभ में से किये गये विनियोजन का विवरण सारणी 13 में दिया गया है।

रिजर्व में अभिवृद्धि

2.100 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान भा० औ० वि० नि० ने अपने रिजर्व में 54.80 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जिसमें सामान्य आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि तथा विशेष आरक्षित निधि शामिल है। यह 42.82 करोड़ रुपये के पिछले वर्ष के अन्तरण की तुलना में 27.9% अधिक थी।

लाभांश

2.101 सन्तोषजनक कार्य-परिणाम को ध्यान में रखते हुए भा० औ० वि० नि० के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर पिछले वर्ष घोषित 13% की तुलना में 14% वार्षिक लाभांश अदा करने का अनुमोदन किया है।

कार्य-परिणामों की प्रवृत्ति

2.102 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष सहित भा० औ० वि० नि० के पिछले पांच वर्षों के कार्य-परिणामों का संक्षेप सारणी–14 में दिया गया है।

सारणी 14: पांच वर्षों के दौरान भा० औ० वि० नि० के कार्य-परिणाम (करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 1989 को समाप्त 9 माह की अवधि	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष
	1986 रु०	1987 रु०	1988 रु०	रु०	रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिये गये उधारों पर ब्याज	167.74	225.48	285.30	277.77	462.95
घटाइये : लिए गये उधारों की लागत . . .	119.92	160 78	212.10	213.62	357.95
निवल ब्याज राजस्व	47.82	64.70	73.20	64.15	105.00
अन्य आय	9.40	8.00	9.36	11.26	12.93
निवल आय	57.22	72.70	82.56	75.41	117.93
व्यय :					
—कार्मिक व्यय	4.85	6.55	6.12	5.02	8 55
—निवेशों पर हानि	0.37	0.18	0.02	0.31	0.18
—निदेशकों तथा समिति सदस्यों के शुल्क तथा व्यय	0 02	0 03	0.03	0.02	0.03
—अन्य व्यय व अनुदान	2.67	3.14	4.51	3.70	10.23
—मूल्यह्रास	0 50	1 18	3.00	5.81	8.80
कर-पूर्व लाभ	48.81	61.62	68.88	60.55	90.14
कराधान	14.63	18.14	16.22	10.02	22.70
निवल लाभ	34.18	43.48	52.66	50.53	67.44
लाभांश (दर)	10.0%	11.0%	12.0%	13.0%	14.0%

2.103 उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वार्षिकीय आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में :

—1989–90 (अप्रैल-मार्च) में ऋण परिचालनों से ब्याज आय में 25% की वृद्धि हुई।

—1989–90 में "उधार लागत" में 25.7% की वृद्धि हुई।

—निवल आय तथा कर-पूर्व लाभ में क्रमश: 17.3% और 11.6% वृद्धि हुई।

—1988–89 में ऋणों पर 76.9% की ब्याज की आय की तुलना में 1989–90 में ब्याज में आय 77.3 रही।

—पिछले वर्ष में निवल आय में प्रतिशत के रूप में कर-पूर्व लाभ 80.3% की तुलना में वर्ष 1989–90 में कर-पूर्व लाभ 76.4% रहा।

—पिछले वर्ष में निवल आय में प्रतिशत के रूप में निवल लाभ 67% की तुलना में वर्ष 1989–90 में निवल लाभ 57.2% रहा।

वित्तीय स्थिति

2.104 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार भा० औ० वि० नि० की परिसम्पत्तियों और देयताओं की स्थिति सहित पिछले पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति, जैसा कि भा० औ० वि० नि० के तुलन-पत्र से स्पष्ट है, संक्षेप में सारणी 15 में दी गई है।

सारणी 15: पांच वर्षों के दौरान भा० औ० वि० नि० की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष			31 मार्च, को समाप्त वर्ष	
	1986 रु०	1987 रु०	1988 रु०	1989 रु०	1990 रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिसम्पत्तियां					
नकद व बैंक शेष	208.88	137.00	193.38	140.93	46.80
निवेश					
—सहायता प्राप्त संस्थाओं में	58.68	72.83	96.53	111.75	141.99
—अन्य संस्थाओं में	0.21	2.81	6.50	20.10	27.00
सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऋण	1,649.11	2,117.10	2,733.21	3,372.53	4,179.04
स्थिर तथा अन्य परिसम्पत्तियां	93.25	132.73	221.45	309.61	510.84
स्वीकृतियों के लिये ग्राहक देयतायें	17.88	21.93	22.92	32.51	39.84
	2,028.01	2,484.40	3,273.99	3,987.43	4,945.51
देयतायें और शेयरधारी निधि					
शेयर पूंजी	45.00	57.50	70.00	82.50	100.00
रिजर्व तथा आरक्षित निधि	144.88	182.17	225 62	270.94	327.42
उधार					
(क) बांड	1,452.88	1,729.40	2,083.80	2,314.70	2,851.39
(ख) सरकार तथा भा० औ० वि० बैंक से	87.13	79.30	70.73	67.85	60.09
(ग) जीवन बीमा निगम से	—	—	—	—	100.00
(घ) विदेशी मुद्राओं से	163.25	285.78	611.15	988.60	1,005.95
अन्य चालू देयतायें और प्रावधान	110.74	120.29	179.87	216.88	439.11
निर्धारित निधियां	6.25	8.03	9.90	13.45	21.71
स्वीकृतियों पर देयता	17.88	21.93	22.92	32.51	39.84
	2,028.01	2,484.40	3,273.99	3,987.43	4,945.51
ऋण : इक्विटी	8.9:1	8.7:1	9.3:1	9.5:1	9.4:1
निवल मूल्य : निवल लाभ	5.6:1	5.5:1	5.6:1	7.0:1	6.3:1

लेखांकन नीतियां

2.105 भा० औ० वि० नि० द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखे का रूप ग्रहण करने वाली टिप्पणियां अनुसूची 17 में दी गई है, तथा यह 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग है।

आन्तरिक लेखा-परीक्षा

2.106 भा० औ० वि० नि० में एक नियमित आन्तरिक लेखा-परीक्षा व्यवस्था है, जो कि सभी परिचालनात्मक एवं लेखांकन मामलों में प्रणालियों एवं कार्यविधियों के उचित प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी है। वर्ष के दौरान आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग ने बाउचरों एवं लेखे के 100% सत्यापन करने के अतिरिक्त उत्पादकता और दक्षता लेखा-परीक्षा और साथ ही प्रणालियों एवं कार्य-विधियों में व्यर्थता एवं अनावश्यकता को दूर करने जैसे क्षेत्रों को भी आवृत्त किया, जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों के अनुपालन की भी आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती रही।

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

2.107 समीक्षाधीन वर्ष के लिये मैसर्स लोढ़ा एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, 14, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट, कलकत्ता को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत शेयरधारियों द्वारा (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न) लेखा-परीक्षकों के रूप में चुना गया। समीक्षाधीन

वर्ष के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34(1) की शर्तों के अनुसार मैसर्स सुमेर बंगल एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, 36, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली को नियुक्त किया। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34(3) की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट इस वर्ष के लेखे के साथ संलग्न है।

प्रवर्तन सेवायें

प्रवर्तन सेवायें—समीक्षा

3.01 यद्यपि व्यवहार्य औद्योगिक परियोजनाओं का वित्तपोषण और नए तथा विद्यमान उपक्रमों को मर्चेन्ट बैंकिंग तथा वित्तीय सेवायें उपलब्ध कराना भाऔविनि के कारोबार का मूलाधार है, तथापि, इसकी प्रवर्तन और विकासात्मक भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके द्वारा भाऔविनि संस्थानात्मक अवस्थापना या विस्तार सेवाओं में अन्तराल का पता लगाने का प्रयास करता है, तथा औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 32 ख के अधीन प्राप्त अपने लाभ में से सृजित हितकारी आरक्षित निधि के रूप में उपलब्ध संसाधनों तथा भाऔविनि, क्रदितांस्तल्ट-फर-वाइडरफबऊ (केएफडब्ल्यू), भारत सरकार तथा जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के बीच हुए करार के अनुसार भाऔविनि द्वारा के एफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त राशियों से सृजित ब्याज अन्तर्जन्य निधियों की सीमा तक गैर-वित्तीय निवेशों के प्रावधान की व्यवस्था करके उद्योग को प्रोत्साहित करने का यत्न करता है।

3.02 भाऔविनि द्वारा प्रदत्त प्रवर्तन सेवायें मूलतः सहायक उपायों के रूप में हैं, जिनमें निम्नलिखित सेवायें शामिल हैं :—

— विशेष रूप से बनाई गई प्रवर्तन योजनाओं के माध्यम से ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता।

— तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से सलाहकारी सेवाओं हेतु सहायता।

— औद्योगिक सम्भाव्य सर्वेक्षणों हेतु सहायता।

— उद्यमीयता विकास हेतु सहायता।

— प्रबंध विकास हेतु सहायता।

— जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी तथा प्रौद्योगिकी वित्त हेतु सहायता।

— पर्यटन और पर्यटन संबंधी कार्यों, सुविधाओं और सेवाओं हेतु सहायता।

— प्रतिभूति बाजार के विकास एवं निदेशक संरक्षण हेतु सहायता।

— विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमीयता पार्कों हेतु सहायता।

— विभिन्न विषयों में अनुसंधान और अनुसंधानोन्मुख कार्यों के लिए सहायता।

3.03 वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर भाऔविनि द्वारा उपयोग की गई कुल राशि 665.33 लाख रुपये रही। संचयी रूप से 31 मार्च, 1990 तक भाऔविनि ने अपनी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के लिए 3,927.84 लाख रुपये का उपयोग किया। सारणी 16 और 17 में भाऔविनि द्वारा इसकी प्रवर्तन सेवाओं के लिए उपयोग की गई राशि और उसके लिए निधि जुटाने का ब्यौरा दिया गया है :—

सारणी 16 : प्रवर्तन सेवाओं पर भा औ वि नि द्वारा उपयोग की गई राशि

(लाख रुपये)

भा औ वि नि द्वारा सहायता प्रदान की गई सेवाओं का स्वरूप	1989-90 (अप्रैल मार्च) राशि/रुपये		31 मार्च 1990 तक संचयी राशि/रुपये	
(1)	(2)		(3)	
(i) प्रवर्तन योजनायें				
—उप सहायता . . .	47.86		354.62	
—ऋण सहायता	—		23.50	
—उद्यमी विकास कार्यक्रम योजना . .	0.91		0.91	
		48.77		379.03
(ii) औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण				
उद्योग रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये		—	—	9.63
(iii) तकनीकी सलाहकारी संगठनों के लिये सहायता				
—तकनीकी सलाहकारी संगठन . .	7.99		76.74	
—औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका	—	7.99	0.43	77.17

1	2		3	
( ) उद्यमीयता विकास के लिए सहायता				
—उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी	19.31		75.01	
—भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता	—		93.00	
—उद्यमीयता विकास संस्थानों को सहायता	5.19	24.50	20.25	188.26
(v) प्रबन्ध विकास संस्थान की प्रबन्ध विकास गतिविधियों के लिये मदद		214.77		1,060.01
(vi) जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम के माध्यम से जोखिम पूंजी सहायता के लिये मदद		228.00		1,803.23
(vii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के लिये सहायता		125.00		250.00
(viii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता		2.50		18.41
(ix) अनुसन्धान आदि का प्रवर्तन				
—भा० औ० वि० नि० पीठें	3.10		32.25	
—विशेष अनुसन्धान अध्ययन रिपोर्टें आदि	—		10.63	
—इण्डियन इकोनामिक जर्नल को सहायता	—		0.15	
—राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान को सहायता				
—भा० औ० वि० नि अनुसन्धान	0.20	3.30	0.20	43.23
(x) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों के लिये सहायता				
—ग्रामीण विकास पर अन्तराष्ट्रीय प्रतिपादन	—		1.00	
—गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिये अनुसन्धान और सूचना व्यवस्था	—		11.00	
—विश्व आर्थिक कांग्रेस	—		4.00	
—इण्डियन इकोनोमैट्रिक सोसायटी	—		0.50	
—लघु और मध्यम उद्योग विश्व सम्मेलन		1.00	1.00	17.50
(xi) विशेष संगठनों को उहायता				
—गहरा कुआं परियोजना के लिये मुनिगुडा उड़ीसा के 'नई आशा ग्रामीण कुष्ठ रोग न्यास'	—		0.21	
—धारवाड़ (कर्नाटक) के बहु-आयामी विकास अनुसन्धान केन्द्र	9.00		14.00	
—नई दिल्ली का पालिसी ग्रुप (गैर लाभ अर्जक अनुसन्धान संगठन)	—		3.00	
—राष्ट्रीय पब्लिक वित्त तथा नीति संस्थान को सहायता	0.50	9.50	0.50	17.71
(xii) पुनश्चर्या कार्यक्रम और राज्य-स्तरीय संस्थानों को सहायता		—		4.30
(xiii) अन्य (परियोजना के प्रत्यक्ष वित्त के लिये प्रयुक्त)		—		59.36
जोड़		665.33		3,927.84

सारणी–17 : भाऔविनि की प्रवर्तन सेवाओं के लिए वित्तीय स्रोत

(लाख रुपए)

निधि	1989–90 (अप्रैल–मार्च) राशि रु०	31 मार्च, 1990 तक संचयी राशि रु०
	2	3
हितकारी आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32–ख के अधीन भाऔविनि के लाभों से बनाई गई)	238.68	1,068.48
ब्याज अन्तर–अन्य निधियां (भाऔविनि क्रिडितांस्तल्ट फर वाइडरफबऊ, भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच हुए करारों की शर्तों के अधीन के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों के लिए भाऔविनि द्वारा अदा किए गए ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त धन की द्योतक हैं),	426.65	2,859.36
जोड़	665.33	3,927.84

प्रवर्तन योजनाएं

3.04 भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र की विशेष भूमिका है, तथा यह रोजगार–उन्मुख औद्योगिक विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। भाऔविनि ने अपनी प्रवर्तन सेवाओं के शुरू करने के समय से ही ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सहायता सेवाओं में विद्यमान अन्तराल का पता लगाने तथा इसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई अपनी प्रवर्तन योजनाओं द्वारा उस अन्तराल को भरने का सामर्थ्यानुसार प्रयत्न किया है।

3.05 भाऔविनि ने अपने अनुभव से यह महसूस किया कि ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र में विशेषज्ञों की सलाह, परामर्श और विस्तार सेवाओं की उतनी ही आवश्यकता थी, जितनी कि अर्थ–व्यवस्था के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में। लेकिन इस क्षेत्र के पास परियोजना–चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान आवश्यक विशेषज्ञ सलाहकारी परामर्श की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन का अभाव था। अतः, भाऔविनि ने, एक के बाद एक आठ सलाहकारी–शुल्क उपसहायता योजनाएं प्रारम्भ की, जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा प्रायोजित तकनीकी सलाहकारी संगठनों की सहायता से चलाई जा रही हैं। नीचे दी गई योजनाएं काफी हद तक ग्राम एवं लघु उद्योगों के उन क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने में सफल रही हैं, जिनमें कम लागत लेकिन उत्कृष्ट परामर्श तथा संबंधित विस्तार सेवाओं की आवश्यकता है :

— व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए ग्रामीण कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र के लघु उद्यमियों को उप–सहायता योजना।

— पशु पालन, डेरी फार्मिंग, मुर्गी पालन और मछली पकड़ने से संबंधित उद्योगों को सलाहकारी उप–सहायता योजना।

— कृषि, बागवानी, रेशम उद्योग, और मत्स्य पालन पर आधारित या उनसे संबंधित उद्योगों को सलाहकारी उप–सहायता योजना।

— बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण आदि की लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को उप–सहायता योजना।

— लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए उप–सहायता योजना।

— गैर–परम्परागत स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के प्रयोग तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों हेतु सलाहकारी उप–सहायता योजना।

— ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु उप–सहायता।

— सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उप–सहायता योजना।

3.06 इन योजनाओं को ग्राम एवं लघु उद्योग क्षेत्र तक ही सीमित रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि उपयुक्त योजनाओं के अधीन उपलब्ध सुविधाओं पर मध्यम और बड़े क्षेत्र के उद्योगों का अतिक्रमण न हो सके। वर्ष 1989–90 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अधीन सलाहकारी शुल्क उप–सहायता की राशि 44.76 लाख रुपये, और 31 मार्च, 1990 तक संचयी रूप से कुल राशि 303.43 लाख रुपये रही।

3.07 इसके अतिरिक्त, भाऔविनि की चार ब्याज उप–सहायता योजनाएं हैं, जो गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और देश में विकसित प्रौद्योगिकी आदि अपनाने के लिए स्व–नियोजित युवाओं, महिला उद्यमियों तथा ग्राम एवं लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को सकारात्मक प्रोत्साहन देती हैं। राज्य वित्तीय निगमों और/अथवा राज्य वित्तीय निगमों की भूमिका अदा

करने वाले राज्य-स्तरीय संस्थानों के माध्यम से चलाई जा रही ये योजनाएं इस प्रकार हैं :—

— बेरोजगार युवा-व्यक्तियों के स्व-विकास और स्व-नियोजन के लिए ब्याज उप-सहायता योजना ।

— महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप-सहायता योजना ।

— लघु उद्योग क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज-उप सहायता योजना ।

— स्वदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना ।

बेरोजगार युवा व्यक्तियों और महिला उद्यमियों से संबंधित प्रथम दो योजनाओं के परिचालन के लिए राज्य वित्तीय निगमों और/अथवा राज्य वित्तीय निगमों की भूमिका अदा करने वाले राज्य-स्तरीय संस्थानों के अतिरिक्त बैंकों को भी प्राधिकृत किया गया है । वर्ष 1989-90 के लिए उपयुक्त योजनाओं के अधीन संवितरित उप-सहायता 3.10 लाख रुपये और संचयी रूप से मार्च, 1990 के अन्त तक 51.19 लाख रुपये रही ।

3.08 गरीबी और बेरोजगारी से ग्रस्त अर्थव्यवस्था में, रोजगारोन्मुख नियोजन की तुलना में स्व-नियोजन के उपाय निस्संदेह रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर और अधिक प्रभावी साधन हैं । उद्यमीयता विकास के क्षेत्र में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं अनेक सहायक उपाय और योजनाएं हैं, परन्तु जहां तक उद्यमीयता विकास कार्यों का संबंध है, भाऔविनि की प्रवर्तन योजनाओं की निम्नलिखित दो योजनाएं अपने स्वरूप और विषय-वस्तु में बेजोड़ हैं :

— पर्यटन तथा पर्यटन संबंधी कार्यों में उद्यमीयता विकास को प्रोत्साहित करने की योजना ।

— पुनर्स्थापन/पुनर्जीवन की प्रक्रिया से गुजरने वाली संगठित क्षेत्र की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में छंटनी या यौक्तिकीकरण के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों में स्व-नियोजन को प्रोत्साहित करने की योजना ।

3.09 पहली योजना गोवा राज्य में तथा दूसरी योजना मध्य प्रदेश राज्य में परीक्षण के तौर पर चलायी जा रही है । वर्ष के दौरान, मिटकॉन लि० के गोवा केन्द्र के सक्रिय सहयोग से 31 मई, 1989 को मारगाओ में उद्यमियों के लिए एक जागरुकता शिविर का आयोजना किया गया । बाद में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में गोवा, आर्थिक विकास निगम लि० द्वारा चलाए जाने वाले पर्यटन और पर्यटन संबंधी कार्यों से सम्बद्ध क्रियाकलापों पर गहन उद्यमीयता विकास कार्यक्रम के लिए भी अपनी सहमति दी ।

3.10 मध्य प्रदेश में, वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने बुरहानपुर (जिला खंडवा) और ग्वालियर में कपड़ा मिलों में की गई छंटनी के कारण बेरोजगार व्यक्तियों को स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भाऔविनि योजनाओं के अधीन उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दो प्रस्तावों के लिए स्वीकृति प्रदान की । 30 अगस्त, 1989 को बुरहानपुर तथा 01 सितम्बर, 1989 को ग्वालियर में प्रारम्भ किए गए कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए, और वर्ष की समाप्ति पर इन कार्यक्रमों पर अनुवर्ती कार्रवाई चल रही थी ।

3.11 भाऔविनि द्वारा अपनी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के अधीन वर्ष 1989-90 के दौरान और संचयी रूप से मार्च, 1990 के अन्त तक की गई समग्र संवितरित उप-सहायता के ब्यौरे सारणी 18 में दिए गए हैं :

सारणी 18 : भा० औ० वि० नि० द्वारा इसकी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के अधीन संवितरित उप सहायता

(लाख रुपये)

प्रवर्तन योजनाओं के नाम	1989-90 (अप्रैल मार्च) राशि रु०	31 मार्च 1990 तक संचयी राशि रु०
(1)	(2)	(3)
—व्यवहार्यता अध्ययन आदि की लागत को पूरा करने के लिये ग्रामीण कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र, छोटे उद्यमियों को उप-सहायता योजना	32.08	239.69
—पशु पालन, डेरी उद्योग, मुर्गीपालन, मछली पकड़ने से सम्बन्ध उद्योगों को सलाहकारी उप-सहायता योजना	5.41	6.06
—कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन तथा मत्स्य पालन में लगे हुए या इससे सम्बद्ध उद्योगों को सलाहकारी उप-सहायता योजना	3.93	5.57
—सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिये उप-सहायता योजना	0.15	17.10
—बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण की लागत को पूरा करने के लिये नये उद्यमियों को उप-उहायता योजना	1.71	14.31
—ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उप-सहायता योजना	0.20	0.35

(1)	(2)	(3)
—लघु क्षेत्र की इकाइयों को बाजार सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उप-सहायता योजना	0.36	1.09
—अति लघु और लघु क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिय उप-सहायता योजना	—	13.59
—अति लघु लघु और सहायक इकाइयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उप-सहायता योजना	—	4.75
—ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों तथा उर्जा संरक्षण उपायों के उपयोग हेतु सलाहकारी उप-सहायता योजना	0.92	0.92
—बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व-विकास और स्व-वियोजन के लिये ब्याज उप सहायता योजना	0.60	1.02
—महिला उद्यमियों के लिय ब्याज उप-सहायता योजना	2.41	4.73
—देशी तकनीक को ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये ब्याज उप-सहायता योजना	—	45.35
—लघु क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिये ब्याज उप-सहायता योजना	0.09	0.09
—इन-हाउस अनुसन्धान एवं विकास प्रयासों के द्वारा प्रौद्योगिकी विकास के लिये सहायता योजना	—	23.50
—पर्यटन तथा पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये उद्यमी विकास सहायता योजना	0.14	0.14
—रुग्ण इकाइयों में विनियोजन एवं छटनी के फलस्वरूप बेरोजगार लोगों में स्व-नियोजन प्रोत्साहित करने हेतु सहायता योजना	0.77	0.77
जोड़	48.77	379.03

तकनीकी सलाहकारी सेवाओं के लिए सहायता

(क) तकनीकी सलाहकारी संगठन

3.12 भाग्रौविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तित तकनीकी सलाहकारी संगठन छोटे उद्योगों में सब से छोटे और लघु उद्योगों में लघुतम उद्योगों को कम लागत की परन्तु उत्कृष्ट कोटि की सलाहकारी सेवायें उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है । अब तक, 18 तकनीकी सलाहकारी संगठन (कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन सहित) स्थापित किए जा चुके हैं, जो कार्यरत हैं, और जिन्होंने अपनी सलाहकारी सेवाओं के नेटवर्क द्वारा पूरे देश को समाहित किया हुआ है । इनका 75% या उससे अधिक कारोबार केवल ग्रामीण, छोटे और लघु क्षेत्र के (अनुषंगी सहित) औद्योगिक क्षेत्रों में है। इन तकनीकी सलाहकारी संगठनों में से 5 (हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ सहित पंजाब और दिल्ली सहित हरियाणा में एक-एक) संगठनों के लिए भाग्रौविनि अग्रणी संस्था है । ये संगठन एक ही स्थान पर विभिन्न सलाहकारी सेवाओं के पैकेज उपलब्ध कराते हैं तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उद्यमीयता विकास से संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सामान्य सलाहकारी सेवायें तथा उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने कई विशेष कार्य भी किए ।

3.13 उदाहरण के लिए, हिमाचल सलाहकारी संगठन लि० (हिमकॉन) ने विभिन्न तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन, पुनर्स्थापन अध्ययन, आदि के अतिरिक्त बिलासपुर जिले के लिए विभिन्न संकायों में 40 परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में संसारपुर टेरेस में अवस्थापना की उपलब्धता के संबंध में अध्ययन किया । ये अध्ययन हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग निदेशालय द्वारा प्रायोजित किए गए थे । हिमकॉन ने फलों और सब्जियों तथा उन्हें ससाधित करने के लिए बाजार सर्वेक्षण/ अध्ययन भी किया, जो सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा प्रायोजित किया गया था ।

3.14 राजस्थान सलाहकारी संगठन लि० (राजकॉन) ने विभिन्न तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्टें निष्पादित करने के अतिरिक्त, सिरोही जिले में, माउण्ट आबू में विपणन-व-प्रशिक्षण परिसर की स्थापना के लिए सर्वेक्षण किया, जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रायोजित किया गया था । इसने 100 टन प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता वाले सरसों के तेल के दो संयंत्र—पहला अलवर/ धौलपुर/भरतपुर क्षेत्र में तथा दूसरा कोटा/ बून्दी/पाली/जोधपुर क्षेत्र में स्थापित करने के लिए स्थल के चयन से संबंधित रिपोर्टें तैयार कीं । राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि० ने इक्विटी भागीदारी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि० के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के कार्यों का अध्ययन करने के लिए राजकॉन की सेवाओं का लाभ उठाया । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी अपनी प्रौद्योगिकी समावेशन

और अनुकूलन योजना के अधीन विदेशी प्रौद्योगिकी समावेशन और अनुकूलन की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए राजकोष की सेवाओं का भी लाभ उठाया ।

3.15 मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लि० (एमपीकॉन) ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्य निष्पादित करने के अतिरिक्त नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजना के जल-प्लावन क्षेत्र के दायरे में आने वाले गांवों के सभी परिवारों के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कार्य पूरा किया । यह कार्य उसे नर्मदा विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश द्वारा सौंपा गया था । विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली तथा उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर एमपीकॉन ने भारत सरकार द्वारा 1983 में प्रारम्भ की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-नियोजन योजना के मूल्यांकन से संबंधित अध्ययन कार्य भी पूरा किया । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के अनुरोध पर विदेशी प्रौद्योगिकी की रूपरेखा पर, सर्वेक्षण/अध्ययन भी वर्ष के दौरान पूरा किया गया ।

3.16 उत्तर भारत तकनीकी सलाहकारी संगठन लि० (नितकॉन) ने वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादित करने के अतिरिक्त दो ऊर्जा लेखा-परीक्षा अध्ययन, चार पुनर्स्थापन अध्ययन, विभिन्न परियोजनाओं के लिए 63 आधुनिकीकरण अध्ययन किए तथा उद्योग आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली की ओर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर और चण्डीगढ़ के जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों के लिए 'सूचना संबंधी अन्तराल' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ।

3.17 हरियाणा-दिल्ली औद्योगिक सलाहकार लि० (हदीकॉन) ने विभिन्न प्रकार के अनेकों दत्त-कार्य करने के अतिरिक्त वन विभाग, हरियाणा सरकार के अनुरोध पर काष्ठ-आधारित उद्योगों का सर्वेक्षण और उद्योगों के विकास के लिए हरियाणा में औद्योगिक विकास केन्द्रों के स्थल के बारे में सिफारिश करने के लिए एक अन्य सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा प्रवर्तित किए गए थे ।

3.18 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31 मार्च, 1990 तक 18 तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने कुल मिलाकर 4,560 और संचयी रूप से 34,975 कार्यों का निष्पादन किया, जिसका ब्यौरा सारणी 19 में दिया गया है ।

सारणी 19 : सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति का सार

दत्त कार्यों की प्रकृति	पूरे किए गए दत्तकार्यों की संख्या	
	1989-90 (अप्रैल-मार्च)	प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन के आरम्भ से 31 मार्च 1990 तक
(1)	(2)	(3)
I. निवेश-पूर्व सलाहकारी दत्तकार्य		
—व्यवहार्यता, व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट आदि	2,792	16,745
—औद्योगिक संभावना/क्षेत्र विकास सर्वेक्षण	26	510
—बाजार सर्वेक्षण	137	748
—परियोजना रूपरेखा	779	9,480
—प्रारम्भिक तथ्य निरूपण अध्ययन	8	129
—मूल्यांकन	36	1,065
—अन्य	259	2,389
उप-जोड़ (I)	4,037	31,066
II. निवेश-पश्चात सलाहकारी दत्तकार्य		
—निदानात्मक अध्ययन	124	1,049
—रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन	47	531
—अन्य	151	1,138
उप-जोड़ II	322	2,718
III. इंजीनियरी दत्तकार्य/कार्यात्मक औद्योगिक काम्पलेक्स आदि	6	69
IV. उद्यमीयता विकास कार्यक्रम	195	1,122
कुल जोड़ (I+II+III+IV)	4,560	34,975

3.19 वर्ष के दौरान भाऔविनि का जोर इसके अग्रणी दायित्व के अधीन तकनीकी सलाहकारी संगठनों की सेवाओं के गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न पहलुओं को सुधारने, उनके कारोबार-मिश्र के विविध रूपों के लिए वरीयता क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने, उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और काय-नियोजन के बीच में आपसी संबंध स्थापित करने और उनको संगठनात्मक रूप से सशक्त करने और कम्प्यूटर हार्डवेयर के अधिग्रहण के लिए उन्हें निधि-सहायता देने पर रहा ।

(ख) औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका

3.20 भाऔवि बैंक अग्रणी दायित्व में विभिन्न अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदाताओं की एक नामिका बनाए रखी, और उसे औद्योगिक परामर्शदाता निर्देशिका में सूचीबद्ध करते रहे । वर्ष 1989-90 के दौरान 76 नए परामर्शदाताओं को इस सूची में शामिल किया गया । इससे 31 मार्च, 1990 तक संस्थानों द्वारा सूची में शामिल किए गए परामर्शदाताओं की कुल संख्या 893 हो गई । इस प्रकार औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका देश में उपलब्ध तकनीकी, औद्योगिक एवं प्रबंध परामर्श सेवाओं के बारे में बहुमूल्य मार्गदर्शन करती रही ।

औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षणों के लिए सहायता

3.21 संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त परियोजना अवसरों का अभिनिर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य है । भाऔविनि विनिर्दिष्ट जिलों, विशेषकर सरकार द्वारा घोषित उद्योग-रहित/ विशेष क्षेत्र जिलों की औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण की लागत को, जहां कहीं आवश्यक हो, अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ अपनी हिस्सेदारी देकर इस कार्य में सहायता देता रहा है । वर्ष के दौरान, अन्य वित्तीय संस्थानों को सहयोग से भाऔविनि पंजाब सरकार द्वारा चुने गए चार जिलों में औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण के लिए पंजाब राज्य सरकार के साथ 50 : 50 आधार पर निधिकृत करने के लिए सहमत हुआ । आशा है, कि इन सर्वेक्षणों में चुने गए जिलों में

उद्योग की वित्तीय स्थिति का अध्ययन, उपलब्ध अवस्थापनात्मक सुविधाएं और वे संसाधन जिनको विकसित किए जाने की आवश्यकता है, की संभाव्यता के अतिरिक्त औद्योगिक संभाव्यता/व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए तय किए गए स्थलों के बारे में भी सुझाव सम्मिलित किए जाएंगे। यह सर्वेक्षण उत्तर भारत तकनीकी सलाहकार संगठन लि० (नितकॉन) द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार भाऔविनि हरियाणा राज्य में कृषि एवं खाद्य संसाधन उद्योगों की संभाव्यता पर एकीकृत अध्ययन हेतु धन प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य के हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के साथ 50:50 आधार पर भी सहमत हो गया है। यह अध्ययन हरियाणा-दिल्ली औद्योगिक परामर्शदाता लि० (हरदी-कॉन) द्वारा किया जाएगा, और आशा है कि इसके अन्तर्गत आगामी दस वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य में उपलब्ध विभिन्न कृषि संसाधनों अर्थात खाद्यान्न, नकदी फसल, रेशम उत्पाद, कृषि छीजन, आदि के निरूपण, कृषि और खाद्य-संसाधन उद्योग की वर्तमान स्थिति को विस्तारपूर्वक निरूपित किया जाएगा, और ऐसे 25 से 30 उत्पादों पर आधारित भावी संभावनाओं पर अमल के लिए सिफारिशें की जायेंगी।

उद्यमीयता विकास हेतु सहायता

3.22 भौतिक संसाधनों को उत्पादनशील रूप में काम में लाने के लिए सक्षम उद्यमियों की भूमिका स्वयं सिद्ध है तथा इस पर जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। गरीबी तथा बेरोजगारी से ग्रस्त देश में जहां कहीं भी उद्यमीयता का अभाव हो, उसे काफी तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि उद्यम स्थापित करने के क्रियाकलापों के माध्यम से स्व-रोजगार तथा नए रोजगार की व्यवस्था हो सके। भाऔविनि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी करके उद्यमीयता करके उद्यमीयता विकास के कार्य में सहायता कर रहा है, और शीर्ष तथा राज्य दोनों स्तरों पर, इस क्षेत्र में संस्थानात्मक अवस्थापना स्थापित करने में भी मदद कर रहा है।

3.23 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔवि बैंक और भाऔसानिनि के साथ मिलकर भाऔविनि ने 256 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को सहायता दी, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों के लिए 87 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम सम्मिलित थे। वर्ष के दौरान किए गए उद्यमीयता विकास कार्यक्रम सामान्य तथा विशिष्ट लक्ष्य-समूहों, अर्थात महिला, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, ग्रामीण/आदिवासी, आदि, दोनों के लिए थे। मार्च, 1990 की समाप्ति तक, भाऔविनि ने स्वयं तथा भाऔवि बैंक और भाऔसानिनि के साथ मिलकर 1,457 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को निधि सहायता उपलब्ध करवाई/करवाने के लिए सहमत हुआ था जिससे कि 42,700 भावी उद्यमियों को लाभ हुआ/होना था।

3.24 31 मार्च, 1990 तक उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी करने के लिए भाऔविनि द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि सहायता की कुल राशि 75.01 लाख रुपये थी, जिसमें से 19.31 लाख रुपये की राशि समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 1989-90 में प्रदान की गई।

3.25 उद्यमीयता विकास के लिए संस्थानात्मक अवस्थापना के क्षेत्र में देश में अब शीर्ष स्तर पर भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान और राष्ट्रीय उद्यमीयता एवं लघु कारोबार विकास संस्थान और राज्य स्तर पर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, और मध्य प्रदेश में उद्यमीयता विकास संस्थान/केन्द्र हैं। वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गोवा में स्थापित एक "प्रशिक्षण-एवं-ईडीपी केन्द्र" ने काम करना शुरु किया। वर्ष के अन्त में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा में प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र स्थापित करने की दिशा में प्रयत्नशील था।

3.26 शीर्ष स्तर के संस्थानों में भाऔविबैंक, भाऔविनि, भाऔसानिनि और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रवर्तित भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने अपनी स्थापना के चार वर्षों के दौरान 32 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम किए, जिसमें से 10 प्रदर्शन उद्यमीयता विकास कार्यक्रम, 12 सामान्य उद्यमीयता विकास कार्यक्रम और 10 विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमीयता विकास कार्यक्रम थे। भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने अपने प्रत्यायित प्रशिक्षकों के लिए कई पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों सहित प्रशिक्षकों के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम, देश में विभिन्न राज्यों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमीयता विकास कार्य में लगे हुए विभिन्न संगठनों के अधिकारियों और स्टॉफ के लिए ई०डी०पी० बोध, जागरूकता, उन्मुखता और अन्य अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। नए बाजार की खोज के सिलसिले में भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने पहली बार उन उद्यमियों के लिए एक अन्तर-उद्यमीयता कार्यक्रम आयोजित किया जो चार साल पहले इसके द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, और अब विकास और कारोबार विस्तार के दबावों और तनावों का अनुभव कर रहे थे। वर्ष के दौरान भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने उड़ीसा राज्य के धेनकनाल जिला के जोरान्डा ग्राम में एक ग्रामीण उद्यमीयता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस प्रक्रिया में भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने अपने ग्रामीण उद्यमीयता विकास कार्यक्रम मॉडल का परीक्षण भी किया, जिसे पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के इकौना गांव में विकसित किया गया था। अब इस मॉडल की प्रतिकृति को कर्नाटक राज्य में ले जाने का प्रस्ताव है। उद्यमीयता विकास कार्यक्रम को आयोजित करने वाली एजेंसियों के नेटवर्क को विस्तृत करने के लिए, विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने वर्ष के दौरान स्वैच्छिक संगठनों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने लघु उद्यमों के विकास को प्रभावित करने वाले पहलुओं के निरूपण, उद्यमियों के रुप में भूतपूर्व सैनिकों की संभाव्यता, प्रथम पीढ़ी की महिला उद्यमियों की समस्याओं और बैंक के प्रबंधकों तथा उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अध्ययन पर अनुसंधानात्मक अध्ययन पूरे किए। अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों में भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने स्थानीय उद्यमियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से व्यवहार्यता अध्ययन के लिए चीन का दौरा किया। इसने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपयोग के लिए उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया। प्रशिक्षकों के

रूप में प्रेरणा प्रदान करने से संबंधित प्रशिक्षण के लिए दो विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमण्डल सदस्य देशों के लिए आयोजित किए गए, और अफ्रीका एवं प्रशांत के बहुत से देशों में उद्यमीयता विकास विषयक मामलों में सहायता उपलब्ध करवाई गई ।

3.27 उद्यमीयता विकास के लिए राज्य स्तरीय संस्थान/केन्द्र प्रारंभिक स्तर पर उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित करते रहे, और उद्यमीयता विकास कार्यक्रम में लगे हुए विभिन्न राज्य और जिला स्तर के संगठनों को मानव संसाधन संबंधी सहायता उपलब्ध करवाते रहे । 31 मार्च, 1990 तक उद्यमीयता विकास संस्थान—उत्तर प्रदेश ने 21 उद्यमीयता जागरुकता कार्यक्रम, 16 समर्थन प्रणाली कार्यक्रम तथा अनेक संगोष्ठियां, कार्यक्रम और सम्मेलनों के अतिरिक्त 51 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें 1,864 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया । इसने लघु क्षेत्र के लिए निर्यात विपणन और टर्न–अराउन्ड नीति पर कार्यशालाएं भी आयोजित की । उद्यमीयता विकास संस्थान—उड़ीसा ने 31 मार्च, 1990 तक 45 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जिससे 1,393 प्रशिक्षार्थियों को लाभ हुआ । इसने 17 प्रबंध विकास कार्यक्रम और 6 उद्यमीयता जागरुकता शिविर, एसइयूबाई लाभभोगियों हेतु 15 कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्रों/राज्य वित्तीय निगमों के ऋणियों के लिए 13 कार्यक्रम, 6 सेमिनार तथा कार्यशालाएं भी आयोजित किए । उद्यमीयता विकास संस्थान—बिहार ने 31 मार्च, 1990 तक 21 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे 806 भागीदारों ने लाभ उठाया, और इसने समीक्षाधीन अवधि के दौरान दो उद्यमीयता बैठकें भी आयोजित कीं । उद्यमीयता विकास संस्थान—बिहार ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पांच जिलों के लिए एक नयी उदार संकल्पना का प्रारम्भ किया, जो कि वास्तव में ब्लॉक स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए ऊर्जा और दक्षता के उत्पादक उपयोग के लिए उद्यमीय अवसर प्रदान करने के लिए एक पैकेज कार्यक्रम है । इसने पूर्णिया (बिहार) में एक पायलट परियोजना भी प्रारम्भ की, जिसके अन्तर्गत 10 ब्लॉकों के 1,500 भागीदारों को विभिन्न उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक मदों के हिस्से-पुर्जे जोड़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा । वर्ष के दौरान उद्यमीयता विकास केन्द्र—मध्य प्रदेश ने 17 ईडीपी की व्यवस्था करके एक अच्छी शुरुआत की । उद्यमीयता विकास केन्द्र—मध्य प्रदेश ने उद्योग विभाग मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों और स्टॉफ के लिए भी अल्पावधि का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया । गोआ के प्रशिक्षण-एवं-उद्यमीयता विकास केन्द्र के लिए भी एक कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई ।

प्रबंध विकास के लिए सहायता

3.28 प्रबंध विकास के लिए भाऔविनि की सहायता इसके द्वारा 1973 में प्रवर्तित प्रबंध विकास संस्थान के माध्यम से जारी रही, जिसका कि एक मात्र लक्ष्य उद्योग के निजी, सरकारी, संयुक्त या सहकारी क्षेत्रों के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में वाणिज्य और विकास बैंकों में कार्यरत प्रबंधकों की प्रबंधकीय योग्यताओं और प्रबंधकीय दक्षताओं को विकसित और उन्नत करना है । अनुसंधान और सलाहकारी सेवा सहित औद्योगिक प्रबंध और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण की अनुपम सुविधा के साथ संचालित प्रबंध विकास कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में प्रबंध विकास संस्थान की अपनी विशिष्टता बनी रही ।

3.29 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंध विकास संस्थान ने विभिन्न संकायों के लिए 89 प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे कुल 1,788 भागीदारों ने लाभ उठाया । इन कार्यक्रमों में अन्य क्रियाकलापों के साथ-साथ गुड़गांव के कार्यरत उद्यमियों के लिए दक्षता प्रवर्द्धन कार्यक्रम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि० के लिए प्रबंधक-वर्ग और मजदूर संघों के बीच पारस्परिक सामंजस्य कार्यक्रम, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा प्रवर्तित विकास बैंकिंग और संस्थानात्मक ऋणों पर कार्यक्रम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए सामान्य प्रबंध कार्यक्रम नेपाल अरब बैंक लि०, काठमांडू के लिए प्रबंधकीय प्रभावशीलता पर कार्यक्रम के अलावा देश के विभिन्न संगठनों के लिए 43 इन-कम्पनी कार्यक्रम शामिल थे । 31 मार्च, 1990 तक समग्र रूप से प्रबंध विकास संस्थान ने 1 018 प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित किए जिससे 23,772 भागीदारों को लाभ हुआ, जिनमें से 542 अन्य विकासशील देशों से थे ।

3.30 वर्ष के दौरान, प्रबंध विकास संस्थान ने भारतीय प्रशासनिक सेवा/ग्रुप 'क' सेवाओं के सरकारी अधिकारियों तथा उच्च पदों को ग्रहण करने की क्षमता रखने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के अधिकारियों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित 15 माह का प्रथम राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया । 28 सितम्बर, 1989 को प्रथम राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम का दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें दीक्षांत भाषण तत्कालीन गृह कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम् ने दिया । सरकार तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों से 45 भागीदारों वाला राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम का दूसरा पाठ्यक्रम पहली जुलाई, 1989 से प्रारम्भ हुआ । मार्च 1990 के अन्त तक प्रबंध विकास संस्थान ने दूसरे राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम के तीन सत्र सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे, और पहली जुलाई, 1990 से प्रारम्भ होने वाले तीसरे राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी । यह अत्यधिक संतोष की बात है कि भारत सरकार ने इस कार्यक्रम में सफल भागीदारों के पद-स्थापन के संबंध में उनके इस प्रशिक्षण को विशेष रूप से ध्यान में रखने का निर्णय लिया है जिससे कि वे जिन संगठनों में सेवा करें, वहां इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त गहन प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि में अपनी सर्वोत्तम प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें ।

3.31 वर्ष के दौरान प्रबंध विकास संस्थान द्वारा परामर्श और अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास किया गया । इसने वर्ष 1989–90 में कुछ विशिष्ट दल-कार्य पूरे किए जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ 'प्रशिक्षण के माध्यम से लघु उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित), "राजस्थान वित्तीय निगम के लिए संगठनात्मक विकास का अध्ययन", "अन्तर-फर्म तुलना-निगमित अनुवर्तन के लिए डाटा प्रणाली की शुरुआत" (भाऔविबैंक

द्वारा प्रवर्तित) और एप्पल इण्डिया प्रोजेक्ट (अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा सरकार द्वारा प्रवर्तित) से संबंधित थे ।

3.32 "प्रबंधकीय नेतृत्व" विषय पर प्रबंध विकास संस्थान का स्थापना-दिवस व्याख्यान इसके अपने सभागार में 9 नवम्बर, 1989 को टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० के अध्यक्ष श्री रूसी मोदी ने दिया । अपने भाषण में श्री मोदी ने प्रबंध में व्यवहार संबंधी विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया, और प्रबंधकीय नेतृत्व की सफलता के लिए छ "सी" अर्थात् "कैरेक्टर" (चरित्र), "क्रैडिबिलिटी" (विश्वसनीयता) "करेज" (साहस), "कम्पैशन" (सहानुभूति), "कन्सिडरेशन" (विचार,) और "कर्टसी" (शिष्टाचार) को महत्वपूर्ण बताया । उन्होंने सुझाव दिया, कि भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण के अन्तर्गत प्रबंध संबंधी बाह्य संकल्पनाएं तब तक उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती, जब तक कि स्थानीय दशाओं के अनुरूप उनका देशीकरण न कर दिया जाए ।

3.33 1990—92 के तीन वर्षों के लिए प्रबंध विकास संस्थान की कार्य-योजना का लक्ष्य न केवल संस्थान को एक सशक्त अनुसंधान, सलाहकारी और शैक्षिक आधार वाली अग्रणीय संस्था के रूप में विकसित करना है, अपितु कुछ उपयोगी क्षेत्रों, अर्थात् वित्त और विकास बैंकिंग, संगठनात्मक व्यवहार और प्रणाली, विकास, औद्योगिक संबंध, कम्प्यूटर विज्ञान और कारोबार नीति पर जोर देते हुए परिमाणात्मक अनुप्रयोग तक अपने को सीमित रख कर अपनी एक विशिष्ठ छवि कायम करना है । भारत में संगठनों के प्रबन्ध की गहन समझ-बूझ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबन्ध विकास संस्थान ने अनुसंधान कार्य के लिए तीन क्षेत्रों का निर्धारण किया है । ये हैं प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से निरूपित उन विकासशील संगठनों का गहन संगठनात्मक अध्ययन, जिन्होंने कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, नेतृत्व शैलियां और अग्रणी आधार पर भारतीय संगठनों का व्यवहार, तथा व्यापक पैमाने पर विभिन्न मामलों के अध्ययन के माध्यम से नवोदित उद्यमों को सीख देने के उद्देश्यों से उद्यमों की असफलता के बारे में अध्ययन ।

3.34 वर्ष 1989—90 में भाऔविनि की सामान्य निधियों से 5 लाख रुपये के वार्षिक अंशदान के अतिरिक्त प्रबन्ध विकास संस्थान को भाऔविनि ने 214.77 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की । वर्ष के दौरान सहायता के रूप में प्रबन्ध विकास संस्थान की निकाय निधि में 100 लाख रुपये का विशेष अंशदान भी दिया गया । 31 मार्च 1990 तक समग्र रूप से भाऔविनि द्वारा हितकारी आरक्षित निधि और ब्याज अन्तरजन्य निधियों से 1,060.01 लाख रूपये और अपनी सामान्य निधियों से 85 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रबन्ध विकास संस्थान को उपलब्ध कराई जा चुकी थी ।

3.35 वर्ष के दौरान श्री डी० एन० घोष (भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक) ने दिनांक 16 जून, 1989 से प्रबन्ध विकास संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया । श्री एस० बी० बुद्धिराजा (भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन आक्सीजन लि०, कलकत्ता) ने दिनांक 1 जनवरी, 1990 से प्रबन्ध विकास संस्थान के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया ।

असम प्रबन्ध तथा लेखा-विधि संस्थान को अनुदान

3.36 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने असम प्रबन्ध तथा लेखा-विधि संस्थान (असम सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रायोजित संस्थान) को अपने पुस्तकालय के संवर्धन/पर्सनल कम्प्युटर/शैक्षिक उपकरण आदि प्राप्त करने के लिए एक लाख रुपये का अनुदान दिया । एक बार के लिए दिया गया अनुदान भाऔविनि का सामान्य निधि से था ।

जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के लिए सहायता

3.37 जबकि उद्यमीय आधार को विस्तृत करने जोखिम पूंजी सहायता का अपना महत्व है, प्रौद्योगिकीय आधार को सुधारने के लिए उद्यम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के रूप में सहायता भी उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण है । जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० संभवतः अपने ढंग का एक मात्र संस्थान है जो कि नई संकल्पना वाले उद्यमियों और टैक्नोक्रेटों को उनकी प्रौद्योगिकी की दशा में उन्मुख उद्योगों के लिए जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त, दोनों एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है ।

3.38 जोखिम पूंजी सहायता के क्षेत्र में जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० ने पहले के जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के उत्तराधिकारी के रूप में वर्ष 1989—90 के दौरान 25 परियोजनाओं के 38 प्रवर्तकों को 401.75 लाख रुपये की सहायता मंजूर की । इनमें से अधिकांश परियोजनाएं या तो नई प्रौद्योगिकी या नए उत्पादों या नए किस्म के उपयोगों पर आधारित थी । इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ एन्टीबॉयटिक औषधियों, टामाटो पेस्ट, रेडियो पेजिंग सिस्टम, पे फोन्स, कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स, ग्रेनाईट एण्ड मार्बल प्रोसेसिंग मशीनरी, पालिमर कंक्रीट उत्पाद आदि के उत्पादन शामिल थे । 1976 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के प्रारंभ होने से 31 मार्च, 1990 तक जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड ने संचयी रूप से 331 प्रवर्तकों को उनकी 199 परियोजनाओं के लिए 2,557.73 लाख रुपये की सहायता की मंजुरी प्रदान की थी । इन मंजूरियों में से 302 प्रवर्तकों को उनकी 177 परियोजनाओं के लिए 2,175.23 लाख रूपये का संवितरण किया गया था ।

3.39 जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० के समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अपनी प्रौद्योगिकी वित्त एवं विकास योजना के अंतर्गत, उच्च जोखिम प्रौद्योगिकी—उन्मुख 13 परियोजनाओं को ऋणों और जोखिम पूंजी के रूप में 819 लाख रुपये की कुल सहायता मंजुर की । वित्तपोषित परियोजनाओं के अन्य मदों के साथ-साथ वे परियोजनाएं भी शामिल हैं, जो त्रिआयामी कम्प्यूटर एनीमेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए साफ्टवेयर, डिजिटाइजड फान्टस, डिजिटाइजर्स एजुकेशनल रोबोट, थिन फिल्म कम्पोजिट मेम्ब्रेन्स, हाइब्रिड सीड्स, हैक्साक्लोरो-साईक्लोपेन्टाडाइन और टिशू कल्च

प्लांटलेट्स आदि के विकास से सम्बन्धित है। समग्र रूप से जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम 31 मार्च, 1990 तक अपनी प्रौद्योगिकी विकास योजना के अन्तर्गत 943.85 लाख रुपये की सहायता मंजूर कर चुका था जिसमें से 71.60 लाख रूपये का संवितरण हुआ। वर्ष 1990-91 के दौरान संवितरणों में काफी वृद्धि की संभावना है।

3.40 जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० ने अपनी निगमित नीति के भाग के रूप में सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी विकास एवं नए किस्म के कार्य में लगी औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता जारी रखने का और उन योजनाओं को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया जो कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार सम्बन्धी कार्य को सुविधाजनक बना सके। योजना के अधीन प्रौद्योगिकी विकास में अब न केवल नई और नए किस्म की प्रौद्योगिकी ही शामिल है, बल्कि नए उत्पाद, नए उपयोग, आदि भी शामिल है। इसी प्रकार, योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता के अधीन आयातित प्रौद्योगिकी के विलयन और उपयोग के उन मामलों पर विचार किया जा सकता है, जिनका महत्वपूर्ण आनुषंगिक प्रभाव हो, और/अथवा जिनमें महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण का विकास निहित हो। जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए इस बात पर भी सहमति हुई है, कि इसकी गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से इक्विटी और बांड निर्गम दोनों का मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाए। भाआवित्रि ने जोखिम पूंजी निधि के लिए प्रारम्भ में 50 करोड़ रूपये जुटाने का भी निर्णय लिया है, जिसे जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० के माध्यम से चलाए जाने का प्रस्ताव है।

3.41 जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिक वित्त निगम को अब तक समग्र वित्तीय सहायता भाआवित्रि द्वारा उपलब्ध कराई गई है। 31 मार्च 1990 तक भाआवित्रि, जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिक वित्त निगम लि० को अपनी सामान्य निधियों से ब्याज सहित ऋणों की व्यवस्था और 322 लाख रुपये इसकी शेयर पूंजी में अभिदान करने के अतिरिक्त, अपनी हितकारी आरक्षित निधि तथा ब्याज अन्तरजन्य निधियों में से 1,803.23 लाख रूपये की राशि संवितरित कर चुका था।

पर्यटन, पर्यटन सम्बन्धी कार्यों सुविधाओं और सेवाओं के लिए सहायता

3.42 पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो इसकी विदेशी मुद्रा आय में उल्लेखनीय योगदान देता है। वर्ष 1988-89 के दौरान, पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय 2,100 करोड़ रुपये से अधिक थी जिससे यह अकेला सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक उद्योग बन गया था। पर्यटन से प्राप्त होने वाले अन्य प्रमुख लाभ हैं—बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर, पर्यटन का आकर्षण रखने वाले अल्प विकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों से निधि का आगम, देशीय पर्यटन के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण, 1990 के दशक में भारत को पर्यटन गन्तव्य के रूप में प्रस्तुत करके बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव उत्पन्न करना, आदि।

3.43 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, कि भारत सरकार द्वारा भाआवित्रि को पर्यटन, और पर्यटन सम्बन्धी कार्यों के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय एजेंसी के रूप में घोषित किया गया था। पर्यटन वित्तपोषण की गति को बढ़ाने के प्रयास में भाआवित्रि ने अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों के सहयोग से भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० का प्रवर्तन किया, जो पहली फरवरी, 1989 से कार्यरत हो गया था। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि०, जिसे विशेष अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है, पर्यटन उद्योग की स्थापना और/अथवा पर्यटन के विकास, पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों, सुविधाओं और सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इससे यह भी आशा की जाती है कि पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश और नीति बनाने में सहायता देने तथा समन्वय का कार्य करे, और सरकार की समग्र नीतियों के अन्तर्गत विकासात्मक भूमिका अदा करे।

3.44 भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० ने अपने क्रियाकलाप के पहले ही वर्ष में 39 परियोजनाओं को 52.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की, जिनमें होटल और रेस्तरां परियोजनाओं के अतिरिक्त, मनोरंजन पार्कों, किराये पर उपलब्ध कराने के लिए कार एजेंसियों, अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए नौकाओं, आदि से संबंधित परियोजनाएं भी शामिल हैं। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० से वित्तपोषित परियोजनाओं द्वारा 264.79 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाए जाने की संभावना है, और उम्मीद है, कि इससे लगभग 5,100 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० द्वारा वित्तपोषित होटल परियोजनाओं से होटल उद्योग की क्षमता में लगभग 2,800 कमरों की वृद्धि होने की आशा है। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० के कार्यों के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है, कि 39 में से 15 परियोजनाएं ऐसी हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में पहली बार कदम रखने वाले नए उद्यमियों द्वारा विन्यापित की गई हैं। आशा है कि आगामी वर्षों में भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० देश में पर्यटन परियोजनाओं के संवर्धन एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ होगा, जिससे 1990 के दशक में विदेशों में भारत को पर्यटन के लिए गंतव्य-स्थान के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

3.45 भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये है जिसमें से 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक प्रदत्त शेयर पूंजी की व्यवस्था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक संस्थाएं भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा की गई है। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० ने, पर्यटन को बढ़ावा देने में अपनी

भूमिका को और अधिक प्रभावशाली ढंग से निभाने के उद्देश्य के लिए बाजार उधार आवंटन द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु सरकार से सहायता निधि प्राप्त करने के लिए भी सरकार से सम्पर्क किया है।

3.46 31 मार्च, 1990 को समाप्त अवधि के दौरान भारतीय पर्यटन वित्त निगम की वित्तीय स्थिति काफी संतोषप्रद रही। इसने 19 परियोजनाओं को 12.76 करोड़ रुपये का संवितरण किया तथा कर पूर्व 507 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया। कर अदा करने के बाद निवल लाभ 429 लाख रुपये था।

भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड को सहायता

3.47 प्रतिभूति बाजार के सुव्यवस्थित एवं स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त निवेशक हित संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने सांविधिक शीर्ष बोर्ड स्थापित किए जाने तक, अन्तरिम उपाय के रूप में वित्त मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का गठन किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को सांविधिक प्राधिकार प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधेयक संसद में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर पहले से ही कार्रवाई शुरू है। इस दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की प्रारंभिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाऔविनि ने निवेश बैंकिंग कार्य करने वाले अन्य वित्तीय एवं निवेश संस्थाओं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ मिलकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड निकाय को अंशदान दिया, जिसमें भाऔविनि का 250 लाख रुपये का अपना योगदान है। उपर्युक्त अंशदान की पूरी अदायगी हो चुकी है—1989-90 में 125 लाख रुपये का अंशदान किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता

3.48 भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजना के अनुसरण में सभी भारतीय वित्तीय संस्थान "विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों" (स्टेप) की स्थापना में सहायता प्रदान करते रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों का उद्देश्य एक ओर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/संस्थानों तथा दूसरी ओर उद्योग के बीच सतत् पारस्परिक सम्पर्क कायम करना है, ताकि उस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों इंजीनियरों को उनके प्रथम विकल्प के रूप में उद्यमीयता को आजीविका बनाने के लिए अवसर मिल सके। सामान्यत: इंजीनियरिंग कालेजों/विश्वविद्यालयों, तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों में या उनके आसपास स्थित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क उनके अनुसंधान कार्यों को विशेष औद्योगिक उत्पादों/प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। और इस प्रकार देश में ही स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास एवं उन्नयन को बढ़ावा देने में सहायता देते हैं।

3.49 भाऔविनि ने, अब तक अन्य संस्थानों के साथ संयुक्त रूप में सात विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए निधियां जुटाने में भाग लिया है। ये इस प्रकार हैं :—

— बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी—स्टेप (बीआईटी-स्टेप), रांची, बिहार।
— जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग रसायन पार्क (जेएलएनईसीपी), बम्बई, महाराष्ट्र।
— क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज-स्टेप (आरईसी-स्टेप) तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु।
— हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान—स्टेप (एचबीटीआई—स्टेप), कानपुर, उत्तर प्रदेश।
— श्री जयचामराजेन्द्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग—स्टेप (एसजेसीई—स्टेप), मैसूर, कर्नाटक।
— गुरू नानक इंजीनियरिंग कॉलेज—स्टेप (जीएनईसी—स्टेप), लुधियाना, पंजाब।
— मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नालाजी—स्टेप (एमएसीटी—स्टेप), भोपाल, मध्य प्रदेश।

3.50 बीआईटी—स्टेप, रांची में मुख्य रूप से औद्योगिक उपकरण एवं नियंत्रण पद्धतियों, इस्पात एवं कोयला उद्योग के लिए स्वदेशी उपस्कर के विकास पर जोर दिया जाता है। बीआईटी—स्टेप में 37 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमियों के कार्यरत रहने के परिणामस्वरूप अब तक 25 उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 1889-90 के दौरान ऊँचे सिरे वाले ईंधन तथा सौर-तापीय उपायों में सुधार लाने तथा उन्हें विकसित करने की दृष्टि से बीआईटी—स्टेप ने अपने अनुसंधान के क्षेत्र का विकास किया। आरईसी—स्टेप, जहां कि विद्युत उपस्करों, चिकित्सीय उपयोगों के लिए उच्च-तकनीकी पेंटों और मध्यम अभियांत्रिक उद्योगों से सम्बद्ध तकनीकों के विकास पर बल दिया जाता रहा है, के सहयोग से 24 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमियों ने अपनी उत्पादन इकाई स्थापित की। वर्ष 1989-90 के दौरान टीआरईसी—स्टेप ने भी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास तथा अलौह मशीनरी में परामर्शी सेवाएं प्रदान की। इलेक्ट्रॉनिकी और उपकरणों में प्रमुख रूप से विशेषज्ञता रखने वाले एसजेसीई—स्टेप ने 8 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमियों को अपनी इकाईयों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने में सहायता दी। इसने उद्यमियों और उद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार सूचना प्रदान करने के लिए डाटा बेस तथा सूचना केन्द्र भी स्थापित किया है। यद्यपि शेष चार स्टेपों की परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन के अधीन हैं, तथापि वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कार्मिकों के अनुसंधान कार्य तथा उद्यमकर्ता विकास में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। एचबीटीआई—स्टेप के छात्र-प्रशिक्षणार्थियों ने सफलतापूर्वक वाशिंग मशीन के प्रोटोटाइप तथा एफआरपी (फाइबर-रिइन्फोर्स्ड पालिमर्स) से बनी कूलर बाडी, विनायल इस्टर रेसिन्स को विशेष श्रेणी, मौल्डिंग से बनी फाइबर रिइन्फोर्स्ड स्नान गाइडों, फिल्मों और ग्रेवेअर मुद्रण प्रणाली के लिए मुद्रण की स्याही, आदि, की विशेष किस्मों को विकसित किया है। जेएलएनईसीपी—स्टेप कुछ ऐसी चुनी हुई औषधियों की परियोजना की प्रोफाइल बना रहा है जिन्हें इस समय विदेश से आयात किया जाता है। वर्ष के दौरान जेएलएनईसीपी—स्टेप ने "शुष्क जलवायु में फसल उगाने में पालिमरों के उपयोग में आधुनिक विकास" पर कार्यशाला और "रासायनिक उद्योग" पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। जीएनईसी—स्टेप

सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिकी नियंत्रण और मशीन संयंत्र अतिरिक्त उपकरणों के विशिष्ट क्षेत्र में काम कर रहा है। एमएसीटी-स्टेप इलेक्ट्रॉनिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी से सम्बद्ध विशिष्ट क्षेत्र में कार्यरत है। वर्ष के दौरान इसने "संस्थान-उद्योग सम्बन्ध कक्ष" की भी स्थापना की है।

3.51 31 मार्च, 1990 तक मंजूरियों के रूप में स्टेप्स को भाऔविनि द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि-सहायता 18.41 लाख रुपए रही जिसमें से 2.50 लाख रुपये वर्ष 1989-90 में प्रदान किए गए।

विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान तथा अन्य अनुसंधान-उन्मुख गतिविधियों के लिए सहायता

(क) भाऔविनि पीठें

3.52 औद्योगिक प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध, औद्योगिक वित्त, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भाऔविनि ने निम्नलिखित छः पीठों की स्थापना की है—भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी तथा मद्रास विश्व-विद्यालयों प्रत्येक में एक-एक।

3.53 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, उपर्युक्त पीठों के तत्वाधान में निम्नलिखित वार्षिक भाऔविनि सार्वजनिक व्याख्यान दिए गए :—

—उद्यम पूंजी : भारत में समस्याएं और सम्भावनाएं
—प्रो० एस० सी० कुच्छल, दिल्ली विश्वविद्यालय

—तमिलनाडु में उद्यमियता विकास
—डा० एन० पी० श्रीनिवासन, मद्रास विश्वविद्यालय

—भारत में विकास नियोजन – कुछ विचार
—डा० आर० एम० सबनीस, बम्बई विश्वविद्यालय

3.54 इसके अतिरिक्त, बम्बई, मद्रास, गुवाहाटी और दिल्ली विश्वविद्यालयों में भाऔविनि पीठों के अधीन वित्त एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य जारी रहा। लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद की पीठें वर्ष भर खाली रहीं।

3.55 अहमदाबाद और दिल्ली की पीठों का भाऔविनि की सहायता-वृत्ति अनुदान के रूप में तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गुवाहाटी की पीठों को वार्षिक अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्ष के दौरान, वार्षिक अनुदान की राशि बम्बई विश्वविद्यालय की पीठ के लिए एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये वार्षिक तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय की पीठ के लिए 66,000/- रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये वार्षिक कर दी गई। मार्च, 1990 के अन्त तक पीठों को वृत्ति अनुदान के रूप में 32.25 लाख रुपये की कुल निधि-सहायता दी जा चुकी थी।

(ख) भाऔविनि अनुसंधान छात्रवृत्तियां

3.56 बैंकिंग, उद्यमीयता विकास, औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और वित्तीय प्रबन्ध, पर्यटन प्रबन्ध और पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र में डाक्टरेट डिग्री के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाऔविनि ने, वर्ष के दौरान, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक, यानी कुल मिलाकर चार भाऔविनि अनुसंधान छात्रवृत्तियां संस्थापित की। इन छात्रवृत्तियों की अवधि तीन वर्ष की है जिनके लिए 5,000/- रुपये के आनुषंगिक अनुदान सहित तीन वर्ष तक अनुसंधान छात्रवृत्ति के रूप में 2,400/- रुपये प्रतिमाह की अदायगी की जाएगी।

3.57 उपर्युक्त के अतिरिक्त, उद्यमीयता विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए भाऔविनि द्वारा राष्ट्रीय उद्यमीयता और लघु कारोबार विकास संस्थान में दो छात्रवृत्तियां शुरू की गई। उक्त संस्थान में दो छात्रवृत्तियों हेतु नौ माह के लिए प्रति अनुसंधानकर्ता को 10,000/- रुपए की अदायगी तथा अनुदान के रूप में 1,000/- रुपये की एकमुश्त राशि अदा की जाएगी।

(ग) अन्य अनुसंधान-उन्मुख संगठनों को सहायता

3.58 वर्ष के दौरान, बहु-आयामी विकास केन्द्र तथा राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान को भी उनकी अनुसंधान-उन्मुख गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से सहायता प्रदान की गई। समीक्षाधीन वर्ष में इन संस्थानों को 9.50 लाख रुपये की सहायता दी गई।

नए आयाम

3.59 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि० और भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा स्थापित साधारण बीमा निगम गृह वित्त लि० में भाऔविनि की भागीदारी से इसके प्रवर्तन की भूमिका में नये आयाम जुड़े।

जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित आवास वित्त कम्पनी में भाऔविनि ने वर्ष 1989-90 के दौरान अपनी भागीदारी के रूप में 1.65 करोड़ रुपए का अंशदान किया।

3.60 भाऔविनि द्वारा स्वयं अपनी ओर से, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी में दो करोड़ रुपये की निधि से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि—स्वैच्छिक कार्यों को सहायता प्रदान करने हेतु एक अभिनव प्रकरण—की स्थापना एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य रहा। ग्रामीण विकास को दिए जा रहे महत्व के संदर्भ में निधि का प्रयास ग्रामीण और शहरी निर्धन व्यक्तियों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के उन्नयन के लिए काम करना तथा क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठन स्थापित करना, प्रवर्तित करना, सहायता देना तथा विकसित करना है। निधि मिशनरी उत्साह वाले चुने हुए व्यक्तियों की मदद से, विशेष रूप से ग्रामीण एवं विकेन्द्रित क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहती है। निधि अब समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक सोसाइटी के रूप में 20 अप्रैल, 1990 से पंजीकृत हो गई है और इसका कामकाज एक संचालन बोर्ड के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें कम से

कम 7 और अधिक से अधिक 15 सदस्य (अध्यक्ष तथा कार्यपालक निदेशक सहित) होंगे।

श्री एस० एम० पालिया (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक) को, संचालन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए भाऔविनि के नामित के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के अपर सचिव श्री डी० आर० मेहता ने भी निधि के संचालन बोर्ड में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। आशा है कि निधि 1990 के मध्य से पूर्ण रूप से अपना काम करने लगेगी, तथा इससे आर्थिक विकास के संदर्भ में अनुभव किए जा रहे अभाव दूर होंगे, जिसकी शुरूआत विशेषत: ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र से हो रही है।

3.61 इस बात में कोई संदेह नहीं कि भाऔविनि की प्रवर्तन भूमिका के अनेक आयाम हैं—जो 1972 में की गई परिकल्पना से कहीं अधिक हैं, जबकि पहली बार इसके अध्यादेश में संशोधन करके भाऔविनि को प्रवर्तन गतिविधियों के लिए अधिकृत किया गया था। वास्तव में भाऔविनि की भूमिका का विस्तार अब देश के समग्र औद्योगिक परिदृश्य पर है। फिर भी, भाऔविनि यह भली-भांति जानता है, कि इसे अभी बहुत लम्बी दूरी तय करनी है क्योंकि प्रवर्तन के क्षेत्र में संभावना एवं प्रत्याशाएं असीमित हैं।

प्रभाव एवं प्रतिबोध

4.01 1989-90 काफी महत्व का वर्ष रहा। वर्ष की समाप्ति पर अस्सी का दशक समाप्त हुआ, और नब्बे के दशक का प्रारम्भ हुआ। देश में, यह वर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) का अंतिम वर्ष था, और आठवीं योजना (1990-95) की शुरुआत की प्रक्रिया का प्रारम्भिक वर्ष। इस वर्ष भाऔविनि ने भारतीय उद्योग के प्रति अपनी समर्पित सेवा के बयालीस वर्ष पूरे किए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भाऔविनि के योगदान को, और भाऔविनि के परिचालनों के लिए इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए उद्योग की भावी संवृद्धि और विकास के संबंध में प्रतिबोधित क्षेत्रों को निरूपित करने का प्रयास निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है।

भाऔविनि के परिचालनों का योजना-वार विश्लेषण

4.02 भाऔविनि के प्रारम्भ से ही, इसके परिचालनों का एक महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय नीतियों (विशेषकर वे, जो वित्त और उद्योग को प्रभावित करती हों), योजना प्राथमिकताओं और समय-समय पर सरकार से प्राप्त मार्गनिर्देशों का अनुपालन रहा है। जिस तरह से भाऔविनि देश में उद्योगीकरण की प्रक्रिया को गतिमान करने में सक्षम रहा है, वह सारणी 20 में दिए गए अनुसार मंजूर की गई और संवितरित योजना-वार सहायता से परिलक्षित होती है।

सारणी : 20 भाऔविनि द्वारा योजना-वार मंजूर एवं संवितरित वित्तीय सहायता

(करोड़ रु०)

योजना अवधि	मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता					संवितरित वित्तीय सहायता				
	ऋण	हामीदारियां प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	उपस्कर लीजिंग	कुल	ऋण	हामीदारियां प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	उपस्कर लीजिंग	कुल
	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
प्रथम योजना से पूर्व अवधि (1948-51)	8.06	—	—	—	8.06	5.79	—	—	—	5.79
प्रथम योजना (1951-56)	26.91	—	—	—	26.91	10.94	—	—	—	10.94
दूसरी योजना (1956-61)	52.91	3.53	16.30	—	72.74	40.62	1.31	15.11	—	57.04
तीसरी योजना (1961-66)	130.55	16.42	29.48	—	176.45	104.22	14.00	26.80	—	145.02
तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69)	55.43	5.79	5.27	—	66.49	83.93	5.64	8.54	—	98.11
चौथी योजना (1969-74)	160.87	12.51	1.10	—	174.48	133.99	6.48	1.33	—	141.80
पांचवीं योजना (1974-78)	264.75	21.24	0.28	—	286.27	206.08	10.29	0.34	—	216.71
दो वार्षिक योजनाएं (1978-80)	282.85	17.58	—	—	300.43	164.93	5.39	0.20	—	170.52
छठी योजना (1980-85)	1,333.45	122.15	43.38	—	1,498.98	1,088.91	22.01	5.24	—	1,116.16
सातवीं योजना (1985-90)	5,500.62	311.30	63.61	226.64	6,102.17	3,260.99	84.09	19.74	147.73	3,512.55
कुल जोड़	7,816.40	510.52	159.42	226.64	8,712.98	5,100.40	149.21	77.30	147.73	5,474.64

4.03 छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) के दौरान भाओविनि की कुल मंजूरियां (जो सभी परियोजना वित्त के क्षेत्र में थीं) 1,498.98 करोड़ रुपये की रहीं, और संवितरणों की राशि 1,116.16 करोड़ रुपये की रही। उस समय भी, उपर्युक्त सहायता उससे पहले के 32 वर्षों की अवधि के दौरान जिसमें कि पांच पंचवर्षीय योजनाएं पांच विरामी वार्षिक योजनाएं और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना से पूर्व की तीन वर्ष की अवधि सम्मिलित है, भाओविनि द्वारा मंजूर और संवितरित कुल सहायता से अधिक थी। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भाओविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या 1,265 थी, जो उस योजना के अंत तक बढ़कर 2,093 हो गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जुटाए गए समग्र संसाधन की राशि 22,386 करोड़ रुपये बनती थी।

4.04 सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय पहलू वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में पहली बार भाओविनि का प्रवेश था। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान भाओविनि द्वारा मंजूर और संवितरित की गई 6,102.17 करोड़ रुपये और 3,512.55 करोड़ रुपये की कुल सहायता में से 791.85 करोड़ रुपये और 286.59 करोड़ रुपये (अधिकांशत: सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतिम वर्षों के दौरान) की क्रमश: मंजूरियां और संवितरण, भाओविनि की विविध वित्तीय सेवाओं, जैसे कि पूर्तिकार उधार, क्रेता उधार, उपस्कर उधार, उपस्कर उपार्जन, उपस्कर लीजिंग आदि से सम्बद्ध थे। परियोजना वित्त के अंतर्गत भी, सातवीं योजना अवधि के दौरान, भाओविनि ने सहायता क्षेत्र में भी काफी विविधता अर्जित की। इस अवधि के दौरान पहली बार मछली पालन, पर्यटन, अस्पताल, निर्माण कार्य, जहाज निर्माण एवं मरम्मत, अप-तटीय ड्रिलिंग, लीजिंग आदि, भाओविनि की सहायता के दायरे में आए।

4.05 इसके अतिरिक्त, समग्र छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) में भाओविनि की कुल मंजूरियां और संवितरण की तुलना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान भाओविनि की कुल मंजूरियां और संवितरण क्रमश: चार और तीन गुना अधिक रहे, जिस के कारण मंजूरियों में 307.1% और संवितरणों में 214.7% की वृद्धि परिलक्षित हुई। यही नहीं, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान 6,102.17 करोड़ रुपये और 3,512.55 करोड़ रुपये की भाओविनि की कुल मंजूरियां और संवितरण, उससे पहले के 37 वर्षों के दौरान जिसमें कि छ: पंचवर्षीय योजनाएं, पांच विरामी वार्षिक योजनाएं और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना से पहले की तीन वर्ष की अवधि सम्मिलित है, भाओविनि की समग्र कुल मंजूरियों और संवितरणों की तुलना में क्रमश: 133.7% और 79.0% अधिक थे।

4.06 भाओविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या जो कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) की समाप्ति पर 2,093 थी, बढ़कर 3,564 हो गई, जिसके फलस्वरूप 70.3% की वृद्धि परिलक्षित हुई। यहां यह भी अभिप्रेत है, कि छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) की पांच वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष औसतन 166 परियोजनाओं की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष औसतन लगभग 295 मध्यम बड़ी और बड़ी परियोजनाओं को जोड़ा गया। यह वृद्धि वर्तमान परियोजनाओं की विस्तार, विशाखन, आधुनिकीकरण योजनाओं आदि के लिए उनको उपलब्ध करवाई गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त थी।

4.07 भाओविनि द्वारा सहायता की प्रमात्रा या वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है, विकास वित्त संस्थान के रूप में इसकी उत्प्रेरक भूमिका, जो 31 मार्च, 1990 के अंत तक इसकी 3,564 वित्तपोषित परियोजनाओं के पूरा करने के लिए 60,111 करोड़ रुपए के समग्र संसाधन जुटाने में सहायक रही है।

भाओविनि की सहायता का आर्थिक योगदान

4.08 पिछले 42 वर्षों की अवधि के दौरान, भाओविनि द्वारा वित्तपोषित 3,564 परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान, पूरे देश में, आजादी के बाद अगस्त, 1947 से व्याप्त समग्र देश में हुए उद्योगीकरण से देखा जा सकता है।

4.09 अपने चार्टर के अनुसार, भाओविनि को निगमित और सहकारी क्षेत्रों की मध्यम और बड़े आकार की स्थापित और, आने वाली पात्र परियोजनाओं को मध्यम और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना प्रत्याशित था। भाओविनि को स्वयं कोई औद्योगिक उद्यम स्थापित करने अथवा प्रवर्तित करने का अधिकार नहीं दिया गया था। भाओविनि को ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को भी वित्तपोषित अथवा पुनर्वित्तपोषित करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था। अपने चार्टर के अनुरूप ही भाओविनि ने, पिछले 42 वर्षों के दौरान, उद्योग को व्यापक रूप से समाहित किया है, और संगठित क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा उद्योग हो, जिसे भाओविनि से किसी प्रकार की सहायता न मिली हो। कई इकाईयां तो ऐसी हैं, जिन्हें एक से अधिक बार भाओविनि से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

4.10 वित्तीय सेवाओं की व्यापकता की दृष्टि से यह कहा जा सकता है, कि भाओविनि से वित्तीय सहायता का प्रवाह, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उभरती हुई मध्यम और बड़े आकार की औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त आवेदन प्रवाह पर व्यापक रूप से निर्भर करता है। इस रूपरेखा के अंतर्गत भी, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भाओविनि की सहायता का हिस्सा वर्ष-दर-वर्ष उनके द्वारा प्राप्त पंजीकरण/आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या,

के अनुरूप रहा है । पिछले 42 वर्षों के दौरान, मिजोरम तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को छोड़कर, देश के सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र भाऔविनि की सहायता से समाहित हुए हैं। मिजोरम और लक्षद्वीप में भी अन्य वित्तीय संस्थानों सहित भाऔविनि का यह प्रयास रहा है, कि विभिन्न प्रवर्तन उपायों की मार्फत उद्यमीयता का विकास किया जाए, ताकि स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक कार्यकलापों में तीव्रता लाई जा सके ।

4.11 अस्सी के दशक में उद्योगों का कार्य-निष्पादन सत्तर के दशक में उद्योगों के कार्य-निष्पादन की तुलना में एकदम अद्वितीय है । सत्तर के दशक में समग्र उत्पादन केवल 4.2% की मिश्रित वार्षिक दर पर ही बढ़ा था । अस्सी के दशक के दौरान 7.7% की मिश्रित वार्षिक दर पर औद्योगिक उत्पादन में समग्र वृद्धि में 47% योगदान आधारभूत माल का रहा है, 21% योगदान पूंजीगत माल का हुआ है, 16% योगदान मध्यवर्ती माल का रहा है, 7% योगदान टिकाऊ उपभोक्ता माल का रहा है और 9% योगदान गैर-टिकाऊ उपभोक्ता माल का रहा है । वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात ने भी, जो कि उत्पादन प्रणाली की दक्षता का एक माप है, गत वर्षों के दौरान कमी को दर्शाया है, जो कि भारतीय उद्योग में उत्पादकता में सुधार का द्योतक है । 1980-81 के मूल्यों पर सकल वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात पचास के दशक के लिए 3.80 था, साठ के दशक के लिए 5.33 था, सत्तर के दशक के लिए 6.12 रहा, लेकिन 1980-81 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान यह केवल 4.13 रहा। अकेले विनिर्माण क्षेत्र के लिए वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, जो कि पचास के दशक के दौरान 3.16, साठ के दशक के दौरान 5.75 और सत्तर के दशक के दौरान 6.41 था, अस्सी के दशक के दौरान कम होकर 4.78 हो गया । मूल औद्योगिक आधार बनाकर भारत अब इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, उपग्रह प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, दूर-संचार, परिष्कृत संख्यात्मक नियंत्रित मशीन औजार, आदि जैसे उभीयमान उद्योगों में कला-प्रौद्योगिकी-की-अवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है ।

4.12 मोटे तौर पर, भाऔविनि की कुल वित्तीय सहायता का एक तिहाई भाग चीनी, वस्त्र, सीमेंट, कागज और उर्वरक जैसे उद्योगों के लिए गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भाऔविनि की सहायता, अन्य वित्तीय संस्थानों की सहायता सहित, चीनी उद्योग में 13.88 लाख टन, वस्त्र उद्योग में 8.85 लाख तकुए, सीमेंट उद्योग मे 84.25 लाख टन कागज उद्योग में 1.23 लाख टन और उर्वरक उद्योग में 49.64 लाख टन की क्षमताओं को सृजित/उत्प्रेरित करने में सक्षम रही है । इसके अतिरिक्त लोहा व इस्पात, ऊर्जा और गैस, रसायन और रसायन आधारित खाद्य अभिसंस्करण, आटोमोबाइल टायर और ट्यूबें, कृत्रिम रबी, कृत्रिम रेसिन्स और प्लास्टिक्स, मशीनरी, बिजली मशीनरी और उपस्कर, इलेक्ट्रानिक्स, परिवहन उपस्कर और पुर्जे, धातु उत्पाद आदि जैसे अन्य विभिन्न उद्योगों और साथ ही होटल और अस्पताल जैसे सेवा उद्योगों में पर्याप्त क्षमताएं सृजित की गई हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार और विशाखन परियोजनाएं लगभग 2.76 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने में और सहायक उपयोगों और क्षेत्रों में इससे बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने में सक्षम रही हैं ।

4.13 सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित 1,130 नई, विस्तार/विशाखन परियोजनाओं के अध्ययन से यह पता चलता है, कि इन परियोजनाओं से प्राप्त उत्पाद का मूल्य उनके मूल्यांकन के समय 26,369 करोड़ रुपये था । प्रवर्धित सकल मूल्य 11,075 करोड़ रुपये था, जो कि अपने आप में, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, इन परियोजनाओं के योगदान का एक अच्छा परिचायक है ।

राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

4.14 भाऔविनि को किसी भी अन्य कम्पनी के समान ही कर देना पड़ता है । अपने अस्तित्व के 42 वर्षों के दौरान भाऔविनि ने केवल कर के रूप में 167.09 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय राजकोष में दी है, जो कि 100 करोड़ रुपये की इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी की मोटे तौर पर डेढ़ गुने से अधिक है ।

लाभांश रिकार्ड

4.15 1970-71 में पहली बार भाऔविनि की सामान्य आरक्षित निधि इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी के बराबर हुई थी। इसलिए यह वह वर्ष था, जिसमें औविनि अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अनुसरण में भाऔविनि ने अपने शेयरों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभांश से अधिक लाभांश घोषित किया। निश्चित रूप से यह 5% की अधिकतम अनुमत्य सीमा तक ही था । बाद में जब लाभांश दर पर परिसीमन औविनि अधिनियम, 1948 में संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, तो भाऔविनि के अपनी लाभांश दर को बढ़ाना आरम्भ किया। छठी पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि में लाभांश दर में केवल 0.5% प्रतिवर्ष की निरन्तर बढ़ोतरी हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान भाऔविनि ने प्रत्येक वर्ष 1% की दर का अपना बढ़ोतरी करने का रिकार्ड बनाया । इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 1990 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भाऔविनि के प्रदत्त शेयर पूंजी पर इसके द्वारा घोषित लाभांश, वर्ष 1984-85 (छठी पंचवर्षीय योजना का समापन वर्ष) के 9% की तुलना में 14% था ।

भाऔविनि के परिचालनों का प्रभाव

4.16 प्रभाव एक ऐसी स्थिति है, जो बताए जाने की अपेक्षा कहीं अधिक महसूस की जा सकती है। भाऔविनि भारत में न केवल वित्तीय वित्त संस्थानों में से एक है, अपितु सब में, एक सबसे पुराना संस्थान है। निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर भाऔविनि के परिचालनों के प्रभाव का मोटे तौर पर मूल्यांकन करने का प्रयास आगे के अनुच्छेदों में किया गया है :–

—विकास बैंकिंग पद्धतियां
—वित्तपोषित संस्थानों की प्रबन्धकीय प्रभावशीलता
—उद्यमीय आधार का विस्तृतीकरण
—संतुलित क्षेत्रीय विकास
—औद्योगिक सहकारिताओं की संवृद्धि और विकास
—उद्योग का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय प्रोन्नयन
—ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण, आदि को प्रोत्साहन
—उद्योग में सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहन
—कई प्रवर्तनात्मक उपायों के माध्यम से नई औद्योगिक संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन

(i) विकास बैंकिंग पद्धतियां

4.17 भाऔविनि सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने विद्यमान संयुक्त वित्तपोषण और सामूहिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत काफी हद तक अपने साधनों को तेज किया है, तथा परियोजना मूल्यांकन, नियंत्रण और अनुवर्ती कार्रवाई की दिशा में कार्य रत रहा है। सभी संस्थान अब तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक, आर्थिक, प्रबन्धकीय, सामाजिक–आर्थिक आदि जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों से परियोजनाओं का न केवल मूल्यांकन करते हैं, अपितु परियोजना के स्वयं गुरुत्तर हित और इसके सामयिक कार्यान्वयन में, जहां तक उत्पाद मिश्र, विदेशी सहयोग और उपर्युक्त प्रौद्योगिकी, प्रबन्धकीय और विपणन आदेशकों के चयन का सम्बन्ध है, परियोजना संकल्पना अवस्था पर भी उद्यमियों का मार्गदर्शन भी कर पाने में सक्षम है। प्रबुद्ध प्रवर्तक और सक्षम प्रबन्धक–वर्ग, भाऔविनि सहित वित्तीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित उन विभिन्न कार्यों से प्राप्त लाभों का महत्व अब और अधिक संख्या में, समझने लगे हैं, जो उनके द्वारा परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवस्था के दौरान और बाद में परिचालन अवधि के दौरान किए जाने हैं।

4.18 वित्तीय संस्थानों की सृजनात्मक और उत्प्रेरक भूमिका न तो परियोजना के वित्तपोषण के लिए उनके निर्गमों तक और न ही उनके द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के चालू रहने के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण तक सीमित रहती है। वित्तीय संस्थानों और वित्तपोषित संस्थाओं के बीच सम्बन्ध अब मात्र लेनदार या देनदार का ही नहीं रह गया है, अपितु वास्तव में वे औद्योगिक उद्यमों में एक भागीदार के रूप में हैं। अतः वित्तीय संस्थान अपने लाभभोगियों के साथ ऐसे सम्बन्ध बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जो कि एक उल्लेखनीय औद्योगिक परिवेश सृजित करने के लिए एक दूसरे की विशेषज्ञता और अनुभव का आदान–प्रदान करते हुए आंतरिक और निरंतर बने रहे। यह कुछ ऐसा है, जो कि देश की औद्योगिक संस्कृति पर गुणात्मक प्रभाव के दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है।

(ii) औद्योगिक संस्थाओं की प्रबन्धकीय प्रभावशीलता

4.19 वित्तपोषित संस्थाओं में उचित और आवश्यकता आधारित प्रबंध संरचना के सृजन अर्थात् (क) निदेशक बोर्ड के स्तर पर उचित और व्यापक ढांचा, (ख) प्रबन्ध के मुख्य क्षेत्रों में उचित संगठनात्मक ढांचा, (ग) परियोजना प्रबन्ध समितियों की स्थापना, (घ) विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के मामले में लेखा-परीक्षित उप–समितियों की स्थापना, (ङ) संगठन के अन्तर्गत ही आवश्यकता आधारित प्रबन्ध सूचना पद्धति की स्थापना और (च) संगठन में समग्रतः बेहतर उत्पादकता के लिए परिचालन समस्याओं को, यदि कोई हो, दूर करने के लिए परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाना आदि पर भाऔविनि सहित सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा बल देने के परिणामस्वरूप औद्योगिक संस्थाओं की प्रबन्धकीय कार्यक्षमता में व्यापक रूप से प्रभावोत्पादकता आई है। निदेशक नामित करने की व्यवस्था बोर्ड स्तर पर वित्तपोषित संस्थाओं के प्रबन्धकीय ढांचे और वित्तीय संस्थानों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क का कार्य करती है। "प्रबन्ध के व्यावसायीकरण" पर अधिक जोर दिया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में भाऔविनि द्वारा प्रवर्तित प्रबन्ध विकास संस्थान "इन–कम्पनी कार्यक्रमों" और साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक गहन "15 माह का राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम" आयोजित करके एक अच्छा कार्य कर रहा है। आज प्रबन्धक वर्ग में समक्ष बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न और एक अधिक अच्छे प्रतिस्पर्धी औद्योगिक परिवेश में तेजी से अपने आपको ढालने से उत्पन्न बड़ी–बड़ी चुनौतियां सामने हैं। प्रबन्ध विकास संस्थान आयोजित किए जा रहे सुनिर्धारित प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आगामी और उभरने वाली चुनौतियों को पूरा करने के लिए उद्योग को भरपूर सहायता प्रदान कर रहा है। इन सभी उपायों ने वित्तपोषित संस्थाओं के प्रबन्ध में पर्याप्त सीमा तक गुणात्मक परिवर्तन और व्यावसायिक दृष्टिकोण को लाने में सहायता की है।

(iii) उद्यमीय आधार का विस्तृतीकरण

4.20 भारत जैसे बड़े देश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को संतुलित और व्यापक रूप प्रदान करने के लिए उद्यमीय आधार को विस्तृत करना एक प्रमुख आवश्यकता है। उद्योग का आकार, अति लघु, लघु, मध्यम या बड़ा – कैसा भी हो, देश को नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए उद्यमीय दक्षताओं और विशेषताओं वाले उद्यमियों के निरन्तर प्रवाह की आवश्यकता रहती है। निःसन्देह कुछ व्यक्ति उद्यमीय दक्षताओं को लेकर

पैदा होते हैं, या उन्हें यह विरासत में मिली होती है, लेकिन जहां उद्यमीयता का अभाव हो, वहां इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, कि उसका विकास किया जाए । उद्यमीयता विकास आन्दोलन को धन से सहायता उपलब्ध करवा कर वित्तीय संस्थानों (भाऔविनि सहित) ने इस मिथक को झुठला दिया है, कि उद्यमी केवल जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जा सकते । लगभग 42,000 से अधिक की संख्या में जो व्यक्ति उद्यमीयता विकास, कार्यक्रमों द्वारा विकसित 31 मार्च, 1990 तक प्रशिक्षित किए गए थे, उनमें से अधिकांश अपनी औद्योगिक इकाइयों को कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र में स्थापित कर चुके हैं ।

4.21 नए उद्यमियों को बीज/जोखिम पूंजी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जहां भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों/बैंकों के माध्यम से बीज पूंजी/विशेष पूंजी/राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजनाएं आदि चला रहा है, वहीं भाऔविनि पिछले 14 वर्षों से जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० के माध्यम से जोखिम पूंजी योजना चला रहा है । जोखिम पूंजी सहायता योजना के परिणामस्वरुप 331 प्रथम पीढ़ी के उद्यमी अपनी 199 मध्यम और मध्यम बड़े आकार की परियोजनाओं सहित देश के औद्योगिक क्षितिज पर उभरने में सक्षम हुए हैं । जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० द्वारा वित्त पोषित इन नए प्रभाव डालने वाले उद्यमियों की सफलता इस बात का प्रमाण है, कि सही ढंग से तथा बिना किसी वाणिज्यिक लक्ष्य के सार्थक वित्तीय सहायता औद्योगिक क्षितिज पर मामूली वित्तीय साधनों वाले प्रतिभाशाली उद्यमियों को ऊपर उठाने में किस प्रकार उपयोगी हो सकती है ।

4.22 अपने परियोजना-वित्त परिचालनों में वित्तीय संस्थानों सहित, स्वयं भाऔविनि का यह प्रयास रहा है, कि देश में यथासंभव उद्यमीय आधार को विस्तृत किया जाए । इस लक्ष्य को प्रथम पीढ़ी के सक्षम उद्यमियों के औद्योगिक उद्यमों को वरीयता और रचनात्मक सहयोग देकर कठिनाई के वास्तविक मामलों में चयनात्मक आधार पर रखा हुआ प्रवर्तक अंशदान स्वीकार करके प्राप्त किया जाता है । अपने अस्तित्व के 42 वर्षों के दौरान, भाऔविनि देश के औद्योगिक क्षितिज पर विभिन्न पृष्ठ-भूमियों से अनेक प्रथम पीढ़ी उद्यमियों को लाने में समर्थ रहा है । इन नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित 400 से भी अधिक परियोजनाओं में से कुछ एक ने तो नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया है और वे काफी सफल सिद्ध हुए हैं । प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों में से, विशेषकर जिन्हें भाऔविनि के अस्तित्व के पहले दो दशकों के दौरान वित्तीय सहायता दी गई थी, कुछ ने तो इस सीमा तक अपने कारोबार को बढ़ा लिया है, कि आज उनकी गिनती देश में प्रतिष्ठित अथवा बड़े घरानों में होती है । अनवरत रूप से चल रही यह प्रक्रिया अब भी जारी है ।

(iv) संतुलित क्षेत्रीय विकास

4.23 भाऔविनि की कुल सहायता की लगभग 50% राशि केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों (उद्योग-रहित/विशेष क्षेत्र जिलों सहित) में स्थापित परियोजनाओं को गई है । सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान, वित्तपोषित; 2,301 परियोजनाओं में से, 1,115 परियोजनाएं अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित थीं । 246 परियोजनाएं वे थीं, जो कि उद्योग-रहित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की गई । पिछड़े क्षेत्रों में लगने वाली परियोजनाओं के लिए उदार शर्तों पर निर्धारित सीमा तक रियायती सहायता उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त, भाऔविनि उद्योग-रहित जिलों/क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए "परियोजना-विशिष्ट अवस्थापना ऋण" भी उपलब्ध करवाता रहा है, जिनके लिए निर्माण अवधि के दौरान ब्याज नहीं लगाया जाता । इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता, कि केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना के लिए संस्थानात्मक उपायों और प्रोत्साहनों ने थोड़ी ही सही, किन्तु संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण तरीके से सहायता दी है । चूंकि अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में अधिकांश परियोजनाएं ग्रामीण और/अथवा अर्ध-ग्रामीण स्थानों में स्थापित की गई है, अतः इन औद्योगिक परियोजनाओं के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में इन क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था में बहुत भारी परिवर्तन हुआ है । प्रत्यक्ष और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन के अतिरिक्त परियोजनाओं ने बहुत सी अति लघु एवं लघु क्षेत्र की इकाइयों, सेवा केन्द्रों, दुकानों और बाजारों, विद्यालय एवं चिकित्सा सुविधाओं, आदि की स्थापना में सहायता की है । वास्तव में इन परियोजनाओं का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव (वर्णित किए जाने की अपेक्षा), "विकासात्मक चेतना," में जो कि सृजित की गई है, और उस सीमा तक, जहां इन परियोजनाओं द्वारा स्थानीय लोगों का आर्थिक कल्याण करने और आवश्यक सामाजिक अवस्थापना को स्थानीय रूप से सशक्त करने में सहायता की है, देखा जा सकता है ।

(v) औद्योगिक सहकारिताओं की संवृद्धि और विकास

4.24 औद्योगिक सहकारिताओं की संवृद्धि और विकास का इतिहास भाऔविनि से प्रारम्भ होता है । 1949-50 की बात है, जबकि पहली सहकारी चीनी फैक्टरी को महाराष्ट्र में भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित किया गया था । तब से अब तक भाऔविनि ने 531.51 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर 334 औद्योगिक सहकारिताओं का वित्तपोषण किया है । एक ओर जहां औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन के इतिहास में महाराष्ट्र अभी भी सबसे आगे है, भाऔविनि के लिए यह पर्याप्त संतोष की बात है, कि सहकारिता क्षेत्र में उद्योगों को प्रदान की गई इसकी सहायता और प्राथमिकता सव्यवहार से सहकारिता आन्दोलन को लगभग सभी राज्यों में गति मिली है । इस समय भाऔविनि से सहायता प्राप्त 334 सहकारिताओं में से 119 महाराष्ट्र में, 42 उत्तर प्रदेश में, 29 कर्नाटक में, 24 आन्ध्र प्रदेश में, 23 गुजरात में, 23 तमिलनाडु में, 19 पंजाब में, 12 उड़ीसा में, 11 हरियाणा में, 6 बिहार में, असम, केरल और मध्य प्रदेश—प्रत्येक में पांच-पांच, 4 राजस्थान में, 3 पश्चिम बंगाल में, 2 पाण्डिचेरी में और गोवा और साथ ही दादरा एवं नगर हवेली—प्रत्येक में एक-एक हैं । चूंकि लगभग सभी सहकारिताएं या तो कृषि आधारित हैं, या कृषि के लिए निवेश उपलब्ध

करवाती हैं, भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थान उद्योग में सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहित करके सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के अतिरिक्त कृषि और उद्योग के बीच एक अच्छा तारतम्य बनाने में सफल रहे हैं।

4.25 334 औद्योगिक सहकारिताओं में से, 216 चीनी सहकारिताएं, 98 वस्त्र सहकारिताएं और 20 अन्य विविध सहकारिताएं हैं। चीनी सहकारिताएं बहुत से अनुषंगी और सहायक उद्योगों को प्रवर्तित करने में जैसे औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन के लिए निर्माणशालाओं, कन्फेक्शनरी इकाइयों, खोई आधारित कागज संयंत्रों, मिश्रित और दानेदार उर्वरकों के उत्पादन आदि, में सहायक रही हैं। वस्त्र कताई सहकारिताओं ने ग्रामीण और अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अवसर प्रदान किए हैं। पिछले कई वर्षों में जूट, उर्वरक, कृत्रिम रेशे, वनस्पति तेल, कोकोआ अभिसंस्करण, कागज, रसायन और रसायन उत्पाद, औद्योगिक सम्पदाओं का विकास, आदि, जैसे बहुत से अन्य उद्योगों में सहकारिता आन्दोलन का फैलाव, भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता से समग्र देश में मध्यम और बड़े आकार की औद्योगिक सहकारिताओं द्वारा प्राप्त की गई सफलता और शक्तियों का अर्थपूर्ण प्रमाण हैं।

4.26 औद्योगिक सहकारिताओं को भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की सहायता का अन्य उल्लेखनीय पहलू यह है, कि यह सहायता देश के दूर–दराज के कोनों में स्थित इकाइयों को प्राप्त हुई है, और उन स्थानों पर, जहां कि पहले कोई भी उद्योग नहीं था, न केवल उद्योगों को लाने में, अपितु समग्र ग्रामीण परिदृश्य को बदलने में भी सहायक रही है। सहकारिता आन्दोलन में ग्रामीणों के विश्वास को सशक्त करने और उत्पादक प्रयोजनों के लिए कृषि की बचतों को बढ़ाने के अतिरिक्त, सहकारिताएं, सुधरी हुई सड़कों, बेहतर परिवहन सुविधाएं, खाद्य जल–आपूर्ति, विद्यालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, आदि, उपलब्ध करवाने में सहायक रही हैं। रुग्ण, लेकिन संभवतः, व्यवहार्य औद्योगिक इकाइयों को पुनर्स्थापित करने में बन्द इकाइयों को पुनः प्रारम्भ करने के लिए कामगारों की सहकारिताओं के गठन करने का प्रयोग भी अत्यन्त सफल रहा है।

(vi) उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन पर प्रभाव

4.27 भारतीय उद्योग के पुरानेपन की समस्या विद्यमान इकाइयों के केवल आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन द्वारा ही सुलझाई जा सकती है। निवर्तमान इकाइयों के आधुनिकीकरण, विशाखन और विस्तार की लागत, नई इकाइयों की स्थापना की लागत से हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से कम ही होती है। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता अनुभव करते हुए वित्तीय संस्थान पिछले 14 वर्षों से "उदार ऋण योजना" चला रहे हैं, जो कि उदार शर्तों पर आधुनिकीकरण के लिए सहायता उपलब्ध करवाती है। इसके अतिरिक्त सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) की अवधि के दौरान "चीनी विकास निधि", "वस्त्र आधुनिकीकरण निधि" तथा "जूट" आधुनिकीकरण निधि" की स्थापना से आधुनिकीकरण सहायता में नए आयाम जुड़े हैं। विशेष ऋणों को, जो कि इन निधि योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, उन कमजोर औद्योगिक इकाइयों के संबंध में, जिनको कि आधुनिकीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है, प्रवर्तक अंशदान के रूप में ही लिया जा रहा है।

4.28 भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का जोर, न केवल, आधुनिकीकरण के समेकित कार्यक्रम पर रहा है, वरन विशेष ध्यान प्रौद्योगिकी के उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण के उपायों और प्रदूषण को दूर करने पर भी रहा है। सातवीं योजना अवधि (1985–90) के दौरान भाऔविनि द्वारा परियोजना वित्तपोषण के अधीन मंजूर की गई कुल सहायता का लगभग 26.6% वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, विशाखन और आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त हुआ है। इन इकाइयों में भाऔविनि का जोर इस तथ्य पर रहा है, कि आधुनिकीकरण केवल मशीनरी और उपस्कर या डिजाइन, गुणवत्ता और मानकीकरण की शर्तों के अनुसार उत्पाद का ही नहीं होना चाहिए अपितु आधुनिकीकण प्रौद्योगिकी का, सभी स्तरों पर कार्मिकों के व्यवहार दक्षता और गुणवत्ता का, संगठनात्मक ढांचे का और प्रबंध तकनीकों का भी होना चाहिए। आधुनिकीकरण योजनाओं का मूल्यांकन करते समय भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थानों ने बारम्बार इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि, वर्तमान औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाई गई आधुनिकीकरण योजनाओं का लक्ष्य, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और उत्पाद का उन्नयन, निर्यात–उन्मुखता या आयात प्रतिस्थापन, ऊर्जा बचत, प्रदूषण निवारक उपाय, दुर्लभ कच्चे माल और अन्य निवेशों का संरक्षण 'प्रतिस्थापन' अवक्षय और उप–उत्पादों का पुनर्उपयोग/पुर्नलाभ, सामग्री रख-रखाव में सुधार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से क्षमता उपयोग में सुधार और अड़चनों को दूर करना रहे।

4.29 सातवीं योजना अवधि (1985–90) में संस्थानात्मक सहायता की मुख्य विशेषता न केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन पर बल देना रहा है, अपितु प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी समीक्षण पर भी उचित ध्यान दिया गया है, चाहे इसके लिए प्रौद्योगिकी का आयात किया जाए अथवा आन्तरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के द्वारा देशी प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए। 7 वीं योजना अवधि के दौरान हाई-टेक और अन्य प्रौद्योगिकी उन्मुख परियोजना का हिस्सा पर्याप्त बढ़ गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना तथा उद्यम पूंजी निधि, भारतीय औद्योगिकी साख एवं निवेश निगम लि० द्वारा स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और रचना कम्पनी लिमिटेड तथा भाऔविनि द्वारा प्रवर्तित जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड से वाणिज्यिक अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास योजनाओं के वित्तपोषण, देशीय रूप से विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक उपयोग, तथा व्यापक घरेलू उपयोग के लिए पहले ही आयातित प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण की संभावनाएं बढ़ी हैं। जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम, जिसे भाऔविनि द्वारा समग्र वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, उच्च जोखिम और उच्चतर आय वाले हाई-टेक उद्यमों के लिए

कार्य करने वाले पथप्रदर्शक टेक्नोक्रेटों/व्यावसायिकों को प्रोत्साहन दे रहा है, तथा उनकी योजनाओं अर्थात नई प्रौद्योगिकी, नए उत्पाद नए बाजार, नए उपयोग और नवीन विशेषज्ञ सेवाएं एवं उनके वाणिज्यिकीकरण आदि की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में सहायता प्रदान कर रहा है । भाऔविनि भी वाणिज्यिक रूप से प्रमाणित देशीय प्रौद्योगिकी या उन्नत आयातित प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं या विद्यमान औद्योगिक इकाइयों में प्रौद्योगिकी उन्नयन वाली परियोजनाओं या आयात प्रतिस्थापन अथवा निर्यात विकास अथवा दोनों के अन्तिम उद्देश्य से अपना आन्तरिक अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने वाली परियोजनाओं के परियोजना वित्तपोषण परिचालनों को पर्याप्त महत्व दे रहा है । भाऔविनि द्वारा, विशेषतः सातवीं योजना अवधि के दौरान, वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं की व्यापक अनेकरूपता उपयुक्त बात का पर्याप्त प्रमाण है । यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहनी है, जिससे 21वीं सदी में प्रवेश करते समय देश के उद्योगों के प्रौद्योगिकी आधार को समुचित रूप से विविध स्वरूप प्रदान किया जा सके ।

(vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण आदि, को प्रोत्साहन

4.30 बेहतर ऊर्जा प्रबंध द्वारा ऊर्जा संरक्षण एक ऐसा अन्य क्षेत्र है, जिस पर एक दशक से अधिक समय से वित्तीय संस्थानों द्वारा अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है । वित्तीय संस्थान न केवल व्यापक राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से अपितु उत्पादन लागत कम करने के साधन के रूप में भी ऊर्जा प्रबंध पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि उद्योग में सुधार हो सके, अथवा, कम से कम, लाभ का अंश बनाए रखा जा सके । बचाई गई ऊर्जा भी एक प्रकार से पैदा की गई ऊर्जा है । विद्यमान एवं नई, दोनों ही की परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय भाऔविनि सहित सभी वित्तीय संस्थान इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, कि ऊर्जा के उपयोग में किफायत वाले उपाय परियोजना निरूपण अवस्था से ही योजनाओं में समाहित किए जाएं । वित्तीय संस्थान, वार्षिक आधार, पर विद्यमान औद्योगिक इकाइयों से ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के अनुवर्तन के भाग के रूप में उनके द्वारा की गई बचत से संबंधित आंकड़े भी एकत्र करने का प्रयास करते हैं ।

4.31 सातवीं योजना अवधि के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा दो विशेष योजनाएं, अर्थात ऊर्जा जांच उप-सहायता योजना और ऊर्जा संरक्षण हेतु उपस्कर वित्त योजना आरम्भ की गई । ऊर्जा जांच उप-सहायता योजना के अधीन संस्थानों ने वित्तीय संस्थानों से, जिनके द्वारा संस्थानों को ऊर्जा जांच अपेक्षाओं का पालन अपेक्षित है, लागत की 50 % सीमा तक प्रारम्भिक और विस्तृत ऊर्जा जांच करवाने की लागत को वहन करने की भी सहमति दे दी है, बशर्ते कि प्रारम्भिक जांच की लागत 10,000 रुपये और विस्तृत जांच ऊर्जा की लागत एक लाख रुपये से अधिक न हो । ऊर्जा संरक्षण हेतु उपस्कर वित्त योजना के अधीन, वित्तीय संस्थान प्रारम्भिक अथवा विस्तृत ऊर्जा जांच के परिणामस्वरूप अभिनिर्धारित ऊर्जा बचत उपस्करों के लिए निधिक सहायता प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं । इस योजना की मुख्य विशेषता यह है, कि ब्याज दर, मानक आंकड़ा स्तर पर आधारित वस्तुतः प्राप्त बचत की सीमा से सम्बद्ध है, बशर्ते कि न्यूनतम ब्याज दर 10% वार्षिक हो रहे । एक मूल्यांकन के अनुसार जून, 1988 से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर ऊर्जा खपत में वार्षिक बचत 20 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है ।

4.32 ऊर्जा के गैर परम्परागत संस्थानों के उपयोग के लिए, वित्तीय संस्थान रियायती ब्याज दर पर सहायता प्रदान कर रहे हैं । नवीकरणीय ऊर्जा/वैकल्पिक स्रोतों के साधनों/मदों में सौर ऊर्जा आधारित समग्र मदें, पवन-चक्कियां एवं पवन ऊर्जा आधारित मदें, बायो गैस संयंत्र एवं बायो गैस इंजन, ऊर्जा-उत्पादन करने वाली कृषि एवं म्युनिसिपल कूड़े-कचरे का संपरिवर्तन करने वाले यंत्र और समुद्री लहरों और भू-समुद्री थर्मल ऊर्जा के उपयोग वाले उपस्कर शामिल हैं । वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा यंत्रों के उपस्कर विनिर्माता तथा उपस्कर क्रेता दोनों ही इस योजना के अधीन रियायती वित्त के पात्र हैं । उपयुक्त मामलों में वित्तीय संस्थान भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के साथ भी सहयोग कर रहे हैं ।

4.33 प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय संस्थान परियोजना मूल्यांकन करते समय पर्यावरण की आवश्यकताओं पर भी अत्यधिक ध्यान दे रहे हैं, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, कि औद्योगिक बहिःस्रावों को नियंत्रित किया जाए, और उन्हें प्रत्येक राज्य के नियामक निकायों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही रखा जाए । अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों से संबंधित प्रस्तावों को संस्थानों द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व (क) राज्य के उद्योग निदेशक से इस बात की पुष्टि की परियोजना स्थल को पर्यावरण दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, (ख) राज्य प्राधिकारियों से यह बात की पुष्टि कि यह आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा में नहीं है, और (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस बात की पुष्टि आवश्यक है कि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए लगाया जाने वाला प्रस्तावित उपस्कर पर्यावरण अपेक्षाओं को पूर्णतः पूरा करता है, और समग्रतः पर्याप्त और उपयुक्त है । भाऔविनि की वित्तीय सेवाओं से संबंधित सभी योजनाओं के अधीन विद्यमान समग्र इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण उपस्कर के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है, और नई परियोजनाओं के मामले में परियोजनाओं की लागत का हिसाब लगाते समय इस उपस्कर को अनिवार्यतः शामिल कर लिया जाता है । भाऔविनि सहित वित्तीय संस्थानों ने उपयुक्त उपायों के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में और विशेष रूप से अपनी सहायता प्राप्त इकाइयों में पर्यावरण संबंधी व्यापक जागरूकता पैदा की है ।

(viii) उद्योग में सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहन

4.34 सम्पूर्ण पर्यावरण संरक्षण का एक अन्य प्रमुख पहलू सुरक्षा का महत्व है । इसलिए, भाऔविनि सहित सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले अभिनिर्धारित उद्योगों के लिए "सुरक्षा-जांच" नामक एक

पद्धति आरम्भ की है । इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा मानकों, पद्धतियों, नीतियों की व्यवस्थित रूप से जांच करना है ताकि हानियों को कम किया जा सके। यह जांच जोखिम से औद्योगिक संगठनों की असुरक्षा के संबंध में 'स्वाट' (मजबूती, कमजोरी, अवसर और व्यवधान) विश्लेषण के रूप में होती है, जिसमें प्रक्रिया पैरामीटरों, डिजाइन, परिचालन प्रक्रियाओं, कार्यों, आपातकालीन योजनाओं, कार्मिक संरक्षण, सुरक्षा मानकों, दुर्घटना रिकार्डों आदि का भी ध्यान रखा जाता है । संस्थान सुरक्षित पर्यावरण, खतरों के अभिनिर्धारण, उपयुक्त अभिरक्षा की स्थापना और सुरक्षा मामलों के बारे में सम्पूर्ण जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रबंध कार्यक्रमों पर भी बल दे रहे हैं, जिससे वित्तपोषित संस्थाएं सुरक्षा नीति की स्थापना पर विचार कर सकें । 25 करोड़ रु० तथा इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के मामले में 'हेजार्डस आपरेबिलिटी" (हेजॉप) अध्ययन अनिवार्य है । हेजॉप के समान "हेजार्ड विश्लेषण" (हेजॉन) की भी संयंत्र विशेष के डिजाइन या परिचालन की विशेष समस्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक तकनीक के रूप में प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है । हेजॉप और हेजॉन दोनों अध्ययन समस्या का अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण खोजने के लिए एक सक्षम और सहायक साधन सिद्ध हुए हैं, जिससे सुरक्षा समस्याओं पर लागत-प्रभावी सुदृढ़ निर्णय लेना संभव हो सका है ।

(ix) विभिन्न प्रवर्तन उपायों द्वारा नए औद्योगिक परिवेश की स्थापना को प्रोत्साहन

(क) परामर्शकारी परिवेश

4.35 कोई भी प्रवर्तक, और कोई भी संगठन सभी प्रकार के कार्यों में निपुण नहीं हो सकता । जिस प्रकार बच्चे के जन्म के लिए किसी प्रसूति-विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, और जन्म से पूर्व और जन्म के बाद उसका पर्याप्त ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार नई परियोजना की स्थापना के लिए भी उसकी स्थापना पूर्व और स्थापना-पश्चात स्थिति में विशेषज्ञ परामर्शदाता की आवश्यकता पड़ती है । बड़ी परियोजनाओं के मामले में भाओवित्तनि सहित सभी वित्तीय संस्थान औद्योगिक संस्थाओं पर इस बात का जोर दे रहे हैं, कि वे प्रारम्भिक स्थिति में ही परामर्शदाता इंजीनियरों की नियुक्ति करें, ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत इंजीनियरिंग, परियोजना अनुरूपीकरण, स्थल पर्यवेक्षण तथा सामान्य समन्वय आदि पर विशेषज्ञ सलाह प्राप्त की जा सके । मध्यम और मध्यम बड़ी परियोजनाओं के मामले में आरम्भ से ही संस्था में या तो एक परामर्शदाता या परियोजना प्रबंधक की आवश्यकता पर बल दिया जाता है । मध्यम और बड़े क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं की कमी नहीं है, जबकि लघु क्षेत्रों के लिए संस्थानों ने आरम्भिक स्थिति से अवधारणा तक सम्पूर्ण परामर्श पैकेज एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु विशेषत: तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित किए हैं । इन तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा लघु और मध्यम क्षेत्र की परियोजनाओं को उनकी परिचालन अवधि के दौरान भी विस्तार और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । औद्योगिक परामर्शदाताओं को निर्देशिका—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भाओवित्तनि तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि० का एक और संयुक्त उद्यम है, जो देश में परामर्शकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करती है । ये सभी उपाय औद्योगिक क्षेत्र में एक "परामर्शकारी परिवेश" का विकास करने में पर्याप्त सहायक हुए हैं ।

(ख) आनुषंगिकीकरण के लिए सहायता

4.36 आनुषंगिकीकरण एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर न केवल आधुनिक व्यापक उत्पादन की किफायतें, अपितु विकेन्द्रीकृत परिचालनों और रोजगार सृजन के लाभ प्राप्त करने के साधन के रूप में बल देने की आवश्यकता है । परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय भाओवित्तनि तथा अन्य वित्तीय संस्थान विनिर्माण की विभिन्न मदों का पता लगाने तथा उनकी जांच करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनमें से कुछ मदों को अनुषंगी और लघु उद्योगों के लिए अभिनिर्धारित किया जा सके। अनुवर्ती निरीक्षण के दौरान भी भाओवित्तनि के निरीक्षण अधिकारी (क) आनुषंगिकीकरण की संभावना, यदि वहां कोई अनुषंगी इकाई नहीं है (ख) अनुषंगी-इकाइयों के विकास के लिए वित्तपोषित संस्था द्वारा किया गया अभिदान, यदि कोई हो, (ग) मूल अनुषंगी संबंध और उसकी स्थिति पर विचार-विमर्श करते हैं । भाओवित्तनि की एक प्रवर्तन योजना उद्यमी, यदि वह तकनीकी सलाहकारी संगठन/विनिर्दिष्ट एजेंसी को दत्त-कार्य सौंपता है, को 100% निशुल्क आनुषंगिकीकरण और अनुषंगी क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त उत्पादों का व्यवहार्यता अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट/सम्भाव्यतया रिपोर्ट उपलब्ध कराने में आनुषंगिकीकरण की प्रक्रिया में सहायता करती है । दत्त-कार्य पूरा होने पर तकनीकी सलाहकारी संगठन/विनिर्दिष्ट एजेंसी को 75% उप सहायता की अदायगी की जाती है, और शेष 25% उप-सहायता, अनुषंगी इकाई द्वारा वित्तीय सहायता के लिए तैयार होने तथा अपनी मूल इकाई से व्यवस्था को औपचारिक रूप देते हुए अनुषंगी इकाई की स्थिति प्राप्त करने के बाद निर्मोचित की जाती है ।

(ग) ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता

4.37 (क) ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों के उपयोग और ऊर्जा संरक्षण उपायों पर परामर्श (ख) ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण, (ग) बेरोजगार युवा व्यक्तियों का स्व-विकास और स्व-रोजगार, (घ) महिला उद्यमियों के विकास, (ङ) लघु क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहन, (च) लघु क्षेत्र में देशीय प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण को प्रोत्साहन, (छ) पर्यटन और पर्यटन से संबंधित कार्यकलापों में उद्यमीयता विकास को प्रोत्साहन, आदि, के लिए उप-सहायता योजनाएं भाओवित्तनि द्वारा किए गए अन्य प्रयास हैं, जिनका लघु क्षेत्र पर कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ा है ।

4.38 यह तथ्य मान्य है, कि मात्र वित्त, कच्चे माल और अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता से किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उद्यमीयता जोखिम उठाने और औद्योगिक क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधनों का पर्याप्त पुनः अनुस्थापन

नहीं कर दिया जाता । भाऔविनि द्वारा प्रबन्ध विकास संस्थान की स्थापना और अन्य संस्थानों और संबंधित राज्य सरकारों के गहन समन्वय से उद्यमीयता विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना का सृजन आदि ऐसे उपाय हैं जिन्होंने समग्र देश में मानव संसाधनों के विकास पर प्रभाव डाला है । आज, सैकड़ों समर्थ युवा व्यक्ति उद्यमीयता विकास और उद्यम निर्माण कार्यक्रमों की मार्फत "रोजगार लेने वाले" से "रोजगार देने वाले" बन रहे हैं । उद्योग में प्रबंध के व्यावसायीकरण ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं । उद्यमीयता आधार को व्यापक बनाया जा रहा है और प्रौद्योगिकी आधार में भी सुधार किया जा रहा है । भाऔविनि सहित वित्तीय संस्थानों के उत्प्रेरक और प्रवर्तन कार्यों के कारण ही औद्योगिक क्षेत्र में काफी हद तक उपयुक्त और इस प्रकार की अन्य अनेक उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करना संभव हो सका है ।

प्रतिबोधित क्षेत्र– नीति दृष्टिकोण

4.39 सरकार ने मोटे तौर पर आठवीं योजना अवधि के दौरान "ग्रामीण विकास", "रोजगार सृजन", "प्रौद्योगिकी नवीकरण" और "निर्यात संवर्द्धन" को प्रमुख क्षेत्र के रूप में व्यापक रूप से निर्धारित किया है । इसके अतिरिक्त सरकार देश में पूंजी बाजार के क्रमिक विकास और धन के साम्यिक संवितरण के लिए भी वचनबद्ध है । देश के आर्थिक विकास के लिए आठवीं योजना में "मन्द प्रवाह" विकास मॉडल की बजाय स्व–पर्याप्तता और उपयुक्त प्रौद्योगिकी से युक्त एक "विकेन्द्रीकृत माडल" अपनाए जाने पर विचार किया जा रहा है । देश के भावी आर्थिक विकास के लिए लघु क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है, और इस उद्देश्य से सरकार द्वारा घोषित नवीन निर्यात–आयात नीति ने सेवाए क्षेत्र में निर्यात के तीव्र और नियमित विकास पर विशेष बल दिया है ।

4.40 सरकार ने यह भी अनुभव किया है कि भारतीय उद्योग एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां यह अपने संसाधनों पर भरोसा कर सकता है, और पूंजी बाजार की मार्फत घरेलू बचतों को काम में ला सकता है । सरकार की नीतियों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और निर्यात कार्यों को प्रोत्साहित करना है ।

प्रतिबोधित क्षेत्र—संस्थानात्मक दृष्टिकोण

4.41 भाऔविनि सहित सभी वित्तीय संस्थानों का भी प्रतिबोधित क्षेत्र, विद्यमान औद्योगिक इकाइयों में उत्पादकता सुधार अभियान को और अधिक सफल बनाने के लिए वित्त के रूप में उनकी सहायता प्रदान करता रहेगा । औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में विद्यमान संयंत्र के आधुनिकीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापना एवं आधुनिक उपस्कर वाले उपस्कर, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अन्य उपायों आदि को उच्च अग्रता प्रदान की जाती रहेगी । आर्थिक रूप से कमजोर और जन्मजात अव्यवहार्य इकाइयों को उनके चिरकालीन परिचालनों के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकेगी । उपयुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल उन रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए विचार किया जा सकेगा, जो सम्भाव्य रूप से व्यवहार्य हों ।

4.42 नई परियोजनाओं के संबंध में, वस्तुतः सहकारी क्षेत्र और/अथवा केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जा रही परियोजनाओं को प्राथमिकता और व्यवहार्यता के अन्य प्रतिफलों के अधीन अधिमानतः वित्तपोषित किया जाता रहेगा । मूलभूत पूंजी और मध्यस्थ माल उद्योग तथा कृषि और/अथवा ग्रामीण विकास से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बद्ध उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा । उपभोक्ता माल उद्योग क्षेत्र में उपभोक्ता शानोशौकत की वस्तुओं की तुलना में उपभोगी वस्तुओं को विशेष महत्व दिया जाएगा ।

4.43 वित्तीय सहायता के आवेदनों पर विचार करते समय, वित्तीय संस्थान आवेदक संस्थाओं के निर्यात कार्यों पर विशेष ध्यान देंगे । नई परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय, इनके निर्यात पहलू की गहन जांच करनी आवश्यक होगी । निर्यात के लिए अधिक उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निवेश को प्रभावित करने में समर्थ उद्योगों को प्रोत्साहन और उचित बल दिया जाएगा । प्रस्तावित परियोजना में उसकी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रति–स्पर्धात्मकता निर्धारित करने के लिए उत्पादन की घरेलू लागत की अत्यन्त ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी, ताकि गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गैर–किफायती और उच्च लागत वाली क्षमताएं स्थापित न की जा सकें ।

4.44 नवीन और विस्तार परियोजनाओं को वित्तीय सहायता पर विचार करते समय परियोजनाओं के रोजगार की संभावनाओं पर भी सदैव पर्याप्त बल दिया जाता रहेगा । श्रम गहन प्रक्रियाओं द्वारा पूंजी गहन प्रक्रिया के प्रतिस्थापन की संभावनाओं की जांच एवं सामाजिक एवं रोजगार दृष्टिकोण से लागत लाभ विश्लेषण करना अत्यधिक आवश्यक होगा । इस संदर्भ में विद्यमान सुगम प्रौद्योगिकी मदों को, बड़ी इकाइयों से लेकर, लघु अनुषंगी इकाइयों को देने की संभावना को सर्वथा ध्यान में रखा जायेगा । छीजन को पुनः उपयोग में लाने वाली, पर्यावरण संरक्षा तथा कम प्रदूषण फैलाने वाली परियोजनाओं को वित्त-पोषण के मामले में पर्याप्त महत्व दिया जाएगा ।

4.45 औद्योगिक प्रोत्साहन और रियायतों को महत्व-पूर्ण कार्य–क्षेत्रों जैसे निर्यात कार्य, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा पद्धतियों और साधनों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षा और मानव सुरक्षा उपाय आदि से जोड़ा जाएगा ।

4.46 रोजगार की दृष्टि से यात्रा और पर्यटन विश्व का एक सबसे बड़ा उद्योग है । विश्व पर्यटन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार "शताब्दी के अन्त तक पर्यटन विश्व का सर्वश्रेष्ठ निर्यात उद्योग बन जाएगा" । अत्यधिक श्रम गहन एवं निरन्तर बढ़ते रहने के कारण पर्यटन भारत जैसे देशों में रोजगार का एक मुख्य साधन बन सकता है, जहां विश्व के पर्यटकों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अनेक आकर्षण बिन्दु उपस्थित हैं । पर्यटन का एक मुख्य संघटक, अवस्थापना क्षेत्र जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि हैं । होटलों में श्रम एवं पूंजी गहन दोनों ही मुख्य लाभ समाहित होते हैं । 100 कमरों वाला एक होटल कम से कम 350 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करता है । विशाल आर्थिक चक्र के कारण होटल उद्योग

सबसे बड़ा अर्थ वृद्धि करने वाला क्षेत्र भी है । अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आवास की आवश्यकता का पता लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्य दल के अनुसार देश को अब लगभग 45,000 कमरों की कुल उपलब्धता के स्थान पर आठवीं योजना के अन्त तक कम से कम 75,000 कमरों की आवश्यकता होगी । भाऔविनि को पर्यटन और पर्यटन संबंधी कार्यों के संवर्द्धन विकास और वित्तपोषण के लिए एक केन्द्रीय ऐजेंसी के रूप में पहले ही घोषित किया जा चुका है । अतः आठवीं योजना अवधि के दौरान भाऔविनि द्वारा पर्यटन पर, जो महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा का सम्पर्क–साधन एवं सबसे बड़ा एकमात्र विदेशी मुद्रा अर्जन का स्रोत है, अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा । इसी प्रकार, रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करने वाली सेवाएं क्षेत्र की अन्य इकाइयों को भी भाऔविनि की ओर विशेष प्रोत्साहन प्राप्त होता रहेगा ।

4.47 भाऔविनि सहित सभी वित्तीय संस्थान यथासंभव साधारण निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा और उद्योग के प्रबंध में व्यावसायीकरण को अन्तर्निविष्ट करने का सदैव प्रयास करते रहेंगे । प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण के द्वारा उद्योग की प्रबंध-व्यवस्था को परिवर्तित एवं अनुकूल बनाना आवश्यक है, ताकि यह अपना संतुलन और उत्पादकता बनाए रख सके । जब तक उद्योग मानव संसाधनों के विकास पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देगा, तब तक उद्योग अपनी आशा के अनुरूप प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकेगा । औद्योगिक वित्तपोषण के भावी कार्यों के लिए इन तथ्यों पर विस्तृत रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा ।

प्रतिबोधित क्षेत्र—आन्तरिक दृष्टिकोण

4.48 भाऔविनि के लिए नए कारोबार के विकास और इसके कार्यकलापों के विशाखन, अपितु स्वयं द्वारा किए गए कारोबार के गुणात्मक पहलुओं में सुधार करने पर भी बल देना आवश्यक रहेगा । नई मांगों के लिए सहायता की मात्रा में वृद्धि के अनुरूप संसाधन जुटाने एवं निधियों को पुनः उपयोग में लाने के लिए इसके प्रयासों में पर्याप्त वृद्धि ही आवश्यक नहीं है, अपितु संसाधनों के आबंटन के लिए नीतियों एवं प्राथमिकताओं का पुनर्निधारण करना भी अपेक्षित हो सकता है ।

4.49 संसाधन जुटाने के क्षेत्र में, भाऔविनि को अपनी देय राशियों की वसूली के लिए शीघ्रता से अनुवर्तन करना होगा, एवं वित्तीय संस्थानों तथा सरकार के प्रति उनकी वचनबद्धता के अपने संघटकों के बीच एक अच्छा वातावरण निर्मित करना होगा। देश की वित्तीय पद्धति को सुचारू बनाए रखने एवं निवेश में वृद्धि करने हेतु ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जिसमें चूक की गुंजाइश न हो । उद्योग में योजना, बजट, पूर्वानुमान और अनुवर्तन से संबंधित कार्यों को पहले से भी अधिक तीव्रता से करना होगा । अधिकांश मामलों में, एक बार सुधारक वित्तीय प्रबंध होने से न केवल रुग्णता का, जहां यह बाहरी तथ्यों के कारण नहीं है, भी पता लगाया जा सकता है, अपितु इसे दूर भी किया जा सकता है ।

प्रतिबोधित क्षेत्र—नए आयाम

4.50 भावी अवधि के दौरान, भाऔविनि की छवि में, एक सामान्य दीर्घावधिक ऋणदाता संस्थान से एक सक्रिय वित्तीय मध्यस्थ अर्थात ऋण के मात्र प्रदाता से औद्योगिक विकास में एक सक्रिय भागीदार के रूप में परिवर्तन हो चुका है । आने वाले वर्षों में, विशेषतः आठवीं योजना अवधि में, वित्तीय मध्यस्थ तथा प्रवर्तन कार्य करने वाले के रूप में भाऔविनि की छवि संभवतः और भी प्रखर रूप से सामने आयेगी । जहां तक ग्रामीण विकास का संबंध है, यद्यपि भाऔविनि ग्राम एवं ग्रामीण विकास के लिए एक मुख्य एजेंसी नहीं है, फिर भी अपने सामाजिक दायित्व के रूप में भाऔविनि अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास-संवर्धन का भी अत्यधिक प्रयास करता रहेगा । जैसा कि पहले भी बताया गया है, भाऔविनि ने ग्रामीण और शहरी निर्धन लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में लगे स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना प्रवर्तन, समर्थन एवं विकास के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र गुवाहाटी में 2 करोड़ रुपये की निकाय निधि से "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि" की स्थापना की है । वस्तुतः धन और जन दोनों ही संसाधनों की आवश्यकता सभी कार्यों के लिए भाऔविनि को पड़ेगी । अपने संगठन और पद्धतियों की सुदृढ़ता और नम्यता को, जिसे भाऔविनि ने पिछले 42 वर्षों में निर्मित किया है, देखते हुए भाऔविनि अपने भावी दायित्वों और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में नवीन और नवीनतर आयाम जोड़ने के प्रति पर्याप्त आशावान है ।

5. आन्तरिक मामले

निदेशक बोर्ड

5.01 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की बारह बैठकें हुई, जिनमें से सात नई दिल्ली में और एक-एक बैठक बंगलौर, बम्बई, मद्रास, पटना और त्रिवेन्द्रम में हुई ।

5.02 वर्ष के दौरान, भाऔविनि के निर्वाचित और नामित निदेशकों में भी कुछ परिवर्तन हुए । 30 जून, 1989 को हुई वार्षिक महासभा में श्री डी० एन० घोष और श्री एस० के० सेठ के त्यागपत्र के कारण आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों पर क्रमशः श्री वी० अटल और श्री बी० डी० शाह को अनुसूचित बैंकों और बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों तथा अन्य ऐसे वित्तीय संस्थानों की श्रेणियों में आने वाले शेयरधारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाऔविनि के निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया । बाद में 09 अक्तूबर, 1989 को हुई एक विशेष महासभा में श्री एस०जी० दीवान को बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और अन्य ऐसे वित्तीय संस्थानों की श्रेणी के शेयरधारियों के प्रतिनिधि के रूप में भाऔविनि का निदेशक चुना गया । यह स्थान श्री एन० के० शिकर की भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप 31 अगस्त, 1979 का त्याग पत्र देने के कारण आकस्मिक रूप से रिक्त हुआ था । जनवरी, 1990 में श्री जे० एस० वार्ष्णेय और श्री वी० अटल

ने, जो अनुसूचित बैंकों की श्रेणियों के शेयरधारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से सेवा-निवृत्ति के पश्चात् निदेशक बोर्ड से त्याग-पत्र दे दिया। इन रिक्त स्थानों को 29 जून, 1990 को निर्धारित भाऔविनि के शेयरधारियों की आगामी 42 वीं वार्षिक महासभा में चुनाव द्वारा भरे जाने की संभावना है।

5.03 नामित निदेशकों की श्रेणी में केंद्रीय सरकार ने 19 फरवरी, 1990 से औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली में अपर सचिव, श्री एन० आर० कृष्णन को श्री ए० वी० गणेशन के स्थान पर भाऔविनि के निदेशक बोर्ड पर निदेशक के रूप में नामित किया। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने 18 अक्तूबर, 1989 से 17 जनवरी, 1990 तक तीन महीने की अल्पावधि के लिए बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री मन्तेश्वर झा को श्री एम० सी० सत्यवादी, संयुक्त सचिव की विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान उनके स्थान पर निदेशक नामित किया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔविबैं) द्वारा नामित किए जाने वाले निदेशक के चार पदों में से एक पद पूरे वर्ष रिक्त रहा। भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक) ने श्री एस० एन० बगाई, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके स्थान पर 31 जनवरी 1990 से सुश्री आई० टी० खाज, कार्यपालक निदेशक को नामित किया।

5.04 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड श्री ए० वी० गणेशन, श्री डी० एन० घोष, श्री वी० अटल, श्री जे० एस० वार्ष्णेय, श्री एस० के० सेठ, श्री एन० के० शिरुकर, श्री मन्तेश्वर झा और श्री एस० एन० बगाई द्वारा निदेशक के रूप में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सम्बद्ध रहने के दौरान की गई उनकी उपयोगी और बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनके प्रति अपनी परम आदर-भावना व्यक्त करता है।

सलाहकारों के तदर्थ समूहों की बैठकें

5.05 वर्ष के दौरान होटलों, अस्पतालों, रसायन-प्रक्रिया और अन्य सम्बद्ध उद्योगों के प्रस्तावों पर विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने के लिए भाऔविनि के सलाहकारों के तदर्थ समूह की पांच बैठकें हुईं।

अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय

5.06 अन्तर-संस्थानात्मक बैठकों, अन्तर-संस्थानात्मक पुनर्स्थापन बैठकों, वरिष्ठ कार्यपालक बैठकों, वरिष्ठ विधिक कार्यपालक बैठकों और क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय बनाए रखा गया। 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान 9 अन्तर-संस्थानात्मक बैठकें, 24 वरिष्ठ कार्यपालक बैठकें, 4 वरिष्ठ विधिक कार्यपालक बैठकें और 22 क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकें आयोजित की गईं। इनके अतिरिक्त प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलापों के क्षेत्र में अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय कायम करने के उद्देश्य से वरिष्ठ कार्यपालकों की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.07 राज्य स्तर पर भाऔविनि द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समितियों, राज्य स्तरीय मार्गदर्शन और अनुवर्तन समितियों तथा अन्य राज्य स्तरीय मंचों की बैठकों में अपने क्षेत्रीय/शाखा/अन्य कार्यालयों के प्रधानों के माध्यम से भाग लेकर समन्वय बनाए रखा गया।

विदेशी एजेंसियों से विचार-विनिमय

5.08 भाऔविनि ने विदेशों के अन्य विकास वित्तीय संस्थानों के साथ और विश्व के पूंजी बाजार में कार्यशील अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क और संबंध बनाए रखा।

5.09 भाऔविनि के अध्यक्ष, श्री डी० एन० डावर ने एशिया एवं प्रशान्त के विकास वित्तीय संस्थानों के संघ के 12वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताइपेई (चीन गणराज्य), की यात्रा की। उन्होंने हांगकांग तथा टोक्यो में भी पारस्परिक हितों के विषयों पर बैंकों एवं विदेशी संस्थानों के कार्यपालक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। श्री डावर ने निगम के महाप्रबंधक, श्री वी०एम०आर०के० शास्त्री के साथ एशियाई विकास बैंक से 150 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए बातचीत करने के सिलसिले में मनीला (फिलीपिन्स) की भी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने भाऔविनि के लिए विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के उद्देश्य से सिंगापुर के बैंकरों के साथ भी विचार-विमर्श किया।

5.10 भाऔविनि के महाप्रबंधक, श्री एफ० एम० पटनायक तथा उप-महाप्रबंधक, श्री के० पी० मुखर्जी ने बैंक आफ टोक्यो के साथ 12 बिलियन येन के ऋण करार पर हस्ताक्षर करने लिए हांगकांग की यात्रा की।

5.11 1989-90 का वर्ष भाऔविनि के लिए सम्मान का वर्ष रहा, जबकि निगम के अध्यक्ष, श्री डी०एन० डावर को परसातुआं बैंक—बैंक दालाम मलयेशिया (एसोसिएशन आफ बैंक्स, मलयेशिया) के अध्यक्ष ने, आठवें तुन-इस्माइल-अली वार्षिक व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया। इस व्याख्यान माला को 1980 में बैंक नेगारा, मलयेशिया के पहले गवर्नर, यांग अमात बरबहागिया तुन इस्माइल अली के सम्मान में मलयेशिया के एसोसिएशन आफ बैंक्स द्वारा शुरू किया गया था। सुविख्यात यांग अमात बरबहागिया तुन इस्माइल अली, मलयेशिया के एक ऐसे महापुरुष हैं, जिन्हें बैंक नेगारा को अत्यधिक सम्मानित सेन्ट्रल बैंक के रूप में, न सिर्फ देश में, बल्कि पूरे दक्षिण-पूर्वी एशिया में विकसित करने में अग्रदूत समझा जाता है। श्री डावर ने "वर्ग से समूह के लिए बैंकिंग व्यवस्था—भारतीय अनुभव" विषय पर भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इसमें हुई अभूतपूर्व प्रगति पर प्रकाश डाला। श्री डावर ने मलयेशिया औद्योगिक विकास वित्त, बरहाद द्वारा प्रायोजित एक बैठक में कुछ विशिष्ट श्रोताओं के समक्ष 'विकासशील बैंक व्यवस्था' पर भी व्याख्यान दिया। उन्होंने मलयेशिया बैंकिंग निगमों के प्रधानों तथा बैंक नेगारा मलयेशिया के गवर्नर के साथ लाभदायक विचार-विमर्श भी किया।

5.12 विदेशों से अनेक विशिष्ट व्यक्ति भी भाऔविनि में आए, और उन्होंने भारतीय वित्त व्यवस्था, भारत में निवेश के अवसर तथा पारस्परिक हितों के अन्य विषयों पर विचार-विमर्श किया।

12वां भाऔविनि रजत जयन्ती स्मारक व्याख्यान

5.13 "फिनलैण्ड की अर्थव्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीयकरण और विनियंत्रण" विषय पर फिनलैण्ड बैंक के गवर्नर श्री रौल्फ कुलबर्ग ने 25 नवम्बर, 1989 को भाऔविनि का 12वां रजत जयन्ती स्मारक व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में काफी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, तथा इसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री आर० एन० मल्होत्रा ने की। श्री कुलबर्ग का भाषण अत्यधिक नवीनता लिए हुए था, क्योंकि इसमें इस विषय पर प्रकाश डाला गया था, कि पिछले दशक में फिनलैण्ड की अर्थव्यवस्था विनियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार प्रसार एवं उत्थान दोनों ही दिशाओं में उत्कर्ष के बिन्दु तक पहुंची। वस्तुतः यह जानकारी अत्यन्त दिलचस्प थी, कि पिछले 35 वर्षों के दौरान एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से विनियंत्रित अर्थव्यवस्था और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर एक-एक कदम बढ़ाकर फिनलैण्ड की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार प्रगति हुई। श्री कुलबर्ग ने कहा कि "अन्तर्राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य फिनलैण्ड में श्रम की उच्च लागत के स्थान पर, श्रम की निम्न लागत की खोज नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य सामूहिक क्रिया कलाप की तलाश तथा उत्पादन की मात्रा को बढ़ाकर प्रतियोगिता की भावना में सुधार करना था। श्री कुलबर्ग ने अपने भाषण के अन्त में कहा, कि कुल मिलाकर विनियंत्रण और आर्थिक नीतियों को अधिकाधिक बाजारोन्मुख बनाने की दिशा में फिनलैण्ड का अनुभव अत्यधिक सकारात्मक रहा है। फिनलैण्ड में आर्थिक प्रगति को हमेशा गहन संरचनात्मक परिवर्तनों द्वारा तीव्र समर्थन प्रदान किया गया है, जिससे उद्योग में उत्पादकता की वृद्धि, संसाधन की मात्रा में बढ़ोत्तरी, स्केल की अर्थव्यवस्था में सुधार तथा निगमित क्षेत्र में सामूहिक क्रियाकलाप बढ़ाने में मदद मिली है।

जवाहर लाल नेहरू जन्म-शती समारोह

5.14 1989, जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी का वर्ष था। कृतज्ञ राष्ट्र ने गौरव, आभार एवं आदर के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा किए गए त्यागों और निःस्वार्थ सेवाओं को स्मरण करने के उद्देश्य से इसे उपयुक्त रूप से मनाने का निर्णय लिया था। भाऔविनि ने, इस वर्ष के दौरान, अपने विभिन्न केन्द्रों में निम्नलिखित पांच संगोष्ठियां आयोजित की :

—अहमदाबाद	नेहरू तथा लोकतांत्रिक समाजवाद के अन्तर्गत उद्योगीकरण
—बंगलौर	आधुनिक भारत के निर्माण में पण्डित नेहरू की भूमिका
—गुवाहाटी	जवाहर लाल नेहरू—आर्थिक विकास के नियामक
—लखनऊ	औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन के बारे में नेहरू का दृष्टिकोण
—मद्रास	प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक विकास—नेहरू का योगदान

उपयुक्त संगोष्ठियों के अतिरिक्त भाऔविनि के पत्र-शीर्षों और प्रकाशनों में नेहरू के लेखन एवं भाषणों से उद्धरण छापे गए।

5.15 नेहरू जन्मशती समारोह के सिलसिले में भाऔविनि ने पश्चिम विहार, नई दिल्ली स्थित अपनी स्टाफ कालोनी में 25 फरवरी, 1989 को एक बाल मेला आयोजित किया। 'बैंकिंग और उद्योग में नेहरू की प्रासंगिकता', विषय पर भाऔविनि के स्टाफ और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। नेहरू जन्म-शती समारोह के क्रम में एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था—'शान्ति और समृद्धि के लिए दौड़'। यह कार्यक्रम भाऔविनि के पश्चिम विहार, नई दिल्ली स्थित स्टाफ कालोनी में 11 नवम्बर, 1989 को आयोजित किया गया। इस दौड़ में मुख्य रूप से भाऔविनि के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के लगभग 500 व्यक्तियों ने हिस्सा लेकर देश में शान्ति और समृद्धि के महत्व का प्रचार किया। इस अवसर पर देश प्रेम के गीतों के कार्यक्रम के अतिरिक्त स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री, पण्डित जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बद्ध विषयों पर वाद-विवाद भी आयोजित किया गया जो कि 'अनेकता में एकता' की अवधारणा का प्रतीक था। कर्मचारियों के बच्चों के लिए ड्राइंग और पेन्टिंग प्रतियोगिता तथा 'नेहरू—भारत का महान सपूत' विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वालों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। पण्डित नेहरू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक लघु प्रदर्शनी भी लगाई गई।

संगठनात्मक गतिविधियां

5.16 उत्तरी क्षेत्र में अपने ग्राहकों को बेहतर और प्रभावशाली ढंग से सेवा प्रदान करने और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार तथा राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ बेहतर पारस्परिक सम्पर्क बनाए रखने के उद्देश्य से 12 जुलाई, 1989 को भाऔविनि के कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय को लखनऊ स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य और पूर्वी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को सहायता एवं सम्पर्क-स्थल की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कानपुर स्थित भाऔविनि कार्यालय को भी अपना काम जारी रखने दिया गया।

5.17 वर्ष के दौरान, गोवा स्थित, भाऔविनि के पणजी कार्यालय के दर्जे को बढ़ाकर पूर्ण शाखा कार्यालय बना दिया गया। उक्त कार्यालय ने शाखा कार्यालय के रूप में 2 अप्रैल, 1990 से काम करना शुरू कर दिया।

5.18 अनुवर्तन अवधि के लिए सामरिक नीति बनाने के साथ-साथ, कार्य निष्पादन की समीक्षा, कारोबार की स्थिति की सूक्ष्म जांच तथा कार्यान्वियन योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने की निरन्तर प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मई और सितम्बर 1989 में भाऔविनि के वरिष्ठ कार्यपालकों के दो सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में भाग लेने वालों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष, श्री आर० गणपति, योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य, डा० एम० एस० खुसरो, भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री डी० एन० घोष और भारत के सनदी

लेखाकार संस्थान के तकनीकी निदेशक, श्री कमल गुप्ता के साथ पारस्परिक विचार-विनिमय के अवसर भी प्रदान किए गए ।

5.19 प्रशिक्षण, जन-शक्ति नियोजन, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, कम्प्यूटीकरण, स्टाफ से प्राप्त सुझावों, कार्य के सरलीकरण, अभिलेखों के रख-रखाव और अनुरक्षण, माइक्रो फिल्मिंग, स्टाफ कल्याण, पुस्तकालय, अड़ सम्पत्ति की प्राप्ति, उत्पादकता में सुधार आदि से सम्बद्ध विषयों की योजना बनाने, उन्हें निष्पादित करने तथा उनकी देख-रेख करने के लिए गठित भाऔविनि के कार्मिकों की विभिन्न समितियां भाऔविनि के क्रियाकलापों से संबंधित क्षेत्रों में पहले की ही भांति कार्य करती रहीं । इन समितियों के सुझावों को व्यापक रूप से कार्यान्वित किया गया ।

5.20 भाऔविनि क्रमिक रूप से कार्य के विकेन्द्रीकरण और अपने कार्यालयों तथा विभिन्न विभागों के प्रधानों को अधिकाधिक अधिकार सौंपने की अपनी नीति पर चलता रहा । इसी नीति के अनुसरण में विभिन्न कार्यालयों और विभागों के प्रधानों को अधिक से अधिक अधिकार सौंपे गए, ताकि शीघ्र काम निपटाने, तथा विशेष रूप से मंजूरियों, संवितरणों और संवितरण उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र सम्पन्न करने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके ।

इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग तथा संप्रेषण प्रणाली

5.21 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भाऔविनि द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में यूनिक्स वातावरण में काम करने वाले ई०एस०पी०एल० लघु प्रणाली स्थापित करने का उल्लेख किया गया था । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस समय विद्यमान आई० सी० आई० एम०-6040 मेन फ्रेम और आई० सी० आई० एम०-डी० आर० एस०-300 सिस्टम के अतिरिक्त भाऔविनि के प्रधान कार्यालय में चार तथा सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में एक-एक ई० एस० पी० एल० सिस्टम लगाए गए । उत्कृष्ट मुद्रण और वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के बढ़ते हुए कार्यभार को ध्यान में रखते हुए प्रधान कार्यालय में एक और लेजर प्रिंटर लगाया गया ।

5.22 भाऔविनि में आई० सी० आई० एम०-6040 मेन फ्रेम कम्प्यूटर सिस्टम को लेखांकन, परियोजना मूल्यांकन और प्रबंध सूचना प्रणाली के क्षेत्रों में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करके उसे यूनिक्स वातावरण में काम करने के लिए बदला गया, और इस व्यवस्था को भाऔविनि के सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में काम कर रही ई० एस० पी० एल० मशीनों में संप्रेषित किया गया। वर्ष के दौरान, वित्तीय अनुपात विश्लेषण की संशोधित पद्धति, वित्तपोषित संस्थाओं से संबंधित आंकड़ों के संचयन, अनुरक्षण, अद्यतन बनाए रखने तथा उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में निष्पादन आंकड़ों के संकलन तथा विदेशी मुद्रा संसाधन एवं परिचालन विभाग क्रियाकलापों में कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था को विकसित किया गया, तथा सम्बद्ध प्रणाली को क्रियाशील बनाया गया । पहले से विकसित वित्तीय प्रणाली तथा जन-शक्ति नियोजन और विकास से सम्बद्ध प्रणालियों में "ऑन-लाइन' की सुविधा प्रदान करने के लिए भी विकास कार्य शुरू किया गया । इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग विभाग में आवश्यकतानुसार निपुण कार्मिकों की व्यवस्था के अतिरिक्त, एम०एस०-डॉस संकार्य प्रणाली के साथ पर्सनल कम्प्यूटर के उपयोग तथा पर्सनल कम्प्यूटर लोटस-1-2-3, डी० बेस-प्लस, वर्डस्टार, यूनिक्स आपरेटिंग सिस्टम यूनिफाई डाटा बेस सॉफ्ट सिस्टम सहित एम० एम०-386 लघु प्रणाली के उपयोग के सम्बन्ध में विभिन्न प्रयोक्ता विभागों/प्रभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य जारी रखा गया ।

5.23 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बीच समान दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष गठित अन्तर-संस्थानात्मक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग समन्वय समिति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भी, विशेष रूप से प्रपत्रों के मानकीकरण के क्षेत्र में तथा वित्तपोषित संस्थाओं के साथ उनकी परियोजनाओं की रूपरेखा के मामले में, सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया के बारे में कार्यरत रही ।

कार्मिक

5.24 मार्च, 1990 के अन्त तक भाऔविनि (क्षेत्रीय, शाखा और अन्य कार्यालयों सहित) में कार्मिकों की कुल संख्या 1,159 थी । इनमें 441 अधिकारी, 502 सहायक कर्मचारी और 216 अधीनस्थ कर्मचारी थे । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या, क्रमशः 175, 36 और 17 थी । मार्च, 1990 के अन्त तक भाऔविनि में महिला कर्मचारियों की संख्या 181 थी ।

मानव संसाधन विकास

5.25 प्रशिक्षण संचालन समिति के, जिसके अध्यक्ष महोदय स्वयं प्रधान हैं, समग्र दिशानिर्देश और पथ-प्रदर्शन में, पहले की ही भांति मानव संसाधन विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाता रहा । कार्यों को विशेष स्थितियों में भी पूरा करने के उद्देश्य से सैद्धान्तिक मूल्यों के निर्माण तथा उन्हें व्यवहार में लाने के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जाता रहा ।

5.26 वर्ष के दौरान, विभिन्न अवधि के 55 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे स्टाफ के 720 सदस्यों ने लाभ उठाया । यह कार्यक्रम विकास अर्थव्यवस्था और विकास बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र में अद्यतन अवधारणाओं के बारे में समझ-बूझ को व्यापक बनाने तथा विकास बैंकिंग व्यवस्था के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और संभावित चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सम्बद्ध अवधारणाओं में आवश्यक कार्य-कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए ।

5.27 भाऔविनि में नियुक्त प्रबंध प्रशिक्षणार्थियों और भर्ती किए गए अन्य कार्मिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई, और उन कार्यक्रमों को संचालित किया गया । भाऔविनि की सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण/रियायतों के बारे में सरकार के मार्ग-निर्देशों पर निगम अमल करता रहा । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने

के लिए भर्ती से पूर्व के परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भाऔविनि में विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार देने से पूर्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 166 प्रत्याशियों ने भाग लिया।

5.28 आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ विचार-विनिमय का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबंध विकास संस्थान—प्रबंध विकास के लिए भाऔविनि द्वारा प्रायोजित संगठन, सहित अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्टाफ के 47 सदस्यों ने भाग लिया। पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान द्वारा आयोजित प्राचार्यों के सम्मेलन में निगम के प्रशिक्षण केन्द्रों के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नामित किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी को मनीला में आयोजित कोम्फ़ार (कम्प्यूटर मॉडल फ़ार फाइनेन्शियल एनालिसिस एण्ड रिव्यू) सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट विश्लेषण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की संगोष्ठी में भाग लेने के लिए विदेश भेजा गया। उन्हें डवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में कम्प्यूटरीकरण और मानव संसाधन विकास संबंधी गतिविधियों के विशेष संदर्भ में उक्त बैंक की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करने के लिये भी प्रतिनियुक्त किया गया। भाऔविनि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लाभ के लिए देश-विदेश के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर विशेष व्याख्यानों की भी व्यवस्था की गई।

5.29 रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय के उद्देश्य से बनाई गई भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अधीन भाऔविनि ने वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के तीन अधिकारियों को अपने पुनर्स्थापन वित्त विभाग में कार्य प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई।

5.30 गहन आन्तरिक प्रशिक्षण, कार्य प्रशिक्षण, बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्टाफ के सदस्यों को संस्था के समग्र क्रियाकलापों में सुधार लाने के लिए स्टाफ सुझाव योजना के अन्तर्गत स्टाफ को निरन्तर सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया। स्टाफ सुझाव समिति ने प्रत्येक सुझाव का भली भांति मूल्यांकन किया, और सुझावों को क्रियान्वयन के लिए स्वीकार किए जाने की स्थिति में सुझाव देने वाले स्टाफ के सदस्य को नकद पुरस्कार/प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

स्टाफ के लिए कल्याण-कार्य

5.31 भाऔविनि के स्टाफ कल्याण-कार्यों में सामाजिक सुरक्षा, आवास एवं चिकित्सा की सुविधाएं, मुख्य घटक बनी रहीं। स्टाफ कल्याण निधि, जिसमें वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि की गई, स्टाफ कल्याण की गतिविधियों का मूल आधार बनी रही। वर्ष के दौरान, भाऔविनि स्टाफ कल्याण निधि प्रशासन मार्गनिर्देश के अन्तर्गत निगम के कर्मचारियों को दी जा रही वर्तमान सुविधाओं में अनेक सुधार, विशेष रूप से स्टाफ के स्व-विकास और घरेलू उपयोग के टिकाऊ सामान के लिए अग्रिम के संबंध में, किए गए।

परिसर

5.32 वर्ष के दौरान, भाऔविनि के प्रधान कार्यालय के अनेक प्रभाग/विभाग, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित स्कोप कॉम्प्लेक्स में स्थानान्तरित कर दिए गए, जहां भाऔविनि ने स्वामित्व के आधार पर स्थान प्राप्त किया था। एक ही परिसर में भाऔविनि के सभी विभागों/प्रभागों के लिए स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान आई० एफ० सी० आई० टावर्स नामक बहु मंजिले कार्यालय परिसर के लिए एक प्लाट खरीदने का प्रस्ताव किया गया, जिसके उपरांत भाऔविनि ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से नेहरू प्लेस में जमीन का एक प्लाट खरीद लिया। अब वहां एक ही स्थान पर पूरे निगमित कार्यालय के लिए 21 मंजिला भाऔविनि टावर बनाने का प्रस्ताव है।

5.33 विभिन्न केन्द्रों पर अब, भाऔविनि के अपने कार्यालय परिसर हैं। वर्ष के दौरान, कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ-साथ ही पटना प्रशिक्षण केन्द्र भी अपने भवन में कार्य करने लगा। इसी प्रकार वर्ष के दौरान, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त बम्बई तथा हैदराबाद के प्रशिक्षण केन्द्रों ने भी अपने-अपने कार्यालय परिसरों में कार्य आरम्भ कर दिया।

खेल-कूद और अन्य कार्यक्रम

5.34 भाऔविनि ने सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए बल्कि निगम द्वारा प्रायोजित संगठनों और संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी खेल-कूद और क्रीड़ा-कौशल को प्रोत्साहित करने का कार्य जारी रखा। पांचवीं अखिल भारतीय भाऔविनि खेल-कूद प्रतियोगिता-1990 का समापन समारोह दिनांक 25 फरवरी, 1990 को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खेल-कूद के मुख्य पहलू इस वर्ष थे—(क) सहयोगी संगठनों एवं संस्थानों, जैसे जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि०, भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि०, मध्य प्रदेश परामर्शकारी संगठन लि० तथा प्रबंध विकास संस्थान के खिलाड़ियों द्वारा सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेना; (ख) बड़ी संख्या में भाऔविनि के पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों द्वारा प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना; और (ग) सभी स्तरों पर भाऔविनि के कर्मचारियों के बच्चों द्वारा बड़ी संख्या में प्रतियोगिताओं में भाग लेना।

5.35 भाऔविनि के टेबल टेनिस के खिलाड़ियों ने 22 से 28 सितम्बर, 1989 तक रांची में आयोजित नौवां अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त 17 तथा 18 मार्च, 1990 को धनबाद, बिहार में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की खेल-कूद प्रतियोगिता में भी भाऔविनि के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है, कि भाऔविनि अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड का सदस्य भी है।

सांस्कृतिक समारोह और अन्य कार्यक्रम

5.36 पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी भाऔविनि कर्मचारी मनोरंजन क्लब ने अपना वार्षिक सांस्कृतिक समारोह मनाया। इस वर्ष यह समारोह बुधवार, 14 फरवरी, 1990 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक 'रामायण' के निर्माता-निर्देशक, श्री रामानन्द सागर और संगीतकार श्री रवीन्द्र जैन की उपस्थिति समारोह की प्रमुख विशेषता थी। यह क्लब, जिसे भाऔविनि से उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी जा रही है, भाऔविनि के स्टाफ और उनके परिवार के सदस्यों के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम, भ्रमण एवं यात्रा तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में सदा सक्रिय रहा है।

5.37 भाऔविनि ने 19 से 25 नवम्बर, 1989 तक यथेष्ट उत्साह एवं उल्लास के साथ राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह भी मनाया। इसके अतिरिक्त "पर्यावरण दिवस" के अवसर पर 'पर्यावरण परिरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण—भारतीय परिदृश्य' विषय पर वाद-विवाद का आयोजन किया गया।

सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए अंशदान

5.38 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने जवाहर लाल नेहरू शताब्दी समारोह की समाप्ति के अवसर पर 14 नवम्बर, 1989 को आयोजित 'भारतीयम्' कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को 10,000/- रुपये का अंशदान दिया। इसके अतिरिक्त, निगम ने अखिल भारतीय बधिर क्रीड़ा परिषद्, नई दिल्ली, भारतीय यक्ष्मा संघ, नई दिल्ली, हरिजन सेवक संघ, बम्बई राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, बम्बई और कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास के लिए भी अपना विनम्र अंशदान दिया।

जन-सम्पर्क

5.39 जन-सम्पर्क क्रियाकलापों के एक अंश के रूप में, भाऔविनि ने 29 अप्रैल, 1989 को मद्रास में द्वितीय "ग्राहक—सम्मेलन आयोजित" किया। इस सम्मेलन में दक्षिणी क्षेत्र, यानी आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के भाऔविनि के ग्राहकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री श्री एदुआर्द फ्लैरो ने किया। इसके अतिरिक्त, भाऔविनि की भूमिका तथा इसके योगदान के बारे में बेहतर समझ-बूझ कायम करने तथा मौके पर ही उद्योगीकरण की समस्याओं तथा संभावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कोचीन में जुलाई, 1989 में केरल राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। भाऔविनि के जन-सम्पर्क विभाग ने पहले की भांति मासिक आर्थिक एवं वित्तीय समाचार सार का प्रकाशन जारी रखा, तथा भाऔविनि की विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में इसके बड़ी संख्या में वर्तमान और भावी ग्राहकों के बीच जानकारी देने और जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से निगम के प्रकाशनों के अद्यतन एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित किए गए।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

5.40 भाऔविनि ने पहले की ही भांति अपने कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयास जारी रखा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शासकीय कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत प्रयत्नों को सम्मानित करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर नकद पुरस्कार की एक योजना शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार एक अन्य पुरस्कार योजना भी प्रारम्भ की गई। अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगी परीक्षा की विद्यमान योजना, जो कि भाऔविनि में पहले से ही लागू है, के अन्तर्गत वर्ष के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में स्टाफ के 59 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

5.41 प्रधान कार्यालय सहित, भाऔविनि के प्रत्येक क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर निगरानी रखी, और सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। भाऔविनि के सभी कार्यालयों में प्रत्येक महीने के पहले एवं तीसरे बुधवार को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाना जारी रहा। क्षेत्रीय, शाखा एवं अन्य कार्यालय के प्रधान भारत के विभिन्न नगरों में गठित नगर-स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते रहे।

5.42 पहले की ही भांति, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी प्रशासन परिपत्र, परिचालन परिपत्र, अधिसूचना, विज्ञापनों और सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किए गए। आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भाऔविनि के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण सामग्री का हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध कराया गया।

5.43 हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षित टंककों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान विभागीय हिन्दी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया। भाऔविनि के विभिन्न कार्यालयों में लगाई गई टेलेक्स मशीनों में द्विभाषिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारियों के पास इनका पंजीकरण कराया गया, इनमें 9 टेलेक्स मशीनों के स्थान पर द्विभाषिक टेलेक्स मशीनें पहले ही लगाई जा चुकी हैं।

5.44 स्टाफ के जिन सदस्यों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। कुछ टाइपिस्टों एवं स्टेनोग्राफरों को भी क्रमशः हिन्दी टाइपराइटिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। भाऔविनि का आन्तरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग विभिन्न कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों एवं प्रभागों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की जांच करता रहा, और जहां कहीं उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने में कमियां पाई गईं, उन्हें दूर करने/उनमें सुधार के लिए सुझाव देता रहा।

39 वीं वार्षिक रिपोर्ट को रजत वैजयन्ती (1986-87)

5.45 वर्ष के दौरान, नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया ने बैंक और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त

हुई प्रविष्टियों में से भाऔविनि की 30 जून, 1987 को समाप्त हुए वर्ष की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखे को सर्वोत्तम घोषित किया, और भाऔविनि को रजत वैजयन्ती प्रदान करने का निर्णय लिया। यह दूसरा अवसर है कि भाऔविनि को इस प्रकार का गौरव प्राप्त हुआ है। इससे पहले भाऔविनि की वर्ष 1984–85 की वार्षिक रिपोर्ट को भी रजत वैजयन्ती से सम्मानित किया गया था।

आभार

5.46 निदेशक बोर्ड, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अन्य सहयोगी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य स्तर के विभिन्न वित्तीय एवं विकास संगठनों एवं मर्चेंट बैंकिंग संगठनों से प्राप्त सहायता, सहयोग और समर्थन के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

5.47 निदेशक बोर्ड, भाऔविनि द्वारा विदेशों में स्थित विभिन्न वित्तीय संस्थानों, विशेष रूप से विश्व बैंक, आर्थिक विकास संगठन, एशियाई विकास बैंक, एशिया और प्रशांत के विकास वित्तीय संस्थानों के संघ, जर्मन संघीय गणराज्य के क्रेडितांण स्तल्त-फर-वाइडरफबउ और अनेकों विदेशी समवर्ती बैंकों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय के सदस्यों से प्राप्त सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है।

5.48 निदेशक बोर्ड, निगम के सभी स्तर पर स्टाफ के समस्त सदस्यों द्वारा इस अवधि के दौरान अत्यधिक निष्ठा एवं समर्पण भाव से की गई सेवा के लिए उनकी सहर्ष सराहना करता है।

डी० एन० डावर
अध्यक्ष

परिशिष्ट–I

1989–90 के दौरान, चुने हुए उद्योगों की विस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक हैं)

क्रम सं०	उत्पाद	माप इकाई	1989–90 में विस्थापित क्षमता और उत्पादन: सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में — विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1989–90 (अप्रैल–मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग	निगम की वित्तपोषित संस्थाओं के संबंध में — विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1989–90 (अप्रैल–मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	चीनी	लाख टन	91.65 (394)	101.00*	110.2*	7.24 43	8.87	122.5
2.	सूती धागा (मिल क्षेत्र)		26.48 मिलियन तकुए (1029)	1367.45 मिलियन कि० ग्राम	—	4.90 मिलियन तकुए (149)	393.34 मिलियन कि० ग्राम	—
3.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)		1.84 लाख खड्डिया	1987.79 मिलियन मीटर	—	0.14 लाख खड्डियां	249.01 मिलियन मीटर	—
4.	पटसन वस्त्र	लाख टन	19.87 (73)	13.00	65.4	1.28 (5)	1.06	82.81
5.	कागज और गत्ता	लाख टन	30.14 (305)	22.00	73.0	7.74 (27)	6.33	81.8
6.	रेयन पल्प	लाख टन	1.96 (5)	1.90	96.9	0.33 (1)	0.41	124.2

*उत्पादन अक्तूबर 1989 से मई 1990 तक की अवधि का है।

**282 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	अखबारी कागज	लाख टन	3.00 (5)	2.75	91.7	0.75 (1)	0.81	108.0
8.	प्लाईवुड	मिलियन वर्ग मी०	119.04 (61)	51.00	42.8	7.75 (2)	2.75	35.5
9.	सीमेन्ट	मिलियन टन	62.00 (N.A.)	45.60	73.5	26.95 (64)	22.01	81.7
10.	नाइट्रोजन उर्वरक	लाख टन	81.48 (47)	68.00	83.5	24.58 (15)	21.43	87.2
11.	फॉस्फेटिक उर्वरक	लाख टन	27.50 (19)	18.00	65.5	7.58 (7)	5.67	74.8
12.	कास्टिक सोडा	लाख टन	11.03 (39)	8.92	80.9	3.41 (6)	3.09	90.6
13.	सोडा एश	लाख टन	14.60 (7)	11.50	78.8	0.66 (1)	0.48	72.7
14.	कैल्सियम कार्बाइड	लाख टन	2.19 (7)	0.85	38.8	0.60 (1)	0.22	36.6
15.	एसिटिक एनहाइड्राइड	हजार टन	35.00 (11)	22.50	64.3	0.72 (1)	0.76	105.5
16.	एसिटिक एसिड	लाख टन	1.05 (21)	0.73	69.5	0.06 (2)	0.03	50.0
17.	कार्बन ब्लैक	लाख टन	1.75 (7)	1.20	68.6	0.17 (1)	0.13	76.5
18.	तरल क्लोरीन	लाख टन	5.85 (29)	3.01	51.5	1.17 (4)	0.63	53.8
19.	नायलोन फिलामेन्ट धागा	हजार टन	68.20 (N.A.)	33.36	48.9	9.60 (2)	6.57	68.4
20.	नायलोन टायर कॉर्ड	हजार टन	(N.A.)	(N.A.)	(N.A.)	7.50 (2)	5.54	73.8
21.	पालिएस्टर फिलामेन्ट यार्न	हजार टन	107.04 (N.A.)	140.90	131.6	39.32 (9)	46.24	117.6
22.	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर	हजार टन	204.06 (N.A.)	108.86	53.3	48.00 (2)	21.50	44.8
23.	विस्कोस स्टेपल फाइबर	हजार टन	116.70 (N.A.)	134.05	114.9	114.60 (1)	110.02	96.0
24.	ऑटो टायर	लाख संख्या	288.28 (24)	184.00	63.8	79.36 (5)	70.53	88.8
25.	ऑटो ट्यूबें	लाख संख्या	200.73 (26)	160.00	79.7	49.20 (4)	55.76	113.3
26.	रबर गर्भरोधक	मिलियन संख्या	1033.00 (3)	1118.00	108.2	608.00 (1)	347.00	57.1
27.	पुनर्प्रयोग की गई रबर	हजार टन	36.57 (11)	21.10	57.7	9.11 (2)	5.71	62.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28.	खालों से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	106.68 (42)	70.27	65.9	1.82 (2)	2.40	131.9
29.	त्वचा से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	644.76 (65)	245.70	38.1	26.90 (2)	11.92	44.3
30.	कांच की शीटें	मिलियन वर्ग मी०	45.79 (9)	42.00	91.7	55.98 (3)	51.96	92.8
31.	फाइबर ग्लास	हजार टन	6.34 (5)	5.29	83.4	1.60 (1)	1.35	84.4
32.	कांच की बोतलें और विविध कांच का सामान	लाख टन	6.51 (27)	6.87	105.5	0.86 (3)	0.49	57.0
33.	कृत्रिम डिटर्जेंट	हजार टन	440.00 (23)	183.10	41.6	10.00 (1)	0.96	9.6
34.	साबुन	हजार टन	435.40 (53)	370.00	84.9	0.30 (2)	0.08	26.7
35.	फैटी एसिड	हजार टन	200.00 (23)	108.00	54.0	16.21 (2)	8.93	55.1
36.	ग्लिसरीन	हजार टन	40.58 (23)	14.80	36.5	2.35 (1)	0.47	20.0
37.	रिफेक्ट्रीज	लाख संख्या	16.00 (71)	9.34	58.4	0.60 (2)	0.46	76.7
38.	सिरेमिक टाइल्स	लाख टन	3.65 (23)	2.93	80.3	0.51 (3)	0.38	74.5
39.	विस्फोटक	हजार टन	230.00 (22)	128.10	55.7	36.25 (4)	14.61	40.3
40.	ऑक्सीजन	एमसीएम	226.03 (190)	175.00	77.4	21.49 (8)	18.02	83.8
41.	घड़ियां	मिलियन संख्या	183.80 (16)	90.00	48.9	1.50 (1)	2.64	176.0
42.	बिक्री योग्य स्टील (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	116.70 (6)	90.30	77.4	22.00 (1)	20.06	91.2
43.	स्टील इंगोट्स/बिल्लेटस	लाख टन	56.31 (173)	34.68	61.6	10.93 (19)	5.87	53.7
44.	स्टील गढ़ाई	लाख टन	3.35 (80)	1.95	58.2	0.36 (4)	0.20	55.6
45.	स्टील ढलाई	लाख टन	2.20 (87)	0.99	45.0	0.75 (8)	0.29	38.7
46.	शीत कृत इस्पात पत्तियां	लाख टन	15.00 (57)	4.75	31.7	2.84 (10)	1.86	65.5
47.	स्पॉन्ज आयरन	लाख टन	6.00 (5)	3.50	58.3	2.10 (2)	1.57	74.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48.	दुपहिये	लाख संख्या	32.00 (24)	17.50	54.7	10.66 (11)	3.63	34.1
49.	वाणज्यिक वाहन	लाख संख्या	2.64 (13)	1.30	49.2	0.95 (4)	0.51	53.5
50.	कारें	लाख संख्या	2.16 (5)	1.80	83.3	1.02 (1)	0.96	94.1
51.	वी बेल्ट्स	लाख संख्या	183.71 (16)	135.00	73.5	12.00 (1)	11.92	99.3
52.	कन्वेयर बेल्ट्स	हजार टन	8.91 (8)	11.48	128.8	2.38 (1)	2.68	112.6
53.	जी० एल० एस० लैम्प्स	मिलियन संख्या	343.00 (20)	260.00	75.8	42.55 (3)	36.01	84.6
54.	फ्लोरेसेन्ट ट्यूबें	मिलियन संख्या	760.00 (16)	480.00	63.2	5.00 (1)	4.88	97.6
55.	पावर एवं वितरण ट्रांसफार्मर्स	मिलियन किलोवाट्स	44.28 (32)	30.00	67.7	8.50 (4)	4.92	57.9
56.	इलैक्ट्रिकल पंखे	लाख संख्या	76.00 (17)	56.00	73.7	0.60 (1)	0.60	100.0
57.	डीजल इंजिन	हजार संख्या	336.00 (34)	255.00	75.9	96.75 (2)	22.03	22.8
58.	ट्रैक्टर	हजार संख्या	125.10 (19)	120.00	95.9	5.00 (2)	1.38	27.6
59.	पावर टिलर्स	हजार संख्या	16.00 (5)	4.80	30.0	2.50 (1)	2.28	91.2
60.	होटल	लाख संख्या@	146.00 (650)	97.67	66.9	26.94 (34)	17.92	66.5

@कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमशः किराये के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है ।

परिशिष्ट–II

1989–90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

(रु० करोड़ में)

उद्योग	परियोजनाएं (सं०)	कुल पूंजी लागत (रु०)	संभावित प्रत्यक्ष रोजगार (सं०)	उत्पाद मूल्य (रु०)	सकल मूल्य वृद्धि (रु०)	क्षमता प्रतिवर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
खनन	2	194.50	791	107.01	88.45	1.8 लाख टन चट्टानी फास्फेट अयस्क का खनन, पैट्रोलियम खनन के लिए 4 तेल कुएं खोदने वाले ब्रमों का प्रयोग ।
चीनी	5	61.85	1,250	65.74	17.01	1.31 लाख टन चीनी ।
खाद्य पदार्थों का संसाधन (प्रोसेसिंग)	12	125.33	2,682	377.37	79.52	1.35 लाख टन वनस्पति, 33,000 टन भैंस के गोश्त की प्रोसेसिंग, 3,600 टन मटन गोश्त, 3,456

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						टन तैयार चिकन, 1,800 टन कार्न फ्लैक्स, 9,000 टन आम का गाढ़ा रस तथा 5,000 टन टमाटर पेस्ट ।
वस्त्र	22	299.34	8,003	296.12	97.36	2.91 लाख तकुए, 600 रोटर्स, 700 टन धागे की गांठें, 96 पवन चक्की से चलने वाले करघे तथा 60 लाख मीटर कृत्रिम रेशे की प्रोसेसिंग ।
कागज और कागज उत्पाद	8	90.85	1,212	113.42	45.91	26,750 टन लिखाई व छपाई का कागज, 26,000 टन क्राफ्ट पेपर, 24,100 टन डुपलेक्स ट्रीपलेक्स बोर्ड; 4,200 टन अण्डों की ट्रे, 70 मिलियन मल्टी-वाल पेपर के बंडल ।
उर्वरक व कीटनाशक	4	42.30	675	47.99	18.04	1.98 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट तथा 470 टन कीटनाशक ।
रसायन एवं रसायन उत्पाद	43	613.71	6,393	828.89	334.31	40,335 टन सल्फ्यूरिक एसिड, 1,000 टन ओलियम्स, 5,000 टन क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, 13,500 टन तरल तथा पाउडर पेंट्स, 2,400 टन अल्ट्रा मेरिन ब्लू, 100 टन कैम्फर, 3,000 टन थियोनाइल क्लोराइड, 3,600 टन सोडियम हाइड्रोसल्फेट, पोलियो की इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दवाई की 50 मिलियन खुराकें, रेबीज दवाई की खुराकें 2 मिलियन, खसरे की दवाई की खुराकें 20 मिलियन, डी० पी० टी० पी० दवाई की खुराकें 40 मिलियन, 35,250 टन साल्टी एसिड/स्टेरिक एसिड, 6,000 टन परिष्कृत सीसा, 9,000 टन सीसा आक्साइड, 600 टन इबूप्रोफीन, 24 टन डिलटाइजम, 24 टन जेमजिम्रोजिल, 10,200 टन मेलिस एन्हाइड्राइड, 2,310 टन सोडियम हाइड्रोसल्फेट, 600 टन डाइथीलामाइंस तथा ट्राइथीलामाइंस, 1,800 टन एल्युमिनियम पाउडर, 780 टन एल्युमिनियम फ्लेक्स, 485 टन हाइड्रोजिन हाइड्रेट, 7,500 कि० ग्रा० कैंसर प्रतिरोधक तथा हाइपरटेंशन दवाइयां, इंटरमीडियेट्स, 1,500 टन चर्म शोधक रसायन, 3,110 टन नाइट्रोक्लोरोबेंजिन, 5,000 टन सल्फर, 840 टन डाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						इंटरमीडियेट्स, 1 लाख टन परिष्कृत आयोडीन युक्त नमक, 50 टन स्टेराइल एम्पीसीलिन सोडियम्, 4,800 टन एसीटलडिहाइड, 1,500 टन बीटा नेफ्थॉल, 4,500 टन एसीटिक एसिड, 5,000 टन बीस्फीनल, 39,000 टन स्टार्च, 10,000 टन तरल ग्लूकोस, 17,250 टन एसीटिक एसिड, 2,100 टन इथिल एसिटेट, 1,200 टन ब्यूटियल एसिटेट, 200 टन बल्क दवाइयां, 32 मिलियन एम्पल, 11 मिलियन वॉयल्स, 60 मिलियन कैप्सूल, 490 मिलियन टेब्लेट, 125 टन मलहम (ऑइंटमेंट), 60 टन सिरप दवाइयां, 15,000 टन हैवी नार्मल पैराफीन, 140 टन बल्क दवाइयां, 26,400 टन निम्न घनत्व वाली अमोनिया नाइट्रेट, 5,000 टन ट्रीफ्लोराइथीलिन, 4,950 लाख किलो लीटर औद्योगिक अल्कोहल, 1,000 टन इसो ब्यूटल-बेंजिल, 4,400 किलो लीटर औद्योगिक अल्कोहल, 36,000 टन साबुन (डिटरजेंट) की टिक्कियां/पाउडर
आटोमोबाइल टायर व ट्यूब	3	153.63	1,572	129.99	47.60	12.69 लाख आटोमोबाइल टायर तथा 7 लाख आटोमोबाइल ट्यूबें
कृत्रिम रेशे	15	992.63	3,063	973.35	420.60	58,800 टन पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न, 19,500 टन पार्शलि ओरियंटिड यार्न, 2,636 टन पोलीप्रोपीलीन फिलामेंट यार्न, 1,100 टन बल्क कंटीन्यूअस फिलामेंट यार्न, 22,500 टन पोलिएस्टर चिप्स
कृत्रिम रेसिन्स व प्लास्टिक उत्पाद	17	562.12	1,485	447.96	192.65	540 टन फ्लेक्सीबल पैकेजिंग मैटेरियल, 3,450 टन कोरुगेटिड पी० बी० सी० शीटें, 2,000 टन एक्स-पेंडेबल पोलिएस्टीन बीड्स, 50 मिलियन लेमिनेटिड कॉलिप्सेबल ट्यूबें, 29.52 मिलियन पी वी सी बोतलें, 5,000 टन बुटाडाइन सेट्रीन, 12,631 टन प्रिंटिड लेमिनेटिड पेपर पेकेजिंग मैटेरियल, 5 मिलियन हार्ड रेसिन्स आप्टीकल लेंस, 29,000 टन सेट्रीन बुटाडाइन रबड़, 1 लाख टन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						पी० वी० सी० रेसिन्स, 1,070 टन पोलीब्यूटीलीन पाइप, 51.3 लाख को-एक्सट्रूडिड मल्टीलेयर बोतलें/डिब्बे, 2,500 टन रिबलॉक पाइप तथा फिटिंग्स, 30 मिलियन वर्ग मीटर प्रैशर सेंसिटिव एडेसिव टेप, 1,400 टन बायोक्सली ओरियंटिड पोलीप्रोपीलीन फिल्म
सीमेंट	2	164.11	352	92.71	57.49	10.17 लाख टन सीमेंट
कांच व कांच उत्पाद	2	64.75	395	41.39	22.13	10 मिलियन वर्ग मीटर शीट ग्लास, 23,725 टन सोडालाइम ग्लास बोतलें।
विविध अधातु खनिज उत्पाद	18	218.07	2,621	163.28	92.60	1.26 लाख टन सेरेमिक फर्श व दीवार की टाइलें, 2.5 लाख टन सैंडलाइम ईंटें, 9,000 टन पोलीमर कंक्रीट टाइलें, आदि, 1,250 टन टाइलें, 4,000 टन डेकोरेटिव सेनिटरीवेयर, 3,600 टन प्रोसीलेन टेबलवेयर, 8,500 टन विनायल क्वार्टस् टाइलें, 1.44 लाख वर्ग मीटर पॉलिश्ड ग्रेनाइट स्लैब तथा स्तम्भ, 500 टन औद्योगिक सेरे-मिक्स, 17.5 लाख वर्ग मीटर संगमरमर की टाइलें तथा 2 लाख क्यूबिक फीट स्लैबें।
लोहा एवं इस्पात	10	2,363.93	3,704	1,377.55	685.86	7.5 लाख टन स्पंज आयरन, 75,000 टन पिग आयरन, 2.0 लाख टन कोल्ड रॉल्ड क्वायल्स, 8 लाख टन होट रॉल्ड क्वायल्स/शीट्स, 12,500 टन हैवी फोर्जिंग्स, 22,000 टन सीमलेस कार्बन तथा अलॉय स्टील ट्यूबें, 30,000 टन स्पंज आयरन लम्प्स तथा 20,000 टन आयरन ड्रेन वाटर पाइप तथा फिटिंग्स।
मशीनरी एवं उपांग	1	214.37	3,798	238.10	114.80	2 मिलियन टेपर्ड रोलर बियरिंग्स, 40,000 टन टेपर्ड रोलर काट्रिज, 32 मल्टी फ्यूल डायसेल जेनरेटिंग सेट, 300 टन पाइपिंग्स, 720 टन बॉयलर ट्यूबें, 240 टन कैमिकल/फूड प्रोसेसिंग/डेयरी उपकरण, 1,250 ऑटोमैटिक कटिंग्स व वैल्डिंग उपकरण, 66 ग्रेनाइट फाइलिंग मशीनरी, 1 लाख रेफ्री-जरेटर्स, 7,500 बॉटल कूलर्स एण्ड डीप फ्रीजर्स।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिजली मशीनरी एवं उपकरण	5	100.96	1,023	101.58	53.31	1 लाख स्टोरेज बैटरीज, 2.5 लाख ऑटोमैटिक इलैक्ट्रिक राइस कुकर्स, 10 मिलियन फ्लोरोसेंट ट्यूबें तथा 1,800 टन लीड ग्लास ट्यूबिंग, 650 डिजीटल माइक्रोवेव रेडियो उपस्कर और 400 डिजीटल मल्टीप्लैक्सर।
इलैक्ट्रानिक उपस्कर	34	924.89	8,347	1,094.31	429.59	2.4 मिलियन श्वेत व श्याम टी० वी० पिक्चर ट्यूबें, 2.6 लाख श्वेत व श्याम टी० वी० की असेम्बलिंग, 3 लाख रंगीन टी० वी० की असेम्बलिंग, 40 मल्टी एसेस रेडियो टेलीफोन, 900 मिलियन रनिंग मीटर वीडियो टेपें, 10 मिलियन रिचार्जेबल निकल काडियम, 10 मिलियन निकल काडियम फाइबर इलैक्ट्रॉड्स, 500 मिलियन जोड़े लीड टैब्स, 1,032 टन सॉफ्ट फैरिट्स, टेलीफोन एक्सचेंज की 18,750 लाइनों के डीजिटल सब्सक्राइबर कैरियर सिस्टम्स, 3 लाख वीडियो कैसेट रिकार्डर्स/प्लेयर्स, 3.68 मिलियन रंगीन/श्वेत व श्याम टी० वी० ग्लास बौल, 3 मिलियन इलैक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स, 20,000 टन पुश बटन टेलीफोन, 500 रेडियो पैजिंग सिस्टम्स, 8 प्रोपीलेंट रॉकेट इंजिन, स्पेस रिसर्च तथा डिफेंस रिसर्च के लिए कन्ट्रोल सिस्टम, 20,000 वर्ग मीटर डबल साइडिड मल्टीलेयर प्रिंटिड सर्किट बोर्ड, 4 लाख स्टेपर मोटर्स तथा 10 लाख डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर्स, 350 मिलियन मल्टीलेयर सेरेमिक चिप्स केपेसिटर्स, 500 पल्स मोड्यूलेशन, 38,300 वर्ग मीटर सिंगल/डबल प्लेटिड थ्रू मल्टी लेयर प्रिंटिड सर्किट बोर्ड, 199 मिलियन एल्यूमिनियम इलैक्ट्रॉनिक केपेसिटर्स, 80,386 चिप बेस्ड मदर बोर्ड फॉर पी० सी० तथा 18 मिलियन वीडियो कैसेट।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परिवहन उपस्कर	14	418.71	3,048	344.83	42.35	18,250 हल्के वाणिज्यिक वाहन, 13, 250 ट्रैक्टर्स, 600 बस के ढांचे, 2,400 कार्गो बाक्स, 3 लाख ऑटोमोबाइल रेडियेटर्स, 50,000 फ्रंट एक्सल ड्राइव शैफ्ट एसेम्बलिज, क्लच डिस्क तथा कवर्स प्रत्येक 1 लाख, 1.1 लाख कार्बोरेटर, 9,000 शक्ति चालित गीयर सिस्टम, 36,000 रिसरकूलेटिरी बाल टाइप स्टियरिंग तथा 2,000 टन हेलिकल स्पिंग।
धातु उत्पाद	5	51.48	859	162.63	31.40	18,500 टन प्री-इंजीनियर्ड मेटल बिल्डिंग सिस्टम 6,000 टन प्री-कोटेड एल्यूमिनियम शीट, स्ट्रीप्स, 30,000 टन स्टील शीट/स्ट्रीप्स, 25,000 टन चमकदार स्टील ट्यूब, 20,300 टन ड्राइंग स्टील वायर तथा 6,000 टन सेकेन्ड्री लीड व टिन।
होटल	28	215.13	4,458	103.37	75.48	2,878 कमरे
हास्पिटल	6	82.39	2,786	51.83	33.03	1,008 बिस्तर
बिजली व गैस	3	1,269.00	672	652.93	294.87	666.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन
अन्य	31	306.44	4,307	274.40	123.81	
जोड़	296	9,530.48	63,496	8,086.75	3,398.17	

वार्षिक लेखा 1989-90

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारतीय औद्योगक वित्त निगम के शेयरधारी

हमने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 31 मार्च, 1990 तक के संलग्न तुलन–पत्र और निगम के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों का लेखा–परीक्षण किया है, और शेयरधारियों को निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :—

1. तुलन–पत्र और लेखे, लेखा पुस्तकों के साथ तालमेल में हैं।

2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक पाए गए हैं।

3. हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र और तुलन-पत्र पर दी गई लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट हैं, इसमें सभी संबंधित जानकारी दी गई है, तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है, और इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता चलता है।

लोढा एण्ड कम्पनी

सुमेर बन्सल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 मई, 1990

तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा

31 मार्च, 1990 को तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 1990 को, लाख रुपए	31 मार्च 1989 को, लाख रुपए
1	2	3	4
परिसम्पत्तियां			
रोकड़ और बैंक शेष	1	4,680.23	14,092.53
वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश (लागत पर)	2	14,199.71	11,175.28
अन्य संस्थाओं में निवेश (लागत पर)	—	2,700.02	2,010.02
वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण	3	4,17,904.30	3,37,281.02
स्थिर परिसंपत्तियां	4	11,536.07	4,809.80
अन्य परिसम्पत्तियां	5	39,547.40	26,124.32
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता (विलोम प्रविष्टि पर)	—	3,983.96	3,250.64
जोड़		4,94,551.69	3,98,743,61
देयताएं और शेयरधारी निधि			
शेयर पूंजी	6	10,000.00	8,250.00
रिजर्व और आरक्षित निधियां	7	32,741.75	27,094.32
दीर्घकालीन ऋण	8	4,01,743.94	3,37,115.35
चालू देयताएं तथा व्यवस्थाएं	9	43,910.53	21,688.10
निर्दिष्ट निधियां	10	2,171.51	1,345.20
स्वीकृतियों पर देयताएं (विलोम प्रविष्टि पर)	—	3,983.96	3,250.64
जोड़		4,94,551.69	3,98,743.61
लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां	17		

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का भाग हैं

हरिशचन्द्र शर्मा, महाप्रबन्धक | एस० के० ऋषि, कार्यपालक निदेशक | डी० एन० डावर, अध्यक्ष | एन० आर० कृष्णन, एम० सी० सत्यवादी, निदेशक | एस० एच० खान, बी० आर० पंचमुखी, निदेशक | सुश्री आई० टी० वाज, डी० एम० पटेल | बी० डी० शाह, एम० जी० दिवान

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

लोढा एण्ड कम्पनी, सुमेर बन्सल एण्ड कम्पनी

नई दिल्ली : 18 मई, 1990

सनदी लेखपाल

31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाखये
1	2	3	4
ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय. (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए घटाकर)	11	46,295.48	27,777.34
ऋणों की लागत	12	35,794.83	21,361.84
निवल ब्याज राजस्व		10,500.65	6,415.50
अन्य परिचालनों से आय	13	1,292.46	1,125.58
जोड़		11,793.11	7,541.08
कार्मिक व्यय	14	855.11	501.85
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस, आदि	—	2.91	2.09
किराया, अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास	15	1,147.63	762.65
अन्य व्यय	16	267.81	213.95
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि को अनुदान (वि० मु० वि० जो० नि०)	—	500.00	—
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	—	5.00	5.00
कराधान के लिए व्यवस्था	—	2,270.00	1,002.19
		5,048.46	2,487.73

ऊपर लिखित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखा का भाग हैं ।

समायोजन :

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि		2,230.20	2,753.54
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि		3,000.00	1,429.11
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि		250.00	100.00
कर्मचारी कल्याण निधि		50.00	50.00
लाभांश		1,214.45	720.70
		6,744.65	5,053.35

हरिश्चंद्र शर्मा, महाप्रबन्धक — एस० के० ऋषि, कार्यपालक निदेशक — डी० एन० डावर, अध्यक्ष — एन० आर० कृष्णन, एम० सी० सत्यवादी, एस० एच० खान, बी०आर० पंचमुखी, सुश्री आई० टी० धाश, डी० एम० पटेल, बी० डी० शाह, एम० जी० दिवान, निदेशक

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

लोढा एण्ड कम्पनी

सुमेर बन्सल एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

नई दिल्ली : 18 मई, 1990

अनुसूची 1

रोकड़ और बैंक शेष

विवरण	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को लाख रुपये
1	2	3
रोकड़ और बैंक शेष		
—हाथ में नकदी/टिकटें	1.67	1.12
—हाथ में वसूली हेतु प्रस्तुत चैक/ड्राफ्ट	604.29	460.69
भारत के बैंकों में शेष		
—चालू खातों में (टिप्पणी सं० 8 देखें)	2,618.65	11,255.93
—अल्पावधि जमा में	196.25	1,453.25
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
—चालू खातों में	633.31	722.43
—अल्पावधि जमा में	626.06	199.11
जोड़	4,680.23	14,092.53

अनुसूची 2

वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश (लागत पर)

विवरण	धारा के अन्तर्गत*			31 मार्च, 1990 को लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को लाख रुपये
	23 (घ)	23 (च)	23 (छ)		
(i) इक्विटी शेयर	5,734.56	3,919.64	2,058.36	11,712.56	9,861.92
(ii) अधिमान शेयर	290.05	111.00	0.01	401.06	396.31
(iii) डिबेन्चर	599.34	996.55	243.02	1,838.91	690.89
(iv) शेयरों और डिबेन्चरों पर आवेदन राशि	21.46	225.72	—	247.18	226.16
31 मार्च, 1990 का जोड़	6,645.41	5,252.91	2,301.39	14,199.71	11,175.28
31 मार्च, 1989 का जोड़	5,616.72	3,353.99	2,204.57	11,175.28	
कथित निवेश					
—बही मूल्य				7,189.09	5,818.13
—बाजार मूल्य				18,670.55	16,298.83
अकथित निवेश उन निवेशों सहित जिनके लिए चालू दरें उपलब्ध नहीं हैं					
—बही मूल्य				6,763.44	5,130.99
—विश्लेषित मूल्य				3,822.06	3,104.83

*औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 से सम्बन्धित है ।

अनुसूची 3

वित्त पोषित संस्थाओं को ऋण (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को घटाकर)

विवरण	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को लाख रुपये
(i) भारतीय रुपयों में	3,38,875.78	2,75,604.31
(ii) विदेशी मुद्राओं में	79,028.52	61,676.71
जोड़	4,17,904.30	3,37,281.02

टिप्पणियां :

(i) संस्थाओं द्वारा देय ऋण, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं	शून्य	शून्य
(ii) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं	शून्य	शून्य
(iii) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज किस्तों की कुल अतिदेय राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं	शून्य	शून्य

अनुसूची 4

स्थिर परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 1990 को		निवल मूल्य	
	मूल लागत लाख रुपये	संचित मूल्य ह्रास लाख रुपये	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को लाख रुपये
1	2	3	4	5
—फ्रीहोल्ड भूमि तथा भवन	1,245.67	211.73	1,033.94	634.11
—पट्टे पर भूमि तथा भवन	5,362.89	215.04	5,147.85	667.53
—फर्नीचर तथा फिटिंग	186.47	57.76	128.71	78.11
—कार्यालय उपस्कर कम्प्यूटर सहित	404.62	238.44	166.18	124.37
—बिजली के संस्थापन	73.58	33.92	39.66	6.26
—वाहन	19.72	13.45	6.27	5.81
—पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियां —संयंत्र एवं मशीनरी	4,648.14	1,153.36	3,494.78	1,627.78
उप जोड़	11,941.09	1,923.70	10,017.39	3,143.97
—पूंजीगत खर्चों के लिए अग्रिम	1,518.68	—	1,518.68	1,665.83
जोड़	13,459.77	1,923.70	11,536.07	4,809.80
31 मार्च, 1989 को	5,976.35	1,166.55	4,809.80	

अनुसूची 5 — अन्य परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को लाख रुपये
1	2	3
प्रोद्भूत ब्याज, परन्तु देय नहीं	7,020.04	5,264.52
उपस्कर लीजिंग योजना के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम	10,575.53	4,409.33
उपस्कर उपार्जन योजना के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम	313.22	61.66
उपस्कर उधार योजना के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम	2,488.90	—
जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० को अग्रिम	860.10	660.60
कर्मचारियों को अग्रिम	250.42	212.58
कम्पनी जमा राशियां (आयकर पर सरचार्ज) योजना 1976/अन्य जमा राशियां	147.60	196.42
विनिमय अन्तर उचन्त खाता (निवल)	128.92	3,814.47
अग्रिम आय-कर, स्रोत बिंदु पर काटे गये कर सहित	7,641.38	6,612.06
अन्य परिसम्पत्तियां	10,121.29	4,892.68
जोड़	39,547.40	26,124.32

अनुसूची 6 — शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को लाख रुपये
1	2	3
अधिकृत :		
प्रत्येक पांच हजार रुपये के 5,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 2,00,000)	25,000.00	10,000.00
जारी और अभिदत्त :		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,25,000 शेयर (पिछले वर्ष 1,75,000) (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पुन अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त)	11,250.00	8,750.00
प्रदत्त :		
(i) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर	500.00	500.00
(ii) पूर्णयता प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज)	200.00	200.00
(iii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज)	134.60	134.60
(iv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सीरीज)	165.40	165.40
(v) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवीं सीरीज)	500.00	500.00
(vi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सीरीज)	250.00	250.00
(vii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (सातवीं सीरीज)	250.00	250.00
(viii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (आठवीं सीरीज)	500.00	500.00
(ix) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (नौवीं सीरीज)	500.00	500.00

1	2	3
(x) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (दसवीं सीरीज)	1,000.00	1,000.00
(xi) पूर्णयता प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (ग्यारहवीं सीरीज)	1,000.00	1,000.00
(xii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (बारहवीं सीरीज)	1,250.00	1,250.00
(xiii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (तेरहवीं सीरीज)	1,250.00	1,250.00
(xiv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर चौदहवीं सीरीज)	1,250.00	750.00 (आंशिक रूप से प्रदत्त)
(xv) प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 50,000 शेयर (पन्द्रहवीं सीरीज) (रुपये 2,500 राशि मांगी गई और प्रदत्त)	1,250.00	—
	10,000.00	8.250.00

अनुसूची 7 — रिजर्व और आरक्षित निधियां

विवरण	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये	31 मार्च 1989 को लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि	12,852.51	10,622.31
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि	100.00	100.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि	251.08	232.20
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	18,429.11	15,429.11
क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष अनुदान	1,109.05	710.70
जोड़	32,741.75	27,094.32

अनुसूची 8 — दीर्घकालीन ऋण

विवरण	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को लाख रुपये
1	2	3
बांड (अप्रतिभूत—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी—भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त)		
(क) 6½% बांड	—	7,500.00
(ख) 6¾% बांड	7,810.00	7,810.00
(ग) 7¼% बांड	10,050.22	10,050.22
(घ) 7½% बांड	10,995.00	10,995.00
(ङ) 8¼% बांड	7,975.00	7,975.00
(च) 8¾% बांड	8,004.80	8,004.80
(छ) 9% बांड	19,701.00	19,701.00
(ज) 9.76% बांड	32,269.13	32,269.13

1	2	3
(झ) 11% बांड	69,548.00	69,548.00
(ञ) 11.6% बांड	83,602.00	39,802.00
(ट) 7.6% बांड (येन मुद्रा)	11,728.06	5,938.24
(ठ) 6.9% बांड (येन मुद्रा)	11,728.05	5,938.24
(ड) 6.3% बांड (येन मुद्रा)	11,728.06	5,938.24
	2,85,139.32	2,31,469.87
उधार		
(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	4,925.00	5,765.00
(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम से	10,000.00	—
(ग) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारत सरकार से	50.82	95.68
(घ) ऋदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	1,033.65	924.66
(ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किए गए विदेशी बांडों से प्राप्त राशि में से विदेशी मुद्रा में	1,530.61	1,247.66
(च) विदेशी ऋण संस्थानों से विदेशी मुद्राओं में	99,064.54	97,612.48
जोड़	4,01,743.94	3,37,115.35

अनुसूची 9 चालू देयताएं और प्रावधान

विवरण	31 मार्च 1990 को लाख रुपये	31 मार्च 1989 को लाख रुपये
(क) चालू देयताएं		
भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पावधि उधार (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत निगम द्वारा रुपये 33.40 करोड़ के जारी किए गए बांडों से प्रत्याभूत)	3,000.00	—
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अल्पावधि उधार [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अन्तर्गत निगम द्वारा जारी किए गये तदर्थ बांड से प्रत्याभूत]	10,000.00	—
फुटकर लेनदार	3,348.94	4,168.21
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं		
(क) बांडों पर	7,171.85	6,177.21
(ख) सरकार से उधार	3.52	4.38
(ग) विदेशी ऋण संस्थानों से उधार	2,259.04	1,788.75
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार	777.01	457.47
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 की शर्तों के अनुसार जमा राशि	7,000.00	500.00
अग्रिम प्राप्तियां	119.41	38.30
दावा न किया गया लाभांश	0.45	0.49
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप-ऋणियों को लौटाई जाने वाली राशि/ भारत सरकार को देय राशि	1,573.71	1,287.94
जोड़ (क) आगे ले जाया गया	35,253.93	14,422.75

1	2	3
(ख) प्रावधान		
उचंत में डाली गई राशियां		
(क) ब्याज	294.44	295.00
(ख) वचनबद्धता प्रभार	0.05	0.05
(ग) प्रासंगिक प्रभार	2.38	2.38
कराधान के लिए प्रावधान	7,145.28	6,247.22
लाभांश के लिए प्रावधान	1,214.45	720.70
जोड़ ख	8,656.60	7,265.35
जोड़ (क)+(ख)	43,910.53	21,688.10

अनुसूची 10 — निर्धारित निधि

विवरण	31 मार्च, 1990 को लाख रुपये	31 मार्च 1989 को लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि	1,188.80	1,028.71
विशेष जूट विकास निधि	193.60	180.10
कर्मचारी कल्याण निधि	188.91	136.39
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबंध निधि	600.30	—
जोड़	2,171.51	1,345.20

अनुसूची 11 — ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय

विवरण	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये
ब्याज आय	41,225.31	25,158.98
अल्पावधि तथा अन्य जमा पर ब्याज	1,848.56	1,838.70
वचनबद्धता प्रभार	1,061.84	460.81
पट्टा किराया	1,960.00	318.05
स्थायी खर्च	199.77	0.80
जोड़	46,295.48	27,777.34

अनुसूची 12 — ऋणों की लागत

विवरण	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये
बांडों और उधारों पर ब्याज	35,393.76	21,055.97
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि को ब्याज	61.03	—
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	20.84	15.70
बांड जारी करने की लागत	319.20	290.17
जोड़	35,794.83	21,361.84

अनुसूची 13 — अन्य स्रोतों से आय

विवरण	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये
कारोबार सेवा शुल्क	398.80	180.46
लाभांश	431.86	280.97
निवेशों की बिक्री से लाभ	380.16	605.60
विविध आय	81.64	58.55
जोड़	1,292.46	1,125.58

अनुसूची 14 — कार्मिक व्यय

विवरण	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये
वेतन एवं भत्ते	805.32	468.83
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय	4.44	2.38
अन्य कार्मिक व्यय	45.35	30.64
जोड़	855.11	501.85

अनुसूची 15 — किराया, रख-रखाव तथा मूल्यह्रास

विवरण	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये
किराया, कर, बीमा और रोशनी	183.48	153.59
मरम्मत एवं रखरखाव	83.97	27.99
स्थाई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	880.18	581.07
जोड़	1,147.63	762.65

अनुसूची 16

अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये
लेखा परीक्षण शुल्क	1.55	1.25
यात्रा व विराम व्यय	48.12	25.90
संभार व्यय	64.76	44.90
मुद्रण, लेखन-सामग्री और विज्ञापन	56.71	41.67
निवेशों पर हानि	17.51	30.69
अन्य व्यय	79.16	69.45
जोड़	267.81	213.95

अनुसूची 17

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां
(लेखों का भाग)

(क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. राजस्व महत्ता

(क) जिन मामलों में ऋणियों ने कतिपय निरन्तर चूकें की हों, उनमें ब्याज, वचनबद्धता प्रभार, कमीशन आदि की राशि, उनकी प्राप्ति होने तक निगम इन्हें आय के रूप में नहीं समझता क्योंकि ऐसे मामलों में वसूली की संभावना निगम द्वारा अनुकूल रूप से अपनाई गई नीति के अनुसार बहुत ही कम समझी जाती है। ऋण करारों का निष्कर्ष होने के पश्चात ही वचनबद्धता प्रभारों का आय के रूप में गणन किया जाता है।

(ख) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय आदेश प्राप्त किए हैं, उन ऋणों और अग्रिमों के सम्बंध में ब्याज का गणन इसके प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाता है।

2. निवेश

2.1 मूल्यांकन :

निवेशों का सकल बाजार मूल्य/विभाज्य मूल्य के संदर्भ में बही-मूल्य की तुलना सार्वभौमिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

2.2 लेन-देन :

(क) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 से संबंधित खण्ड के अन्तर्गत धारित निवेश की औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

(ख) अन्य स्वस्थ कम्पनियों, राष्ट्रीयकृत या परिसमापन कम्पनियों या नकारात्मक निवल मूल्य वाली कम्पनियों या उन कम्पनियों, जहां परिसम्पत्तियों की बिक्री पर विचार किया गया हो, के साथ विलयन किए जाने को प्रस्तावित कम्पनियों के शेयरों के मूल्य में हानि, यदि कोई हो, का गणन उसके अन्तिम रूप से पता लगने पर किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(क) निम्नलिखित के शेष—

(i) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण,

(ii) उनमें से उप-ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में शेष, और

(iv) विदेशी मुद्रा में दी गई गारंटियों के संबंध में प्रासंगिक देयताओं की अभिव्यक्ति

31 मार्च, 1990 को प्रचलित तार अन्तरण विक्रय दरों के आधार पर भारतीय मुद्रा में की जाती है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होने के कारण हुआ लाभ, यदि कोई हो, प्रत्येक ऋण के संबंध में तभी गणन किया जाता है जब विदेशी साख संस्थानों को ऋण की पूरी अदायगी कर दी गई हो और उन ऋणों में से वित्तपोषित संस्थाओं को दिए गए ऋण पूर्ण रूप से वसूल कर लिए गए हों। इस प्रकार के उतार-चढ़ाव से हुई हानि का, यदि कोई हो, तभी गणन किया जाता है जब उसे ऋण का भुगतान कर दिया गया हो। इस दौरान :

(i) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली और पुनर्भुगतान,

(ii) वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा शेष का संपरिवर्तन, और

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों के परिचालन, से संबंधित विनिमय अन्तर का गणन विनिमय अन्तर उचन्त खाते में किया जाता है। केन्द्रीय सरकार से अन्तिम रूप में प्राप्त अंशदान विनिमय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को भी उक्त खाते में जमा किया जाता है।

(ग) विनिमय जोखिम प्रबंध योजना के अन्तर्गत उप-ऋणियों को मंजूर किए गए विदेशी मुद्रा ऋणों

की शेष राशियां उसके संवितरण के समय प्रचलित दर पर रुपया समकक्ष में अभिव्यक्त की जाती हैं । उधारों की पुनर्अदायगी के समय विनिमय उतार-चढ़ाव के संबंध में घाटे/आधिक्य को विनिमय जोखिम प्रबंध निधि से पूरा किया जाएगा । विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबंध निधि में किसी प्रकार घाटे या सरचार्ज की अदायगी या प्रतिपूर्ति भारत सरकार करेगी ।

4. स्थिर परिसम्पत्तियां

(क) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्तियों के पट्टे की मूल अवधि पर या इन परिसम्पत्तियों से संबंधित आय-कर मूल्यह्रास दरों के संबंध में निर्धारित पूर्ण वर्षों की संख्या पर, जो भी कम हो सरल विधि से मूल्यह्रास किया जाता है ।

(ख) अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित दरों पर अवलिखित मूल्य पद्धति द्वारा किया जाता है ।

(ग) परिसम्पत्तियों का उल्लेख लागत में से मूल्यह्रास घटाकर किया गया है ।

(ख) लेखे का भाग टिप्पणियां

(कोष्ठकों में 31 मार्च, 1989 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े हैं)

1. निगम, तुलन-पत्र में दर्शाई गई देयताओं के अतिरिक्त निम्न-लिखित के संबंध में प्रासंगिक रूप से उत्तरदायी है :

(क) बकाया हामीदारी संविदा (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (घ) के अधीन) 314.00 लाख रुपये (305.00 लाख रुपये)

(ख) निवेश के रूप में अंशत: प्रदत्त शेयरों/डिबेन्चरों के लिए अयाचित राशि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 20, धारा 23(घ) तथा धारा 23(च) के अधीन, 240.88 लाख रुपये (216.32 लाख रुपये) और

(ग) लगभग 2,202.55 लाख रुपये (1,117.50 लाख रुपये) (प्रदत्त निवल अग्रिम) के पूंजी लेखे पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित की जानी है ।

2. निगम के पक्ष में/विरुद्ध कुछ मामलों के संबंध में आयकर विभाग/निगम अपील/संदर्भ किया है । इस संबंध में विवादास्पद देयता 192.37 लाख रुपये (55.39 लाख रुपये) है ।

3. फुटकर लेनदारों में 1,361.78 लाख रुपये (1,365.61 लाख रुपये) की राशि उन बांडों से संबंधित है, जो परिपक्व हो गए हैं किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है अथवा अदा नहीं किए गए हैं ।

4. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (घ) और 23 (च) के अधीन निवेशों में 432.78 लाख रुपये की राशि (127.27 लाख रुपये) जो कुछ कम्पनियों की शेयर पूंजी में निवेश की गई है और जिन्होंने या तो परिसमापन कर दिया है अथवा 'रुग्ण' हैं और उनका स्वस्थ कम्पनियों के साथ विलीनीकरण का प्रस्ताव है ।

5. हितकारी आरक्षित निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान में से 60.17 लाख रुपये (56.55 लाख रुपये) का आंशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में कुछ तकनीकी सलाहकारी संगठनों की शेयर पूंजी में अभिदान कर के किया गया है । अत: इस राशि का निगम के 'निवेशों' में गणन नहीं किया गया है ।

6. जहां कहीं भी पुनर्स्थापन योजनाएं बनाई गई हों या बनायी जा रही हों या कार्यान्वयन के अधीन हों और विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर इकाइयां व्यवहार्य पाई गई हों, रुग्ण इकाइयों सहित कतिपय इकाइयों को दिए गए ऋण और अग्रिम प्रतिभूति के मूल्य का भेदभाव किए बिना अच्छे समझे गए हैं ।

7 तुलन-पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 2,089.29 लाख रुपये (1,626.78 लाख रुपये) की राशि बकाया थी, जिनको कि केन्द्रीय/राज्य सरकार ने अधिनियम के अनुसार अधिग्रहण कर लिया है । अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मुआवजे में से अथवा गारंटी-कर्ताओं से उक्त राशि का कितना हिस्सा वसूल हो सकेगा । इसके अतिरिक्त तुलन-पत्र की तारीख को 35.11 लाख रुपये (35.11 लाख रुपये) की राशि की कुछ कम्पनियों पर बकाया है जिनकी देयताएं उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अवरुद्ध कर दी गई हैं ।

8. भारत के बैंकों के चालू खातों में (क) निगम की सहमति से केन्द्रीय और/अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में/भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों/बांडों में बैंकरों द्वारा निवेश किए गए लगभग 499.85 लाख रुपये (6,800.00 लाख रुपये) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के अन्तर्गत बिलों के रूप में 2,299.87 लाख रुपये (2,100.00 लाख रुपये) की राशि शामिल है ।

9. निगम द्वारा अधिग्रहण किए गए कुछ परिसरों के संबंध में हस्तान्तरण की औपचारिकताएं पूरी किए जाने की प्रक्रिया जारी है ।

10. निगम का पिछला वित्तीय वर्ष जो कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुआ, 9 माह की अवधि का था । इसलिए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय नहीं है । पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक समझे गए हैं, पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं ।

STATE BANK OF INDIA,

CENTRAL OFFICE,

Bombay, the 14th September 1990

NOTICE

In pursuance of Regulation 76 (1) of the State Bank of India General Regulations, 1955, framed under Section 50 of the State Bank of India Act, 1955, the Executive Committee of the Central Board hereby authorities the undernoted employees to exercise the following signing powers :

1. To initial pass books, statement of accounts of Bank's account holders assigned to them from time to time at the office they are working for the time being.
—Stenographers.

2. To sign all documents which are required to be signed in discharge of duties of Head Clerk, assigned to them from time to time at the office they are working for the time being.
—Telex Operators.

3. To sign all documents which are required to be signed in discharge of duties of a clerk as may be assigned to them from time to time at the office they are working for the time being.

—Telephone Operators.

By Order of the ECCB,
K. RUKNUDDIN, Dy. Managing Director (P&S).

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th Sept 1990.

No U-16/53/90-Med.II(W.B) :—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Directors General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Lt. Col. Dr. P. K. Bhattacharyya of Calcutta Centre to function as medical authority w.e.f. 1-9-90 to 31-8-91 or till a Full-time Medical Reference Joins, whichever is earlier, for Calcutta Centre at a month remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons and the area to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (EAST ZONE), Calcutta for the purpose of Medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. K. M. SAXENA, Medical Commissioner.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 20th September 1990

No. 25-4/90-LI—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Department custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

S.No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount(Rs.)
1.	L-18681 Dated 25-10-75	Shri Kishore Chand	5,000/-

P. GOPINATH, Director (PLI)

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

42ND ANNUAL REPORT 1989-90

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS UNDER SECTION 35 OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION ACT 1948

OPERATIONAL ENVIRONMENT AND OUTLOOK

1.01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in presenting the 42nd Annual Report on the operations of IFCI together with audited Statement of Accounts for the financial year ended the 31st March, 1990.

1.02 As a backdrop to the operations, performance and working results of IFCI in 1989-90, a synoptic view of the operating economic and industrial environment, the policy initiatives, the performance of industry in general and the outlook for the future is set forth hereunder.

(A) Indian Economy—1989-90

1.03 The Indian economy, after having rebounded sharply in 1988-89 from the setback of the country-wide droughts in the earlier years, showed in 1989-90 somewhat a mixed trend.

1.04 Overall, the anticipated growth of Gross Domestic Product (GDP) around 4.5% in 1989-90, on top 10.4% achieved in 1988-89, turned out to be fairly higher than the growth rate of 3.9% and 3.8% achieved in the years 1986-87 and 1987-88 respectively.

1.05 Table-I present some selected indicators of the Indian Economy on anticipated basis for 1989-90 alongwith corresponding indicators for the previous year, and the percentage change in 1989-90 over 1988-89.

Table 1 : Selected Indicators of Indian Economy

Basic Economic Indicators	Units	1989–90 (April–March) (Anticipated)	1988–89 (April–March) (Provisional)	Percentage variation in 1989-90 over 1988–89
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—Population	Million	827.2	811.8	1.9
—Gross National Product (GNP) (At 1980–81 Prices)	Rs. crores	1,96,963	1,88,481	4.5
—Net National product (NNP) (At 1980–81 Prices)	Rs. crores	1,76,607	1,69,017	4.5
—GNP per capita (At 1980–81 Prices)	Rs.	2,381	2,322	2.5
—NNP per capita (At 1980–81 Prices)	Rs.	2,135	2,082	2.5

1	2	3	4	5
—Agricultural Production Index	1969–70=100	184.9	182.7	1.2
—Foodgrains Production	Mill. tonnes	173.0	170.2	1.6
—Fertiliser Production (NPK in terms of nutrients)	Mill. tonnes	8.6	8.9	(–)3.4
—Power Generation	Bill. Kwh.	245.0	221.1	10.8
—Coal Production	Mill. tonnes	200.9	194.5	3.3
—Oil Production (Crude)	Mill. tonnes	34.1	32.0	6.6
—Cement Production	Mill. tonnes	45.6	44.2	3.2
—Finished Steel Production	Mill. tonnes	13.1	12.8	2.3
—Revenue Earning Goods Traffic on Railways	Mill. tonnes	311.0	301.0	3.3
—Cargo handled at Major Ports	Mill. tonnes	147.1	146.4	0.5
—Industrial Production (General Index)	1980–81=100	193.6	181.1	6.9
—Exports	Rs. crores	27,681	20,281	36.5
—Imports	Rs. crores	35,412	27 693	27.9
—Trade Balance	Rs. crores	(–)7,731	(–)7,412	4.3
—Foreign Exchange Reserves (Excluding gold and SDRs)	Rs. crores	5,787	6,605	(–)12.4
—External debt (Outstanding at the close of year)	Rs. crores	71,240	68.831	3.5
—Total Debt servicing	Rs. crores	8,133	7,036	15.6
—Money supply (M^3)	Rs. crores	2,28,330	1,91,231	19.4
—Bank Credit	Rs. crores	1,00,539	84,719	18.7
—Aggregate Deposits of Commercial Banks	Rs. crores	1,66,065	1,40,150	18.5
—Wholesale Price Index (Average)	1981–82=100	165.0	154.3	6.9
—Consumer Price Index for Industrial Workers (Average)	1982=100	173.4	162.8	6.5
—Rate of Inflation (based on CPI-W) (on point to point basis)	% age terms	6.6	8.5	

1.06 In evaluating the economic performance of the country during 1989-90 it would be worthwhile to keep the following aspects in view :

(i) 1988-89 was exceptionally a good year, with agricultural production showing a growth of 20.8% and industrial production a growth of 8.8%. The expected growth rates of about 1.2% in the agricultural production and about 6.9% in industrial production achieved in 1989-90 are on the top of the peak levels of production achieved in 1988-89.

(ii) The key infrastructure sector in 1989-90 did reasonably well—at least in respect of power generation and production of petroleum and petroleum products, coal and lignite, cement, etc.

(iii) The annual rate of inflation based on Wholesale Price Index was 7.7% on point to point basis as on the 17th February, 1990 compared with 5.3% at the corresponding time last year. The containment of inflation for the last several years was largely dependent on supply management of food stocks. In the past three years, the stocks of foodgrains came down from 22.8 million tonnes in January, 1987 to 12.6 million tonnes in January,1990 and imports of cereals, edible oils and sugar amounted to 2.8% million tonnes, 3.4 million tonnes and 1 million tonne respectively. The margins available for such supply management also came down that what these were three years ago. In such a situation, inflationary pressures in 1989-90 could be contained, but only to a limited exient.

(iv) Despite an encouraging trend in exports and a slow down in the growth of imports the unabated pressure on the foreign exchange reserve position in 1989-90 was partly due to trade and current account deficits and partly due to deterioration in the invisibles in capital accounts of the balance of payments. Several policy measures, however were initiated, during the year, to resolve imbalances in external payment by accelerating export growth, augmenting tourism receipts, promoting efficient import substitution, increasing disbursements from committed external assistance, having higher direct and portfolio investments, and encouraging economy in the utilisation of scarce foreign exchange. With a view to attracting deposits under different non-resident accounts, interest rates on deposits in non-Resident External Rupee (NRER) and Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Accounts were also stepped up from time to time. However, the effect of these measures in easing the pressure on the balance of payments position could not be felt in larger part of the financial year 1989-90.

(B) Investment Climate and Capital Market

1.07 Better performance by all sectors of economy particularly the agriculture and infrastructure in 1988-89 had provided considerable impetus to the industrial investment climate in 1989-90. Table-2 below gives available data about selected indicators of industrial investment climate for calendar years 1988 and 1989.

Table 2: Selected Indicators of Industrial Climate

Indicators	Units	1989 (Jan–Dec.)	1988 (Jan–Dec.)	Percentage variation in 1989 over 1988
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—Foreign Collaborations	Nos.	605	926	(–)34.7
—Foreign Investments approved	Rs. crores	316.67	239.76	32.1
—Letters of Intent issued	Nos.	1,182	1,083	9.1
—Industrial Licences granted	Nos.	418	360	16.1
—Registrations under the Scheme of Delicensing	Nos.	1,203	1,352	(—)11.0
—Registrations under Exempted Industries Registration Scheme (Introduced in June 1988)	Nos.	922	114	708.8
—Approvals for 100% Export-oriented Units	Nos.	31	305	4.6
—Special Approvals for applications from Non-resident Indians	Nos.	42	102	(–)58.8
—Approvals under Technical Development Fund Scheme	Nos.	125*	183*	(–)31.7
—Capital Goods Clearances	Rs. crores	1,298.37	1,084.20	19.8
—Consents for Capital Issues (including Bonus Issues)	Rs. crores	12,217@	8,243@	48.2
—Capital Issues	Rs. crores	10,772@	5,066@	112.6

*Data on April-December basis. @Data on April-March basis.

1.08. It would be observed from the above that an encouraging trend was visible in Letters of Intent issued, Industrial Licences granted and other approvals accorded. Particularly, in the case of capital issues approved, the increase was more than 70% over the corresponding period in the previous year. The capital and stock market during 1989-90 also remained, by and large, buoyant. An estimated amount of Rs. 10,772 crores was raised through the capital market in the year 1989-90 as against Rs. 5066 crores in the year 1988-89. This was to some extent due to improved financial performance of the corporate sector in 1988-89, presence of institutional investors, mutual funds, venture capital funds etc., in the capital market and a few mega issues coming on the scene.

1.09 The Government undertook several measures for bringing structural improvements in the captial market. The year also saw the emergence of a number of financial intermediaries as also a number of innovative financial instruments for mobilisation of resources from the capital market. The Controller of Capital Issues announced guidelines, during the year, under which it has become mandatory for the companies raising project finance through debenture issues to have their projects appraised by a Financial Institution irrespective of the fact whether they seek assistance from the institutions or not. The utilisation of funds raised through large-sized capital issues, i.e., Rs. 50 crores and above is to be monitored by Financial Institutions. The amount under public issue can be called by 25% on application, 25% on allotment and the balance in two or more calls after the monitoring institution has satisfied itself as to the utilisation of funds already collected. As a measure to further strengthen the capital market, the period between bonus issues was reduced from 24 months to 12 months. The Reserve Bank also issued, during the year, guidelines for operation of Mutual Funds by banks. As at the close of the year, in terms of the instructions issued, the merchant bankers were required to obtain authorisation from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for conduct of their business.

1.10 The Reserve Bank of India's All India Index of Ordinary Share Prices (Base: 1980-81=100) stood at 384.9 on the 27th January, 1990 recording a spurt of 25% over the Index of 308.2 obtaining on the 25th March, 1989. The Economic Times (All India) Index (1984-85=100) for Equity Shares on the 28th February, 1990 was 392.4, which showed a change of 9.8% over the Index of 375.3 a year beak on the 28th February, 1989.

1.11 Another positive impact on the optimistic outlook of the capital market was the overall increase in the sanctions of financial assistance of all Financial Institutions, viz., IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, LIC, UTI, GIC, SFCs and SIDCs which rose by 13.2% on the top of 53.7% increase in 1988-89. So also disbursements by the aforesaid Financial Institutions recorded an increase of 9.5% on top of 33.3% increase in the disbursements achieved last year.

(C) *Industrial Scenario*

Policy Initiatives

1.12 Industrial policy initiatives of the Government continued to be in the direction of (a) measures to facilitate capacity creation (b) measures to facilitate output expansion and (c) measures to remove procedural impediments.

1.13 Delicensing of industries for quite some time has been the major plank for easing entry or expansions of incumbent industrial enterprises. During the year the list of industries for which no Industrial Licence was required was extended to cover 31 industries for non-MRTP/non-FERA companies. The number of industries de-licensed for MRTP/FERA companies for backward areas stood at 72 as on the 31st March, 1990. Further, during the year, automobile tyres and tubes were de-licensed for all industrial undertakings, including MRTP/FERA companies, subject to specified locational policy. The facilities of exemption from licensing announced in June, 1988 were extended during the year, to items under compulsory licensing but reserved for the small scale sector, weaving units employing less than 50 persons, and, for certain items covered under the broad headings of telecommunication equipment, industrial control instrumentation systems, computer peripherals, etc.

1.14 With the addition of 24 more industries during 1989-90, the total number of industries covered under the scheme of Minimum Economic Capacities (MEC) stood at 109. The scheme of broad-banding of industries for optimising utilisation of installed capacity and providing facility to manufacturers to adjust their product-mix according to the market demand was extended to include glass fibre and manmade fibre industries. As on the 31st March 1990, 46 industries were covered under the scheme of broadbanding of industries.

1.15 The distance and capacity norms under the Sugar Licensing Policy* were relaxed for new sugar factories in the public and co-operative sector. In terms of the relaxation

allowed, new sugar factories in the co-operative and public sectors could be set up with an initial cane crushing capacity of 1,750 TCD, subject to the capacity being expanded to 2,500 TCD within five years of their going into production. The spatial distance of 40 kms. was also relaxed to 25 kms; the overall guiding principle being the adequate cane availability for new sugar units.

1.16 In the case of the textile-industry, the existing conversion ratio for replacement of spindles with open-end rotor/air jet spinning units was reviewed. Replacement of spindles by open-end rotors or air jet spinning units in the ratio of 1:1 and vice-versa could now be permitted, instead of 5:1 as applicable hitherto.

1.17 Industrial undertakings licensed or registered for any finished product and manufacturing components and parts for captive consumption were permitted for the merchant sale of components and parts, over and above their own captive consumption, subject to such merchant sale in the domestic market not exceeding 25% of the turnover of the finished product.

1.18 Licensing of fresh capacities in the steel industry for the manufacture of cold rolled strips/sheets was liberalised. Manufacturers of bicycles precision tools and coated steel strips/sheets were allowed to manufacture cold rolled strips/sheets for their captive use, subject to certain conditions. So also, composite units which were licensed to produce hot rolled strips/sheets were allowed to produce cold rolled steel strips/sheets based on their own production of hot rolled strips/sheets as forward integration. Government also allowed creation of additional capacity for ferro-nickel and ferro-silicon in order to meet the projected demand of the industry.

1.19 A number of measures were taken to simplify the administrative procedures to facilitate smooth and speedy implementation of industrial projects. More powers were delegated to the Foreign Investment Board and Administrative Ministries were also delegated powers to approve investment as also changes in the amount of foreign equity, wherever the percentage of equity participation remained unchanged.

1.20 As a major policy initiative to give a boost to small, village and agro-based industries, a new Department for small scale, agro and rural industries was set up. With the Widening of the scope of village industries under the Khadi and Village Industries Commission Act, 34 new village industries were added to the list of existing 26 industries.

Trends in Industrial Production

1.21 The monthly official index of Industrial Production in 1989-90 showed a continuous rise compared to the corresponding period of the previous months, as is evident from Table-3, but the growth rate for the first seven months was much below the average targetted figure of 8%. The Average General Index of Industrial Production (Base : 1980-81=100) which was 142.1 for 1985-86, 155.1 for 1986-87, 166.4 for 1987-88 and 181.1 for 1988-89 could go up to an estimated 193.6 showing an overall growth of about 6.9%.

Table 3: Index & Industrial Production

Base 1980-81=100

Month	1989-90	1988-89	%age variation
(1)	(2)	(3)	(4)
April	177.5	169.9	4.5
May	175.7	173.3	1.2
June	181·3	179.1	1·2
July	178.5	169·6	5.2
August	181.3	169.4	7.0
September	183·3	171.6	6.8
October	185.5	174·6	6·2
November	198.4	181.0	9.6
December	2.11	194.5	8.7
January	215.3	192.8	11.7
February	206.3	186.3	10.7
March	228.7	211.1	8.3
Average during April to March	193.6	181.1	6.9

1.22 The sectoral trends in industrial production during 1988-89 (actual) and 1989-90 (estimated) as given in Table-4.

Table 4: Sectoral Trends in Industrial Production

Base 1980-81=100

Weight	Sector	%age increase over the previous year 1989-90* (April-March)	1988-89 (April-(March)
(1)	(2)	(3)	(4)
11.46	Mining & Quarrying	6.7	7.8
77.11	Manufacturing	6.4	8.9
11.43	Electricity	10.8	9.4
100.00	All Industries	6.9	8.8

*Estimaed.

While 'mining and quarrying' registered a growth rate of 6.7% as against 7.8% in the previous year, the 'electricity generation' recorded a growth of 10.8% compared with 9.4% in the previous year. In fact, the key infrastructure sector, (which incidentally happens to be largely in the public sector), by and large, did reasonably well. Electricity generation, crude petroleum and petroleum products, coal and lignite production, cement, nitrogenous fertilisers, railways revenue earning traffic and telecommunications—all recorded a reasonably fair growth. Only production of phosphatic fertilisers and saleable steel (main plants) recorded a decline—in the case of phosphatic fertilisers due to shortage of imported phosphoric acid and in the case of saleable steel due to specific supply side factors.

1.23 Amongst the 17 major industrial groups at 2 digit level of National Industrial Classification (NIC), while 13 industry groups with a combined weight of 59.5% in the Index of Industrial Production (viz., beverages tobacco & tobacco products, cotton textiles, textile products, paper and paper products, leather and leather products, rubber, plastic, petroleum and coal products, chemicals and chemical products, non-metallic mineral products, metal products and parts machinery and machine tools, electrical machinery and appliances, transport equipment and other manufacturing industries) recorded a positive growth. Only four groups, viz., food products, jute and jute products, wood and wood products and basic metals showed a decline in production.

1.24 Table-5 gives the growth rates of 155 selected Industries classified into broad use-based groups :

Table 5: Rates of Growth of Use-based Group-wise Indices of Industrial Production

Base 1980-81=100

Industry Group	Weight	Percentage change in the indices over the previous year				
		1985—86	1986—87	1987—88	1988—89	1989—90*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Basic Goods . . .	39.4	6.8	9.2	9.6	9.9	4.7
II. Capital Goods . . .	16.4	10.6	18.2	15.9	7.4	9.1
III. Intermediate Goods . .	20.5	7.5	4.4	4.8	11.5	2.2
IV. Consumer Goods :						
—Consumer Durables . .	2.6	18.7	18.9	7.8	22.1	0.8
—Consumer Non-durables .	21.1	11.5	4.9	6.2	2.4	5.9

Note : *Percentage change in 1989-90 over the year 1988-89 is on April-November basis.

1.25 As is evident from the aforesaid Table, in 1988-89, the import-intensive consumer durables and intermediate goods had largly contributed to the overall growth in the field of industrial performance. This reflected an industrial production pattern, which was more skewed in favour of affluent sections of the society. In 1989-90, this pattern was reversed, for the first time, during the last five years, yielding significant place to capital goods and consumer non-durables, which can be regarded a sign of steady economic fundamentals.

1.26 Insofar as capacity utilisation factor is concerned, undoubtedly, in the case of consumer durables, the capacity in the year 1989-90 remained considerably under-utilised. In the capital goods and consumer non-durables industries sector, the capacity utilisation showed a distinct improvement. In respect of other industries, the improvement in capacity utilisation was either modest or marginal. Appendix-I to this Report gives the installed capacity, production and capacity utilisation percentage of sixty selected industrial products for the year 1989-90, and in relation thereto, the corresponding data relating to 525 assisted concerns of IFCI, based on the performance reports received from them.

Financial Performance of Industrial Units

1.27 For most of the public sector and private sector industrial units in operation (whose accounts had been closed on or before the 31st March, 1989), the year 1988-89 was, by and large, a year of improved financial performance. A survey of 222 public sector industrial units in operation, which was made by the Bureau of Public Enterprises, revealed that 60% of the units had recorded capacity utilisation of more than 75%, 20% between 50 to 75% and only 20% of the units were those where capacity utilisation was less than 50%. The percentage of gross profit (i.e., profit before interest and tax) to capital employed by these units was 12.7%, while the proportion of net profit to capital employed was 4.4%. The value added in these enterprises recorded an increase of 25.4% in 1988-89 over that achieved in 1987-88. A distinctive feature in the performance of public enterprises was in respect of expenditure on Research and Development (R&D), which showed an increase of as much as 44% in 1988-89, compared with R&D expenditure incurred in 1987-88.

1.28 In the private corporate sector companies too, a sample study of 397 selected enterprises made by the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) revealed that the return on capital employed, as measured by the ratio of profits before interest and tax to total net assets worked out 10.4% during 1988-89. The percentage of dividend on the total equity and preference share capital worked out to 17.3% in 1988-89, compared with 12.2% in the preceding year. The net value added formed 21% of the total value of production in private sector units under study during 1988-89.

1.29 As for industry-wise trends, the study revealed that the basic industrial chemicals group had a high operating profit margin 13.2% on gross sales during 1988-89. The paper and paper products units also made net profits during 1988-89 after incurring net losses in previous two years. The rates of return on shareholders' funds for the year 1988-89 also improved sharply to 16% and above, in aluminium, iron and steel and non-electrical machinery manufacturing companies and 21% in tyre and tubes companies.

1.30 For the year 1989-90, while the final results of industrial concerns are yet to come out, the expectations are, that the industrial units belonging to textiles (spinning), basic chemicals, drugs and pharmaceuticals, tyres and tubes, paper, iron & steel, non-electrical and electrical machinery and metal products & parts are likely to fare better compared with their performance in the previous year. Most of the units in industrial group belonging to jute, basic metals, glass & glass products, food products, wood and wood products, etc., are likely to have poor financial performance and in rest of the industries, the financial performance is likely to come out reasonably satisfactory.

(D) *Seventh Plan (1985—90)*

—An Overview

1.31 1989-90 heppened to be the terminal year of the Seventh Five Year Plan (1985–90). It would, therefore, be appropriate to take stock of the changes that have occured in the broad parameters of the Indian economy during the Seventh Plan period. Despite a number of disquieting events, the country has made many notable achievements during this period. The overall annual growth rate is expected to be 5.6% p.a., a little more than targetted. The growth in agricultural production, on an average, is expected to be 3.5% p.a. A significant feature of this achievement is, that it is largly due to the increase in yield per hectare.

1.32 The Seventh Plan had envisaged an average annual growth rate of 8% in the industrial sector. In the first four years of the Seventh Plan, the average growth rate achieved worked out to 8.9% p.a and with the growth rate likely to be achieved in 1989-90 at 6.9%, the target of 8% p.a. growth in the industry would also have been nearly achieved.

1.33 In the infrastructure sector, the achievement has been quite appreciable. The average annual growth rate for electricity generation is likely to be 9.3% for the Seventh Plan period as against 8.4% achieved during the Sixth Plan period. The addition of the installed capacity in the electricity sector has also been achieved almost at the same level as targetted. This, indeed is a remarkable achievement compared with a 27.7% shortfall in the installed capacity target of electricity generation in the Sixth Plan period. A 6.4% growth in coal production has been achieved during the Seventh Plan and complaints of coal shortage have been almost a thing of the past. Inspite of shortage of funds and less wagons and carriages, railways reportedly have achieved the growth rate of 5.1% p.a. during the Seventh Plan period in the freight traffic as against 4.1% p.a. achieved in the Sixth Plan. The only important infrastructure sector, where possibly the country is likely to lag behind, is the target of production of crude oil. Crude oil production which had increased by 19.8% in the Sixth Plan period has grown only by 3.4% p.a. in the Seventh Plan. The net imports of crude oil and petroleum products which had been reduced from 20.76 million tonnes in 1979-80 to 12.32 million tonnes in 1984-85 had also gone up to 21.88 million tonnes by 1988-89.

1.34 With a better agriculture and infrastructure, industrial growth and liberalisation, business prospects generally improved during the Seventh Plan period. The Capital Issues showed an unprecedented growth. These increased more than seven fold from Rs. 1,452 crores in 1984-85 (July-June) to Rs. 10,772 crores in 1989-90 (April-March). New entrepreneurs got good momentum; the most significant achievement being, that women also came forward in good number in the field of setting up new industrial enterprises on their own. The established industrial houses were found much more ambitious, and mega issues appeared on the capital market scene. New and diverse institutions like mutual funds, venture funds, discount houses, factoring services, technology finance, tourism finance, housing finance, etc., came into existence during the Seventh Plan. Arrangements to secure healthy growth of the share and capital markets became imperative. New money market instruments like Certificates of Deposit (CD) and Commercial Papers (CP) were introduced and several new instruments of savings with attractive features became a part of innovative monetary and financial policies. Flexibility in the lending rates of scheduled commercial banks and later removal of interest ceiling on money market rates led virtually to a sort of total deregulation, and, provided greater transparency to transactions in the money market.

1.35 In real gross capital formation, the average growth in Seventh Plan period is likely to be of the order of 6.1%, which is much better than the rate of 3.3% p.a., achieved in the Sixth Plan period. Real gross capital formation in the public sector in the Seventh Plan is likely to reach 94% of the original plan outlay. Private sector investment is expected to be almost equal to the public sector investment during the Seventh Plan period.

1.36 Alongside these achievements, the Seventh Plan period also witnessed aggravation in four problem areas, viz., balance of payments, fiscal, deficits, inflation and unemployment. The trade imbalance increased from above Rs. 6,000 crores a year in the Sixth Plan to more than Rs. 8,000 crores at one time in the Seventh Plan. The net invisibles declined and the debt service ratio increased from 9% in 1980-81 to 23% in 1988-89. The foreign debt comprising external assistance, external commercial borrowings and I.M.F. loans increased from Rs. 35,725 crores in 1984-85 to Rs. 68,831 crores in 1988-89. The only fortunate part is, that exports, particularly during the last three years of the Seventh Plan period increased at the rate of over 30% p. a. on an average, in value terms.

1.37 Throughout the Seventh Plan period the budgets showed a deficit on current account. Both the revenue deficit and capital expenditure to a substantial extent had to be financed by borrowing and deficit financing; with the result that the overall deficit financing during the Seventh Plan period is likely to be of the order of Rs. 35,000 crores, about two-and-half times more than the level envisaged in the Plan.

(E) *Priority Areas and trategies for the Eighth Plan (1990—95)*

1.38 A major step taken by Government in the terminal year of the Seventh Plan was to place a white paper on the current economic situation and priority areas for action. The paper is significant in the sense that it makes a thorough SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analysis of the current economic situation and suggests priority areas for action so as to remedy the existing structural imbalances. The action points of direct relevance suggested in the paper are:

- Reduction in the growth rate of population, not just by family planning measures, but by greater attention to women education, material care and child health, and women's employment.
- Provision of gainful employment to become a central part of the future economic development strategy of the country.
- Agricultural growth to be aimed at a higher and less volatile rate and to be diversified by crop as also by regions.
- Greater attention to be paid to agriculture in rainfed and flood prone areas through agricultural research, extension and support systems.
- Diversified pattern for industrial growth aimed at shifting its focus to the production of essential wage goods in preference to consumer durables.
- Greater attention to the production of capital goods and intermediates with focus on appropriate technology and quality of the products.
- Higher investment in critical items of infrastructure, their integration and transmission systems.
- Growth in non-development expenditure to be contained.
- Greater control on subsidies by ensuring that the anti-proverty subsidies are tightly targetted at the poor and promotional subsidies are carefully justified in terms of results.
- Better fiscal management, maximisation of non-tax revenues and moderation in monetary growth.
- Special endeavours to be made for increasing value added exports more rapidly and the domestic resource cost of import intensive export and subsidisation of high cost and import intensive exports to be avoided to the extent possible.
- A dynamic industrial policy to be evolved to help in the promotion of efficient import substitution and a degree of prudence to be exercised in imports with a clear sense of priorities.

Keeping the aforesaid priority areas for action, the Government have taken steps for reviewing the entire approach towards the Eighth Plan (1990—95).

(F) *Oulook for* 1990-91

1.39. The Budget for 1990-91 lays imphasis on employment generation, eradication of poverty and faster growth in agriculture and industry with determined endeavours to firmly contain both inflation and deficits. Around 50% of the investible resources are proposed to be deployed for the improvement of agriculture and rural development. A strategy for greater absorption of labour in agriculture has been worked out with faster growth for industry and balanced development of infrastructure, specially power and transport. The Government is also committed to give priority to accelerating industrial growth in a competitive and non-monopolistic environment. Public spending on research and development, development of appropriate technologies for agriculture and industry, development of non-conventional and renewable energy sources, and a number of employment-oriented plans and programmes are the other special features of the Budget proposals for 1990-91.

1.40 The Government has already announced the new Export-Import Policy, 1990–93, which accords top priority to exports and gives special encouragement to exports, which can earn high net foreign exchange. The highlights of this Policy include abolishing of import-export passbook scheme, introduction of blanket advance licensing scheme for reputed manufacturer-exporters, a new scheme for 'star' trading houses, introduction of import replenishment licence for the service sector, simplification of import licensing and pre-shipment export documentation procedures, liberalised import facility for recognised R&D centres, import of capital goods on concessional duty of 25% for export production, automatic import licensing scheme for actual users and full flexibility for import of limited permissible and non-sensitive canalised raw-materials and components under replenishment licensing scheme.

1.41 The Credit Policy for the first of 1990-91 announced by the Reserve Bank of India also makes a serious endeavour to control the growth of liquidity and moderate the credit expansion while meeting the genuine credit requirements of the economy. To curb the volatile nature of the call money market, the Industrial Development Bank of India (IDBI), National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD) and General Insurance Corporation of India (GIC) have been permitted to participate in the call and short notice money market as lenders. The terms of issue of Certificates of Deposits (CDs) and Commercial Papers (CPs) have been liberalised and the penalty on Cash Reserve Ratio shortfalls has been relaxed. A two-tier interest rate formulae on the eligible case balances held with RBI with the 23rd March, 1990 as cut-off date been evolved. Hikes in Statutory Liquidity Ratio (SLR) have been envisaged in external and non-resident accounts with effect from the 28th July, 1990 and of the net demand and time liabilities with effect from the 22nd September, 1990. Banks have been permitted export re-finances equivalent to 75% of the increase in the export credit over the monthly average level for 1988-89 (and not 1987-88) with effect from the 25th August, 1990. In the area of selective credit controls, minimum margins on all bank advances against wheat have been reduced, total exemption has been granted to margins on advances against cotton and for commodities, where there is stipulation of credit ceilings, the base has been brought forward by two years to the three-year period from the 16th April, 1990.

1.42 The Government intends to lay the basic foundations of agricultural development through the adoption of a well-formulated 'Agricultural Policy' representing its commitment to a sector which is the hub of Indian economy. The 'Industrial Policy'* alongwith 'Foreign Investment policy' are also intended to be given a fresh look. Orderly development of capital market and strengthening the role of Public Financial Institutions are very much on cards. A sound and rational Long-Term Fiscal Policy, to act as a stabilising factor in the economy is expected to be announced shortly. Meanwhile, the Government has suggested that the thrust areas in the economic development of the country are: (i) rural development, (ii) employment generation, (iii) technological upgradation, and (iv) export promotion. A distinctive feature of the present thinking is that alongside export-promotion and export-orientation, closer monitoring of bulk imports and better 'management of imports' are intended to be given equal priority.

1.43 The Central Plan outlay for 1990-91 has been stepped upto Rs. 39,329 crores envisaging an increase of 14.2% over 1989-90. Keeping in view the importance of the energy sector for infrastructure support of the Indian economy, the major share has been allotted to the energy sector (Rs. 12,280 crores) followed by transport (Rs. 7,145 crores) and, industry & minerals (Rs. 7,116 crores). Under Industry & Minerals, in the Plan outlay for 1990-91, Rs. 467.14 crores have been allotted for the development of Village & Small Industries. Rest of the outlay has been envisaged for the development of mining and other large industries including iron and steel, non-ferrous mining and metallurgical industries, cement and non-metallic mineral industries, fertilisers, petrochemicals, chemicals and pharmaceutical industries, engineering, telecommunication and electronics, atomic energy and other high priority industries.

*New Industrial Policy since announced on the 31st May, 1990.

1.44 In addition to the above, the reliefs provided in the Budget for 1990-91 in respect of corporate taxation (i.e., reducing the tax rate for widely-held domestic companies to 40% with corresponding changes in rate for other domestic companies), exemption of dividends received by domestic companies from other domestic companies to the full extent, abolition of Section 115J of the Income-Tax Act with regard to tax on minimum profits, raising the rate of deduction for setting up new industries from 25% to 30% in the case of companies and from 20% to 25% for others, with period of benefit for the aforesaid facility being extended from 8 to 10 years and announcement of several customs, import duty and excise reliefs to the industry including rationalisation of the indirect tax structure, are some of the welcome features which are bound to promote industrialisation as well as lead to the improvement in the financial performance of the existing industries.

1.45 While the continuing rise in prices of essential commodities and pressure on balance of payments position continue to remain a cause for concern, the buoyancy in the investment climate and the underlying strengths of the fundamentals in the economy of the country inspire a fairly optimistic outlook for the year 1990-91. Preliminary meteorological forecasts indicate a normal monsoon, which coupled with several measures being undertaken for agricultural improvement and rural development, would help the country to achieve a better as well as diversified growth in agricultural production. Barring unforeseen circumstances, the overal performance of industry is also expected to improve considerably in view of infrastructural bottlenecks having become a matter of past, and clear directions having been set by the new policy initiatives.

1.46 There is refreshingly a new change visible at all levels in the country. At the same time, there is a better awareness about the existing economic situation, coupled with an urge for bringing resurgence in the economy through the strong economic fundamentals and the potential that the country richly possesses. With all-round emphasis on productivity improvement and technological upgradation, the expectations are that the year 1990-91 might be able to achieve an average growth of 2.5% in the agricultural sector, 8.5% in the industrial sector, and 5.5% in the services sector, leading to an overall economic growth of above 5%. With this optimism, IFCI is all set for helping the industry in achieving its production as well as export targets, and with proper fiscal and financial disciplines, looks forward to 1990-91 to be yet another year of all-round economic growth and development.

OPERATIONS, RESOURCES AND WORKING RESULTS

(A) *Operations*

Overall Operations

2.01 During the year 1989-90 the overall sanctions of IFCI under its various schemes of assistance crossed, for the first time, the Rs. 2,000 crore mark and aggregated Rs. 2,294.90 crores in respect of 928 projects. These were higher by 29.1% over the sanctions of the order of Rs. 1,333.34 crores in 1988-89, (July—March) on *annualised basis.**

2.02 Total disbursements, during the year, crossed, for the first time, the Rs. 1,000 crore mark and aggregated Rs. 1,121.67 crores as against Rs. 759.92 crores disbursed in 1988-89 (July—March), thus registering a growth of 13.7% *on annualised basis.**

2.03 Cumulatively, the aggregate sanctions accorded by IFCI under its various schemes upto the end of March, 1990, amounted to Rs. 8,712.98 crores to 3,564 projects. The overall disbursements upto the 31st March, 1990 were of the order of Rs. 5,474.64 crores, of which, cash disbursements, i.e., disbursements excluding guarantees, were of the order of Rs. 5,397.34 crores. The total outstandings as on the 31st March, 1990, net of repayments by the borrowers, amounted to Rs. 4,529.62 crores.

Scheme-wise Classification of Assistance

2.04 Apart from project finance assistance in the form of rupee loans, foreign currency loans, underwriting/direc

*Comparison on 'annualised basis' means comparison of 1989-90 figures with the figures of the preceding nine month's accounting period ended the 31st March, 1989, proportionately raised to full twelve (12) months' period.

subscriptions and guarantees, IFCI now operates a number of schemes in the area of financial services to cater to the emerging needs in the industrial areas. These are (a) equipment financing, (b) equipment leasing, (c) equipment procurement, (d) equipment credit, (e) suppliers' credit, (f) surveyrs' credit and (g) finance to leasing and hire-purchase concerns. The schemes relating to equipment credit and buyers' credit were introduced during the course of the year, for the first time, with effect from the 28th July, 1989. Broad scheme-wise classification of assistance sanctioned and disbursed in 1989-90 and cumulatively upto the 31st March, 1990 is given in Table 6.

6: **Scheme-wise Classification of assistance sanctioned and Disbursed**

(Rs. crores)

Scheme of Financing	1989-90 (April—March)			Cumulative upto the 31st March, 1990		
	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Project Finance . . .	692	1,580·36 (68.9%)	824.30 (73.5%)	3,203	7,607.12 (87.3%)	4,937.67 (90.2%)
Equipment Finance . . .	92	129.36 (5.6%)	92.63 (8.3%)	237	314.01 (3.6%)	250.38 (4.6%)
Equipment Leasing . . .	46	135.55 (5.9%)	85.02 (7.6%)	68	226.64 (2.6%)	147.73 (2.7%)
Equipment Procurement . .	20	31.39 (1.4%)	16.91 (1.5%)	27	34.50 (0.4%)	16.91 (0.3%)
Equipment Credit . . .	57	114.32 (5.0%)	53.56 (4.8%)	57	114.32 (1.3%)	53.56 (1.0%)
Suppliers Credit . . .	26	194.83 (8.5%)	4.86 (0.4%)	63	283.34 (3.3%)	8.73 (0.2%)
Buyers' Credit	19	71.10 (3.1%)	19.21 (1.7%)	19	71.10 (0.8%)	19.21 (0.3%)
Finance to leasing and Hire purchase concerns . .	31	38.00 (1.6%)	25.18 (2.2%)	48	61.95 (0.7%)	40.45 (0.7%)
Total	983*	2,294.90 (100%)	1,121.67 (100%)	3,722*	8,712.98 (100%)	5,474·64 (100%)

Notes:

(1) *Actual No. of projects assisted during the year 1989-90 are 928 and as on the 31st March, 1990 are 3,564. Some of the projects have received assistance under more than one scheme.

(2) Figures in brackets indicate percentage to the total.

Project Finance

2.05 Project Finance sanctions (inclusive of equipment finance), during the year 1989-90, amounting to Rs. 1,709.71 crores, were higher by 6% when compared with the project finance sanctions of Rs. 1,210 crores in 1988-89 (July—March) sanctioned by IFCI, on *annualised basis*. So also, the disbursements against project finance amounting to Rs. 916.93 crores in 1989-90 were higher by 2.4% when compared with the disbursements of Rs. 671.32 crores in the previous period on *annualised basis*. Facility-wise classification of project finance under four distinct heads, viz., rupee loans, foreign currency loans underwriting and direct subscriptions

and guarantees, showing sanctions and disbursements during the period under review and cumulatively upto the 31st March, 1990 alongwith outstandings as on that date are given in Table 7 :

Table 7 : Facility-wise Classification of Project Finance

(Rs. Crores)

Facility	1989-90 (April-March)		Cumulative upto the 31st March, 1990		Outstanding as on the 31st March, 1990
	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	(Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Project Finance					
—Rupee Loans**	1,235.71 (72.3%)	744.23 (81.2%)	5,710.97 (72.1%)	4,147.44 (79.9%)	3,285.01 (77.2%)
—Foreign Currency Loans	345.72 (20.2%)	140.74 (15.4%)	1,540.22 (19.4%)	814.10 (15.7%)	790.29 (18.6%)
—Underwriting & Driect Subscription	100.90 (5.9%)	31.56 (3.4%)	510.52 (6.5%)	149.21 (2.9%)	142.00* (3.3%)
—Guarantees					
—For Deferred Payments	3.45 (0.2%)	0.40 (negl.)	87.91 (1.1%)	45.00 (0.9%)	20.95 (0.5%)
—For Foreign Loans	23.93 (1.4%)	— —	71.51 (0.9%)	32.30 (0.6%)	18.89 (0.4%)
Total	1,709.71 (100%)	916.93 (100%)	7,921.13 (100%)	5,188.05 (100%)	4,257.14 (100%)

* Includes part of outstanding loan amount-converted into equity shares where the conditions of right of conversion was stipulated at the time of sanction of loan assistance, convertible debentures converted into equity shares and also includes part of outstanding loans overdue interest etc converted into shares/ deventures.

** This includes 'Equipment Finance' as well.

Note : Figures in brackets indicate percentage to the total.

2.06 A distinctive feature in the composition of sanctions covering project finance during 1989-90 was that the demand for foreign currency loans was not as much as was witnessed last year. The sanctions of foreign currency loans, during the year, amounted to Rs. 345.72 crores, while for nine months' period, in the previous year these were Rs. 359.47 crores. The pressure on rupee loans continued to be on rise in fact, the increase in rupee loans over the previous period's figure was 18.2% on *annualised basis.* In the total sanctions for project finance, during the year, the rupee loans at Rs. 1,235.71 crores formed 72.3%. Compared with the previous period's total rupee finance sanctions (in the form of loans, underwritings and direct subscriptions), the sanctions in 1989-90 showed an increase of 18% on *annualised basis.*

Investment Operations

2.07 IFCI sanctioned, during the period under review, the facility of underwriting of equity shares to 73 concerns for an aggregate amount of Rs. 54.87 crores and debentures of three concerns to the extent of Rs. 12.70 crores. The aggregate underwriting facility sanctioned during the year was thus 12% higher than the underwriting facility approved in 1988-89, on *annualised basis.*

2.08 The sanctions relating to direct subscriptions, during the year, showed a substantial increase. These amounted to Rs. 33.33 crores in respect of 111 cases, of which, 88 cases were of equity shares (Rs. 20.89 crores), 15 cases of preference shares (Rs. 4.96 crores) and 8 cases of debentures (Rs. 7.48 crores). These showed an increased of 26.9%, compared with the aggregate sanctions for direct subscription in the previous period, on *annualised basis.*

2.09 During the year, 54 issues of concerns whose shares had been underwritten by IFCI for Rs. 33.27 crores in aggregate were placed on the market. The shares devolved on IFCI, pursuant to underwriting obligations amounted to Rs. 6.27 crores. In addition, IFCI actually subscribed to equity shares of the order of Rs. 15.55 crores, preference shares of Rs. 0.25 crore and debentures of Rs. 6.75 crores of 85 companies, against the sanctions relating to direct subscriptions.

Guarantees

2.10 During the year, the facility of guaranteeing deferred payments to the extent of Rs. 3.45 crores to foreign suppliers of machinery and equipment was sanctioned in three cases pertaining to (i) an iron ore pelletisation plant in Goa, (ii) a textile unit in Maharashtra, and (iii) a basic chemical manufacturing unit in Orissa. Guarantees were also agreed to be given in respect of foreign loans in three cases amounting to Rs. 23.93 crores. These pertained to (i) a polyster filament yarn project in Gujarat, (ii) a sponge iron project in Maharashtra, and (iii) an amorphous silicon alloy photovoltaic cells/modules project in Andhra Pradesh. However, insofar as the execution of guarantee(s) is concerned, the same was done only in one case for a sum of Rs. 0.40 crore.

Purpose-wise Classification of Assistance under Project Finance in 1989-90

(a) Assistance to New Projects

2.11 There was some slackening trend noticeable during year insofar as establishment of new projects was concerned. Out of the total project finance assistance of the order of

Rs. 1,580.35 crores (excluding assistance under Equipment Finance Scheme) sanctioned by IFCI in 1989-90, 54% (Rs. 854.01 crores) could be claimed by 215 new projects. Though, in absolute terms, the number of new projects and the sanctions in relation thereto, were higher compared with 166 new projects with sanctions of Rs. 804.17 crores in the previous period in relative terms, the assistance to new projects at 50% during the year was much below the share of 66.5% on *annualised basis* in 1988-89 (July-March).

2.12 Of the 215 new projects assisted during the year, 9 projects had a capital outlay upto Rs. 3 crores each; 48 projects individually had a capital outlay between Rs. 3 crores and Rs. 5 crores, 55 projects were in the capital outlay range of Rs. 5 to 10 crores; 51 projects had capital outlay between Rs. 10 crores and Rs. 20 crores; and 52 projects were those whose capital outlay per project was above Rs. 20 crores.

(b) *Assistance for Expansion and Diversification Schemes*

2.13 Assistance of the order of Rs. 271.98 crores (15.9% of the total assistance sanctioned under project finance) went to 81 projects for their expansion and diversification programmes in 1989-90. The assistance sanctioned during the year for expansion and diversification scheme was two-and-a-half times more when compared with the previous period's sanctions of Rs. 82.21 crores for expansion and diversification schemes of only 48 projects, on *annualised basis.*

(c) *Assistance for Modernisation Programmes*

2.14 Assistance for modernisation purposes, during the year under review, amounted to Rs. 242.73 crores (14.2% of the total assistance sanctioned under project finance) to 188 projects. Both number of project-wise and quantum-wise, this was substantially higher, when compared with the sanctions for modernisation purposes to the extent of Rs. 127.50 crores to 132 projects in 1988-89 (July-March).

2.15 Assistance under the *Soft Loans Scheme* (included in the figures for modernisation assistance) during the year, was Rs. 142.23 crores to 106 projects, as against Rs. 86.26 crores to 64 projects in 1988-89 (July-March), portraying an increase of 23.7% on *annualised basis.*

(i) Modernisation of Sugar Units

2.16 A mention was made in the last year's report about extending the modernisation assistance under the Soft Loans Scheme to sugar units going in for modernisation accompanied by incidental expansion upto 2,500 TCD, which had been in operation for a minimum five crushing (operating) seasons. During the year, it was agreed that the sugar units going in for modernisation and expansion to the economic size of 2,500 TCD at a new location by scrapping their existing old plant were to be dealt with not under modernisation scheme but as new sugar units. However, such units were allowed to be considered for assistance under the Sugar Development Fund Scheme under the extent rules, wherever eligible. It was also agreed that the proceeds out of the sale of the existing assets of such units were to be utilised for reduction of existing institutional dues, if any.

2.17 During the year, the Central Government decided to entrust the work relating to the appraisal of loan applications for sugarcane development under the Sugar Development Fund (SDF) received on/or after the 1st July, 1989 also to IFCI. The assistance under the Sugar Development Fund Scheme, however, continues to be sanctioned by the Central Government in the Ministry of Food and Civil Supplies, with IFCI as the nodal agency in respect of the loans sanctioned, out of Sugar Development Fund to the sugar mills for their modernisation and rehabilitation schemes.

2.18 For formulating a development programme of sugar industry during the Eighth Five Year Plan period (1990-95), the Government of India had constituted, in the Ministry of Food and Civil Supplies, Department of Food, a Committee which submitted its report during the year to the Government of India. Based on the recommendations of the Committee, the Government are expected to announce the Sugar Policy for the Eighth Plan shortly.*

*New Sugar policy announced on the 1st June 1990.

(ii) Textile Modernisation Fund Scheme

2.19 A mention was made in the last year's report that the Textile Modernisation Fund Scheme (TMFS), introduced with effect from the 1st August, 1986, initially for a period of two years, was extended subject to a further review after the expiry of the Seventh Plan period. The scheme aims at provision of concessional assistance to textile units to overcome ills affecting the industry, viz., obsolete machines/equipment, as also low machine/labour productivity, etc., and, at the same time, making it export-oriented with suitable product process and technology upgradation. The initial corpus for TMFS was set up, with IDBI in the lead, at Rs. 750 crores for a five year period, viz., 1986—91. Out of this corpus a sum of Rs. 100 crores was earmarked for grant of special loans to weak but viable units to enable them to put in the requisite promoters' contribution for modernisation schemes.

2.20 The scheme had a good response from the industry and upto the 31st December, 1989, as many as 228 units had been sanctioned assistance from the three participating institutions, viz., IDBI, IFCI and ICICI, IFCI, and IRBI of the order of Rs. 881 crores which included special loan assistance of Rs. 24 crores to 48 units. A study commissioned by IDBI for assessing the impact of the TMFS in bringing about improvement in the health of the textile industry revealed that the units assisted under the scheme had, by and large, shown improvement in the productivity as well as export capability.

2.21 Insofar as IFCI is concerned, it has been participating in the scheme alongwith IDBI, ICICI and IRBI. During the year, 1989-90, IFCI's share of assistance sanctioned under TMFS aggregated Rs. 35.81 crores to 64 projects. This was significantly higher, when compared with the IFCI's share of assistance under TMFS sanctioned during the period July-March of 1988-89 aggregating Rs. 21.62 crores to only 49 units.

2.22 As at the close of the year, to improve the utilisation factor of the special loans under TMFS, it was agreed that the convertibility option attached to special loans might be waived and alternatively, the institutions could take pledge of shares of the promoters and continue to obtain their personal guarantees and residual charge on the fixed assets. Further, since in a number of weak textile units, it was necessary to sanction modernisation assistance in conjunction with rehabilitation assistance, so as to relieve strain on the financial resources caused by cash losses suffered by such units, it was agreed that the special loan assistance under TMFS could be granted, not only in cases where modernisation assistance was coupled with rehabilitation assistance, but also against the additional rehabilitation assistance necessitated, as a result of rehabilitation packages approved by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) constituted under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

(iii) Jute Modernisation Fund Scheme

2.23 The Jute Modernisation Fund Scheme (JMFS) introduced with effect from the 1st November, 1986 continued to remain in operation during the year under review. The assistance sanctioned under JMFS during the year was, however, only Rs. 3.75 crores to 4 projects. The progress of implementation of JMFS continued to be monitored by the Monitoring Committee, headed by the Secretary (Textiles), Government of India. The response fro mindividual jute mills in seeking assistance under JMFS was not upto the mark for several reasons, e.g., choice of technology, rationalisation of labour, sharp increase in the price of raw jute during the year on account of short crop etc. Moreover, a large number of existing jute mills being sick, they could not avail themselves of the assistance under JMFS, on their own, unless a rehabilitation package was formulated and approved by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) in terms of the provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. Accordingly, during the year, the Ministry of Textiles, Government of India, in consultation with Government of West Bengal, constituted a Committee to review the progress of JMFS and to suggest modifications, as might be necessary to ensure speedy disbursal of funds under JMFS. It is expected that once the recommendations of the Committee are out, and are

implemented to te extent necessary, the Jute Industry might be in a position to take advantage of the scheme in a larger way. Separately, with a view to making the Special Loan facility under JMFS more effective IFCI, as at the close of the year, agreed to accept pledge of shares by the promoters, in lieu of the convertibility clause applicable hitherto, for the special loans towards promoters' contribution. The Special Loans would now be available in conjunction with rehabilitation assistance, or additional rehabilitation assistance necessitated as a result of rehabilitation packages approved by the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR) under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

(d) *Overrun Assistance inclusive of Rehabilitation Assistance, etc.*

2.24 The general overrun assistance and the rehabilitation assistance aggregated Rs. 211.63 crores (12.4% of the total assistance sanctioned under project finance) to as many as 208 units, as against assistance of Rs. 113.53 crores to 126 units in the previous year's period.

Special Features of IFCI's Assistance under Project Finance (1989-90)

2.25 Some of the specific characteristics/special features of IFCI's assistance under project finance in 1989-90 are mentioned as under :—

— Out of 215 new projects assisted, 39 projects were those, which were promoted by first generation entrepreneurs. These claimed assistance of the order Rs. 60.66 crores.

— Assistance of the order of Rs. 15.92 crores was provided to 12 hospital units under IFCI's Scheme of Assistance to Corporate Hospitals and Multi-Disciplinary Health Centres.

— Assistance of the order of Rs. 65.43 crores included 47 hotel and other tourism-oriented projects.

Export-oriented projects with substantial export obligations totalled 43; the financial assistance being of the order of Rs. 180.17 crores.

Twelve projects promoted by Non-Resident Indians claimed assistance of Rs. 28.48 crores.

109 projects sanctioned assistance during the year were those, which involved foreign collaboration and/or technology transfer from abroad. These claimed assistance of the order of Rs. 509.80 crores.

Sixteen projects were such, which envisaged manufacturing some of the products for the first time in the country or introducing a better and improved technology in the country. The assistance to such projects aggregated Rs. 135.92 crores.

Assistance under the Schemes pertaining to the area of Financial Services

(i) *Equipment Finance*

2.26 With a view to making available rupee and foreign currency loans to existing industrial concerns for purchase of capital equipment not related to any specific project as such, IFCI has been operating from 1984-85 a Scheme of Equipment Finance under which, during the year under review, loan assistance of the order of Rs. 129.36 crores was sanctioned to 92 units. This was higher by 17.5% on annualised basis than the loan assistance of the order of Rs. 82.59 crores to 53 units sanctioned under this Scheme in 1988-89 (July-March). Cumulatively, under the Scheme, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 314.01 crores to 237 units under this scheme.

(ii) *Equipment Leasing*

2.27 A mention was made in the last year's report about the Scheme of Equipment Leasing introduced by IFCI with effect from the 1st Jne, 1988 extending facility for acquiring equipment by existing industrial concerns on lease-basis. During the year, IFCI was granted the permission by the Reserve Bank of India, Exchange Control Department, for opening the Letters of Credit against import leasing as well. The leasing facility now being granted by IFCI covers financial lease (including master lease), syndicated lease, sale and lease-back and import lease. During the year, as many as 48 transaction for providing equipment on lease costing Rs. 135.55 crores were finalised. These were 34.9% higher on annualised basis than the 26 transactions costing Rs. 75.38 crores finalised in 1988-89 (July-March). Cumulatively, the overall sanctions under the equipment leasing upto the 31st March, 1990 amounted to Rs. 226.64 crores, against which disbursements made were of the order of Rs. 147.73 crores.

(iii) *Equipment Procurement*

2.28 Under the Equipment Procurement Scheme introduced with effect from the 1st November, 1988, IFCI has been providing the facility of procuring the equipment and then reselling the same by endorsement of documents to the eligible existing industrial concerns in the corporate and/or co-operative sectors; the invoice value of the equipment with standing charges being recovered from the buyer concern in monthly instalments spread over a period of three to five years. While assistance of the order of Rs. 4.61 crores was sanctioned to 8 existing industrial units in five months period after the introduction of the scheme in 1988-89, assistance of the order of Rs. 31.39 crores was sanctioned to 20 existing industrial units in the year 1989-90. Cumulatively, the overall sanctions under the Equipment Procurement Scheme upto the 31st March, 1990 amounted to Rs. 34.50 crores, against which disbursement made were of the order of Rs. 16.91 crores.

(iv) *Equipment Credit*

2.29 A new dimension to IFCI's variegated financial services was added in 1989-90 with the introduction of Equipment Credit Scheme with effect from the 28th July, 1989. Under this Scheme, IFCI agrees to finance the entire cost of an equipment purchased/fabricated by an existing actual user concern as a part of its expansion/diversification/modernisation programme. The types of equipment, which are eligible for finance under the scheme include general performance plant and machinery, computers, pollution control equipment, energy conservation equipment, safety equipment and some other ancillary equipment. The cost of the equipment financed by IFCI under the scheme and the interest payable thereon are recoverable in 54 equated monthly rentals. The scheme evoked considerable response in eight months period during the year, assistance of the order of Rs. 114.32 crores was sanctioned to as many as 57 existing industrial units. The disbursements made during the period against the sanctions accorded under the scheme amounted to Rs. 53.56 crores.

(v) *Suppliers' Credit*

2.30 The Suppliers' Credit Scheme introduced by IFCI with effect from the 1st July, 1987 envisaging the grant of a non-revolving line of credit for machinery/equipment manufacturers and computer manufacturing concerns for the sale of their equipment to actual user-purchaser concern on deferred payment basis, gained further response, and during the year 1989-90, assistance of the order of Rs. 194.83 crores was sanctioned to 26 equipment manufacturing units. Cumulatively, upto the 31st March, 1990, assistance under the Suppliers' Credit Scheme had been sanctioned to the extent of Rs. 283.34 crores to 63 equipment manufacturing units. The overall disbursements against the sanctions under the scheme upto the 31st March, 1990, were of the order of Rs. 8.73 crores.

(vi) *Buyers' Credit*

2.31 A new addition to IFCI's diverse financial services, during the year, was the Buyers' Credit Scheme. The scheme envisages providing a non-revolving line of credit to the actual user-purchaser of machinery, equipment, computers, etc., to enable them to purchase such equipment on deferred payment basis, as a part of their expansion/diversification/modernisation programme. The scheme also extends to the equipment directly fabricated by the actual users and also to the imported equipment. The deferred payment credit under the scheme is generally for a period of five to seven years. The deferred payment advances are repayable in instalments which can be allowed in the circumstances, on merits of each case and on a case to case basis. The facilities are available to all

industrial concerns, which are in the corporate or co-operative sectors, and fall within the definition of the eligible industrial concerns under the IFC Act, 1948. After being introduced with effect from the 28th July, 1989, the scheme had a good response, and, in about 8 months period, assistance of the order of Rs. 71.10 crores to 19 existing industrial units had been sanctioned under the scheme. A beginning in the disbursement was also made with Rs. 19.21 crores, having been disbursed upto the end of March, 1990.

(vii) *Finance to Leasing and Hire Purchase Concerns*

2.32 With a view to making available finance to existing leasing and hire purchase concerns in the corporate and co-operative sectors, which have been in leasing and/or hire purchase business for at least three complete accounting years, and have a satisfactory track record of financial performance and dividend, IFCI has been operating from the 1st November, 1987, a Scheme of Financing Leasing and Hire Purchase Concerns. The scheme envisages the grant of financial assistance either in the form of a line of credit, or a loan simpliciter, or discounting of notes drawn against lease rentals. The amortisation of the assistance has to be in 55 monthly instalments and the quantum of assistance is generally based on the net worth, debt-equity ratio and the past and projected level of business. Despite IFCI assisting leasing and hire purchase concerns on selective basis, assistance of the order of Rs. 38 crores was sanctioned to as many as 31 leasing concerns during the year 1989-90. This was substantially higher than the assistance of Rs. 12.80 crores sanctioned to 16 leasing concerns in 1988-89 (July-March). Cumulatively, upto the 31st March, 1990, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 61.95 crores to 48 leasing and hire purchase concerns, against which disbursements of the order of Rs. 40.45 crores had been effected until the said date.

Merchant Banking Services

2.33 During the year, the Merchant Banking Department of IFCI (with its Bureau Office at Bombay) handled 69 assignments of which 39 related to public issues. These helped the clients to mobilise funds of the order of Rs. 333.58 crores. Cumulatively, IFCI's Merchant Banking Department had handled, since inception, in July, 1986, and upto the 31st March, 1990 as many as 146 assignments, which included 98 public issues mobilising funds of the order of Rs. 871.93 crores. The Merchant Banking Department is gradually diversifying its activities to encompass other related services, particularly project counselling, capital restructuring, amalgamations and mergers, trusteeship assignments, etc.

Flow of Applications

2.34 IFCI had a steady flow of applications both under project finance and schemes pertaining to the financial services extended by it.

2.35 Under project finance, IFCI processed during 1989-90, applications (inclusive of applications under Equipment Finance Scheme) from 729 eligible concerns for an aggregate assistance of Rs. 6,691.43 crores, either on its own or on joint financing basis. Applications from 8 concerns for an aggregate assistance of Rs. 53.80 crores were either withdrawn by the applicants or treated as closed for want of progress or lack of viability of the proposed projects. As at the close of March, 1990, applications from 27 concerns (17 on joint financing basis) under IFCI's lead for an aggregate assistance of Rs. 158.51 crores were pending, being at different stages of processing. Other applications from 694 concerns were sanctioned assistance during the year ended the 31st March, 1990; the disposal in 96.4% cases having been made in less than four months' time from the date of receipt of complete information and data.

2.36 Apart from applications from 27 concerns, pending under IFCI's lead as on the 31st March, 1990, applications from 132 concerns for an aggregate assistance of Rs. 2,996.57 crores on joint financing basis were pending under the lead of IDBI and ICICI, in which also, IFCI's involvement and participation was expected in the succeeding period.

2.37 In respect of its schemes under the financial services, IFCI processed applications for assistance (other than Equipment Finance Scheme) from 240 concerns for an aggregate assistance of Rs. 726.21 crores. Out of these, applications from 201 concerns were sanctioned assistance under variegated schemes encompassing financial services being provided by IFCI. Applications from 27 concerns were treated as withdrawn, because of lack of eligibility and/or other related factors, and as at the end of March, 1990, applications from 12 concerns for aggregate assistance of Rs. 30.34 crores were pending with IFCI.

Overall Assistance—Industry-wise

2.38 Industry-wise coverage of overall assistance sanctioned, during the year 1989-90 and cumulatively upto the 31st March, 1990 is given in Table 8 :

Table 8: Industry-wise Coverage of Assistance

(Rs. Crores)

Industry	1989-90 (April-March)			cumulative up to the 31st March, 1990		
	No. of projects	Amount sanctioned (Rs.)	% to the total	No. of projects	Amount sanctioned (Rs.)	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar:						
—Co-operatives	17	25.29	1.1	216	308.57	3.5
—Others	26	33.64	1.5	93	153.87	1.8
Textiles	138	140.71	6.1	647	859.00	9.8
Jute	5	4.90	0.2	41	51.32	0.6

1	2	3	4	5	6	7
Chemicals:						
—Basic chemicals	56	109.50	4.8	166	459.78	5.3
—Fertilisers & pesticides	15	31.44	1.4	76	531.25	6.1
—Synthetic fibres	30	241.83	10.5	67	642.72	7.4
—Synthetic resins, plastic materials and products	32	54.32	2.4	115	295.01	3.4
—Other chemicals & chemical products	52	130.31	5.7	179	322.11	3.7
Cement & Cement Products	24	53.88	2.3	151	641.10	7.4
Paper & Paper Products	24	61.66	2.7	120	285.43	3.3
Rubber Products	11	45.44	2.0	46	160.72	1.8
Iron & Steel	54	214.70	9.3	227	699.63	8.0
Machinery & Accessories	54	233.91	10.2	223	518.46	6.0
Transport equipment & parts	40	142.37	6.2	152	416.67	4.8
Electronics	63	172.16	7.5	173	473.30	5.4
Electrical machinery & appliances	22	41.46	1.8	108	189.87	2.2
Metal Products	17	52.79	2.3	110	193.20	2.2
Non-ferrous metals	4	4.68	0.2	43	98.18	1.1
Misc. Non-metallic mineral products	36	54.73	2.4	101	208.84	2.4
Gas & Electricity	6	130.68	5.7	27	307.20	3.5
Hotels & Tourism related activities	47	65.43	2.9	110	185.83	2.1
Medical & Health Services	12	15.92	0.7	22	47.99	0.6
Fishing	1	3.26	0.1	1	3.26	—
Mining	12	51.77	2.2	28	88.65	1.0
Misc. Other Industries	99	140.12	6.1	274	509.07	5.9
Leasing	31	38.00	1.7	48	61.95	0.7
Total	928	2,294.90	100.00	3,564	8,712.98	100.0

2.39 Industries which claimed a significant share in IFCI's assistance portfolio during 1989-90 were synthetic fibres (10.5%) chemicals and chemical products (10.5%), machinery (10.2%), iron and steel (9.3%), electronics (7.5%), transport equipment and parts (6.2%), textiles (6.1%), electricity and gas (5.7%), hotels (2.9%), paper and paper products (2.7%), sugar (2.6%), misc. food products (2.5%), misc. non-metallic mineral products (2.4%) synthetic resins and plastics (2.4%), cement (2.3%), metal products (2.3%), mining (2.2%), rubber products (2%) and others (9.7%). A significant feature of assistance, during the year, was that number-wise textiles with 138 units was on the top, followed by units relating to chemicals and chemical products (108), electronics (63), machinery (54), iron and steel (54), hotels (47), sugar (43), synthetic resins and plastics (32), etc. Leasing and hire purchase concerns (31), mining units (12) hospitals (12), and fishing concerns (1) were also beneficiaries of assistance during the year. Fishing industry was covered for the first time.

2.40 In the cumulative picture, textile, iron & steel, chemicals and chemical products, synthetic fibres, cement, fertilizers and pesticides, machinery, electronics, sugar, transport equipment, electricity, synthetic resins and plastic materials and paper emerged as largest beneficiaries of IFCI's assistance, having claimed together 79.4% of assistance in IFCI's portfolio followed by miscellaneous non-metallic mineral products (2.4%), metal products (2.2%), electrical machinery (2.2%), hotels (2.1%), rubber (1.8%), non-ferrous metal products (1.1%), mining (1.0%), leasing (0.7%) and other miscellaneous industries (7.1%).

2.41 Industry-wise distribution of assistance sanctioned during 1989-90 as also cumulative assistance as on the 31st March, 1990 according to the use-based classification of products is given in Table 9:

Table 9 : Industry-wise Distribution of Assistance According to Use-based Classification of Products

(Rs Crores)

Industry	1989–90 (April–March)			Cumulative up to 31st March, 1990		
	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basic industries (viz, basic metal industries, basic industrial chemicals fertilizers, cement, mining, power generation, etc.)	171 (143)	596.65 (546.35)	26.0% (41.0%)	718 (651)	2,825.79 (2,277.14)	32.4% (34.8%)
Capital goods industries (viz, machinery and accessories, electrical machinery and appliances, transport equipment, etc.)	179	589.90 (187.60%)	25.7% (14.1%)	656 (564)	1,598.30 (1,020.15)	18.3% (15.6%)
Intermediate goods industries (viz, chemical products, metal products, non-metallic mineral products, jute, tyres and tubes etc.)	195 (125)	607.10 (331.55)	26.5% (24.9%)	695 (614)	2,010.28 (1,433.80)	23.1% (21.9%)
Consumer goods industries (viz, sugar other food products, cotton/woolen textiles, paper and other miscellaneous industries	287 (185)	367.10 (194.28)	16.0% (14.5%)	1,304 (1,196)	1,951.71 (1,607.32)	22.4% (24.5%)
Service industries (viz hotels medical services, shipping, etc.)	96 (47)	134.15 (73.56)	5.8% (5.5%)	191 (134)	326.90 (208.37)	3.8% (3.2%)
Total	928 (604)	2,294.90 (1,333,34)	100.0 (100.0)	3,564 (3,159)	8,712.98 (6,546.78)	100.0 (100.0)

Note: Figures in brackets relate to the previous year 1988–89 (July–March) and as on the 31st March, 1989.

2.42 Compared with the previous period, the capital goods industries, intermediate goods industries, consumer goods industries and service industries improved their respective position in IFCI's assistance portfolio in 1989-90. However, in terms of the increase in the assistance during the year over the previous nine months' period in 1988-89, taken on annualised basis, the capital goods industries showed improvement by 135.8% followed by consumer goods industries (41.7%), intermediate goods industries (37.3%) and service industries (36.8%). There was, however, no increase in the basic industries during the year 1989-90. The increase in the number of assisted projects in percentage terms was highest during the year in service industries (53.2%) followed by capital goods industries (29.1%), intermediate goods industries (17.0%) and consumer goods industries (16.4%).

Overall Assistance—State-wise

2.43 The State-wise spread of IFCI's assistance in 1989-90 and cumulatively upto the 31st March, 1990 is set out in Table 10

2.44 During the year, quantum-wise, the States of Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu claimed first five positions in IFCI's assistance portfolio, though, project number-wise, the first five positions were taken in descending order by Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Gujarat.

2.45 Compared with the percentage share of assistance in the preceding year, the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Jammu & Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Tripura, West Bengal and Union Territories of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli were able to improve their position in IFCI's assistance portfolio during 1989-90.

2.46 In the cumulative setting, there is no exaggeration to state that IFCI's assistance has reached almost all parts of the country during the past 42 years, except the State of Mizoram and the Union Territory of Lakshadweep. It is the collective endeavour of the Institutions through various promotional measures to see that the industrial activity picks up in Mizoram as well as Lakshadweep Islands. Overall, the States

of Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu continued to occupy the first five positons in IFCI's total cumulative assistance portfolio as on the 31st March 1990. The next in order were Punjab, Rajasthan, Karnataka, Madhya Pradesh, West Bengal, Haryana and Orissa.

Table 10: State/Territory-wise Spread of Assistance

(Rs. Crores)

State/Territory	1989–90 (April-March)			Cumulative up to 31st March, 1990		
	No of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	111	195.90	8.5	336	835.92	9.6
Arunachal Pradesh	—	—	—	1	0.16	—
Assam	8	44.42	1.9	40	89.53	1.0
Bihar	17	53.58	2.3	79	166.65	1.9
Goa	10	20.69	0.9	27	57.65	0.7
Gujarat	79	199.41	8.7	321	1,029.48	11.8
Haryana	48	87.73	3.8	165	294.21	3.4
Himachal pradesh	18	35.42	1.5	46	102.82	1.2
Jammu & Kashmir	3	3.58	0.2	20	26.76	0.3
Karnataka	36	59.23	2.6	226	397.76	4.6
Kerala	19	24.50	1.1	90	146.05	1.7
Madhya Pradesh	32	86.18	3.8	151	396.04	4.5
Maharashtra	150	730.98	31.9	629	1,643.94	18.9
Manipur	—	—	—	2	3.96	0.1
Meghalaya	2	0.34	—	6	8.13	0.1
Nagaland	—	—	—	4	2.97	—
Orissa	17	71.01	3.1	74	281.65	3.2
Punjab	54	116.17	5.1	169	456.15	5.2
Rajasthan	48	74.13	3.2	147	449.62	5.2
Sikkim	—	—	—	3	2.90	—
Tamil Nadu	106	125.94	5.5	337	627.61	7.2
Tripura	1	2.36	0.1	3	4.41	0.1
Uttar Pradesh	102	202.15	8.8	381	1,124.33	12.9
West Bengal	23	67.40	2.9	203	326.90	3.7
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1	0.98	—
Chandigarh	4	5.67	0.2	6	7.72	0.1
Dadra & Nagar Haveli	2	3.72	0.2	8	10.85	0.1
Daman & Diu	3	2.94	0.1	5	5.30	0.1
Delhi	29	74.72	3.3	57	166.27	1.9
Pondicherry	6	6.73	0.3	27	46.26	0.5
Total	928	2,294.90	100.0	3564	8,712.98	100.0

Overall Assistance—Sector-wise

2.47 Table 11 gives the sector-wise classification of projects and assistance sanctioned to them both during 1989-90 and cumulatively upto the 31st March 1990.

Table 11: Sector-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. crores)

Sector	1989-90 (July-March)			Cumulative up to the 31st March, 1990		
	Sanctions	Disbursements		Sanctions	Disbursements	
	No. of projects	Amount Rs.	Amount Rs.	No. of projects	Amount Rs.	Amount Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
Co-operative	32	69.67 (3.0%)	44.29 (3.9%)	334	531.51 (6.1%)	445.89 (8.1%)
Private	764	1,808.93 (78.8%)	875.28 (78.0%)	2639	6293.66 (72.2%)	3,830.64 (70.0%)
Joint	86	288.72 (12.6%)	126.19 (11.3%)	286	1,162.63 (13.4%)	675.04 (12.3%)
Public	46	127.58 (5.6%)	75.91 (6.8%)	305	725.18 (8.3%)	523.07 (9.6%)
Total	928	2,294.90 (100%)	1,121.67 (100%)	3,564	8,712.98 (100%)	5,474.64 (100%)

Note : Figure in brackets indicate percentage to the total.

(a) *Assistance to Co-operative Sector*

2.48 During 1989-90, IFCI sanctioned assistance of the order of Rs. 69.67 crores to 32 projects in the co-operative sector. Quantum-wise, the assistance sanctioned, during the year, was almost the same level as recorded at Rs. 52.40 crores to 23 industrial co-operatives in 1988-89 (July-March) on *annualised basis*. The assistance to industrial co-operatives, during the year, included 17 sugar co-operatives, with assistance of the order of Rs. 25.29 crores, 10 textile co-operatives with assistance of Rs. 10.46 crores and 5 other co-operatives (pertaining to fertilisers, synthetic fibres, paper and miscellaneous chemicals group of industries) with assistance of the value of Rs. 33.92 crores.

2.49 Cumulatively, upto the 31st March, 1990, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 531.51 crores to 334 industrial co-operatives, against which Rs. 445.89 crores had already been disbursed. Maharashtra was on the top in IFCI's assistance portfolio, both from the view point of number of co-operatives and quantum sanctioned. It had nearly 36% share in the cumulative assistance sanctioned by IFCI to industrial co-operatives. After Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Punjab, Karnataka and Tamil Nadu had shares in IFCI's cumulative assistance portfolio in respect of industrial co-operatives to the extent of 15.6%, 14.4%, 6.2%, 5.6% and 5.2% respectively.

(b) *Assistance to Corporate Sector*

2.50 Assistance to the corporate sector, during 1989-90, aggregated Rs. 2,225.23 crores for 896 projects. The private sector which has always been the largest beneficiary of the financial assistance from IFCI, in view of the specific role assigned to it right from inception claimed assistance of the order of Rs. 1,808.93 crores (78.8% of the total) for 764 projects, which was higher by 28.8% over the assistance of Rs. 1,053.40 crores, sanctioned to 501 private sector projects in 1988-89 (July-March) on *annualised basis*.

2.51 Assistance to projects in joint and public sectors amounted to Rs. 288.72 crores and Rs. 127.58 crores and formed 12.6% and 5.6% respectively during the period under report. This related to 86 joint sector projects and 46 public sector projects. Both in terms of the number of the projects and quantum of assistance the share of joint and public sectors was considerably higher when compared with corresponding shares in the preceding period. Assistance to joint sector projects at Rs. 288.72 crores was higher by 59.9%, on *annualised basis* compared with Rs. 135.41 crores sanctioned in 1988-89 (July-March). Assistance to public sector projects at Rs. 127.58 crores was more by 3.9% on *annualised basis*, when compared with sanctions to public sector projects of the order of Rs. 92.13 crores accorded in 1988-89 (July-March).

2.52 cumulatively, the assistance sanctioned up the 31st March, 1990 to the corporate sector projects amounted to Rs. 8,181.47 crores for 3,230 projects and their share in IFCI's assistance portfolio as on the 31st March, 1990, was 93.9%, the share of private, joint and public sector projects, inter-se, being 72.2%, 13.4% and 8.3% respectively. The cumulative disbursements to projects in the corporate sector aggregated Rs. 5,028.75 crores.

2.53 In the corporate sector, in the cumulative assistance portfolio of IFCI as on the 31st March, 1990, quantum-wise, Maharashtra occupied the first position with assistance of the order of Rs. 1,454.96 crores, (17.8%). The next in order were: Uttar Pradesh Rs.1,041.33 crores (12.7%), Gujarat Rs. 953.06 crores (11.6%), Andhra Pradesh Rs. 812.34 crores (9.9%), Tamil Nadu Rs. 600.06 crores (7.3%) and Rajasthan Rs. 444.90 crores (5.4%). Number-wise, the largest number of projects assisted in the corporate sector were from Maharashtra (510), followed by Uttar Pradesh (339), Tamil Nadu (314), Andhra Pradesh (312)), Gujarat (298) and West Bengal (200).

Assistance to Backward Areas and No-Industry Districts

2.54 During the year 1989-90, IFCI's assistance to project in centrally notified backward districts/areas, amounted to Rs. 1,012.42 crores in respect of 420 projects. This was higher by 23.5% on annualised basis, when compared with the assistance of Rs. 614.92 crores in respect of 307 projects in notified backward districts areas approved in 1988-89 (July-March).

2.55 As per the existing scheme of classification of backward districts/areas under category 'A', 'B', and 'C', 93 projects located in category 'A' (No-Industry/Special Region

districts) secured assistance of the order of Rs. 214.86 crores, 180 projects located in category 'B' districts/areas claimed assistance of the order of Rs. 369.46 crores and 147 projects in category 'C' districts/areas had assistance of the order of Rs. 428.10 crores. The percentage share of each category of notified backward districts, i.e. category 'A', (No-Industry/Special Region Districts) 'B' and 'C' in the total assistance sanctioned to projects in centrally notified backward districts/areas worked out to 21.2%, 36.5% and 42.3% respectively.

2.56 Cumulatively, upto the 31st March, 1990, IFCI had sanctioned financial assistance aggregating Rs. 4,269.53 crores to 1 650 projects located in notified backward districts/areas which constituted 49% of IFCI's overall net cumulative sanctions. The disbursements against these approvals upto the 31st March, 1990 had been of the order of Rs. 2,749 crores.

Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI

2.57 IFCI's operations in 1989-90, according to a study made of the funding pattern of 643 projects (excluding 141 cases of sanctions of additional assistance during 1989-90 for financing purely overrun in the cost of projects etc.), reveal that IFCI's assistance would be able to catalyse an investment of the order of Rs. 13,212.82 crores as per details given in Table 12 :

Table 12: Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI 1989-90 (April-March)

(Rs. crores)

Financing Pattern	New projects	Expansion/ diversification projects	Modernisation projects	Assistace for rehabilitation, balancing equipment etc.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Number of projects	215	81	188	159	643
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
I. Promotors' contribution					
—Share Capital	901.89	85.27	22.53	21.10	1030.79
	(11.8)	(4.6)	(0.8)	(2.9)	(7.8)
—Unsecured subordinated loans	67.68	21.57	29.38	17.98	136.61
	(0.9)	(1.1)	(1.0)	(2.5)	(1.0)
—Internal accruals, etc.	420.09	311.22	613.50	140.15	1,484.96
	(5.5)	(16.7)	(20.8)	(19.2)	(11.2)
II. Assistance by term lending institutions viz, IFCI, IDBI, ICICI & IRBI					
—Loans & Advances	2,680.82	974.82	836.22	398.63	4,890.49
	(35.0)	(52.3)	(28.3)	(54.6)	(37.0)
—Equity Support	310.36	7.15	8.35	—	325.86
	(4.0)	(0.4)	(0.3)	—	(2.5)
III. Assistance by Investment institutions					
—Loans & Advances	164.08	58.28	33.53	42.68	298.57
	(2.1)	(3.1)	(1.1)	(5.8)	(2.3)
—Equity Support	43.00	—	3.00	1.15	47.15
	(0.6)	—	(0.1)	(0.2)	(0.4)
IV. (a) Assistance by Banks (term finance)	510.74	131.44	190.04	42.31	874.53
	(6.7)	(7.0)	(6.4)	(5.8)	(6.6)
(b) Equity support by Banks etc.	237.70	18.95	0.60	—	257.25
	(3.1)	(1.0)	(Negl.)		(2.0)
V. (a) Assistance by State-level Institutions (Term Finance)	0.70	—	1.50	3.18	5.38
	(Negl.)		(0.1)	(0.4)	(0.1)
(b) Equity Support	81.58	1.13	0.10	—	82.81
	(1.0)	(0.1)	(Negl.)		(0.6)
VI. Rights Issues	720.14	226.78	596.97	31.13	1,575.02
	(9.4)	(12.1)	(20.2)	(4.3)	(11.9)
VII. Deferred Payments	150.65	18.12	—	17.44	186.21
	(2.0)	(1.0)		(2.4)	(1.4)
VIII. Loans from foreign Institutions	1,020.52	—	0.44	0.72	1,021.68
	(13.3)		(Negl.)	(0.1)	(7.7)
IX. Others	355.05	10.75	616.27	13.44	995.51
	(4.6)	(0.6)	(20.9)	(1.8)	(7.5)
Total	7,665.00	1,865.48	2,952.43	729.91	13,212.82
	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)

Notes : 1. Equity support includes underwriting assistance as also direct subscriptions.
2. Figures in brackets denote percentages to the total.
3. The above exclude the cases of sanction of assistance for meeting the over-run in the cost of projects etc.

Direct Economic Contribution of New Expansion and diversification Projects (1989-90)

2.58 A study of 296 new and expansion/diversification projects assisted by IFCI in 1989-90 indicates that IFCI's assistance during the period has been able to create substantial capacities in a wide variety of industries. The aforesaid projects are expected to create direct employment for about 63,496 persons. The value of output from these projects is estimated to be in the range of Rs. 8,086.75 crores. The gross value added is likely to be of the order of Rs. 3,398.17 crores, which accounts for the contribution of these projects to the Gross National Product (GNP) of the country. A detailed statement in this regard is annexed vide *Appendix-II*.

Sanctions Accorded in Public Interest

2.59 During the year under report, there was no case where because of Director(s) of IFCI being interested in terms of Section 26(2) of the IFC Act, 1948 (as amended from time to time), IFCI had to sanction assistance in public interest in terms of Industrial Finance Corporation (Transaction of Business with Specified Industrial Concerns) Regulations, 1982.

(B) *OPERATIONAL DEVELOPMENTS*

Concessional Assistance to Projects in Backward Areas

2.60 Notwithstanding the fact that the Central Investment Subsidy Scheme of the Government of India had been discontinued with effect from the 1st October, 1988, the Financial Institutions agreed, during the year, to continue with their Scheme of Concessional Finance for projects in backward areas as classified for the purpose of admissibility of Central Investment Subsidy Scheme in vogue hitherto. It was also agreed that the Institutions would continue to give preferential treatment and extend assistance on concessional basis as applicable to new projects coming up in notified 'B' category districts to all new units in Punjab for a further period of two years ending the 31st March, 1992.

Export Incentive Scheme

2.61 In view of paramount necessity of boosting the export performance of the country, it was agreed by the Financial Institutions, during the year, to extend their Export Incentive Scheme for assisted industrial projects for another year. Under the scheme, the assisted industrial units are entitled for an incentive in the form of interest rebate equivalent to 1/5th of their interest payments to the institutions, subject to a floor interest rate of 10% per annum and their export sales reaching or exceeding 25% (in the case of hotels in 5 star category 50%) of their total sales. In cases, where certain export obligations have already been stipulated, the export sales for the purpose of incentive under the scheme have to be worked out over and above the stipulated obligation only.

Exchange Risk Administration Scheme

2.62 A mention was made in the last year's Report about all-India Financial Institutions introducing an Exchange Risk Administration Scheme (ERAS) with a view to protecting the sub-borrowers of foreign currency loans against exchange risk through the Instrumentality of a Fund to be known as the Exchange Risk Administration Fund (ERAF). During the year, the modalities of operation of the said scheme were further refined. It was agreed that the maximum amount that could be eligible for coverage under ERAS was not to exceed US Dollars 60 million equivalent, per company, as a whole. For the loan agreements executed/to be executed during the period from the 1st February, 1990 to the 30th April, 1990, the composite cost chargeable from the borrowers was fixed at 16% per annum, variable with a band, having the floor at 15% per annum and cap at 18% per annum. From the 1st May, 1990, the composite cost chargeable is 17% per annum with a band—the floor rate being 15% per annum and cap being 18% per annum. The timing of fixation of band was to be related to the date of execution of the loan agreement and not to the timing of disbursement of the instalments against the sanctioned loan assistance. It was further agreed that in case a borrower concern committed defaults in meeting four consecutive instalments of principal/intrest, it would be denied the benefit of cover under ERAF without taking it out of the ERAF. Under the agreed procedure, the defaulting borrower concern would be required to pay an additional charge representing its *pro-rata* share of the appreciation of the pool to the extent it is not covered by the accretions to ERAF. The *pro-rata* share would be worked out every quarter by taking the current value of the pool and the deficit, if any, in the premium and interest accretions to neutralise the exchange risk elment. The credit to ERAF of such additional amount, recoverable from the borrower concern, would be effected only on the actual receipt and after the Institutions reimburse themselves for the premium element paid by them on behalf of the defaulting borrower concern. The additional charge would be levied for the period of default and would be over and above the normal stipulated liquidated damages payable for the default in terms of the provisions of the Loan Agreement.

International Competitive Bidding Procedure

2.63 A mention was made in the last year's report that all large-sized industrial projects involving import of plant and equipment of the value of Rs. 25 crores or more would be required to adopt a procedure very much akin to the International Competitive Bidding (ICB) procedure. During the year, the guidelines for procurement of imported capital goods under loans given by the all-India Financial Institutions on the basic of International Competitive Bidding procedure were finalised. According to these guidelines, the responsibility for the award and administration of the contract has to remain with the borrower. The Institutions are expected to satisfy themselves, that the borrowers have adopted the proper procedure. The Institutions are not to undertake the responsibility of approving (a) the list of goods to be procured and the grouping/parcelling of the goods into contract, and (b) the bid evaluation results and the proposals for award of the contract.

Changes in the Lending Terms, etc.

(a) *Interest Rates, etc.*

2.64 Despite increase in the borrowing cost, there was no change, during the year, in the basic lending interest rate and other leviable charges. However, effective from the 1st July, 1989, the rates of interest on foreign currency sub-loans against commercial borrowings from Euro-Currency market in respect of Dollar/Yen Loan/Bond/any other commercial borrowings were rationalised, so as to be 2% per annum above all-in-cost of the foreign currency borrowing. So also, interest rate structure was rationalised in respect of assistance under the scheme of financing leasing and hire purchase concerns, having regard to the rating accorded by approved Rating Agencies to such concerns. Under the scheme relating to equipment leasing, equipment procurement and equipment credit, a lump-sum front-end fee of the cost of the equipment leased/sold/funded was made chargeable from the beneficiaries. So also, a front-end fee at the flat rate of 2.5% was agreed to be levied by the Institutions with effect from the 1st July, 1989 on the amount of shares subscribed directly.

2.65 It was observed that often the assisted concerns approached the Institutions for deferment of interest dues, despite making cash profits, with a view to meeting over their working capital requirements. It was agreed, during the year, that in such cases, where, despite the assisted units making cash profits, requests for deferment of dues were agreed on merits and circumstances of the case, the Institutions would charge rate of interest applied by commercial banks (presently 17.5%) on the amount deferred. The deferment of dues in such cases, if agreed to, was preferably to be by way of offer of fresh loan to the unit.

(b) *Convertibility Option*

2.66 With regard to the convertibility guidelines, there was no change in the existing norms except that the Financial Institutions agreed to delete the convertibility clause in the terms and conditions for special loan assistance under the Textile Modernisation Fund Scheme (TMFS) and Jute Modernisation Fund Scheme (JMFS) as already mentioned in paras 2.22 and 2.23.

2.67 In respect of sanctions accorded during the period under review, convertibility clause was stipulated as per extant guidelines in 101 cases. The convertibility right was exercised during the period under review in 5 cases and waived in 51 cases.

Cumulatively, since the introduction of convertibility guidelines, IFCI had stipulated the convertibility clause in 1,503 cases, exercised the convertibility option in 129 cases and waived the same, after taking into account all the relevant factors, in 545 cases.

Streamlining of Existing Procedures

2.68 The existing procedures whether relating to appraisal, documentation or follow-up, continued to be streamlined by removing redundancy, wherever possible. Particularly, with a view to increasing the institutional investment in the State of Jammu & Kashmir, it was agreed that IFCI as well as ICICI could consider financing even those viable industrial projects where capital cost was Rs. 3 crores and below. So also, with a view to facilitating documentation and creating of substantive security, it was agree that in the light of the Notifications issued by the Government of Jammu & Kashmir on the 20th July, 1988 and the 21st November, 1988, the Institutions could obtain mortgage of land allotted by the Jammu & Kashmir State Industrial Development Corporation Ltd., (J&KSIDC) to the assisted concerns together with all the buildings and structure thereon and fixtures thereto, provided the assisted concern either paid the requisite stamp duty and registration charges on such mortgage or obtained remission thereof from the State Government. In cases where the land was acquired by the assisted concern from private parties, the Institutions even agreed to obtain alternative securities, like corporate guarantees and/or mortgage of properties, if any situated outside the State of Jammu & Kashmir.

Follow-up Mechanism

2.69 There was no change in the basic components of the follow-up mechanism except that the follow-up measures were intensified on 'lead Institution concept' basis in projects which were either under implementation, or, the assisted units showed signs of weak financial performance. In such cases, the form of the Regional Executives' Meetings (Rems) and the institution of nominee directors were also effectively used for intensive monitoring of the affairs of the assisted concerns.

Nominee Directors

2.70 There was no change in the Government guidelines with regard to the institution of the nominee directors. On the Boards of MRTP companies, where IFCI was in the lead, IFCI had appointed nominee directors, except in a few cases, where either the outstanding assistance was very small, or, the assistance had been accorded under one or other of the schemes pertaining to finalicial services of IFCI. In respect of 83 non-MRTP concerns, where IFCI was in the lead and which were sick companies as per definition given under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, IFCI had appointed nominees in all cases, except, few, where loans had been recalled or suits had been filed or the companies had gone into liquidation or where one-time settlement had already been reached. In cases where the aggregate shareholdings of the Financial Institutions was 50% or more, IFCI continued to review all cases of nominations from time to time, during the year. Overall, as on the 31st March, 1990, IFCI had appointed 383 nominee directors on the Board of Directors of 927 assisted concerns, of which, 166 were officials and 217 were non-officials.

2.71 The Nominee Directors' Cell (NDC) set up in IFCI continued to be headed by an Executive Director with other officers at the supporting level. Besides three senior executives at Head Office, an officer from each of the Regional/Branch/Other Offices of IFCI was designated as the member of the Nominee Directors' Cell for attending to various tasks assigned to it.

2.72 To make the fora of Project Management Committees and Audit Sub-Committees effective, guidelines outlining the role and functions of these Committees were issued, during the year, to the nominee directors. It was also agreed that the Project Management Committee, wherever stipulated to be set up for close monitoring of the implementation of the project, was to remain in operation, after implementation of the project, until such time as the assisted concern was able to stabilise its operations and declare a dividend.

Co-ordination between Banks and Financial Institutions

2.73 Co-ordination between Banks and Financial Institutions continued to be in operation in terms of the arrangements finalised at the meetings of the Standing Co-ordination Committee of Banks and Financial Institutions. During the year, the 11th meeting of the Standing Co-ordination Committee was held on the 13th February, 1990 under the Chairmanship of Deputy Governor, Shri A. Ghosh of the Reserve Bank of India. The Committee considered the need for developing an appropriate data base at the national/State-level which could give a total picture of an entrepreneur in terms of his linkages with various concerns, his defaults in borrowing accounts, so that Banks and Financial Institutions could be guided by such information. It was also agreed to make the exchange of information between Banks and Financial Institutions much more meaningful. The Committee also considered the issues relating to sharing of securities in the case of industrial units showing signs of incipient sickness, problems arising from delays in the release of funds by Banks, etc., in the implementation of rehabilitation packages and stressed the strict adherence to the guidelines issued by the Reserve Bank of India to commercial banks and the State Financial Corporations by IDBI. Pursuant to the consensus evolved at the meeting, it was agreed that commercial banks would be associated with the project appraisal by the Financial Institutions, right from the inception.

Industry Viability/Market Studies

2.74 Financial Institutions are expected to encourage the establishment of new units in industries, where there is scope for further creation of capacity having regard to the demand and supply position, due weightage, of course, being given to Plan priorities and export potential. Financial Institutions are also expected to encourage expansion or diversification of units to economically viable levels, consistent with the norms of efficiency and productivity. In the light of these parameters, the Institutions have been making their own assessment from the view point of viability/market of various industries, from time to time, so that strategies for financing new units or supporting expansion and diversification programmes of the existing units in related areas could be evolved.

2.75 During the year, 1989-90, the Institutions undertook several market evaluation studies of various industrial products like television picture tubes, vinyl flooring tiles, wristwatches, multi-layer film/laminated film, steel castings, duplex/triplex boards, biaxially-oriented polypropylene films, multi-layer ceramic chip capacitors, polyurethane artificial leather, reconditioned colour picture tubes, pre-fabricated structurals, push button telephones, single super phosphate, hydrazine hydrate, polyester filament yarn, cold rolled coils and sheets, automobile radiators, video magnetic tapes, vanaspati, pencillin G and hospital projects, etc. Some of the aforesaid studies were carried out by the Institutions with IFCI in the lead.

Interface with Government and Industry

2.76 IFCI continued to have interface with all the concerned Departments of the Government, the Planning Commission and also with all important Committees/Working Groups constituted by RBI, IDBI, etc., from time to time. IFCI was involved with all matters relating to modernisation and development of sugar, textiles, jute, tourism and tourism related activities, etc. It continued to act as nodal agency for Sugar Development Fund, Jute Modernisation Fund and tourism and tourism-oriented activities.

2.77 IFCI was also represented on some of the Committees/Working Groups constituted by the Government for determining the minimum economic capacities for various industries, parameters for allocation of resources for fostering industries of high national priority during the Eighth Plan period and the National Credit Council.

2.78 As part of an on-going exercise, IFCI was also involved in periodic meetings held with representatives bodies of the corporate entity and associations of particular industry groups, chambers of commerce and industry, etc. Such meetings enabled IFCI to have a first hand feel of corporate sector's views and their disposition towards policy issues and schemes of assistance. The meetings also helped to generate a better understanding with corporate and co-operative sectors and facilitated proper appreciation of each other's views

(C) *Resources and financial Management*

Mobilisation of Rupee Resources

2.79 During the year ended the 31st March, 1990, the total rupee resources mobilisation by IFCI was Rs. 1,112.73 crores (excluding its opening Rupee cash balance of Rs. 131.71 crores). The year 1989-90 remained, by and large, a very difficult year full of stresses and strains in the area of resources and financial management. The silver-lining in otherwise sombre situation in resource mobilisation, however, was the rupee funds assistance provided by sister institutions like IDBI, LIC, UTI, RBI and the overall support lent in the matter by the Government of India.

2.80 Major highlights with regard to raising of rupee resources on the domestic front, during the year under report, were as under :—

— Raising of additional share capital aggregating Rs. 17.50 crores (Rs. 5 crores raised on the 31st May, 1989 and Rs. 12.50 crores raised on the 30th March, 1990).

— Internal generations by the accretion to reserves of the order of Rs. 54.80 cores—the highest ever so far.

— Increased receipts on account of (a) repayment of loans by the borrowers, and (b) sale/redemption of investments, aggregating Rs. 250.88 crores.

— Augmentation of rupee resources by three public issue of bonds (53rd, 54th and 55th series made on the 30th May, 1989, the 19th September, 1989 and the 26th December, 1989) in the aggregate sum of Rs. 438 crores.

— Short-term rupee borrowings aggregating Rs. 265 crores from—

(a) Industrial Development Bank of India IDBI—Rs. 100 crores : raised in two instalments of Rs. 50 crores each on the 5th March, 1990 and the the 15 th March 1990 for a period of 4 months at 12.5% p.a. rate of interest.

(b) Life Insurance Corporation of India (LIC)—Rs. 100 crores : raised in two instalments of Rs. 50 crores each on the 18th December, 1989 and the 24th January, 1990 for a period of 3 years carrying 13% p.a. rate of interest, with LIC having option to seek repayment of 75% of the amount earlier than three years but not before the completion of one year from the date of loan on three months' notice period.

(c) Unit Trust of India (UTI)—Rs. 65 crores : raised in the form of deposits on the 7th September, 1989 (Rs. 50 crores), the 19th February, 1990 (Rs. 10 crores) and the Ist March, 1990 (Rs. 5 crores). The deposits are at 13% p.a. rate of interest and are for a period of five years with UTI having option to seek repayment of 25% of the amount earlier than five years but not before the completion of the 3rd years from the date of the deposit, on seven days' notice period.

— Availing fully the working funds limit sanctioned by the Reserve Bank of India RBI at 10% per annum rate of interest (i.e., the Bank rate), the outstanding in the account as on the 31st March, 1990 being Rs. 30 crores.

— Increased receipts of the order of Rs. 7.41 crores under Interest Differential Funds from Government of India.

Utilisation of Rupee Resources

2.81 The utilisation of rupee resources was towards making cash disbursements of the order of Rs. 980.53 crores against sanctioned assistance, redemption of bonds of the value of Rs. 75 crores, repayment of loans to IDBI—Rs. 8.40 crores, repayment of loans to the Central Government—Rs. 1.00 crore, payment of dividend—Rs. 12.14 crores, discharge of and provision for tax liability—Rs. 22.70 crores and other uses of Rs. 110.26 crores. The rupee cash balance as at the close of the year was Rs. 34.21 crores.

Foreign Currency Resources and their Utilisation

2.82 For the first time after the coming up of Asian Development Bank (ADB) on institutional scene in December, 1966, IFCI secured a US $ 150 million loan for financing the foreign exchange cost of goods and services required to carry out medium scale development projects of private sector enterprises in India, on terms and conditions contained in the Loan Agreement dated the 5th January, 1990 executed between ADB and IFCI. The loan carries the guarantee of the Central Government and is repayable in 24 half-yearly instalments commencing from the 1st February, 1993. In terms of the provisions of the Loan Agreement, the loan, however, has become effective only from the 5th April, 1990, i.e., ninety days after the execution of the Loan Agreement.

2.83 During the year under report, IFCI also contracted a loan of Japanese Yen 12 billion through the Bank of Tokyo Ltd., Tokyo. It also swapped the principal amount of Japanese Yen 20 billion raised in December, 1988 into US $ 162.074 million at a fixed interest rate of 7.25% p.a. through Merrill Lynch Capital Services Inc., with a view to imparting an element of definiteness in IFCI's liability both on account of principal and interest.

2.84 As at the close of the year, IFCI was also actively involved in finalising a syndicated loan of US $ 100 million through Bankers Trust Company Limited (BTC), Hongkong in two tranches of US $ 50 million each, the second tranche of US $ 50 million convertible after four years in Swiss Francs at the option of the agent, viz., M/s. Sanwa Bank Limited. In conjunction with the above loan facility, BTC is also to neutralise the Swiss Franc option embodied in IFCI's existing loan of US $ 50 million (convertible into Swiss Francs). After the deal materialises, the conversion of the existing loan of US $ 50 million in Swiss Franc on the 31st August, 1990 would be neutralised at no cost, and IFCI's loan would continue to remain at US $ 50 million, carrying interest @ LIBOR minus 1.92% p.a.

2.85 Overall, subsisting foreign currency resources of IFCI as on the 31st March, 1990 consisted of (a) borrowings from Kreditanstaltfur-Wiederfbau (KFW) of Federal Republic of Germany against 25 DM lines of credit aggregating DM 408 million, (b) cumulative commercial borrowings in foreign currencies raised from the international capital

market of the order of US $ 320 million, Japanees Yen 52 billion and DM 15 million, (c) credit line from Finish Fund for Industrial Development Cooperation Limited, Finland of the order of FIM 30 million and (d) Asian Development Bank Line of credit of US $ 150 million (operative from the 5th April, 1990).

2.86 Against the above foreign currency resources, IFCI had committed upto the 31st March, 1990 sub-loans in foreign currencies of the order of equivalent of Rs. 1,540.22 crores. The actual disbursement of foreign currency sub-loans upto the 31st March, 1990 had been of the order of equivalent Rs. 814.10 crores, of which the disbursements during the year 1989-90 were of the order of Rs. 140.74 crores.

2.87 During the year, the actual aggregate borrowings in foreign currency were equivalent to Rs. 235.77 crores and the repayment of foreign currency borrowings were equivalent to Rs. 80.68 crores. The net outstanding borrowings in foreign currencies as on the 31st March, 1990 were of the order of Rs. 1,357.80 crores, as against Rs. 1,202.71 crores (on revalued basis at the rate prevailing on the 31st March, 1990) as on the 31st March, 1989.

2.88 In the area of foreign currency operations and management, though the resources position, by and large, was satisfactory, the demand, during the year 1989-90, remained somewhat subdued because of continuous decline in the international value of rupee. In the coming years, therefore, the thrust of IFCI is likely to be on tapping most economical lines of credit including equity lines, to the extent possible, and also on liability management through currency and interest swap, renegotiation of existing foreign currency loans on favourable terms, etc.

Sources and Uses of Funds

(Cumulative)

2.89 The resources of IFCI since inception and upto the 31st March, 1990 aggregating Rs. 6,888.37 crores consisted of share capital Rs. 100.00 crores, internal generations Rs. 1,835.23 crores, external commercial borrowings Rs. 1,186.71 crores, foreign credits Rs. 278.77 crores, borrowings from Government and Indian Financial Institutions Rs. 592.67 crores and market borrowings Rs. 2,894.99 crores. These had been utilised for rupee disbursements Rs. 4,434.03 crores, foreign currency disbursements Rs. 814.10 crores, investments Rs. 149.21 crores, redemption of Bonds Rs. 395.44 crores, repayments to the Government and Indian Financial Institutions Rs. 204.73 crores, foreign credit repayments Rs. 239.17 crores, provision for payment of dividend Rs. 54.75 crores, Tax Rs. 167.80 crores, other uses Rs. 382.34 crores, and closing cash balance Rs. 46.80 crores.

Outstandings and Overdues

2.90 As at the end of the 31st March, 1990, loan assistance of Rs. 4,075.30 crores was outstanding from 2,410 concerns. The holdings of IFCI in shares and debentures of assisted companies were of the order of Rs. 142 crores and guarantees for an aggregate amount of Rs. 39.84 crores were in force.

2.91 Against the outstanding loan assistance as on the 31st March, 1990 the total overdues (comprising principal Rs. 95.38 crores and interest Rs. 58.26 crores) aggregated Rs. 153.64 crores. These overdues formed about 3.8% of IFCI's total outstanding loans portfolio as on the 31st March, 1990.

2.92 In the case of assisted units facing long term problems, joint meetings of all the participating institutions/banks involved in the financing of the projects were held for arriving at a consensus for evolving possible rehabilitation/revival packages. Regional and Branch Offices were actively involved in the matter of recovery drive and improving the qualitative aspects of IFCI's outstanding assistance portfolio.

Rehabilitation Programmes

2.93 The efforts of IFCI towards rehabilitation of sick units were dovetailed with those of the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR) under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, which has been in operation for the last four years.

2.94 During the year ended the 31st March, 1990, 92 BIFR hearing were held in respect of 63 IFCI lead cases. IFCI was appointed as the Operating Agency in respect of 25 cases for detailed viability studies and formulation of rehabilitation packages in the light of the specific guidelines set by BIFR in each case. During the year IFCI, as the Operating Agency, submitted draft rehabilitation schemes in respect of 23 cases for further consideration by BIFR. In addition, though not in the role of Operating Agency, IFCI carried out viability studies and/or worked out rehabilitation programmes in four laed cases under the aegis of BIFR. The expertise of IFCI was also made available to BIFR in scrutinising/re-shaping the schemes for revival of certain non-assisted sick units. As at the close of the year IFCI had 17 cases for detailed investigation as Operating Agency.

2.95 Formulation and designing of rehabilitation packages were done in the background of guidelines evolved by the Reserve Bank of India (RBI) for banks and at inter-institutional level by all-India Financial Institutions in respect of cases not falling under the purview of BIFR. In five of such cases, rehabilitation schemes were formulated during the course of the year. The rehabilitation measures recommended/contemplated in respect of sick units covered a wide spectrum comprising, modernisation, expansion, diversification, balancing etc. In three cases, arrangements were reached for settlement of outstanding dues, besides sale of assets in respect of two cases. In respect of two IFCI lead cases, loans were recalled from the borrower concerns in the absence of any measures initiated by the promoters for rehabilitation of the units/orderly repayment of the institutional dues. IFCI also continued to be closely involved with the rehabilitation efforts made by other Financial Institutions in respect of their lead cases.

2.96 While measures for rehabilitation of sick units are being considered by BIFR, the Central Government introduced a *Scheme for Excise Relief to weak industrial units* with effect from the 17th October, 1989 with a view to enabling such weak units to expeditiously regain their viability. The scheme envisages sanction of interest-free excise loans to such industrial companies whose accumulated losses, as at the end of any financial year, have resulted in erosion of 50% or more of their peak net worth during the immediately preceding five financial years. The excise loans, which are to be extended on interest-free basis as a part of the rehabilitation package approved by the Designated Financial Institutions, are not to exceed 50% of the excise duty actually paid in three years subsequent to the date of approval of the package, or, 25% of the cost of rehabilitation package, whichever is lower. The loans are to be repaid in seven years after a moratorium of three years commencing from the date of last disbursement. The introduction of the Excise Relief Scheme, as above, is expected to stimulate the rehabilitation of a number of weak/sick industrial companies in an orderly manner.

2.97 The period under report also witnessed turnaround of a few units, which were under nursing programme of IFCI. In addition, certain proposals for mergers/takeovers were also under consideration of the Institutions including IFCI as at he end of March, 1990.

(D) WORKING RESULTS

Profit

2.98 From the audited accounts comprising Profit & Loss Account for the year ended the 31st March, 1990 and the Balance Sheet as on that date, which are annexed to this Report, it would be observed that the pre-tax profit of IFCI for the period amounted to Rs. 90.14 crores, as against Rs. 60.55 crores for 9 months' period (July-March) ended the 31st March, 1989. This shows an increase of 11.6%, compared with the profit for the corresponding period in the previous year on annualised basis. The net profit for the year, after providing Rs. 22.70 crores for taxation, amounted to Rs. 67.44 crores as against Rs. 50.53 crores for 9 months' period (July-March) ended the 31st March, 1989.

Table 13: Appropriations of Net Profit

(Rs. Crores)

		This Year 1989–90 (April–March) Rs.	Previous Year 1988–89 (July–March) Rs.
(1)		(2)	(3)
Net Profit		67.44	50.53
Appropriation Transferred to—			
(a) General Reserve Fund	22.30		27.53
(b) Benevolent Reserve Fund	2.50		1.00
(c) Special Reserve (under section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961)	30.00		
		54.80	14.29
Allocation to the Staff Welfare Fund		0.50	0.50
Payment of Dividend		12.14 (14%)	7.21 (13%)
Total		67.44	50.53

Appropriations

2.99 The appropriations out of the net profit for the year made by the Board of Directors of IFCI are given in Table 13.

Accretions to the Reserves

2.100 During the year ended the 31st March, 1990, IFCI was able to transfer to its reserves a sum of Rs. 54.80 crores comprising General Reserve Fund, Benevolent Reserve Fund and Special Reserve Fund. This was higher by 27.9% compared to the transfer to reserves of the order of Rs. 42.82 crores last year.

Dividend

2.101 In view of the satisfactory working results, the Board of Directors of IFCI have approved the payment of dividend on shares at 14% p.a., as against 13% p.a. declared last year.

Working Results Trends

2.102 The working results of IFCI for 5 years inclusive of the year ended the 31st March, 1990 are summarised in Table 14.

Table 14: : Working Results of IFCI for Five Years

(Rs. crores)

Prarticulars	Year ended the 30th June			Nine Months period ended the 31st March,	Year ended the 31st March,
	1986 Rs.	1987 Rs.	1988 Rs.	1989 Rs.	1990 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest on lending	167.74	225.48	285.30	277.77	462.95
Less: cost of Borrowing	119.92	160.78	212.10	21.62	357.95
Net Interest Revenue	47.82	64.70	73.20	64.15	105.00
Other Income	9.40	8.00	9.36	11.26	12.93
Net Income	57.22	72.70	82.56	75.41	117.93
Expenditure:					
—Personnel Expenses	4.85	5.55	6.12	5.02	8.55
—Loss on Investments	0.37	0.18	0.02	0.31	0.18
—Directors' and Committee Members' Fees & Expenses	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
—Other Expenses	2.67	3.14	4.51	3.70	10.23
—Depreciation	0.50	1.18	3.00	5.81	8.80
pre-tax profit	48.81	61.62	68.88	60.55	90.14
Taxation	14.63	18.14	16.22	10.02	22.70
Net profit	34.18	43.48	52.66	50.33	67.44
Dividend (Rate)	10.0%	11.0%	12.0%	13.0%	14.0%

2.103 It would be observed from the above that on annualised basis in comparison with the previous year :

— Interest income from lending operations increased by 25% in 1989-90 (April-March).

— Increase in the 'Cost of Borrowings' was 25.7% in 1989-90.

— Increase in the 'Net Income', and 'Pre-tax Profit' and was 17.3%, and 11.6% respectively.

— Cost of Borrowings which formed 76.9% of the Interest Income on lendings in 1988-89 was 77.3% in 1989-90.

— Pre-tax Profit as percentage to Net Income was 76.4% in 1989-90 as against 80.3% last year.

Net profit as percentage of Net Income was 57.2% in 1989-90 as against 67% in the last year.

Financial Position

2.104 The financial position, as evidenced by the Balance Sheet of IFCI for the five years inclusive of the position of assets and liabilities as on the 31st March, 1990 is indicated in Table 15.

Table 15: Position of Assets and Liabilities of IFCI for Five Years

(Rs. crores)

Particulars	As at the end of 30th June			As at the end of 31st March	
	1986 Rs.	1987 Rs.	1988 Rs.	1989 Rs.	1990 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ASSETS					
Cash & Bank Balance	208.88	137.00	193.38	140.93	46.80
Investments					
—In Assisted Concerns	58.68	72.83	96.53	111.75	141.99
—In other Institutions	0.21	2.81	6.50	20.10	27.00
Loans to Assisted Concerns	1,649.11	2,117.10	2,733.21	3,372.53	4,179.04
Fixed & Other Assets	93.25	132.73	221.45	309.61	510.84
Customers' Liabilities for Acceptances	17.88	21.93	22.92	32.51	39.84
	2,028.01	2,484.40	3,273.99	3,987.43	4,945.51
LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S FUNDS					
Share Capital	45.00	57.50	70.00	82.50	100.00
Reserve & Reserves Fund	144.88	182.17	225.62	270.94	327.42
Borrowings					
(a) Bonds	1,452.88	1,729.40	2,083.80	2,314.70	2,851.39
(b) From Govt. & IDBI	87.13	79.30	70.73	67.85	60.09
(c) From LIC.	——	——	——	——	100.00
(d) In Foreign Currencies	163.25	285.78	611.15	988.60	1,005.95
Other Current liabilities & provisions	110.74	120.29	179.87	216.88	439.11
Earmarked Funds	6.25	8.03	9.90	13.45	21.71
Liability for Acceptances	17.88	21.93	22.92	32.51	39.84
	2,028.01	2,484.40	3,273.99	3,987.43	4,945.51
Debt Equity	8.9:1	8.7:1	9.3:1	9.5:1	9.4:1
Net worth: Net profit	5.6:1	5.5:1	5.6:1	7.0:1	6.3:1

Accounting Policies

2.105 The significant accounting policies followed by IFCI and notes forming part of accounts are given in Schedule 17 annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1990.

Internal Audit

2.106 IFCI is having a regular internal audit system which is responsible for proper enforcement of systems and procedures in all operational as well as accounting matters. During the year, Internal Audit Department, in addition to having

100% verification of the vouchers and accounts, also covered areas like productivity and efficiency audit as also removal of redundancy in systems and procedures, so as to facilitate optimum utilisation of available resources. The compliance with the audit observations also remained under the constant review of the Internal Audit Department.

Audit Report

2.107 For the period under review, M/s. Lodha & Co., Chartered Accountants, 14, Government Place East, Calcutta, were elected as Auditors under Section 34 of the IFC Act, 1948 by the shareholders (other than IDBI) IDBI appointed for the year under review M/s. Sumer Bansal & Co., Chartered Accountants, 36, Netaji Subhash Marg, Delhi, in terms of Section 34 (1) of the IFC Act, 1948. The report of these Auditors in terms of Section 34(3) of the IFC Act, 1948 for the year ended the 31st March, 1990 is given with the accounts for the year in this Report.

PROMOTIONAL SERVICES

Promotional Services—A Review

3.01 While the financing of viable industrial projects and offering merchant banking and financial services to the new and existing undertakings continue to be the sheet-anchor of IFCI's business, no less significant is its promotional and developmental role, by virtue of which, it endeavours to identify the gaps in the institutional infrastructure or extension services and provides or stimulates the provisions of non-financial inputs, to the extent possible, consistent with its resources available in the form of Benevolent Reserve Fund (BRF), created out of its profits under Section 32B of IFC Act, 1948 and Interest Differential Funds (IDFs), catalysing moneys received from the Government of India out of interest paid by IFCI on KFW loans as per agreements amongst IFCI, Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Government of India and the Government of Federal Republic of Germany.

3.02 The promotional services rendered by IFCI are basically in the nature of supportive measures and cover the following :

- Support to Village and Small Industries (VSI) Sector through specially designed Promotional Schemes.
- Support for consultancy services through the instrumentality of Technical Consultancy Organisations (TCOs).
- Support for Industrial Potential Surveys.
- Support for Entrepreneurship Development
- Support for Management Development.
- Support for Risk Capital, Venture Capital and Technology Finance.
- Support for Tourism and Tourism related activities, facilities and services
- Support for development of securities market and investor protection.
- Support for Science & Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs).
- Support for research in various disciplines and other research-oriented activities.

3.03 During the year 1989-90, the total amount utilised by IFCI in providing various Promotional Services was Rs. 665.33 lakhs. Cumulatively upto the 31st March, 1990, IFCI had utilised Rs. 3,927.84 lakhs towards its various Promotional Services. Table 16 and 17 give the break-up of the amount utilised by IFCI on its Promotional Services and the funding thereof :

Table 16: Amount Utilised by IFCI on Promotional Services

(Rs. lakhs)

Nature of Services supported by IFCI	1989–90 (April–March) Amount Rs.		Cumulative upto 31st March 1990 Amount Rs.	
(1)	(2)		(3)	
(i) Promotional Schemes				
—Subsidy	47.86		354.62	
—Loan assistance	—		23.50	
—EDP Schemes	0.91	48.77	0.91	379.03
(ii) Industrial Potential Surveys				
For development of backward areas including No–Industry districts		—	—	9.63
(iii) Support for Technical Consultancy Services				
—Technical Consultancy Organisations	7.99		76.74	
—Directory of Industrial Consultants	—	7.99	0.43	77.17
(iv) Support for Entrepreneurship Development				
—Sharing of EDP costs	19.31		75.01	
—Resources support to EDI	—		93.00	
Resources support to IEDIs	5.19	24.50	20.25	188.26
(v) Support for Management Development activities of MDI		214.77		1,060.01
(vi) Support for Risk Capital Assistance through RCTC		228.00		1,803,23
(vii) Support for Securities and Exchange Board of India		125.00		250.00

(1)	(2)			(3)
(viii) Support to Science and Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs)		2.50		18.41
(ix) Promotion of Research, etc.				
—IFCI Chairs	3.10		32.25	
—Special Research Studies	—		10.63	
—Support to Indian Economic journal	—		0.15	
—Support to National Institute of Small Business Development—IFCI Research Fellowships.	0.20	3.30	0.20	43.23
(x) Support for International Conferences and Seminars				
—International Exposition on Rural Development (IERD)	—		1.00	
—Research & Information Systems for Non-aligned & other Developing Countries	—		11.00	
—World Economic Congress	—		4.00	
—Indian Econometric Society	—		0.50	
—World Assembly of Small and Medium Enterprises		1.00	1.00	17.50
(xi) Support to special organisations				
—New Hope Rural Leprosy Trust, Muniguda, Orissa for Deep Well Project		—	0.21	
—Centre for Multi-Disciplinary Development Research (CMDR) Dharwar	9.00		14.00	
—Policy Group (A non-profit Research organisation) at New Delhi	—		3.00	
Support to National Institute of Public Finance and Policy	0.50	9.50	0.50	17.71
(xii) Orientation Programmes and Assistance to State-level Institutions		—		4·30
(xiii) Others				
(Utilised for direct financing of projects)		—		59.36
Total		665.33		3,927.84

Table 17: Sources of Funds for IFCI's Promotional Services

(Rs. lakhs)

Fund	1989–90 (April–March) Amount Rs.	Cumulative upto31 March,1990 Amount Rs.
(1)	(2)	(3)
Benevolent Reserve Fund	238.68	1,068.48
(Created out of profits of IFCI under Section 328 of IFC Act, 1948)		
Interest Differential Funds	426.66	2,859.36
(Representing monies received from the Government of India out of interest paid by IFCI on KFW loans in terms of agreement amongst IFCI, Kreditanstalt fur-Wiederaufbau (KFW), Government of India and Government of Federal Republic of Germany)		
Total	665.33	3,927.84

14—279GI/90

Promotional Schemes

3.04 The Village and Small Industries (VSI) Sector has a special role in Indian economy and forms an important part of our national strategy for employment-oriented industrial development. Right from the start of its Promotional Services, the focus of IFCI has been on identifying the gaps existing in the support services for the Village and Small Industries Sector and to fill the same through its specially designed Promotional Schemes.

3.05 IFCI realised from its experience that Village and Small Industries Sector equally needed expert advice, consultancy and extension services as the other industrial sectors in the economy. At the same time, this sector did not have enough resources to meet the cost of expert consultancy advice necessary during different phase of the project-cycle. IFCI, therefore, one after other, launched eight Consultancy Fee Subsidy Schemes, which are being operated through the instrumentality of Technical Consultancy Organisations (TCOs) sponsored by the all-India Financial Institutions and Banks. These schemes, given below, have been instrumental, to a considerable extent, in providing and maintaining desired thrust in areas in which the Village and Small Industries (VSI) Sector needs low cost but quality consultancy and related extension services :

- Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in the Rural, Cottage, Tiny and Small Scale Sectors for meeting Cost of Feasibility Studies, etc.
- Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries relating to Animal Husbandry, Dairy Farming Poultry Farming and Fishing.
- Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries based on or related to Agriculture, Horticulture, Sericulture and Pisciculture.
- Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for Meeting Cost of Market Research/Surveys.

— Scheme of Subsidy for Providing Marketing Assistance to Small Scale Units.

— Scheme of Subsidy for Consultancy on Use of Non-Conventional Sources of Energy and Energy Conservation Measures.

— Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the Village and Small Industries (VSI) Sector.

— Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries.

3.06 Special care has been taken to restrict these schemes to the VSI Sector only, so that there is no encroachment of medium or large scale industries on the facilities available under the aforesaid schemes. The consultancy fee, subsidised under the aforesaid schemes, amounted to Rs. 44.76 lakhs during the year 1989-90 and aggregated Rs. 303.43 lakhs cumulatively up to the 31st March, 1990.

3.07 In addition, IFCI has four Interest Subsidy Schemes, which provide positive encouragement to new self-employed youths, women entrepreneurs and to industrial units in the Village and Small Industries (VSI) Sector to adopt quality control measures and indigenously developed technology, etc. These schemes, which are being operated through the State Financial Corporations (SFCs) and/or State-level institutions performing the role of SFCs are as under :

— Scheme of Interest Subsidy for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons.

—Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs.

—Scheme of Interest Subsidy for Encouraging Quality Control Measures in Small Scale Sector.

—Scheme of Interest Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology.

Banks have also been authorised to operate the first two schemes pertaining to unemployed young persons and women entrepreneurs, in addition to SFCs and/or State level institutions performing the role of SFCs. The subsidy disbursed under the aforesaid schemes amounted to Rs. 3.10 lakhs for the year 1989-90 and Rs. 51.19 lakhs cumulatively up to the end of March, 1990.

3.08 In an economy dominated by poverty and unemployment, the self-employment measures are necessarily better and more effecive means of generation of employment, compared with job-oriented employment. There are number of schemes as well as supportive measures that are being implemented by All-India Financial Institutions in the field of entrepreneurship development, but the two undernoted IFCI's Promotional Schemes are unique in their nature as well as content, insofar as entreprenеurship development activity is concerned :

—Scheme for Encouraging Entrepreneurship Development in Tourism and Tourism-related Activities.

—Scheme for Encouraging Self-Employment amongst persons rendered jobless due to retrenchment or rationalisation in a Sick Industrial Unit in the organised sector undergoing process of rehabilitation/revival.

3.09 The first scheme is being operated on an experimental measure in the State of Goa and the second one in the State of Madhya Pradesh. During the year, an Entrepreneurship Awareness Camp was organised at Margao on the 31st May, 1989 through the active support of Goa Centre of MITCON Ltd. Later, IFCI also agreed for an intensive Entrepreneurship Development Programme (EDP) related to tourism and tourism-oriented activities in Goa to be conducted by the Economic Development Corporation of Goa Ltd., under the overall supervision and guidance of the Entrepreneurship Development Institute of India.

3.10 In Madhya Pradesh, IFCI funded, during the year, two proposals for conducting EDPs under IFCI's Scheme for Encouraging Self-Employment amongst persons rendered jobless due to retrenchment in the textile mills at Burhanpur, (Distt. Khandwa) and Gwalior. Programmes, which were started on the 30th August, 1989 at Burhanpur and 1st September, 1989 at Gwalior, were concluded successfully, and as at the close of the year, the follow-up work in relation to these programme was in progress.

3.11 The overall subsidy disbursements made by IFCI under its various Promotional Schemes during the year 1989-90 and cumulatively up to the end of March, 1990 are given in the Table 18 :

Table 18: Subsidy Disbursed by IFCI under its various Promotional Schemes

(Rs. lakhs)

Names of the Promotional Schemes	1989-90 (April—March) Amount Rs.	Cumulatively up to 31st March, 1990 Amount Rs.
(1)	(2)	(3)
—Scheme of Subsidy to Small Entrepreneur in the Rural, Cottage, Tiny and Small Scale Sectors for Meeting Cost of Feasibility Studies etc.	32.08	239.69
—Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries Relating to Animal Husbandry, Dairy Farming, Poultry Farming & Fishing etc.	5.41	6.06
—Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries Based on or Related to Agriculture, Horticulture, Sericulture and Pisciculture etc.	3.93	5.57
—Scheme at Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Industries	0.15	17.10
—Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for Meeting Cost of Market Research/ Surveys	1.71	14.31
—Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the Village and Small Industries Sector	0.20	0.35
—Scheme of Subsidy for Providing Marketing Assistance to Small Scale Units	0.36	1.09
—Scheme of Subsidy for revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sectors	—	13.59
—Scheme of Subsidy for implementing the Modernisation Programme of Tiny, Small Scale and Ancillary Units	—	4.75
—Scheme of Subsidy for Consultancy on Use of Non-conventional Sources of Energy and energy Conservation Measures	0.92	0.92

(1)	(2)	(3)
—Scheme of Interest Subsidy for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons	0.60	1.02
—Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs	2.41	4.73
—Scheme of Interest Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology	—	45.35
—Scheme of Interest Subsidy for Encouraging Quality Control Measures in Small Scale Sector	0.09	0.09
—Scheme of Assistance for Development of Technology through in-House R&D Efforts	—	23.50
—Scheme for Encouraging Entrepreneurship Development in Tourism and Tourism Related Activities	0.14	0.14
—Scheme for Encouraging Self-Employment amongst Persons Rendered jobless due to Retrenchment or Rationalisation in a Sick Industrial Unit in the Organised Sector Undergoing a Process of Rehabilitation/Revival	0.77	0.77
Total:	48.77	379.03

Support for Consultancy Services (A) Technical Consultancy Organisations

3.12 Technical Consultancy Organisations (TCOs) sponsored by the All-India Financial Institutions, including IFCI, constitute an important instrumentality in providing low cost but quality consultancy services to the tiniest among tiny and smallest amongst the small. So far, 18 TCOs (including the one set up by the Government of Karnataka) have been set-up and are in operation, covering the entire country with the network of their consultancy services, focussing 75% or more of their business only on rural, tiny and small scale (including ancillary) industrial sectors. These TCOs, of whom 5 (one each in Himachal Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, including Chandigarh, and Haryana, including Delhi) are under the lead of IFCI, provide under one roof, a total package of various consultancy services, and also undertake the programmes relating to the development of entrepreneurship so as to accelerate, the process of Industrialisation in the Village and Small Industries (VSI) sector. During the year under review, apart from normal consultancy services and conducting of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs), TCOs undertook several special assignments.

3.13 The Himachal Consultancy Organisation Ltd., (HIMCON), for instance, apart from executing various techno-economic feasibility studies, rehabilitation studies, etc., prepared 40 project profiles covering various disciplines for Bilaspur District and carried out a study in regard to the availability of infrastructure at Sansarpur Terrace in Kangra District of Himachal Pradesh. These studies were sponsored by the Directorate of Industries, Government of Himachal Pradesh. HIMCON also carried out a market survey/study of fruit and vegetables including their processing, which was psonsored by the Registrar of Cooperative Societies.

3.14 The Rajasthan Consultancy Organisation Ltd., (RAJCON), in addition to executing various techno-economic feasibility reports, carried out a survey for establishing a Marketing-cum-Training Complex at Mount Abu in Sirohi District, which was sponsored by the Khadi and Village Industries Board (KVIB), Jaipur. It also prepared site selection reports for setting up two 100 TPD Mustard Oil Plants —one in Alwar/Dholpur/Bharatpur Region and another in Kota/Bundi/Pali/Jodhpur Region. The Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd., (RIICO) utilised RAJCON's services for studying the performance of units which were assisted by RIICO through equity participation and their contribution to the economy of Rajasthan. The Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology also utilised the services of RAJCON for assessing the extent of foreign technology absorption and adaptation by the industrail units in Rajasthan under its Technology Absorption and Adaptation Scheme.

3.15 The Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd., (MPCON), in addition to executing various assignments during the year, completed the assignment relating to the socio-economic survey for all the villages' families coming under submergence of the Narmada Sagar and Sardar Sarovar Project which had been assigned to it by the Narmada Development Authority, Madhya Pradesh. At the instance of Development Comissioner, Small Scale Industries, New Delhi and Industries Commissioner, Government of Madhya Pradesh, MPCON also completed an evaluation study of the Scheme of Self-Employment for Educated Unemployed Youths introduced by the Government of India in 1983. A survey/study on foreign technology profile assigned by the Department of Science and Technology, Government of India, New Delh, was also completed during the year.

3.16 The North India Technical Consultancy Organisation Ltd., (NITCON), apart from handling variety of assignments during the year, carried out two energy audit studies, four rehabilitations studies, sixty-three modernisation studies for various projects, and conducted, on behalf of Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi, a training programme on "Information Gap" for General Managers of District Industries Centres of Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Chandigarh.

3.17 The Haryana-Delhi Industrial Consultants Ltd., (HARDICON), apart from executing a number of assignments of varied nature, carried out a survey of wood-based industries at the instance of Forest Department, Government of Haryana and another survey for recommending the location of Industrial Growth Centres in Haryana for the development of industries; the survey having being commissioned by the Haryana State Industrial Development Corporation Ltd., (HSIDC).

3.18 Together, the 18 TCOs, during the year under report, had executed 4,560 assignments and cumulatively 34,975 assignments up to the 31st March, 1990 as per details given in Table 19 :

Table 19: Summary of Operations of all Technical Consultancy Organisations (TCOs)

Nature of assignments	No. of assignments completed	
	1989-90 (April—March)	Since inception of each TCO and up to the 31st March 1990
(1)	(2)	(3)
I. Pre-Investment Consultancy Assignments		
—Feasibility, Pre-Feasibility Studies/Project Reports, etc.	2,792	16,745
—Industrial potential Area Development Surveys	26	510
—Market Surveys	137	748
—Project Profiles	779	9,480
—Preliminary Fact Finding Studies	8	129
—Approval	36	1,065
—Others	259	2,389
Sub-total (i)	4,037	31,066

(1)	(2)	(3)
II· Post-investment Consulta Assignments		
—Diagnositic Studies	124	1,049
—Rehabilitation of Sick Units	47	531
—Others	151	1,138
Sub–Total (II)	322	2,718
III· Turn-key Assignments/Functional Industrial Complexes etc.	6	69
IV· Entrepreneurship Development Programme	**195**	**1,122**
Grand Total (I+II+III+ IV)	4,560	34,975

3.19 IFCI's emphasis during the year continued to be on improving the quality aspects of TCOs' services under its lead, encouraging them for identifying thrust areas for diversification of their business-mix, building up a nexus between training and placement in the Entrepreneurship Development Programes and strengthening them organisationally as also providing them fund support for acquisition of computer hardware.

(B) *Directory of Industrial Consultants*

3.20 The All-India Financial Institutions under the IDBI's lead continued to maintain a panel of industrial and technical consultants and list them in a Directory of Industrial Consultants. During the year 1989-90, 76 new consultants were empanelled. With this, the total number of industrial contultants empanelled by the Institutions up to the 31st March, 1990 stood at 893. The Directory of Industrial Consultants, thus, continued to serve as a valuable guide about the technical, industrial and managemnt consultancy services available in the country.

Support for Industrial Potential Surveys

3.21 The identification of suitable project opportunities is an important area for stimulating balanced regional growth. IFCI has been helping this activity by sharing, wherever necessary, with the other All-India Financial Institutions, the cost of Industrial Potential Surveys of specified districts, particularly, No-Industry/Special Region Districts identified by the Government. During the year, IFCI, alongwith other Financial Institutions, agreed to fund on a 50 : 50 basis with the State Government of Punjab, Industrial Potential Surveys of four districts to be selected by the Government of Punjab. The surveys are expected to cover the study of the status of present industry in the selected districts, the infrastructural facilities available and those which need to be developed, the resources potential and the suggestion of location-wise identification of the industrial potential/viable projects. The surveys are to be carried out by the North India Technical Consultancy Organisation Ltd., (NITCON). So also, IFCI agreed on a 50 : 50 basis with the Harvana State Industrial Development Corporation Ltd., (HSIDC)/ Government of Harvana, to fund an integrated study on the potential of agro and food processing industries in the State of Harvana. The study is to be carried out by the Harvana-Delhi Industrial Consultants Ltd., (HARDICON), and is expected to cover in detail identification of various agro-resources, viz., foodgrains, cash crops, sericulture produce agro-waste, etc., available within the State of Harvana during the next ten years, the existing state of agro and food-processing industry, and make recommendations for exploiting the future potential based on identification of 25 to 30 products.

Support for Entrepreneurship Development

3.22 For harnessing productively the material resources, the role of capable entrepreneurs needs no emphasis. In a country sticken by poverty as well as unemployment, the entrepreneurship, wherever it is lacking, needs to be developed at a faster rate so as to generate self-employment, as well as, new employment through enterprise setting activities. IFCI has been helping the cause of entrepreneurship development by agreeing to share the cost of Enterepreneurship Development Programmes (EDPs), being carried out by various agencies throughout the length and breadth of the country, and also assisting in the setting up of institutional infrastructure in the field, both at the apex, and, at the State level.

3.23 During the year under report, IFCI alongwith IDBI and ICICI supported 256 EDPs, which included 87 EDPs for science and technology entrepreneurs. The EDPs carried out during the year were both general as well as specific target-group oriented, as e.g., women, ex-servicemen, scheduled cast/scheduled tribe, rural/tribal, etc. up to the end of March, 1990 IFCI, on its own, as also alongwith IDBI and ICICI had provided/agreed to provide fund support to 1,457 EDPs benefiting 42,700 potential entrepreneurs.

3.24 The funds support provided by IFCI towards sharing of EDPs cost up to the 31st March, 1990 aggregated to Rs. 75.01 lakhs, of which a sum of Rs. 19.31 lakhs related to the year under report, viz., 1989-90.

3.25 In the field of institutional infrastructure for enterpreneurship development, the country now has, at the apex level, the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) and the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) and at the State level, the Institutes/Centres of Enterprencurship Development (IED/CED) in the States of Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar ,Orissa and Madhya Pradesh. In Goa, a Training-cum-EDP Centre was made operational by the IDBI during the year. As at the end of the year, IDBI engaged in setting up of Training-cum-Development Centres (TDCs) in Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.

3.26 Of the apex level institutions, Enterpreneurship Development Institute of India (EDII), sponsored by IDBI, IFCI, ICICI and SBI, during four years since its inception, carried out 32 EDPs, of which 10 were demonstration EDPs, 12 were general EDPs and 10 were Science and Technology EDPs. EDII had also carried out 8 Trainers Training Programmes alongwith a number of refresher courses for its accredited trainers, the Teachers Training Programmes for various States in the country and a host of EDP appreciation awareness, orientation and other special progrommes for the officers and staff of various organisations engaged in the EDP work. In the area of new market exploration, EDII carried out, for the first time, an Intrapreneurship Programme for those entrepreneurs, who had been trainied by it four years back, and were now experiencing the stresses and strains of growth and business expansion. EDII also carried out during the year a Rural Enterpreneurship Development Programme in Joranda, District Dhenkanal in the State of Orissa. In this process, EDII also tested its rural EDP model which had been earlier developed at Village Ikauna in the district of Bahraich, U.P. The model is now proposed to be replicated in the State of Karnataka. A National Workshop on Voluntary Organisations was also organised during the year by EDII to expand the network of EDP conducting agencies, particularly in rural locations. In addition, EDII completed research studies on identification of factors offecting the growth of small scale enterprises, the potential of ex-servicemen as enterpreneurs, the problems of first generation women enterpreneurs and a study on bank managers and their training needs. Of the international assignments, EDII undertook a fensibility study visit to China for assessing the training needs of loca enterpreneurs. It also prepared a comprehensive demand on evaluation of EDPs for the use of International Labour Organisation (ILO). Two special programmes for training the trainer motivators were organised for Commonwealth Member Countries and support was provided in enterpreneurship development matters to a unmber of countries in Africa and the Pacific.

3.27 The State-level Institutes/Centres for Enterprenurship Development continued to carry out EDPs at the grass-root level and provide the human resources support

to various State and district level organisations engaged in the entrepreneurship development work. Institute of Entrepreneurship Development, U.P., (IED-UP) up to the 31st March, 1990 had conducted 51 EDPs covering 1,864 trainees, besides 21 Entrepreneurship Awareness Programmes (EAPs), 16 Support Systems Programmes (SSPs) and a number of Seminars/Workshops and Conferences. It had also conducted workshops on export marketing and turn-around strategy for small scale sector. Institute of Entrepeneurship Development, Orissa, (IED-Orissa) had conducted up to the 31st March, 1990. 45 EDPs benefiting 1,393 trainees. It had also conducted 17 Management Development Programmes, 6 Entrepreneurship Awareness Camps, 15 programmes for SEEUY beneficiaries, 13 programmes for the benefit of District Industries Centres/ Loanees of State Financial Corporations and had organised six seminars and workshops, Institute of Entrepreneurship Development, Bihar (IED-Bihar) had conducted 21 EDPs uptil the 31st March, 1990 benefitting 806 participants and it also organised 2 Enterpreneurs Meet during the period under review. IED-Bihar introduced, during the year, a new open-end concept for five districts, which, in effect is a package programme for providing entrepreneurial opportunities for the productive utilisation of energy and skill for persons living at the block level. It also launched a pilot project in Purnea, (Bihar) in terms of which 1,500 participants of 10 blocks are to receive training in the assembly of various consumer electronic items. Centre for Entrepreneurship Development, Madhya Pradesh (CED-MP) had a good start during the year by arrangining 17 EDPs in the State of Madhya Pradesh. CED-MP also carried out, during the year, short training courses for officers and staff of Industries Department, Government of Madhya Pradesh. The training-cum-EDP Centre of Goa was also accorded approval for one EDP.

Support for Management Development

3.28 IFCI's support to the management development continues to be through the Management Development Institute (MDI), sponsored by it in 1973, with the sole objective of developing nd upgrading the managerial abilities and managerial talents of the practising managers in private, public, joint and co-operative sectors of the industry as also of commercial and development banks in the banking sector. Management Development Programmes with a unique blend of academic and practical orientation in various spheres of industrial management and development banking alongwith research and consultancy continue to be the specialities of MDI in the field of Human Resources Development (HRD).

3.29 During the year under report, MDI conducted 89 Management Development Programmes in various disciplines from which a total of 1,788 participants had benefited. These programmes included, inter-alia, skill upgradation programmes for the operating entrepreneurs of Gurgaon, interface programmes between management and trade unions for Bharat Electronics Ltd., (BEL), programmes on Development Banking and Institutional Credit sponsored by the Training Division of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, General Management Programmes for senior executives of Oil and Natural Gas Commission (ONGC), programmes on managerial effectiveness for Nepal Arab Bank Ltd., Kathmandu and as many as 43 in-company programmes for various organistions within the country. Cumulatively upto the 31st March, 1990 MDI and conducted 1,018 Management Development Programmes benefitting 23,772 participants, of whom 542 were from other development countries.

3.30 During the year, MDI Successfully completed the first 15-months National Management Programme (MMP) sponsored by the Government of India for Government officers belonging to IAS/Group 'A' Services as well as executives of public and private Sector organisations having potential to acquire top positions. On the 28th September, 1989, the convocation of the first National Management Programme was held at which the convocation address was delivered by Shri P Chidambaram, the then Minister of State for Home, Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India. The Second course in the National Management Programme with 45 participants from Government, Public sector and private sector organisations was commenced on the 1st July, 1989. By the close of March, 1990, MDI had successfully completed three terms of the second MMP and steps were under way for selection of candidates for the third NMP scheduled to start from the 1st July, 1990. It is a matter of considerable satisfaction that the Government of India have decided to give adequate consideration with regard to the placement of participants, who have successfully completed the programme, thereby enabling them to give their best to the organisations they are serving, in the background of the extensive training received by them under the programme.

3.31 A major effort was made by MDI, during the year, in the area of consultancy and research. It completed a few specific assignments in the year 1989-90 which related, *inter-alia*, to "Improving the performance of small scale enterprises through training" (sponsored by the Department of Science & Technology, Government of India), "Study of organisational development for Rajasthan Financial Corporation", "Inter-firm comparision—Introduction of a data system for corporate monitoring" (sponsored by IDBI) and an Apple-India Project" (sponsored by International Development Research Centre, Government of Canada.)

3.32 MDI also had its Foundation day Lecture delivered by Shri Russi Mody, Chairman, Tata Iron & Steel Company Ltd. (TISCO) on the 9th November, 1989 at its own auditorium on the subject of "Managerial Leadership". In his Lecture, Shri Mody emphasied the behavioural aspects in the management and named six 'Cs' as key to managerial leadership, viz, 'character', 'credibility', 'courage', compassion', 'consideration', and 'courtesy',. He suggested that under Indian Cultural and socio-economic milieu, the alien management concepts might not always hold good unless the same were indigenised to suit local conditions.

3.33 MDI's action plan for three years 1990—92 aims at not only developing a strong research, consulting and academic base, but carve out a distinctive image for itself by confining itself to a few thrust areas, viz., finance and development banking, organisational behaviour and systems development, industrial relations, quantitative applications with emphasis on computer science and business policy. MDI has also identified three areas for research activity designed to give it a deeper understanding of the management of organisations in India. These are : Intensive Organisation Studies of identified progressive organisations from the view point of Managerial approach, which have attained national recognition, the leadership styles and behaviour of Indian organisations on a pilot basis, and, a study of enterprises failure with the objective of imparting lessons to the up-coming enterprises through development of case studies on a wider scale.

3.34 IFCI's financial support to MDI in 1989-90 was of the order of Rs. 214.77 lakhs exclusive of yearly contribution of Rs. 5 lakhs from IFCI's general funds. The support during the year, also included a special contribution of Rs. 100 lakhs towards the corpus fund of MDI. Cumulatively, up to the 31st March, 1990, IFCI had provided financial support to MDI out of Benevolent Reserve Fund (BRF) and Interest Differential Funds (IDFs) to the extent of Rs. 1,060.01 lakhs and out of its general funds Rs. 85 lakhs.

3.35 During the year, Shri D.N. Ghosh (formerly the Chairman, State Bank of India) took over as Chairman, Board of Governors, MDI with effect from the 16th June, 1989. Shri S.B. Budhiraja (formerly Managing Director, Indian Oxygen Ltd., Calcutta), took over as Executive Director of MDI with effect from the 1st January, 1990.

Grant to Assam Institute of Management and Accountancy

3.36 IFCI also made a grant of Rs. One lakh to Assam Institute of Management and Accountancy, (AIMA) Guwahati (an Institute sponsored by the Department of Public Enterprises of the Government of Assam) for strengthening its Library/acquiring Personal Computer/teaching aids, etc. The one time grant was made out of the general funds of IFCI.

Support to Risk Capital, Venture Capital and Technology Finance

3.37 While the risk capital assistance has its own significance in broadening the enterpreneurial base, the assistance in the form of venture capietal and technology finance is crucial for improving the technological base of the industry. The risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd., (RCTC), is perhaps, the only institution of its kind, which provides both risk capital and technology finance under one roof to innovative entrepreneurs and technocrats for their technology-oriented ventures.

3.38 In the area of Risk Capital Assistance, RCTC, as the successor of the erstwhile Risk Capital Foundation (RCF), sanctioned, during 1989-90, assistance of the order of Rs. 401.75 lakhs to 38 promoters of 25 projects. Most of these projects were based either on new technology or new products or new usages. These included, *inter-alia*, manufacture of antibiatic drugs, tomato paste, radio paging, systems, pay phones, calcium silicate bricks, granite and marble processing machinery, polymer concrete products, etc. Cumulatively, since inception of RCF in 1976, and up to the 31st March, 1990, RCTC had sanctioned assistance of the order of Rs. 2,557.73 lakhs to 331 promoters for their 199 projects. The disbursements against these sanctions had been of the order of Rs. 2,175.23 lakhs to 302 promoters for their 177 projects.

3.39 Under its Technology Finance and Development Scheme, RCTC sanctioned, during the year under report, a total assistance comprising loans and venture capital of the order of Rs. 819 lakhs to 13 high risk technology-oriented projects. The projects assisted included, *inter-alia*, those for the development of artificial intelligence software for three-dimensional computer animation, software for local area network, digitized fonts, digitizers, educational robots, thin film composite membranes, hybrid seeds, hexachloro-cylopentadiene and tissue culture plantlets, etc. Cumulatively, up to the 31st March, 1990, RCTC had sanctioned assistance of the order of Rs. 943.85 lakhs under its Technology Development Scheme against which the disbursements had been of the order of Rs. 71.60 lakhs. The disbursements are likely to pick up in a greater measure during 1990-91.

3.40 As a part of its corporate strategy, RCTC decided, during the year, to continue to assist industrial projects envisaging technology development and innovation in line with Government priorities and also to encourage those schemes which facilitated improvement in the agriculture and rural economy. Technology Development under the scheme now covers not only new and innovative technologies, but also new products, new usages, etc. So also, the assistance under the Scheme can also be considered for absorption and exploitation of imoprted technology having significant spin-off effects and/or having significant indigenous development content. For augmenting the financial resources of RCTC, it has also been agreed to have both a mix of equity and bonds issue for accelerating its activities. IFCI has also decided to raise a Venture Capital Fund, initially of Rs. 50 crores which is proposed to be operated through RCTC.

3.41 So far, the entire funds support to RCTC has been provided by IFCI. Up to the 31st March, 1990, IFCI has disbursed a sum of Rs. 1,803.23 lakhs to RCTC from out of its BRF and IDFs, besides providing interest-bearing loans and subschibing to its share capital to the extent of Rs. 322 lakhs from its general funds.

Support for Tourism, Tourism-related activities, facilities and services

3.42 Tourism is an important segment of Indian economy contributing substantially to its foreign exchange earnings. During 1988-89, the foreign exchange earnings from tourism were over Rs. 2,100 crores making the industry the single largest net foreign exchange earner. The other major benefits accuring from tourism are large employment opportunities, chanellisation of funds from developed to less developed areas having tourist attraction, national integration through domestic tourism and better international understanding through promotion of India as destination of nnctees.

3.43 A mention was made in the last year's Annual Report about IFCI having been declared by the Government of India as the nodal agency at the national level for financing tourism and tourism-related activities. in a bid to accelerate the growth of tourism finance, IFCI, alongwith other All-India Financial Institutions and Banks, sponsored the Tourism Finance Corporation of India Ltd., (TFCI), which became operational with effect from the 1st February, 1989. TFCI, which has been set up as a specialised all-India Financial Institution, provides financial assistance for setting up and/or development of tourism, tourist related activities, facilities and services. It is also expected to co-ordinate, help in formulating guidelines and policies related to the financing of tourism projects, and, above all, to play a developmental role with in the overall policies of Government.

3.44 In the very first year of its operations, TFCI sanctioned financial assistance of the order of Rs. 52.78 crores to 39 projects comprising, apart from hotel and restaurant projects, projects related to amusement parks, carrental agencies, ferries for inland water transport, etc. The projects assisted by TFCI are likely to catalyse resources of the order of Rs. 264.79 crores and are likely to give direct employment to about 5,100 people. The hotel projects assisted by TFCI are expected to augment the capacity of the hotel industry by nearly 2,800 rooms. A special feature worth mentioning in TFCI's operations has been that 15 projects out of 39 have been set up by new entrepreneurs entering the field of tourism for the first time. It is expected that in the coming years, TFCI would be able to contribute significantly to the promotion and development of tourism projects in the country, thereby assisting the promotion of India abroad as the destination of 1990s.

3.45 The authorised share capital of TFCI is Rs. 100 crores, out of which the initial paid-up share capital of Rs. 50 crores has been subscribed by IFCI, IDBI, ICICI, UTI, LIC, GIC and its subsidiaries, SBI, Canara Bank and Bank of India. TFCI has also approached the Government of India for providing its funds support by way of market borrowing allocation for mobilising further resources to enable it to play more effectively its role in the promotion of tourism.

3.46 The financial performance of TFCI, during the period ended the 31st March, 1990 was quite satisfactory. It effected disbursements of the order of Rs. 12.76 crores to as many as 19 projects and earned a profit before tax of the order of Rs. 507 lakhs. The net profit after tax amounted to Rs. 429 lakhs.

Support to Securities & Exchange Board of India (SEBI)

3.47 With a view to promoting orderly and healthy growth of the securities market and to provide adequate investor protection, the Government of India, pending the establishment of a statutory Board, has constituted as an interim measure, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) under the overall administrative control of Ministry of Finance. Suitable legislation for giving statutory authority to SEBI is already in the process of being introduced in the Parliament. Meanwhile, to meet the initial fund requirements of SEBI, IFCI and other financial and investment institutions as also nationalised banks performing investment banking functions, contributed towards SEBI's corpus, of which the share of IFCI was Rs. 250 lakhs. This has been fully contributed—the contribution in 1989-90 being of the order of Rs. 125 lakhs.

Support for Science & Technology Entrepreneur Parks (STEPs)

3.48 The all-India financial Institutions have been supporting establishment of the Science & Technology Entrepreneur Parks (STEPs) in pursuance of the scheme of Department of Science & Technology, Government of India. STEPs aim at providing an on-going-interaction between science and technology institutions, on the one hand, and, the industry, on the other, and in that process provide opportunities to scientist/engineers to take up entrepreneurial career as their first option. Located generally within or in the vicinity of the Engineering Colleges/Universities, Technical/Research Institutions, the STEPs provide greater opportunities for translating the research outputs into the development of quality indus-

trial products/processes, and, thus help in promoting the development and upgradation of technology within the country indigenously.

3.49 IFCI has, so far, participated in the funding of seven STEPs, jointly with other institutions. These are :—

— Birla Institute of Technology—STEP (BIT-STEP), Ranchi, Bihar.

— Jawaharlal Nehru Engineering Chemical Park (JNECP), Bombay. Maharashtra.

— Regional Engineering College STEP (REC-STEP), Tiruchirapalli, Tamil Nadu.

— Harcourt Butler Technological Institute STEP (HBTI-STEP), Kanpur, Uttar Pradesh.

— Sri Jayachamarajendra College of Engineering STEP (SJCE-STEP), Mysore, Karnataka.

— Guru Nanak Engineering College—STEP (GNEC-STEP), Ludhiana, Punjab.

— Maulana Azad College of Technology—STEP (MACT-STEP), Bhopal, Madhya Pradesh.

3.50 In the BIT-STEP, Ranchi, the main thrust is on technology development in the field of industrial instrumentation and control systems, development of indigenous components for steel and coal industries. As a result of 37 science and technology entrepreneurs working in BIT-STEP, 25 enterprises have already been set up so far. During 1989-90, BIT-STEP enlarged area of its research wth a view to improving and developing high-head hand pumps and solar thermal devices. REC-STEP where the emphasis is on development of technology relating to power equipments, hi-tech paints for nuclear applications, light and medium engineering industries, has been instrumental in 24 science and technology entrepreneurs setting up their production units. During the year 1989-90, TREC-STEP also provided consultancy in computer software development as also non-ferrous machinery. SJCE-STEP, which is mainly specialising in electronics and instrumentation has been able to help 8 science and technology entrepreneurs to start commercial production in their units. It has also set up a data base and information centre for providing need based information to entrepreneurs and industries. While the projects of rest of the four STEPs are under implementation, they are actively involved with the research work as well as entrepreneurship development amongst science and technology personnel. Student-trainees of HBTI-STEP have successfully developed prototypes of washing machines and cooler bodies made out of FRP (fibre-reinforced polymers), two special grades of Vinyl Ester Resins, fibre-reinforced spun pipes made out of cement, special grades of printing inks for flexo and groware printing processes, etc. JNECEP-STEP is engaged in the preparation of project profiles of selected drugs which are presently being imported. During the year, JNECP-STEP conducted a Workshop on "modern developments in the use of polymers as aids to crop production in dry climates" and a training course on "R&D in chemical industry." GNEC-STEP is working in area of specialisation in machno-electronic controls and machine tools accessories. MACT-STEP is working in specialised areas related to electronics and power engineering. It also set up, during the year, an 'Institute-Industry Linkage Cell'.

3.51 The fund support provided by IFCI to the STEPs by way of grants upto the 31st March, 1990 was of the order of Rs. 18.41 lakhs of which Rs. 2.50 lakhs was released in the year 1989-90.

Support for Research in various disciplines and other research-oriented activities

(A) IFCI Chairs

3.52 For promoting research in the field of industrial management, financial management, industrial finance, regional economics and development banking, IFCI has created six Chairs—one each at the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) and at the Universities of Delhi, Bombay, Calcutta, Guwahati and Madras.

3.53 During the period under review, the following Annual IFCI Public Lectures were delivereed under the auspices of aforesaid Chairs :—

— *Venture Capital : Problems and Prospects in India* —*Prof. S. C. Kuchhal, University of Delhi*

— *Enterpreneurial Development in Tamil Nadu* —*Dr. N. P. Srinivasan University of Madras*

— *Development Planning in India—Some Reflections* —*Dr. R. S. Sabnis, University of Bombay.*

3.54 In addition, research work in various areas of development and regional economics continued to be carried out under IFCI Chairs at the Universities of Bombay, Madras, Guwahati and Delhi. The Chairs at Calcutta and Indian Institute of Management, Ahmedabad, however, continued to remain vacant throughout the year.

3.55 IFCI's support to the Chairs has been in the form of endowment grant to Chairs at Ahmedabad and Delhi and in the form of annual grant to the Chairs at Bombay, Calcutta, Madras and Guwahati. During the year, the amount of annual grant was increased from Rs. One lakh to Rs. 1.50 lakhs per annum, in the case of Chair at Bombay University and from Rs. 60,000/- to Rs. One lakh per annum in the case of Chair at Guwahati University. The total fund support in the form of endowment grant to the Chairs up to the end of March, 1990 had aggregated Rs. 32.25 lakhs.

(B) IFCI Research Fellowships

3.56 During the year, IFCI instituted four IFCI Research Fellowships—one each in Northern, Southern, Eastern and Western Region—for promoting research leading to Doctorate Degree in the field of development, banking, entrepreneurship development, industrial economics, regional economics, industrial and financial management, management of tourism and tourism related activities, etc. The tenure of these Fellowships is three years and envisages payment of Rs. 2,400/- per month to research fellowships for three years with a contingent grant of Rs. 5,000/-.

3.57 In addition to the above, two fellowships were created by IFCI in the National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) for carrying out research in areas related to entrepreneurship development. The two fellowships in NIESBUD envisage payment of Rs. 10,000/- each per research fellow for nine months plus a lump sum of Rs. 1,000/- as grant.

(C) Support to other research-oriented Organisations

3.58 Assistance was also provided during the year to Centre for Multi-Disciplinary Development Centre (CMDR) and National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) for furthering their research-oriented activities. The assistance to these institutions during the year, aggregated Rs. 9.50 lakhs.

New Dimensions

3.59 New dimension was added during the year, to the promotional role of IFCI with its participation in the LIC Housing Finance Ltd., sponsored by Life Insurance Corporation of India (LIC) and GIC Grih Vitta Ltd., established by General Insurance Corporation of India (GIC). In respect of LIC's sponsored Housing Finance Co., IFCI contributed, during the year 1989-90, its share of Rs. 1.65 crores.

3.60 Another development of considerable significance was, IFCI setting up, on its own, a Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN) with a corpus of Rs. Two crores in the North-Eastern Region at Guwahati—an institutional innovation in support of voluntary actions. In the context of the importance being attached to the rural development, the Nidhi seeks to establish, promote, support and develop voluntary organisations engaged in social-economic upliftment of rural and urban poor, the physically and socio-economically handicapped persons, and towards the family welfare programmes being organised in the region. The Nidhi intends to devote itself whole-heartedly through a core of people with missionary

zeal in improving the pace and quality of economic development, specially in the rural and decentralised sector. Nidhi has beeen registered as a Society on the 20th April, 1990 under the Societies Registration Act, 1860 and is proposed to be operated through a Governing Board which is to consist of not less than 7 and not more than 15 members (including the Chairman and Executive Director). Shri S. M. Palia (formerly, Executive Director, IDBI), has been appointed as IFCI's nominee to function as the Chairman of the Governing Board. Shri D. R. Mehta, Additional Secretary in the Ministry of Finance, Department of Banking, has also consented to join Governing Board of the Nidhi. It is expected that the Nidhi, which is likely to become fully operational from the middle of 1990 would be fulfilling a felt-need, particularly in the context of economic development of the rural and tribal areas, and to begin with, in the North-Eastern Region.

3.61 There is no gainsaying that the promotional role of IFCI has encompassed a number of dimensions—much more than what were even envisaged in 1972, when by an amendment to its Charter, IFCI was authorised, for the first time, to undertake promotional activities. The role of IFCI now extends virtually to the entire industrial spectrum in the country. However, IFCI is quite conscious, that it has many a miles to go, because, in the promotional sphere, the scope and vistas are unlimited.

IMPACT AND THRUST

4.01 1989-90 was a year of considerable significance. The year marked culmination of the decade of eighties, and, the beginning of the decade of ninnetees. At home, the year was the terminal year of the Seventh Five-Year Plan (1985—90) leading to the commencement of the Eighth Plan (1990—95). To IFCI, the year marked the completion of forty-two years of its dedicated service to the Indian industry. An attempt has been made in the following paragraphs to evaluate IFCI's contribution during the Seventh Plan period, assess its impact and identify thrust areas in relation to the future growth and development of industry for the operations of IFCI.

PLAN-WISE ANALYSIS OF IFCI's OPERATIONS

4.02 A significant feature of IFCI's operations, right from its inception, has been its adherence to the national policies, (particularly those affecting finance and industry), plan priorities, and the guidelines received from the Government from the time to time. The way, IFCI has been able to accelerate the process of industrialisation in country can be gauged from the planwise assistance sanctioned and disbursed by it, as given in Table 20.

Table 20: Plan-wise Financial Assistance Sanctioned and Disbursed by IFCI

(Rs. Crores)

Plan period	Net Financial Assistance Sanctioned					Financial Assistance Disbursed				
	Loans	Underwritings/ Direct Subscriptions	Guarantees	Equipment Leasing	Total	Loans	Underwritings/ Direct Subscriptions	Guarantees	Equipment Leasing	Total
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Period prior to First Plan (1948–51)	8.06	—	—	—	8.06	5.79	—	—	—	5.79
First Plan (1951-56)	26.91	—	—	—	26.91	10.94	—	—	—	10.94
Second Plan (1956–61)	52.91	3.53	16.30	—	72.74	40.62	1.31	15.11	—	57.04
Third Plan (1961–66)	130.55	16.42	29.48	—	176.45	104.22	14.00	26.80	—	145.02
Three Annual Plans (1966–69)	55.43	5.79	5.27	—	66.49	83.93	5.64	8.54	—	98.11
Fourth Plan (1969–74)	160.87	12.51	1.10	—	174.48	133.99	6.48	1.33	—	141.80
Fifth Plan (1974–78)	264.75	21.24	0.28	—	286.27	206.08	10.29	0.34	—	216.71
Two Annual Plans (1978–80)	282.85	17.58	—	—	300.43	164.93	5.39	0.20	—	170.52
Sixth Plan (1980–85)	1,333,45	122.15	43.38	—	1,498,98	1,088,91	22.01	5.24	—	1,116.16
Seventh Plan (1985–90)	5,500,62	311.30	63.61	226.64	6,102.17	3,260.99	84.09	19.74	147.73	3,512.55
Grand Total	7,816.40	510.52	159.42	226.64	8,712.98	5,100.40	149.21	77.30	147.73	5,474.64

4.03 During the Sixth Plan period (1980–85), IFCI's total sanctions (all in the realm of project finance) were of the order of Rs. 1,498.98 crores, against which disbursements amounted to Rs.1,116.16 crores. Even at that time, the aforesaid assistance was more than the total assistance sanctioned and disbursed by IFCI during the preceding 32 years' period, covering five Five-Year Plans, five intermittent Annual Plans, and three years' period prior to the very First Plan. The number of projects assisted by IFCI, which stood at 1,265 at the beginning of the Sixth Plan period, had gone up to 2,093 at the end of that plan. The overall resource-mobilisation for the completion of these projects as at the end of the Sixth Plan, had been worked out at Rs. 22,386 crores.

4.04 During the seventh Plan period (1985–90), one significantly distinguishable feature was IFCI's entry, for the first time, in the area of financial services. Of the total assistance sanctioned and disbursed by IFCI of the order of Rs. 6,102.17 crores and Rs. 3,512.55 crores during the Seventh Plan period (1985-90), sanctions and disbursements of the order of Rs. 791.85 crores and Rs. 286.59 crores (mostly during latter years of the Seventh Plan period) were in respect of IFCI's variegated financial services, like Suppliers' Credit, Buyers' Credit, Equipment Credit, Equipment Procurement, Equipment Leasing, etc. Even under Project Finance, considerable degree of diversification took place in IFCI's assistance portfolio during the Seventh Plan period. Fishing, tourism, hospitals, construction, ship building and repairs, off-shore drilling, leasing etc., came under IFCI's financing for the first time during this period.

4.05 Further, compared with the sanctions and disbursements of IFCI in the entire Sixth Plan period (1980-85), the total sanctions and disbursements of IFCI during the Seventh Plan period (1985-90) were more than four and three times respectively, portraying an increase of 307.1% in sanctions and 214.7% in disbursements. Not only that, the total sanctions and disbursements of the order of Rs. 6,102.17 crores and Rs. 3,512.55 crores of IFCI during the Seventh Plan period (1985-90) were higher by 133.7% and 79.0% respectively when compared with the entire total sanctions and disbursements of IFCI during the preceding 37 years, covering six Five-Year Plans, five intermittent Annual Plans, and three years' period prior to the very First Plan.

4.06 The number of projects assisted by IFCI, which stood at 2,093 at the end of the Sixth Plan period (1980–85) went up to 3,564 showing an increase of 70.3%. It also means, that on an average, about 295 medium-large and large projects were added every year during the 5 years' period of the 7th Plan (1985–90) compared with an addition of about 166 projects, on an average, every year, during the 5 years' period of the Sixth Plan (1980–85). The addition was over and above the financial assistance provided to existing projects for their expansion, diversification, modernisation schemes, etc.

4.07 More important than the quantum of assistance or the number of projects assisted by IFCI is its catalytic role as a Development Finance Institution, which has been instrumental in overall resource mobilisation of Rs. 60,111 crores for the completion of its 3,564 assisted projects upto the end of the 31st March, 1990.

Economic Contribution of IFCIs' assistance

4.08 The direct economic contribution of IFCI-assisted 3,564 projects during the period of last 42 years can be perceived in the overall industrialisation spread-effect all over the country, after its Independence in August, 1947.

4.09 In terms of its Charter, IFCI was expected to provide medium and long-term credit to the eligible medium and large-sized industrial projects coming up in the corporate and co-operative sectors. It was not empowered to set up or promote any industrial venture on its own. IFCI was also not authorised to finance or refinance the industrial units in the village and small industries sector. Within the framework of its Charter, IFCI, during the last 42 years, has covered a wide spectrum of industries, and there is hardly any industry in the organised sector, which has not been the beneficiary of some assistance from IFCI. Many of the units have been the recipient of financial assistance from IFCI for more than once.

4.10 From the view point of spread of financial assistance it may be stated that the flow of financial assistance for IFCI depends to a large extent upon the flow of applications from new medium and large-sized industrial units coming up in various States/Union Territories in the country. Even within this framework, IFCI's share of assistance to various States/Union Territories has well kept pace with the number of registrations/Letters of intent/Industrial Licences obtained by them, year after year. All states and Union Territories of the country have been covered by IFCI's assistance during the last 42 years except the State of Mizoram and Union Territory of Lakshadweep. Even in these areas, it has been the endeavour of IFCI alongwith other Financial Institutions, through various promotional measures, to promote entrepreneurship so that industrial activity picks up, having regard to the local resource endowment.

4.11 The performance of the industries in the 80s stands in a striking contrast to the performance of the industries in the 70s, when the overall production grew only at a compound annual growth rate of 4.2%. In the overall growth in industrial production at the compound annual rate of 7.7% during 80s, 47% has been contributed by basic goods, 21% by capital goods 16% by intermediate goods, 7% by durable consumption goods and 9% by non-durable consumption goods. The Incremental Capital Output Ratio (ICOR), which is one measure of the efficiency of the production system, has also shown a decrease over the years implying improvement in the productivity of the Indian industry. Gross Incremental Capital Output Ratio at 1980-81 prices was 3.80 for the decade of 50s, 5.33 for the decade of 60s, 6.12 for the decade of 70s, but during the period from 1980-81 to 1988-89 this worked out to 4.13. For the manufacturing sector alone, the Incremental Capital Output Ratio which was 3.16 during the 50s, 5.75 during the 60s, and 6.41 during the 70s, came down during the 80s, to 4.78. Having built the basic industrial foundation, India is now leapfrogging to the state-of the-art technology in the sunrise industries like electronics, computers, satellite technology, bio-technology telecommunications, sophisticated numerically controlled machine tools, etc.

4.12 Roughly, one-third of IFCI's total assistance portfolio is accounted for by industries, like sugar, textiles, cement, paper and fertilisers. IFCI's assistance, alongwith those of other Financial Institutions during the Seventh plan period was able to create/catalyse capacities in these industries of the order of 13.88 lakh tonnes in sugar, 8.85 lakh spindles in textiles, 84.25 lakh tonnes in cement, 1.23 lakh tonnes in paper, and 49.64 lakh tonnes in fertilisers. In addition, substantial capacities were created in various other industries, like, iron & Steel, power and gas, chemicals and chemical products, food processing, automobile tyres and tubes, synthetic fibres, synthetic resins and plastics, machinery, electrical machinery and equipments, electronics, transport equipment and parts, metal products, etc., as also service industries like hotels and hospitals. The new, expansion and diversification projects assisted by IFCI during the Seventh Five-Year Plan period (1985–90) have been able to generate direct employment for about 2.76 lakh persons, and much larger number of indirect employment in the supporting ventures and sectors.

4.13 A study of 1,130 new, expansion/diversification projects financed by IFCI during the Seventh Plan period (1985–90) indicates that the value of output from these projects at the time of their appraisal was Rs. 26,369 crores. The gross value added was of the order of Rs.. 11 075 crores, which, in itself, is a good indicator of the contribution of these projects to the Gross National Product (GNP) of the country.

Contribution to National Exchequer

4.14 IFCI is liable to tax like any other company. During 42 years of its existence, IFCI has been able to pay to the National Exchequer by way of tax alone, a sum of Rs. 167.09 crores, which is more than one-and-half times of its paid-up share capital of Rs. 100 crores.

Dividend record

4.15 For the first time, in the year 1970-71, the General Reserve Fund of IFCI became equal to its paid-up share capital. Therefore, this was the year in which, in accordance with the provisions of the IFC Act, 1948, IFCI for the first time, declared a dividend higher than the guaranteed by the Central Government on its shares. This was, of course upto the maximum permissible limit of 5%. Later, when the ceiling on dividend rate was removed by amendment to the IFC Act, 1948, IFCI started stepping up its dividend rate. In the whole of the Sixth Plan period, the step-up in the dividend rate was just 0.5% p.a. on incremental basis. During the Seventh Plan period (1985-90), IFCI was able to maintain its step-up record by 1% per annum every year. The result is that during the financial year ended the 31st March, 1990, the dividend declared by IFCI on its paid-up share capital was 14% p.a. as against 9% p.a. for the year 1984-85 (the terminal year of the Sixth Plan).

Impact of IFCI's Operation

4.16 Impact is something, which is more felt than described. IFCI is not only one of the Development Finance Institutions in India, but is also one of the oldest An attempt has been made in the succeeding paragraphs to broadly evaluate the impact of IFCI's operations, conjointly with the other All-India Financial Institutions, under the following heads as under :—

— Development banking practices

— Managerial effectiveness of the assisted concerns

— Broadening the entrepreneurial base

— Balanced regional development

— Growth and development of industrial co-operatives

— Modernisation and technological upgradation of industry

— Impetus to energy conservation, use of alternate source of energy, pollution control and abatement, etc.

— Impetus to safety measures in the industry

— Impetus to the development of a new industrial culture through several promotional measures.

(i) Development Banking Practices

4.17 Financial Institutions, including IFCI, under the prevailing joint financing and consortium approach have considerably sharpened their tools and tackles for project appraisal, monitoring and follow-up. All the institutions now evaluate the projects not only from several angles like, technical, financial, commercial, economic, managerial, socio-ecological, etc., but are also in a position to guide the entrepreneurs, even at the project conception stage, as regards the choice of product-mix, foreign collaboration and appropriate technology, managerial and marketing imperatives in the larger interest of the project itself, and, its timely implementation. Enlightened promoters and capable managements are now able to appreciate in an increasing number, the benefits derived by them from the various exercises which Financial Institutions including IFCI require them to carry out during the implementation stage and, later, during operational life of the projects.

4.18 The creative and contributory role of Financial Institutions is neither limited to their decisions to finance a project nor to the supervision of a project's implementation during the currency of the financial assistance granted by them. The relationship between the Financial Institutions and the assisted concerns is no longer merely that of creditor or debtor, they are, in fact, the partners in the industrial ventures. The Institutions, therefore, endeavour to maintain a relationship with their beneficiaries, which is intimate and continuous, drawing upon each other's expertise and experience to create a vibrant industrial ethos. This is something, which is of considerable significance from the viewpoint of qualitative impact on the industrial culture in the country.

(ii) Managerial Effectiveness of Industrial Concerns

4.19 The impact on managerial effectiveness of industrial concerns is largely the result of emphasis of Financial Institutions, including IFCI, on the creation of a proper and need-based management structure in the assisted concerns, viz., (a) a proper and broad-based set-up at board of Directors level, (b) proper organisational set-up in all key areas of management, (c) establishment of Project Management Committees (PMCs), (d) establishment of Audit Sub-Committees, particularly in the case of large projects, (e) establishment of need-based Management Information System, (MIS) within the organisation, and (f) use of consultants and specialists for securing solutions to operational problems, if any, so as to have better overall productivity of the organisation. The institution of nominee directors serves as an intimate link between the assisted concerns, management set-up at Board level and Financial Institutions. Emphasis is more on 'professionalisation of management', in which regard the Management Development Institute (MDI), sponsored by IFCI, 'has been doing a good job by undertaking 'In-Company Programmes', as also executing an intensive "15-month National Management Programme (NMP)" sponsored by the Government of India. With the overall transformation of the economic environment, management have before them greater challenges, arising from increased competition and quick adjustments to a healthier competitive industrial culture. Through tailor-made management development programmes being conducted by MDI, industry has been helped to meet the oncoming and emerging challenges. All these measures have helped to a considerable extent, in bringing some qualitative changes and professionalised approach in the management of the assisted concerns.

(iii) Broadening the entrepreneurial base

4.20 For balanced and widely diffused process of industrial growth in a large country like India, the broadening of entrepreneurial base is a prime requisite. Whatever be the size of the industry—tiny, small, medium or large—the country needs an incessant flow of entrepreneurs with entrepreneurial skills and traits for setting up new enterprises. Undoubtedly, some persons are born, or are gifted with entrepreneurial talents, but where entrepreneurship is lacking, there is no way, but to develop it. Financial Institutions (including IFCI) by providing funds support to the entrepreneurship development movement have broken the myth that entrepreneurs are only born and not made. Out of over 42,000 persons that had been developed through the instrumentality of entrepreneurship development programmes, upto the 31st March 1990, a sizeable number have set up industrial units in the cottage tiny and small scale sector.

4.21 For providing seed/risk capital to the new entrepreneurs, while IDBI is operating the scheme of Seed Capital/Special Capital/National Equity Fund, etc., through State level financial institutions/banks, IFCI has been operating risk capital scheme through the Risk Capital & Technology Finance Corporation Limited (RCTC) for the last 14 years. As a result of risk capital assistance scheme, as many as 331 first-generation entrepreneurs with their 199 medium and medium-large-sized projects have been able to come up on the industrial horizon of the country. The success stories of these new impact-making entrepreneurs assisted by RCTC (an organisation sponsored by IFCI) bear testimony to what a meaningful financial help, in a rightful manner, with no commercial motive, can do in bringing the talented entrepreneurs of modest financial means, on the industrial scene of the country.

4.22 In its own project-finance operations, it has been the endeavour of Financial Institutions including IFCI to broaden, as far as possible, the entrepreneurial base in the country. This has been achieved by giving a preferential and constructive treatment to the industrial ventures of competent first-generation entrepreneurs, and in genuine cases of hardship accepting somewhat reduced promoters' contribution, on a selective basis. During 42 years of its existence, IFCI has been able to bring up a number of first-generation entrepreneurs, from diverse backgrounds on the industrial horizon of the country. Out of over 400 projects promoted by these new entrepreneurs, quite a few of them have absorbed new technologies and have proved to be highly successful. Some of the first generation entrepreneurs,

particularly those assisted during the first two decades of IFCI's existence, have expanded their businesses to such an extent, that today they are counted amongst the established or large industrial houses in India. The process, which is a continuing one, however, goes on.

(iv) *Balanced Regional Development*

4.23 Around 50% of IFCI's total assistance has gone to projects set up in centrally notified backward districts/areas (including No-industry/Special Region district). During the Seventh Plan period (1985–90), out of 2,301 projects assisted, as many as 1,115 were located in notified backward districts/areas. 246 projects were those which had been set up in No-Industry Districts/Areas. Apart from providing concessional assistance upto prescribed ceiling on soft terms for the projects coming up in backward areas, IFCI has also been providing 'Project-Specific Infrastructure Loan', to the projects in No-Industry Districts/Areas, for which no interest is charged during the construction period. There is no denying the fact that institutional measures and incentives for establishment of projects in centrally notified backward/districts/areas have helped in a modest, but significant manner, the achievement of the objective of balanced regional development. Since most of the projects in notified backward districts/areas have been set up in rural and/or semi-urban locations, the economy of these areas, as a direct consequence of these industrial projects, has undergone a sea change. Apart from generation of direct as well as indirect employment, the projects have helped in the establishment of a number of tiny and small scale units, service centres, shops and markets, school and medical facilities, etc. In fact, the economic and social impact of these projects can be seen, (than described), in the 'developmental consciousness', that has been created, and the extent to which these projects have helped in meeting the economic welfare of the local people and strengthening locally the necessary infrastructure.

(v) *Growth and Development of Industrial Co-operatives*

4.24 The history of the growth and development of industrial co-operatives begins with IFCI. It was in 1949-50 that the first co-operative sugar factory in Maharashtra was assisted by IFCI. Since then, IFCI has assisted as many as 334 industrial co-operatives with an assistance of Rs. 531.51 crores. While Maharashtra remains a fore-runner in the history of co-operative movement in the industrial sector, it is a matter of considerable satisfaction for IFCI and other Financial Institutions that through their support and priority treatment accorded to co-operative sector ventures, co-operative movement has gathered momentum in almost all the States. Presently, out of 334 co-operatives in IFCI's portfolio, while 119 are in Maharashtra, 42 are in Uttar Pradesh, 29 in Karnataka, 24 in Andhra Pradesh, 23 in Gujarat, 23 in Tamil Nadu, 19 in Punjab, 12 in Orissa, 11 in Haryana, 6 in Bihar, 5 each in Assam, Kerala and Madhya Pradesh, 4 in Rajasthan 3 in West Bengal, 2 in Pondicherry and one each in Goa as also Dadra & Nagar Haveli. Since almost all the co-operatives are either agro-based, or, provide inputs to agriculture, IFCI and other Financial Institutions have been able to develop by providing impetus to the co-operative movement in the industry, a good nexus between agriculture and industry besides inducing economic growth, in general, of rural areas.

4.25 Of the 334 industrial co-operatives, 216 are sugar co-operatives, 98 textile co-operatives and 20 other miscellaneous co-operatives. The sugar co-operatives have been instrumental in promoting a number of ancillary and associate industries, like distilleries for the manufacture of industrial alcohol, confectionary units, bagasse-based paper plants, production of mixed and granulated fertilisers, etc Textile spinning co-operatives have afforded opportunities for the development of the handloom sector in the rural and semi-urban areas. The spread of the co-operative movement in many other industries, like jute, fertilisers, synthetic fibres, vegetable oil, cocoa processing, paper, chemicals and chemical products, development of industrial estates, etc., over the years, is an eloquent testimony to the success and strengths achieved by the medium and large-sized industrial co-operatives all over the country with substantial financial assistance from the Financial Institutions, including IFCI.

4.26 Another noteworthy feature of IFCI's assistance to industrial co-operatives has been, that it has gone to units located in remote corners of the country, and, has been instrumental not only in bringing industries to places where there were none, but also in changing the entire rural scene. The co-operatives have been instrumental in providing improved roads, better transport facilities, potable water supply, establishment of schools and health centres, etc. apart from strengthening the villagers faith in the co-operative movement and mobilising the savings of the agriculture sector for productive purposes. In rehabilitating sick, but potentially viable, industrial units, the experiment of forming the workers' co-operatives for re-starting the closed units has also met with some success.

(vi) *Modernisation and technological upgradation of industry.*

4.27 The problem of obsolescence in Indian industry can only be tackled with modernisation and technological upgradation of the existing units. The cost of modernisation, diversification and expansion of existing units is always comparatively less than that of establishing new units in the field. Realising the need for modernisation and technological upgradation, the Financial Institutions have been operating for the last 14 years the 'Soft Loans Scheme' providing assistance for modernisation on soft terms. Further during the 7th plan period (1985-90), the establishment of the 'Sugar Development Fund', 'Textile Modernisation Fund' and 'Jute Modernisation Fund' have added new dimensions to the modernisation assistance. Special Loans, which are available under these fund schemes, have been allowed to be treated as promoters' contribution in respect of those weak industrial units which are in urgent need of modernisation.

4.28 IFCI's and other Institutions' emphasis all along has been on an integrated programme of modernisation with focus on upgradation of technology, measures for energy conservation, and, abatement of pollution. About 26.6% of the assistance sanctioned by IFCI under the Project Finance, during the 7th Plan period (1985-90) has gone towards expansion, diversification and modernisation of existing industrial units. In these units, IFCI's stress has been, on the fact that modernisation should not only be of machinery and equipment, or of products in terms of design, quality and standardisation, but also modernisation of technology consistent with economic efficiency and quality; modernisation of organisational structure and modernisation of management techniques including modernisation of attitudes and skills of personnel at all levels. Time and again, while evaluating modernisation schemes, IFCI and other Financial Institutions have taken special care, that modernisation schemes formulated by existing industrial units aim at upgradation of process technology and product, export-orientation or import substitution, energy saving, anti-pollution measures, conservation/substitution of scarce raw materials and other inputs, recycling/recovery of wastes and by-products, improvement in material handling and improvement in capacity utilisation through increase in productivity and debottlenecking.

4.29 A distinguishing feature of institutional assistance in the 7th Plan period (1985-90) is the thrust given not only to technological upgradation but also for technology development and technology assimilation, whether by import of technology, or development of indigenous technology through in-house Research & Development (R&D) efforts. The share of hitech and other technology-oriented projects, has gone up considerably during the 7th plan period. The introduction of Technology Upgradation Scheme and establishment of Venture Capital Fund—both by IDBI, the Technology Development and Information Company of India Ltd., (TDICI) by ICICI and the Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd., (RCTC) sponsored by IFCI, have opened new vistas for financing of commercial research and technology development schemes, commercial exploitation of indigenously developed technology and adoption of previously imported technology for wider domestic applications. RCTC, which has been provided financial support entirely by IFCI, has been encouraging trail-blazer technocrats/professionals taking up hi-tech ventures with high risks and high returns, and, is supporting them having regard to the distinctive features of their schemes e.g., new technology, new products, new markets, new usages and new specialised services and their commercialisation. IFCI has also been attaching considerable importance in its project financing operations to projects which are based on commercially proven indigenous or advanced imported technology or projects involving upgradation of

technology in the existing industrial units, or projects contemplating to set up their own in-house R&D centres, with the ultimate objective of either import substitution, or, export development, or both. The wide varieties of projects, which have been financed by IFCI, particularly during the 7th Plan period bear adequate testimony to the above. The process has to continue, so that the industries' technological base is well diversified before the nation is ushered into the 21st century.

(vii) *Impetus to energy conservation, use of alternate source of energy, pollution control and abatement, etc.*

4.30 The conservation of energy by better energy management is another area, which has been given utmost attention by the Financial Institutions for over a decade. The Financial Institutions look to energy management not only from the angle of the larger national interest, but also as a means of reducing the cost of production so as to improve or atleast maintain the margin of profit in the industry. A unit of energy saved is a unit of energy gained. While evaluating the projects, both existing as well as new, the Financial Institutions, including IFCI, have been taking special care, that measures effecting economy in the use of energy are incorporated in the schemes right from the project formulation stage. The Financial Institutions are also collecting from the existing industrial units, on an annual basis, data relating to energy consumption and savings effected by them as a part of monitoring energy conservation programmes.

4.31 During the 7th plan period, the Institutions introduced two special schemes, viz., Energy Audit Subsidy (EAS) Scheme and Equipment Finance for Energy Conservation (EFEC) Scheme. Under the Energy Audit Subsidy Scheme, the Institutions have agreed to bear the cost of conducting the preliminary and detailed energy audits in assisted concerns, which are bound by energy audit requirements of the Institutions, to the extent of 50% of the cost, subject to a ceiling of Rs. 10,000 for preliminary audit and Rs. One lakh for detailed energy audit. Under the Equipment Finance for Energy Conservation (EFEC) Scheme, the Institutions have also agreed to fund the energy saving equipment identified as a result of preliminary or detailed energy audit. The unique feature under the sheme is that the rate of interest is subject to a rebate linked to the extent of energy saving actually achieved in relation to a standard datum level, subject to a floor level interest rate of 10% p.a. According to an assessment, annual saving in energy consumption on completion of projects supported by all-India Financial Institutions from June, 1988 onwards is likely to be above Rs. 20 crores.

4.32 For use of non-conventional sources of energy, the Financial Institutions have been providing assistance at a concessional rate of interest. The devices/items of renewable energy/alternative sources cover almost all solar energy based items, wind mills and wind energy based items, bio-gas plants and bio-gas engines, agriculture and municipal waste conversion devices producing energy, and, equipment for utilising ocean waves and geo-ocean-thermal energy. Both equipment manufacturers and equipment purchasers of the alternate systems and renewable energy devices are eligible for concessional finance under the scheme. In suitable cases, the Institutions are also joining hands with Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., (IREDA).

4.33 With regard to pollution control, the Indian Financial Institutions have been paying greater attention to ecological factors during project appraisal and endeavour to ensure that the industrial effluents are controlled and kept within the limits prescribed by regulatory bodies in every State. In respect of certain highly pollutive industries, even before the proposals are considered for financial assistance, confirmations are necessary from (a) the State Director of Industries, that the site of project meets the approval of the competent authority from environmental angle, (b) the State authorities that it is not in proximity of the reserved forest area, and (c) the State Pollution Control Board, that the equipments proposed to be installed for the prevention and control of pollution totally meet the environmental requirements and are wholly adequate as well as appropriate. Finance for pollution control and environmental protection equipment is available to all existing units under all the schemes relating to financial services of IFCI, and, in respect of new projects, the equipment is essentially incorporated while working out the cost of the projects. The Financial Institutions, including, IFCI, have created a greater environmental awareness in the industrial sector through the aforesaid measures, and, particularly, in the units assisted by them.

(viii) *Impetus to Safety measures in the industry*

4.34 Safety consideration is yet another major aspect in the total environmental protection. The all-India Financial Institutions, including IFCI, therefore, in respect of identified industries of highly pollutive nature, have introduced a system of 'safety audit'. The objectives is to have a systematic critical examination of safety standards, procedures, policies, with a view to minimising losses. The audit is in the form of a SWOT analysis in relation to vulnerability of the industrial organisation to risks, keeping in view process parameters, design, operating procedures, practices, emergency plans, personnel protection, safety standards, accident records, etc. The Institutions have also been emphasising Safety Management Programmes envisaging the establishment of a safety policy by the assisted concerns, providing a safe environment, identification of the hazards, installing appropriate safeguards, and creating an overall awareness about safety matters. In projects costing Rs. 25 crores and above, Hazard Operability (HAZOP) Studies have been made obligatory. Like HAZOP, Hazard Analysis (HAZAN) is also being recommended for being applied as an important predictive technique to specific problems in the design or operation of a particular plant. Both HAZOP and HAZAN have proved a powerful safety tool and aid to identify the most significant cause of the problem, thereby enabling sounder cost-effective decisions to be taken on safety problems.

(ix) *Impetus to the development of a new industrial culture through several promotional measures*

(a) *Culture for consultancy*

4.35 No promoter, and, for that matter, no organisation can be a 'master of all trades'. Just as the birth of a human child requires the need of an obstetrician and adequate prenatal and post-natal care, so also the birth of a new project equally requires an expert consultant, both at its pre-natal and post-natal stage. In larger projects, Financial Institutions, including IFCI, lay stress on the concerns appointing a firm of Consulting Engineers right from the initial stage, so as to provide expert advice on detailed engineering, project scheduling, site supervision and general co-ordination, etc., towards implementation of projects. In medium and medium-large scale projects, the need of either a Consultant or a Project Manager within the organisation itself, is emphasised from the beginning. For medium and large scale sector projects, while there is no dearth of Consultants, for the small scale, the Institutions, in particular, have set up Technical Consultancy Organisations (TCOs) to provide under a single roof a total package of consultancy services from 'concept' to the 'commissioning' stage. Extension and counselling services are also available from these TCOs to the small and medium scale sector projects during their operations period as well. The Directory of Industrial Consultants—yet another joint venture of IDBI, IFCI and ICICI—provides useful basic information about consultancy services obtaining in the country. All these measures have considerably helped in developing a healthy 'consultancy culture' in the industrial sector.

(b) *Support for Ancillarisation*

4.36 Ancillarisation is another area needing considerable emphasis, not only as a means of achieving the economies of modern large scale production, but the benefits of the decentralised operations and employment generation. While appraising the projects, Financial Institutions including IFCI try to explore and examine various items of manufacture with a view to identifying the scope of farming out some of them to ancillary and small scale industries. During the course of follow-up inspections also, the Inspecting Officers of Financial Institutions discuss *inter alia* (a) the scope for ancillarisation, if there are no ancillary units, (b) contribution, if any, made by the assisted concern towards the development of ancillary units, and (c) parent-ancillary relationship and the status thereof. One of the Promotional Schmes of IFCI also helps in the process of ancillarisation by making available a feasibility study/project report/viability report of the product(s) suitable for ancillarisation and processing in the ancillary scale sector, 100% free of cost to an entrepreneur, if he gives the assignment to a TCO/Specified Agency. Payment of subsidy up to 75% is made to TCO/Specified Agency upon

released after the ancillary unit has been able to tie-up its financial assistance and has acquired ancillary status by formalising the arrangement with the parent unit.

(c) *Support to Village & Small Industries Sector*

4.37 The Subsidy Schemes for (a) consultancy on use of non-conventional sources of energy and energy conservation measures, (b) control of pollution in the village and small industries sector, (c) self-development and self-employment of unemployed young persons, (d) developmennt of women entrepreneurs, (e) encouraging quality control measures in small scale sector, (f) encouraging the adoption of indigenous technology in the small scale sector, (g) encouraging entrepreneurship development in tourism and tourism related Activities, etc., are other several steps taken by IFCI on its own which have had a considerable impact on the small scale sector.

4.38 With the recognition of the fact that mere availability of finance, raw-materials and other infrastructure facilities alone cannot make any appreciable impact on a economic growth of a region, unless the human resources are adequately re-oriented to take entrepreneurial risks and meet the challenges in the industrial arena, the establishment of Management Development Institute (MDI) by IFCI and creation of necessary infrastructure for Entrepreneurial Development, in close co-ordination with other Institutions and respective State Governments etc. are some of the steps which have made an impact on the development of human resources all over the country. Today, hundreds of capable young persons are being converted from the position of 'job seekers' to 'job givers' through the programmes of entrepreneurship development and enterprise building. Professionalisation of management in industry hkas taken roots. Entrepreneurial base is getting broadened and improvements in technological base have started taking place. All these and several other qualitative achievements in the industrial arena have been possible to a considerable extent due to catalytic operations and promotional work of Financial Institutions including IFCI.

Thrust Areas—Policy Angle

4.39 Government have broadly identified 'rural development', 'employment generation', 'technological innovation' and export promotion' as thrust areas during the Eighth Plan Period. These apart, the Government is also committed to orderly development of the capital market and equitable distribution of wealth in the country. Instead of a 'trickle down' growth model, a 'decentralised model' for the Eighth Plan, blended with ideals of self-sufficiency and appropriate technology is being considered for adoption for the economic development of the country. Services sector is being assigned a significant sole in the future economic development of the country, and, with this objective, the new Export-Import Policy announced by the Government, has laid special emphasis on rapid and sustained growth of exports in the services sector.

4.40 The Government further feels that Indian Industry has reached a stage where it can rely increasingly on its own resources and tap household savings through the capital market. The policies of Government are all aimed at ensuring competition and sustaining the export drive.

Thurst Areas—Institutional Angle

4.41 The thrust of Financial Institutions including IFCI, would, therefore, be on helping, accelerating and assisting by way of finance, more and more the productivity improvement drive in existing industrial units. Assistance for modernisation, renewal and replacement of existing plant and equipment with modern equipment, technological upgradation and other devices etc., would continue to receive high priority in the arena of industrial finance. Financially weak and inherently non-viable units might hve no support for their linger-on operations. Only those sick units, which are potentially viable, might be considered for rehabilitation having regard to relevant circumstances.

4.42 In respect of new projects, obviously the projects being set up in the co-operative sector and/or in centrally notified backward areas would continue to get preferential treatment, subject, of course, to priority and other viability considerations. Basic capital and intermediate goods industries and those which have either backward or forward linkages with agriculture and/or rural development, would merit special consideration. In consumer goods industries, more importance would be attached to consumer non-durables vis-a-vis consumer durables.

4.43 While considering applications for financial assistance, Financial Institution would have to give specific attention to export performance of applicant concerns. In appraising new projects, the export aspect would need examination with a somewhat sharper focus. Industries which are able to attract necessary additional investment for creating a surplus for export as also a culture of competition would be given due encouragement and rightful thrust. In order that uneconomic and high cost capacities in non-strategic areas are not set up, the domestic cost of production in the proposed project would be more carefully examined with a view to ascertaining their national and international competitiveness.

4.44 In considering financial assistance to new or expansion projects, the employment implications of the projects would be given invariably considerable weightage. The possibilities of substituting capital-intensive process by labour-intensive processes would need greater examination and cost-benefit-analysis from social and employment angle. In this context, the scope for off-loading existing low technology items from large units to small ancillary units shall always be kept in view. Projec'ts contemplating recycling of wastes, environmental protection and pollution abatement would continue to be given considerable weightage in the matter of financing.

4.45 Institutional incentives and concessions would be linked to crucial areas of performance, like export performance, energy conservation, use of renewable energy systems and devices, environmental protection and human safety measures, etc.

4.46 Travel and tourism is the largest industry in the world in terms of employment. Tourism, according to the report of World Tourism Organisation (WTO), is to become the world's number one export industry by the turn of the century". Being highly labour intensive and growing consistently, tourism can be a major source of employment in countries, like, India, which has a lot of attractions in every field for the tourists from the World ovr. One of the main component of the tourism is its infrastructural sector, like hotels, restaurants, etc. Hotels have the distinct advantage of both labour as well as capital intensive. A 100 room hotel generates direct employment for at least 350 people. The Hotel Industry also has the largest economic multiplier factor, leading to enormous economic spin-off. According to the Working Group set up by the Planning Commission to assess the requirement of accommodation for the international tourists, the country would need atleast 75,000 rooms by the end of the Eigth Plan against a total availability of about 45,000 rooms now. IFCI has already been declared as a nodal agency for promotion, development and financing of tourism and tourism related activities. Tourism, therefore, which is the vital foreign exchange link and the single largest foreign exchange earner, would continue to receive greater attention from IFCI during the Eighth Plan period. So also the other units in Services sector, which provide greater opportunities for employment generation would continue to receive the best attention of IFC.I

4.47 It would always be the endeavour of Financial Institutions, including IFCI, to protect the ordinary investors' interests and to inculcate, to the extent possible, further professionalisation in the management of industry. Management in industry also needs transformation and tuning through the instrumentality of training and re-training activities, so that it is able to maintain its poise and productivity. Unless the industry devo'es its undivided attention to the development of human resources, it would not be able to optimise its returns. The future course of industrial financing possibly would have to look into these aspects as well, in greater detail.

Thrust Areas—In-House Angle

4.48 For IFCI, the thrust would continue to be on developing not only new business and diversifying its activities but also upon improving the qualitative aspects of the business undertaken or transacted by it. Newer demands may not only call for substantial step-up in its efforts for resource mobilisation and recycling of funds to keep pace with the growth in volume of assistance, but also require further realignment of policies and priorities for allocation of resources

4.49 In the area of resource mobilisation, IFCI shall have to pursue more vigorously the recoveries of its dues and to instill a culture amongst its constituents of honouring their commitments to the Financial Institutions as also to Government. The financial system in the country, if it is expected to sustain and accelerate the growth of investment, should not permit a culture of living with defaults. Planning, budgeting, forecasting and monitoring exercises in the industry shall have to be more vigorous than ever before. Once financial management is geared appropriately, in most of the cases, even sickness, where it is not due to external factors, would get detected, may arrested.

Thrust Areas—New Dimensions

4.50 During the Seventh Plan period IFCI changed its complexion from the status of a simple term-lending Institution to an active financial intermediary, in short, from mere purveyor of credit to the role of an active partner in industrial development. In the years to come, and, particularly in the Eighth Plan period, possibly IFCI's financial intermediary's role and promotional role might come into further sharper focus. Insofar as rural development is concerned, though IFCI is not the prime agency responsible for village and rural development yet as a part of its social obligation, IFCI intends to do its best for promoting the growth and development of rural areas conjointly with other Financial Institutions. As already stated, IFCI has already set up a Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN) with a corpus of Rs. 2 crores in the North-Eastern-Region at Guwahati for establishing promoting, supporting and developing voluntary organisations engaged in socio-economic upliftment of rural and urban poor. All these activities obviously require further draft on IFCI's resources, both in terms of men and money. However, considering the strength and flexibility of its organisation and systems, that IFCI has built up over the last 42 years, IFCI is quite hopeful of respondnig well to its future demands and add newer dimensions in the field of development banking in times to come.

IN-HOUSE MATTERS

Board of Directors

5.01 During the year, twelve meetings of the Board of Directors were held—seven at New Delhi and one each at Bangalore, Bombay, Madras, Patna and Trivandrum.

5.02 A few changes also occurred, during the year in the composition of elected and nominated directors on the Board of IFCI. At the Annual General Meeting held on the 30th June, 1989, Shri V. Atal and Shri B. D. Shah were elected as Directors of IFCI to represent shareholders falling under the categories of scheduled banks and insurance companies, investment trusts and other like financial institutions in the casual vacancies caused by the resignations of Shri D. N. Ghosh and Shri S. K. Seth respectively. Later, at a Special General Meeting convened on the 9th October, 1989 Shri M. G. Diwan was elected as Director of IFCI to represent shareholders belonging to category of insurance companies, investment trusts and other like financial institutions in the casual vacancy caused from the 31st August, 1989 by the resignation of Shri N. K. Shinkar, consequent upon his appointment as Chairman, Life Insurance Corporation of India. In January, 1990, Shri J. S. Varshneya and Shri V. Atal representing shareholders falling under scheduled banks' category resigned following their retirement from the Punjab National Bank and State Bank of India respectively. Their positions are likely to be filled through elections at the ensuing 42nd Annual General Meeting of the shareholders of IFCI scheduled for the 29th June, 1990.

5.03 In the nominated directors' category, the Central Government nominated with effect from the 19th February, 1990, Shri N. R. Krishnan, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, New Delhi, as a Director on the Board of Directors of IFCI in place of Shri A. V. Ganesan. So also for a short duration of three months, with effect from the 18th October, 1989 to the 17th January 1990, the Central Government, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, nominated Shri Mantreshwar Jha, Joint Secretary, vice Shri M. C. Satyawadi, Joint Secretary, upon his proceeding on a foreign assignment One position out of four nominees of Industrial Development Bank of India (IDBI) remained vacant during whole of the year. The Reserve Bank of India (RBI), however, nominated Ms. I. T. Vaz, Executive Director with effect from the 31st January, 1990 vice Shri S. N. Bagai, Executive Director, since retired.

5.04 The Board of Directors of IFCI place on record their sense of high appreciation for the very useful and valuable services rendered as Directors by Shri A. V. Ganesan, Shri D. N. Ghosh, Shri V. Atal, Shri J. S. Varshneya, Shri S. K. Seth, Shri N. K. Shinkar, Shri Mantreshwar Jha and Shri S. N. Bagai during the period of their association with IFCI.

Ad hoc Group of Advisers

5.05 Meetings of IFCI's Ad hoc Group of Advisers were held five times during the year to obtain expert advice on proposals relating to hotels, hospitals, chemical process and other allied industries.

Inter-Institutional Co-ordination

5.06 Inter-Institutional co-ordination among the national level Financial Institutions continued to be maintained through the fora of Inter-Institutional Meetings (IIMs) Inter-Institutional Rehabilitation Meetings (IIRMs) Senior Executives' Meetings (SEMs), Senior Legal Executives' Meetings (SLEMs) and Regional Executives' Meetings (REMs). During the year ended the 31st March, 1990, 9 IIMs, 24 SEMs, 4 SLEMs and 22 REMs were held. In addition, four meeetings of the Senior executives were held with the objective of achieving inter-institutional co-ordination in the sphere of promotional activities.

5.07 At the State Level, IFCI continued to maintain co-ordination by way of participation of the Heads of its Regional/Branch/Other Offices in the meetings of the State level Co-ordination Committees, State level Guidance and Monitoring Committees and other State level foru.

Interaction with External Agencies

5.08 IFCI continued to maintain close contacts and liaison with other Development Finance Institutions (DFIs) abroad as also the international banks operating in the world market.

5.09 Shri D. N. Davar, Chairman, IFCI, visited Taipei (Republic of China), for attending the 12th Annual Conference of the Association of Development Financing Institutions of Asia and the Pacific (ADFIAP) and had discussions with the executives of banks and foreign institutions, on matters of mutual interest at Hong Kong and Tokyo. Shri Davar, accompanied by Shri V. S. R. K. Sastry, General Manager, also visited Manila (Philippines) in connection with negotiations for a loan of US $ 150 million from the Asian Development Bank (ADB). Enroute, he also had discussions with bankers at Singapore in connection with raising of foreign currency resources of IFCI.

5.10 Shri F. M. Patnaik, General Manager, IFCI, accompanied by Shri K. P. Mukherjee, Deputy General Manager, visited Hong Kong in connection with signing of loan agreement with the Bank of Tokyo for Yen 12 billion.

5.11 The year 1989-90 was a year of honour of IFCI when its Chairman, Shri D. N. Daver, was invited by the Chairman of Persatuan Bank—Bank Dalam Malaysia (The Association of Banks in Malaysia) to deliver the Eighth Tun Ismail Ali Annual Lecture. This Lecture was instituted by the Association of Banks in Malaysia in the year 1980 to honour Yang Amat Berbahagia Tun Ismail Ali, the first Governor of Bank Negara, Malaysia. The illustrious Yang Amat Berbahagia Tun Ismail Ali is a living legend in Malaysia, who has been considered as the pioneer in setting the tone for Bank Negara's development as a highly respected Central Bank not only in the country, but also in the entire South East Asia. Shri Davar Spoke on the subject of "Class to Mass Banking—Indian Experience" tracing the history of Indian banking and the phenomenal progress it had made after the bank nationalisation in 1969. Shri Davar also gave a talk on 'development banking' before a select audience, sponsored by the Malaysian Industrial Development Finance, Berhad. He also had fruitful discussion with the Chiefs of Malayan Banking Corporations and the Governor, Bank Negara, Malaysia.

5.12 A number of foreign dignitaries also visited IFCI and held discussions about Indian financial system, investment opportunities in India and other matters of mutual interest.

XII IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture

5.13 IFCI had its XII Silver Jubilee Memorial Lecture delivered on the 25th November, 1989 by Mr. Rolf Kullberg, Governor, Bank of Finland on the subject of "Internationalisation and Deregulation of the Finnish Economy". The Lecture, which was well attended, was presided over by Shri R. N. Malhotra, Governor, Reserve Bank of India (RBI). Mr. Kullberg's Lecture was highly refreshing inasmuch as it highlighted as to how, during the course of last decade, the Finnish Economy had come to a vantage point through the process of deregulation and internationalisation, both horizontally and vertically. It was really interesting to know step by step as to how the Finnish economy grew during the course of last 35 years from a regulated economy to a deregulated and market-oriented economy. "The motive for internationalisation", said Mr. Kullberg, "was not the search for lower cost of labour to replace high cost of labour in Finland, but was to improve competitiveness by looking for synergy and by increasing the scale of production". Mr. Kullberg concluded by saying that, on the whole, the experience of Finland with regard to deregulation and greater market orientation of economic policies had been overwhelmingly positive. Economic growth in Finland had been rapid supported by intensive structural changes, which had helped to increase productivity of the industry, raise the degree of processing, improve the economies of scale and heighten the synergies in the corporate sector.

Jawaharlal Nehru Centenary Celebrations

5.14 1989 was the year of Jawaharlal Nehru's Birth Centenary. A grateful nation had decided to celebrate the same in a befitting manner with a view to recalling with a sense of pride, gratitude and reverence, the sacrifices and selfless services that were rendered by Pandit Jawaharlal Nehru in the cause of nation-building. IFCI organised, during the year, as many as five symposia at various centres as under :

—Ahmedabad	Nehru and Industrialisation under Democratic Socialism,
—Bangalore	Role of Pandit Nehru in Building Modern India.
—Guwahati	Jawaharlal Nehru The Pace Setter of Economic Growth
—Lucknow	Nehru's Vision about Co-operative Movement in Industrial Sector.
—Madras	Technology and Industrial Development—Nehru's Contribution.

Apart from the above, quotations from Shri Nehru's writings and speeches were superscribed on the letterheads and other publications brought out by IFCI.

5.15 As a part of Nehru Centenary Celebrations, IFCI held a Nehru Bal Mela on the 25th February, 1989 at its staff colony, Pachim Vihar, New Delhi. An essay competition open to the members of staff and their family members was also organised on the subject of 'Nehru's Relevance to Banking and Industry'. Yet another event of importance in connection with Nehru Centenary Celebrations was 'Run for Peace and Prosperity', which was organised on the 11th November, 1989 at IFCI Staff Colony, Paschim Vihar, New Delhi. About 500 persons, mainly employees and their family members participated in the said Run, highlighting the importance of peace for the prosperity of the country. Patriotic songs and debates on topics related to the life and work of the first Prime Minister of independent India, Pandit Jawaharlal Nehru were organised symbolising the concept of unity in diversity'. For the children of the employees, competitions in drawings and paintings were arranged including a lecture competition on the topic 'Nehru—The Great Son of India'. The participants were awarded suitable prizes. A small exhibition depicting the life and work of Pandit Nehru was also held.

Organisational Developments

5.16 With a view to serving in a better and efficient manner the clientele in the Northern Region and also having better interaction with the State Government and State level agencies in the State of Uttar Pradesh, the Regional office of IFCI at Kanpur was shifted to Lucknow, with effect from the 12th July, 1989. At the same time, IFCI's office at Kanpur, was allowed to continue more as a facilitation/liaison centre for the industrial units in the Central and Eastern Region of the State of Uttar Pradesh.

5.17 During the year, it was also decided to upgrade IFCI's office at Panjim, Goa, as a fulfledged Branch Office. The said office, however, started functioning as a Branch with effect from the 2nd April, 1990.

5.18 Two conferences of the Senior Executives of IFCI were held in the months of May and September, 1989, as a part of ongoing process of reviewing the performance, scanning the business environment and building plans and programmes together with strategy for action for the period to follow. Opportunities were also provided in these conferences to the participants for interaction with Shri R. Ganapati, Chairman, Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), Dr. A. M. Khusro (formerly Member, Planning Commission), Shri D. N. Ghosh, (formerly Chairman, State Bank of India) and Shri Kamal Gupta, Technical Director, Institute of Chartered Accountants of India.

5.19 Various Committees of the officials of IFCI constituted to plan, execute and look into the aspects relating to training manpower planning, performance appraisal, computerisation, suggestions from staff, work simplification, record keeping and maintenance, micro filming, staff welfare, library, acquisition of dead stock, productivity improvement, etc., continued to function in the related areas of IFCI's operations; the recommendations of the Committees were largely implemented.

5.20 IFCI continued to follow its policy of gradual decentralisation of work and greater delegation of authority to the Heads of its offices and various Departments. In line with that, more and more powers were vested in the Heads of various Offices and Departments so as to facilitate expeditious despatch of business, more specifically in the areas of sanctions, disbursements and post disbursement follow-up work.

Electronic Data Processing and Communication System

5.21 A mention was made in the last year's Annual Report about IFCI installing ESPL mini systems working in UNIX environment at all its Regional and Branch Offices. During the year, besides, the existing ICIM—6040 Main Frame and ICIM-DRS-300 systems, four ESPL systems were installed at Head Office, and, one each at all Regional and Branch Offices of IFCI To take care of increasing load for quality printing and word processing applications, one more laser printer was added at Head Office.

5.22 The application software developed in the areas of accounting, projects appraisal and management information systems in IFCI, by using the ICIM—6040 Main Frame Computer System was converted to work in UNIX environment and the same was ported to ESPL machines functioning at all Regional and Branch Offices of IFCI. Revised Systems of financial ratios analysis, storing, maintaining, updating and retrieving data in respect of assisted concerns, compilation of performance data of Regional and Branch Offices and computerisation of the activities of the Foreign Currency Resources and Operations Department were developed during the year and the related systems were made operational Development work was also undertaken for adding 'on-line' features to previously developed financial systems and systems related to manpower planning and development. Besides need-based strengthening of the professional staff in the Electronic Data Processing Department, comprehensive training continued to be imparted to officers and staff of user Departments/Divisions, with regard

to use of Personal Computers with MS DOS operating systems and packaged software available on PCs like LOTUS 1-2-3, dBase III plus, wordstar, use of SM-386 mini systems with UNIX Operating Systems and UNIFY data base software.

5.23 With a view to evolving a common approach amongst the all India Financial Institutions, the Inter-Institutional Electronic Data Processing Co-ordination Committee, which was formed last year, continued to work, during the year, particularly, in areas of standardising the formats and the manner in which the information could be exchanged in respect of assisted concerns, with their project profiles.

Personnel

5.24 As at the end of March, 1990, IFCI had a complement of 1,159 employees (inclusive of staff strength at its Regional, Branch and Other Offices). It consisted of 441 officers, 502 supporting staff and 216 subordinate staff. The number of employees in the category of scheduled castes/scheduled tribes, ex-servicemen and physically handicapped was 175, 36 and 17 respectively. The number of women employees were 181, as at the end of March, 1990.

Human Resources Development

5.25 Human resources development continued to receive, as in the past, increasing attention under the overall direction and guidance of a Training Steering Committee headed by the Chairman. Emphasis in training activities continued to be imparted on building conceptual values and converting them into practice to meet specific job situations.

5.26 During the year, as many as 55 training programmes of varying duration benefitting 720 members of staff were organised, with a view to broadening the understanding of latest concepts in the field of development economics and development banking as also to impart necessary skills for application of concepts to emerging situations and foreseen challenges in the development banking arena.

5.27 Special training programmes were planned and conducted for Management Trainees and other recruited streams in IFCI. IFCI also continued to implement Government guidelines regarding reservations/concessions being given to the scheduled caste/scheduled tribe employees in IFCI's service. To prepare and enable the scheduled caste/scheduled tribe employees to show better results, pre-recruitment familiarisation training programmes were conducted, in which 166 scheduled caste/scheduled tribe candidates participated, prior to taking written tests and interviews for various posts in IFCI.

5.28 To supplement in-house training and also to provide opportunities for interaction with professionals of other institutions, 47 staff members were deputed to external training programmes organised by other professional institutions in the country, including the Management Development Institute (MDI)—an organisation sponsored by IFCI for management development. Two senior officers heading the Training Centres were nominated to the Conference of Principals conducted by National Institute of Bank Management (NIBM) at Pune. One senior officer was sent abroad to participate in UNIDO Seminar on COMFAR (Computer Model for Financial Analysis & Review) Software for Investment Analysis held at Manila. He was also deputed to the Development Bank of Singapore with a view to studying the working of the Bank with particular reference to computerisation and human resources development activities of the said Bank. Special Lectures on various subjects by experts, both at home and abroad, were arranged for the benefit of officers and staff of IFCI.

5.29 Under the Reserve Bank of India (RBI)'s Scheme for co-ordination between Commercial Banks and Financial Institutions for rehabilitation of sick units, IFCI extended, during the period, on the job training facilities in its Rehabilitation Finance Department (RFD) to three executives of the commercial banks.

5.30 Apart from intensive in-house, on-the-job and external training programmes, the members of staff were continually encouraged and motivated to give suggestions under the Staff Suggestions Scheme for improving the overall productivity of the organisation. Staff Suggestion Committee evaluated each and every suggestion, and, in the event of the suggestions being accepted/taken up for implementation, the concerned staff members were given cash awards/commendation certificates.

Staff Welfare

5.31 Social security, housing and medical facilities continued to be the main planks of IFCI's staff welfare activities. The Staff Welfare Fund, which was considerably augmented during the year, continued to be the resource base for staff welfare activities of diversified nature. A number of improvements in the existing facilities available to the employees of IFCI under the IFCI Staff Welfare Fund Administration Guidelines were made during the course of the year, particularly in the area of self-development of the staff and household durable advances.

Premises

5.32 During the year, a number of Divisions/Departments of the Head Office of IFCI were shifted to SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi, where IFCI had acquired accommodation on ownership basis. In order that it might be possible to house all the Departments/Divisions of IFCI in one single complex, a proposal was mooted during the year, to acquire a plot of land for having a multi-storeyed office complex known as IFCI Towers. IFCI has since acquired a plot of land at Nehru Place from the Delhi Development Authority, where it is proposed to have 21-storeyed IFCI Towers for housing the entire Corporate Office, at one place.

5.33 IFCI has now its own office premises at various centres. During the year, the Training Centre at Patna, housed in its own premises, was also made operational with the inauguration of a programme on computerisation. The Training Centres at Bombay and Hyderabad, besides the one now located in SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi also started functioning during the year.

Sports Meet and Other Activities

5.34 IFCI continued to promote sports and sportsmanship not only amongst its own employees but also the employees of its sponsored organisations and institutions. The Fifth All-India IFCI Sports Meet, 1990 was concluded at a function held at Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi on the 25th February, 1990. The special features of this Sports Meet were (a) participation of athletes from sister organisations and institutions like the Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd., (RCTC), the Tourism Finance Corporation of India Ltd., (TFCI), the Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd., (MPCON) and the Management Development Institute, (MDI), in all events, (b) active participation of both men and women athletes of IFCI in a large number, and (c) greater participation by the children of the employees at all levels.

5.35 IFCI Table Tennis Players also participated in the IX All-India Public Sector T. T. Tournament held at Ranchi during the 22nd to 28th September, 1989. Further, there was an active participation of IFCI athletes in XII All-India Public Sector Athletic Meet held at Dhanbad, Bihar, on the 17th and 18th March, 1990. Incidentally, IFCI is also a member of the All-India Public Sector Sports Control Board.

Cultural Meet and Other Activities

5.36 The IFCI Employees Recreation Club had its annual cultural meet, as in the past, during the year, on Wednesday, the 4th February, 1990. The occasion was marked with the August presence of Shri Ramanand Sagar and Shri Ravindra Jain of the famous T. V. Serial 'Ramayan'. The club which is being given generous fund support by IFCI has been instrumental in organising recreation activities, excursion tours and other cultural events etc., for IFCI staff and their family members.

5.37 IFCI also celebrated with considerable fervour, National Integration Week from the 19th November to the 25th November, 1989. Further to mark the celebration of 'Conservation day', as a part of the said programme,

debate was held on the subject of 'Environmental Conservation and Cultural Conservation—India Scenario'.

Contribution to Socio-Economic Activities

5.38 During the year, IFCI contributed a sum of Rs. 10,000/- to Sports Authority of India towards organising the "Bharatiyam" display on the 14th November, 1989 mraking the conclusion of Jawaharlal Nehru Centenary Celebrations. Modest contributions were also made during the year to All India Sports Council of the Deaf, New Delhi, Tuberculosis Association of India, New Delhi, Harijan Sewak Sangh, Bombay, National Association for the Blind, Bombay and Cancer Institute, Madras.

Public relations

5.39 As a part of its public relations activities, IFCI organised the second ever 'Clients Convention' at Madras on the 29th April, 1989. The Convention which was attended in large number by the clients of IFCI belonging to Southern Region, comprising the States to Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and the Union Territory of Pondicherry, was inaugurated by the then Union Minister of State for Finance, Shri Eduardo Faleiro. Further, with a view to promoting better appreciation about the role and contribution of IFCI and understanding, on the spot, the problems and prospects of industrialisation, a meeting of Kerala State Advisory Committee was held at Cochin in July, 1989. In addition, the Public Relations Department of IFCI continued to issue a monthly Economic & Financial News Digest and brought out several revised and updated editions of IFCI publications during the year, to disseminate information and awareness about IFCI schemes and programmes in as large section of existing and prospective clientele, as possible.

Progressive Use of Hindi

5.40 IFCI continued, as in the past, its endeavours to promote the use of Hindi in official work to the maximum extent. To achieve the said objective, a scheme of cash awards to honour the individual efforts of the employees for promoting Hindi in the official work was introduced, during the year, at all-India level. Another scheme was also introduced, for the first time, to encourage the officers for giving dictation in Hindi. Under an existing scheme of 'All-India Competitive Examination in Hindi', already in force in IFCI, 59 members of staff participated in the competition during the year.

5.41 The Official Language Implementation Committees constituted at each of the Region/Branch Offices of IFCI, including the one at Head Office, continued to monitor the progressive use of Hindi and suggest ways and means for its promotion in their respective offices. The first and third Wednesday af each month continued to be observed as Hindi Day in all office of IFCL. The Heads of the Regional, Branch and other Offices continued to take active part in the deliberations of town-level Official Language Implementation Committees constituted at different centres all over India.

5.42 As in the past, all Administration Circulars, Operational Circulars, Notification, advertisements, and General Orders were issued, during the year, in the bilingual form. For encouraging the use of Hindi in in-house training programmes, the training material was also translated into Hindi and made available to all the Training Centres of IFCI.

5.43 For achieving the target of trained typists in Hindi typewriting, departmental Hindi typewriting training arrangements were instituted, during the year. The telex machines installed at various Offices of IFCI were registered with the concerned authorities for conversion into bilingual telex machines and, during the year, nine machines had already been replaced with bilingual ones.

5.44 Staff members not possessing working knowledge of Hindi were deputed for training programmes in Hindi. Some typists and stenographers were also trained in Hindi typewriting and Hindi stenography under the Hindi Teaching Scheme of the Government of India. The Internal Audit Department of IFCI continued to monitor internally the achievement of targets set for progressive use of Hindi by the respective Offices, Departments/Divisions at Head Office and suggest remedial/corrective steps, wherever the shortfall was noticed in achieving the said targets.

Silver Shield to the 39th Annual Report (1986-87)

5.45 The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi, adjudged, during the year, the 39th Annual Report and Accounts of IFCI for the year, ended the 30th June, 1987 as the best among the entries received from the Banks and Financial Institutions, and decided to award a Silver Shield to IFCI. This is the second time that IFCI was honoured with this distinction. Earlier, IFCI's Annual Report for the year 1984-85 had also bagged a Silver Shield.

Acknowledgements

5.46 The Board of Directors of IFCI express their gratitude for the assistance, co-operation and support received from the various Ministries, Directorates, Departments of the Government of India, the Reserve Bank of India, the Industrial Development Bank of India and other sister All-India Financial Institutions, various State Governments, State-level financial and developmental organisations and merchant banking organisations.

5.47 The Board of Directors further acknowledge the continued co-operation received by IFCI fro various Development Financing Institutions (DFIs) abroad, particularly, the assistance received from the World Bank, the Economic Development Institute, the Asian Development Bank, the Association of Development Financing Institutions in Asia and Pacific (ADFIAP), the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) of the Federal Repubulic of Germany and a host of correspondent banks abroad and other members of international banking community.

5.48 The Board of Directors are also pleased to place on record their high appreciation of the very sincere and devoted services put in by all members of staff at all levels in IFCI during the period.

D. N DAVAR
Chairman

Appendix-I

STATEMENT SHOWING THE INSTALLED CAPACITIES, PRODUCTION AND CAPACITY UTILISATION OF SELECTED INDUSTRIES IN 1989-90

(Figures in brackets denote the number of units)

Sl. No.	Product	Unit of measurement	Installed capacity and production in 1989-90					
			For the country			For IFCI assisted reporting concerns		
			Installed capacity and no. or units	Production 1989-90 (April-March)	Capacity utilisation %	Installed capacity and no. of units	Production 1989-90 (April-March)	Capacity utilisation %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sugar	Lakh tonnes	91.65 (394)	101.00*	110.2*	7.24 (43)	8.87	122.5
			26.48	1367.45	—	4.90	383.34	
2.	Cotton Yarn (mill sector)		Million spindles (1029)	Million kg.		Million spindles (149)	Million Kgs.	
			1.84	1987.79	—	0.14	249.01	—
3.	Cotton cloth (mill sector)		Lakh Looms	Million Metres		Million Looms	Million metres	
4.	Jute textiles	Lakh tonnes	19·87	13.00	65.4	1.28	1.06	82.81
5.	Paper and paper board	Lakh tonnes	(73)			(5)		
			30 14 (305)	22·00	73·0	7.74 (27)	6.33	81·8
6.	Rayon pulp	Lakhs tonnes	1.96 (5)	1.90	96.9	0.33 (1)	0.41	124.2
7.	Newaprint	Lakh tonne	3.00 (5)	2.75	91.7	0.75 (1)	0·81	108.0
8.	Plywood	Million sq. metres	119.04 (61)	51.00	42.8	7.75 (2)	2.75	35·5
9.	Cement	Million tonnes	62.00 (N.A.)	45.60	73·5	26.95 (64)	22.01	81.7
10.	Nitrogenous fertilisers	Lakh tonnes	81.48 (47)	68.00	83.5	24 58 (15)	21.43	87.2
11.	Phosphatic fertilisers	Lakh tonnes	27.50 (19)	18.00	65.5	7.58 (7)	5.67	74·8
12.	Caustic soda	Lakh tonnes	11.03 (39)	8.92	80.9	3.41 (6)	3.09	90.6
13.	Soda ash	Lakh tonnes	14.60 (7)	11.50	78.8	0.60 (1)	0.48	72.7
14.	Calcium carbide	Lakh tonnes	2.19 (7)	0.85	38.8	0.60 (1)	0.22	36.6
15.	Acetic Anhydride	Thousand tonnes	35.00 (11)	22.50	64.3	0.72 (1)	0·76	105.5
16.	Acetic acid	Lakh tonnes	1.05 (21)	0.73	69.5	0.06 (2)	0.03	50.0
17.	Carbon black	Lakh tonnes	1.75 (7)	1.20	68.6	0.17 (1)	0.13	76.5
18.	Liquid chlorine	Lakh tonnes	5.85 (29)	3.01	51·5	1.17 (4)	0.63	53.8
19.	Nylon filament yarn	Thousand tonnes	68.20 (N.A.)	33.36	48.9	9.60 (2)	6.57	68.4
20.	Nylon tyre cord	Thousand tonnes	(N.A.)	(N,A.)	(N.A).	7.50 (2)	5·54	73.8
21.	Polyester filament yarn	Thousand tonnes	107.04 (N.A.)	140.90	131.6	39.32 (9)	46·24	117.6
22.	Polyester staple fibre	Thousand tonnes	204.06 (N.A.)	108.86	53.3	48.00 (2)	21.50	44.8
23.	Viscose staple fibre	Thousand tonnes	116.70 (N.A.)	134.05	114.9	114.60 (1)	110.02	96.0
24.	Auto tyres	Lakh nos.	288.28 (24)	184.00	63.8	79.36 (5)	70.53	88·8

*Production is for the period from October 1989 to May 1990

**Includes 282 composite mills. (2) (1)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25.	Auto tubes	Lakh nos.	200.73 (26)	160.00	79.7	49.20 (4)	55.76	113.3
26.	Rubber contraceptives	Million pieces	1033.00 (3)	1188.00	108.2	608.00 (1)	347.00	57.1
27.	Reclaimed rubber	Thousands tonnes	36.57 (11)	21.10	57.7	9.11 (2)	5.71	62.7
28.	Finished leather from hides	Lakh pieces	106.68 (42)	70.27	65.9	1.82 (2)	2.40	131.9
29.	Finished leather from skins	Lakh pieces	644.76 (65)	245.70	38.1	26.90 (2)	11.92	44.3
30.	Sheet glass	Million sq. Mtrs.	45.79 (9)	42.00	91.7	55.98 (3)	51.96	92.8
31.	Fibre glass	Thousand tonnes	6.34 (5)	5.29	83.4	1.60 (1)	1.35	84.4
32.	Glass bottles and misc. glassware	Lakh tonnes	6.51 (27)	6.87	105.5	0.86 (3)	0.49	57.0
33.	Synthetic detergents	Thousand tonnes	440.00 (23)	183.10	41.6	10.00 (1)	0.96	9.6
34.	Soap	Thousand tonnes	435.40 (53)	370.00	84.9	0.30 (2)	0.08	26.7
35.	Fatty acid	Thousand tonnes	200.00 (23)	108.00	54.0	16.21 (2)	8.93	55.1
36	Glycerine	Thousand tonnes	40.58 (23)	14.80	36.5	2.35 (1)	0.47	20.0
37.	Refractories	Lakh nos.	16.00 (71)	9.34	58.4	0.60 (2)	0.46	76.7
38.	Ceramic tiles	Lakh tonnes	3.65 (23)	2.93	80.3	0.51 (3)	0.38	74.5
39.	Explosives	Thousand tonnes	230.00 (22)	128.10	55.7	36.25 (4)	14.61	40.3
40.	Oxygen	MCM	226.03 (190)	175.00	77.4	21.49 (8)	18.02	83.8
41.	Watches	Million nos.	183.80 (16)	90.00	48.9	1.50 (1)	2.64	176.0
42.	Saleable steel (main plants)	Lakh tonnes	116.70 (6)	90.30	77.4	22.00 (1)	20.06	91.2
43.	Steel ingots/billets	Lakh tonnes	56.31 (173)	34.68	61.6	10.93 (19)	5.87	53.7
44.	Steel forgings	Latkh tonnes	3.35 (80)	1.95	58.2	0.36 (4)	0.20	55.6
45.	Steel castings	Lakh tonnes	2.20 (87)	0.99	45.0	0.5 (8)	0.29	38.7
46.	Cold rolled steel strips	Lakh tonnes	15.00 (57)	4.75	31.7	2.84 (10)	1.86	65.5
47.	Sponge iron	Lakh tonnes	6.00 (5)	3.50	58.3	2.10 (2)	1.57	74.7
48.	Two wheelers	lakh nos.	32.00 (24)	17.50	54.7	10.66 (11)	3.63	34.1
49.	Commercial vehicles	Lakh nos.	2.64 (13)	1.30	49.2	0.95 (4)	0.51	53.5
50.	Cars	Lakh nos.	2.16 (5)	1.80	83.3	1.02 (1)	0.96	94.1
51.	V Belts	Lakh nos.	183.71 (16)	135.00	73.5	12.00 (1)	11.92	99.3
52.	Conveyor Belts	Thousands tonnes	8.91 (8)	11.48	128.8	2.38 (1)	2.68	112.6
53.	G.L.S. Lamps	Million nos.	343.00 (20)	260.00	75.8	42.55 (3)	36.01	84.6
54.	Fluorescent Tubes	Million nos.	760.00 (16)	480.00	63.2	5.00 (1)	4.88	97.6
55.	Power and distribution transformers	Million KVA	44.28 (32)	30.00	67.7	8.50 (4)	4.92	57.9
56.	Electrical fans	Lakh nos.	76.00 (17)	56.00	73.7	0.60 (1)	0.60	100.0
57.	Diesel Engine	Thousand nos.	336.00 (34)	255.00	75.9	96.75 (2)	22.03	22.8
58.	Tractors	Thousand nos.	125.10 (19)	120 00	95.9	5.00 (2)	1.38	27.6
59.	Power tillers	Thousand nos.	16.00 (5)	4.80	30.0	2.50 (1)	2.28	91.2
60.	Hotels	Lakh nos.	146.00 (650)	97.67	66.9	26.94 (34)	17.92	66.5

● Figures in columns 4&7 and 5& 8 refer to the number of lettable room days and the number of room days occupied respectively.

Appendix-II

DIRECT ECONOMIC CONTRIBUTION OF NEW, EXPANSION AND DIVERSIFICATION PROJECTS ASSISTED BY IFCI DURING 1989-90 (APRIL-MARCH)

(Rs. crores)

Industry	Projects (Nos.)	Total Capital Cost (Rs.)	Expected Direct Employment (Nos.)	Value of output (Rs.)	Gross value added (Rs.)	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mining	2	194·50	791	107·01	88·45	Mining of 1·8 lakh tonnes of rock phosphate ore, installation of 4 oil drilling rigs for petroleum mining.
Sugar	5	61·85	1,250	65·74	17·01	1·31 lakh tonnes of sugar.
Food processing	12	125·33	2,682	377·37	79·52	1·35 lakh tonnes of vanaspati, processing of 33,000 tonnes of buffalow meat, 3,600 tonnes of mutton meat, 3,456 tonnes of dressed chicken, 1,800 tonnes of corn flakes, 9,000 tonnes of mango concentrates, and 5,000 tonnes to tomato paste.
Textiles	22	299·34	8,003	296·12	97·36	2·91 lakh spindles, 600 rotors, 700 tonnes of texturised yarn, 96 air jet looms, and processing of 60 lakh metres of synthetic fabric.
Paper & Paper Products	8	90·85	1,212	113·42	45·91	26,750 tonnes of writing and printing paper, 26,000 tonnes of kraft paper, 24,100 tonnes of duplex/triplex board, 4,200 tonnes of egg trays, 70 million nos. of multi-wall paper sacks.
Fertilizers & pesticides	4	42·30	675	47·99	18·04	1·98 lakh tonnes of single super phosphate and 470 tonnes of pesticides.
Chemicals & Chemical products	43	613·71	6,383	828·89	334·31	40,335 tonnes of sulphuric acid, 1,000 tonnes of oleum, 5,000 tonnes of chloro-sulphuric acid, 13,500 tonnes of liquid and powder paints, 2,400 tonnes of ultra marine blue, 1,000 tonnes of camphor, 3,000 tonnes of thionyl chloride, 3,600 tonnes of sodium hydrosulphite, 50 million doses of injectible polio vaccine, 2 million doses of rabies vaccine, 20 million doses of measles vaccine, 40 million doses of DPTP vaccines, 35,250 tonnes of fatty acids/steric acids, 6,000 tonnes of refined lead, 9,000 tonnes of lead oxide, 600 tonnes of Ibuprofin, 24 tonnes of diazepam, 24 tonnes of gemfibrozil, 10,200 tonnes of maleic, anhydrade, 2,310 tonnes of sodium hydrosulphate, 600 tonnes of diethylamines and triethylamines, 1,800 tonnes of aluminium, powder, 780 tonnes of aluminium flakes, 485 tonnes of hydrozine hydrate, 7,500 kg. of anti cancer and hypertension drug intermediates, 1,500 tonnes of leather finishing chemicals, 3,110 tonnes of nitrochlorobenzene, 5,000 tonnes of sulphur, 840 tonnes of dye intermediates, 1 lakh tonnes of refined iodised salt, 50 tonnes of sterile

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						amphicillin sodium, 4,800 tonnes of acetaldehyde, 1,500 tonnes of beta napthol, 4,500 tonnes of acetic acid, 5,000 tonnes of bisphenol-A, 39,000 tonnes of starch, 10,000 tonnes of liquid glucose, 17,250 tonnes of acetic acid, 2,100 tonnes of ethyl acetate, 1,200 tonnes of butyle acetate, 200 tonnes of bulk drugs, 32 million ampules, 11 million vials, 60 millions capsules, 490 million tablets, 125 tonnes of ointment 60 tonnes of drug syrup, 15,000 tonnes of heavy normal paraffin, 140 tonnes of bulk drugs, 26,500 tonnes of low density ammonium nitrate, 5,000 tonnes of trichloroethylene, 4,950 lakh kilo litres of industrial alcohol, 1,000 tonnes of Iso butyl benzene, 4,400 kilo litres of industrial alcohol, 36,000 tonnes of detergent cakes/powder.
Automobile tyres & tubes	3	153·63	1,572	129·99	47·63	12·69 lakh nos. of tyres and 7 lakh nos. of tubes for automobiles.
Synthetic fibres	15	992.63	3,063	973.35	420·60	58,800 tonnes of polyester filament yarn, 19,500 tonnes of partially oriented yarn, 2,636 tonnes of polypropelene filament yarn, 1.100 tonnes of bulk continuous filament yarn, 22,500 tonnes of polyester chips.
Synthetic Resins & Plastic products	17	562.12	1,485	447.96	192.65	540 tonnes of flexible packaging materials, 3,450 tonnes of corrugated PVC sheets, 2,000 tonnes of expandable polystyrene beads, 50 million pieces of laminated collapsable tubes, 29.52 million nos. of PVC bottles 5,000 tonnes of butadiene styrene, 12,631 tonnes of printed laminated paper packaging material, 5 millions nos. of hard resins optical lenses, 29,000 tonnes of styrene butadine rubber, 1 lakh tonne of PVC resin 1,070 tonnes of polybutylene pipes, 51.3 lakh nos. of co-extruded multilayer bottles/containers, 2,500 tonnes of ribloc pipes and fittings, 30 million sq. metres of pressure sensitive adhesive tapes, 1,400 tonnes of biaxially oriented polypropelene film·
Cement	2	164.11	352	92.71	57.49	10.17 lakh tonnes of cement.
Glass & Glass products	2	64.75	395	41.39	22.13	10 million sq. metres of sheet glass 23,725 tonnes of soda lime glass bottles.
Miscellaneous non-metallic mineral products	18	218.07	2,621	163.28	92.60	1.26 lakh tonnes of ceramic floor and wall tiles, 2.5 lakh tonnes of sandlime bricks, 9,000 tonnes of polymer concrete tiles, etc., 1,250 tonnes of tiles, 4,000 tonnes of decorative sanitaryware, 3,600 tonnes of procelain tableware, 8,500 tonnes of vinyl quarts tiles, 1.44 lakh sq. metres of polished granite slabs and monuments, 500 tonnes of industrial ceramics, 17.5 lakh sq. ft. of marble tiles and 2 lakh cubic feet of slabs.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Iron & Steel	10	2,363.93	3,704	1,377.55	685.86	7.5 lakh tonnes of sponge iron, 7,500 tonnes of pig iron, 2.0 lakh tonnes of cold rolled coils, 8 lakh tonnes of hot rolled coils/sheets, 12,500 tonnes of heavy forgings, 22,000 tonnes of seamless carbon and alloy steel tubes, 30,000 tonnes of spong iron lumps and 20,000 tonnes of iron drain water pipes and fittings.
Machinery & Accessories	7	214.37	3,798	238.10	114.80	2 million nos. of tapered roller bearings, 40,000 nos. of tapered roller cartridge, 32 nos. of multi-fuel diesel generating sets, 300 tonnes of piping, 720 tonnes of boiler tubes, 240 tonnes of chemical/ food processing/dairy equipment, 1,250 nos. of automatic cutting and welding equipment, 66 nos. of granite filing machinery, 1 lakh no. of refrigerators, 7,500 nos. of bottle coolers and deep freezers.
Electrical machinery and apparatus	5	100.95	1,023	101.58	53.31	1 lakh no. of storage batteries, 2.5 lakh nos. of automatic electric rice cookers, 10 million nos. of fluorescent tubes and 1800 tonnes of lead glass tubing, 650 number of digital microwave radio equipment and 400 numbers of digital multiplexer.
Electronic Equipment	34	924.89	8,347	1,094.31	429.59	2.4 million nos. of black & white T.V. picture tubes, assembly 2.6 lakh nos. of black & white T.Vs., assembly of 3 lakh nos. of colour T.Vs., 40 nos. of multi-access radio telephones, 900 million running metres of video tapes, 10 million nos. of rechargable nickle cadium, 10 million nos. of nickle cadium fibres electrodes, 500 million pairs of lead tabs, 1,032 tonnes of soft ferrites, digital subscriber carrier systems of 18,750 lines of telephone exchange, 3 lakh nos. of video cassette, recorders/players, 3.68 million nos. of colour/black & white T.V. glass shells, 3 million nos. of electronic connectors 20,000 nos. of push button telephones, 500 nos. of radio paging systems, 8 nos. of propellent rocket engines, 3 sets of control systems for space re-. search and defence research 20,000 sqd metres of double sided multilayer printetf circuit boards, 4 lakhs numbers of stepper motors and 10,000 numbers of do Matrix printers, 350 million nos. of multilayer ceramic chip capacitors, 500 nos. of pulse modulation, 38,000 sq. metres of single/double plated through multilayer printed circuit boards, 199 million nos. of aluminium electrolytic capacitors, 80,386 nos. of chip based mother boards for PCs and 18 million nos. of video cassettes.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Transport Equipment	14	418.71	3,048	344.83	42.35	18,250 nos. of light commercial vehicles, 13,250 nos. of tractors, 600 nos. of bus bodies, 2,400 nos. of cargo boxes, 3 lakh nos. of automobile radiators, 50,000 nos. of front axle drive shaft assemblies, 1 lakh no. each of clutch discs and covers, 1.1 lakh nos. of carburettors, 9,000 nos. of power steering gear systems, 36,000 nos. of recirculatory ball type steerings, and 2,000 tonnes of helical springs.
Metal products	5	51.48	859	162.63	31.40	18,500 tonnes of pre-engineered metal building systems, 6,000 tonnes of pre-coated aluminium sheets/strips, 30,000 tonnes of steel sheets/strips, 25,000 tonnes of galvanised steel tubes, 20,300 tonnes of drawing steel wires, and 6,000 tonnes of secondary lead and tin.
Hotels	28	215.13	4,458	103.37	75.48	2,878 rooms.
Hospitals	6	82.39	2,786	51.83	33.03	1,008 beds.
Electricity & Gas	3	1,269.00	672	652.93	294.87	Generation of 666.5 MW electricity.
Others	31	306.44	4,307	274.40	123.81	
Total	296	9,530.48	63,496	8,086.75	3,398.17	

ANNUAL ACCOUNTS 1989-90

REPORT OF THE AUDITORS

To the Shareholders of the
Industrial Finance Corporation of India

We have audited the attached Balance Sheet of the Industrial Finance Corporation of India as at the 31st March, 1990, and also the Accounts of the Corporation for the year ended the 31st March, 1990, and report to the shareholders as follows :—

1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement with the books of account.

2. The necessary information and explanations called for by us have been given to us and have been found to be satisfactory.

3. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Balance Sheet, together with the Accounting Policies and notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948, and the Rules of the Corporation and exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Corporation.

Lodha & Co. *Sumer Bansal & Co.*
Chartered Accountants

Place : New Delhi

Dated : 18th May, 1990.

BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT

BALANCE SHEET AS AT THE 31ST MARCH, 1990

Description	Schedule	As at the 31st March, 1990 Rs. lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
ASSETS			
Cash and Bank Balances	1	4,680·23	14,092·53
Investments in Other Assisted Concerns (At cost)	2	14,199·71	11,175·28
Investments in Other Institutions (At cost)	—	2,700·02	2,010·02
Loans to Assisted Concerns	3	4,17,904·30	3,37,281·02
Fixed Assets	4	11,536·07	4,809·80
Other Assets	5	39,547·40	26,124·32
Customers' Liability for Acceptances (As per contra)		3,983·96	3,250·64
Total	—	4,94,551·69	3,98,743·61
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' FUND			
Share Capital	6	10,000·00	8,250·00
Reserves and Reserve Funds	7	32,741·75	27,094·32
Long Term Borrowings	8	4,01,743·94	3,37,115·35
Current Liabilities and Provisions	9	43,910·53	21,688·10
Earmarked Funds	10	2,171·51	1,345·20
Liability on Acceptances (As per contra)	—	3,983·96	3,250·64
Total		4,94,551·69	3,98,743·61
Accounting Policies and Notes	17		

The schedules referred to above form part of Balance Sheet.

H.C. Sharma, General Manager; S.K. Rishi, Executive Director; D.N. Davar, Chairman; N.R. Krishnan, M.C. Satyawadi, S.H. Khan, V.R. Panchamukhi, Ms. I.T. Vaz, D.M. Patel, B.D. Shah, M.G. Diwan, Directors

As per our Report of even date

Lodha & Co. Sumer Bansal & Co.

Chartered Accountants

New Delhi, 18th May, 1990

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED THE 31ST MARCH, 1990

Description	Schedule	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Interest from Loans, Advances, Deposits and income from other Financial Assistance (less provision for bad and doubtful debts and other usual and necessary provisions)	11	46,295·48	27,777·34
Cost of Borrowings	12	35,794·83	21,361·84
Net Interest Revenue		10,500·65	6,415·50
Income from other operations	13	1,292·46	1,125·58
Total		11,793·11	7,541·08
Personnel Expenses	14	855·11	501·85
Directors' and Committee Members' Fees, etc.	—	2·91	2·09
Rental, Maintenance and Depreciation	15	1,147·63	762·65
Other Expenses	16	267·81	213·95
Contribution to Exchange Risk Administration Fund (ERAF)	—	500·00	—
Grant to Management Development Institute	—	5·00	5·00
Provision for Taxation	—	2,270·00	1,002·19
		5,048·46	2,487·73

Description	Schedule	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Appropriated to :			
General Reserve Fund under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		2,230·20	2,753·54
Special Reserve Fund under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		3,000·00	1,429·11
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		250·00	100·00
Staff Welfare Fund		50·00	50·00
Dividend		1,214·45	720·70
		6,744·65	5,053·35

H.C. Sharma, General Manager; S.K. Rishi, Executive Director; D.N. Davar, Chairman; N.R. Krishnan, M.C. Satyawadi, S.H. Khan, V.R. Panchamukhi, Ms. I.T. Vaz, D.M. Patel, B.D. Shah, M.G. Diwan, Directors

As per our Report of even date

New Delhi, 18th May, 1990

Lodha & Co. Sumer Bansal & Co.

Chartered Accountants

Schedule 1 **Cash and Bank Balances**

Description	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Cash and Bank Balances		
—Cash/Stamps in Hand	1·67	1·12
—Cheques/Drafts in Hand and lodged for collection	604·29	460·69
Balances with Banks in India		
—In Current Accounts (See Note No. 8)	2,618·65	11,255·93
—In Short Term Deposits	196·25	1,453·25
Balances with Banks outside India		
—In Current Accounts	633·31	722·43
—In Short Term Deposits	626·06	199·11
Total	4,680·23	14,092·53

Schedule 2 **Investments in Assisted Concerns (At Cost)**

Description	Under Section* 23(d)	23(f)	23(i)	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
(i) Equity Shares	5,734·56	3,919·64	2,058·36	11,712·56	9,861·92
(ii) Preference Shares	290·05	111·00	0·01	401·06	396·31
(iii) Debentures	599·34	996·55	243·02	1,838·91	690·89
(iv) Application money on Shares and Debentures	21·46	225·72	—	247·18	226·16
Total as at the 31st March, 1990	6,645·41	5,252·91	2,301·39	14,199·71	11,175·28
Total as at the 31st March, 1989	5,616·72	3,353·99	2,204·57	11,175·28	
Quoted Investments					
—Book Value				7,189·09	5,818·13
—Market Value				18,670·55	16,298·83
Unquoted Investments including Investments for which current quotations are not available					
—Book Value				6,763·44	5,130·99
—Break-up Value				3,822·06	3,104·83

*Related to Industrial Finance Corporation Act, 1948.

Schedule 3 **Loans to Assisted Concerns**

(Less: Provision for bad & doubtful debts)

Description	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
(i) In Indian Rupees	3,38,875·78	2,75,604·31
(ii) In Foreign Currencies	79,028·52	61,676·71
Total :	4,17,904·30	3;37,281·02

Notes:

(i) Debts due by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	Nil	Nil
(ii) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	Nil	Nil
(iii) Total amount of instalments whether of Principal or Interest overdue by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	Nil	Nil

Schedule 4 **Fixed Assets**

Description	As at the 31st March, 1990		Net Value	
	Original Cost Rs. Lakhs	Depreciation to date Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
—Freehold Land and Buildings	1,245·67	211·73	1,033·94	634·11
—Leasehold Land and Buildings	5,362·89	215·04	5,147·85	667·53
—Furniture and Fixtures	186·47	57·76	128·71	78·11
—Office Equipment including Computers	404·62	238·44	166·18	124·37
—Electrical Installations	73·58	33·92	39·66	6·26
—Vehicles	19·72	13·45	6·27	5·81
—Leased Assets—Plant & Machinery	4,648·14	1,153·36	3,494·78	1,627·78
Sub-Total :	11,941·09	1,923·70	10,017·39	3,143·97
—Advances against Capital Expenditures	1,518·68	—	1,518·68	1,665·83
Total :	13,459·77	1,923·70	11,536·07	4,809·80
As at the 31 March, 1989	5,976·35	1,166·55	4,809·80	

Schedule 5 **Other Assets**

Description	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Interest accrued but not due	7,020·04	5,264·52
Advances to Machinery Suppliers under Equipment Leasing Scheme	10,576·53	4,409·33
Advances to Machinery Suppliers under Equipment Procurement Scheme	313·22	61·66
Advances to Machinery Suppliers under Equipment Credit Scheme	2,488·90	—
Advances to Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd.	860·10	660·60
Advances to Employees	250·42	212·58
Deposits under Companies Deposits (Surcharge on Income tax) Scheme, 1976/Other deposits	147·60	196·42
Difference in Exchange Suspense Account (Net)	128·92	3,814·47
Advance Income Tax including Tax deducted at source	7,641·38	6,612·06
Other Assets	10,121·29	4,892·68
Total :	39,547·40	26,124·32

Schedule 6 — **Share Capital**

Description	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Authorised		
5,00,000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous year 2,00,000)	25,000·00	10,000·00
Issued & Subscribed		
2,25,000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous year 1,75,000)	11,250·00	8,750·00
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948)		
Paid-up		
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	200·00	200·00
(iii) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	134·60	134·60
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	165·40	165·40
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(vi) 5,000 (Sixth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250·00	250·00
(vii) 5,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250·00	250·00
(viii) 10,000 (Eighth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(ix) 10,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(x) 20,000 (Tenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,000·00	1,000·00
(xi) 20,000 (Eleventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,000·00	1,000·00
(xii) 25,000 (Twelfth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250·00	1,250·00
(xiii) 25,000 (Thirteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250·00	1,250·00
(xiv) 25,000 (Fourteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250·00	750·00 (Partly paid-up)
(xv) 50,000 (Fifteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each (Rs. 2,500/- called and paid-up)	1,250,000	—
	10,000·00	8,250·00

Schedule 7 — **Reserves and Reserve Funds**

Description	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
General Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	12,852·51	10,622·31
Reserve Fund under Section 32A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	100·00	100·00
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	251·08	232·20
Special Reserve Fund under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	18,429·11	15,429·11
Specific Grant from Government of India in terms of agreement with Kreditanstalt=fur-Wiederaufbau	1,109·05	710·70
Total :	32,741·75	27,094·32

Schedule 8	Long Term Borrowing	
Description	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Bonds (Unsecured—Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948—Guaranteed by the Government of India)		
(a) 6½% Bonds		7,500·00
(b) 6¾% Bonds	7,810·00	7,810·00
(c) 7¼% Bonds	10,050·22	10,050·22
(d) 7½% Bonds	10,995·00	10,995·00
(e) 8¼% Bonds	7,975·00	7,975·00
(f) 8¾% Bonds	8,004·80	8,004·00
(g) 9% Bonds	19,701·00	19,701·00
(h) 9·75% Bonds	32,269·13	32,269·13
(i) 11% Bonds	69,548·00	69,548·00
(j) 11·5% Bonds	83,602·00	39,802·00
(k) 7·6% Bonds (Yen Currency)	11,728·06	5,938·24
(l) 6·9% Bonds (Yen Currency)	11,728·06	5,938·24
(m) 6·3% Bonds (Yen Currency)	11,728·06	5,938·24
	2,85,139·32	2,31,469·87
Borrowings		
(a) From Industrial Development Bank of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	4,925·00	5,765·00
(b) From Life Insurance Corporation of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	10,000·00	—
(c) From Government of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	50·82	95·68
(d) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	1,033·65	924·66
(e) From Industrial Development Bank of India in Foreign Currency out of proceeds of their foreign bond issue	1,530·61	1,247·66
(f) From Foreign Credit Institutions in Foreign Currencies	99,064·54	97,612·48
Total :	4,01,743·94	3,37,115·35

Schedule 9 — **Current Liabilities and Provisions**

Description	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
(A) Current Liabilities		
Short-term borrowings from Reserve Bank of India [Secured by Bonds issued by the Corporation of the face value of Rs. 33·40 crores (Under Section 21(3)(b) of Industrial Finance Corporation Act, 1948)]	3,000·00	—
Short-term borrowing from Industrial Development Bank of India [Secured by Adhoc Bond issued by the Corporation (Under Section 21(4) of Industrial Finance Corporation Act, 1948)]	10,000·00	—
Sundry Creditors	3,348·94	4,168·21
Interest accrued but not due		
(a) On Bonds	7,171·85	6,177·21
(b) On Borrowings from Government	3·52	4·38
(c) On Borrowings from Foreign Credit Institutions	2,259·04	1,788·75
(d) On Borrowings from Industrial Development Bank of India and others	777·01	457·47
Deposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	7,000·00	500·00
Advance receipts	119·41	38·30
Unclaimed Dividend	0·45	0·49
Amount refundable to sub-borrowers/payable to Government of India out of Interest on borrowings in Foreign Currency	1,573·71	1,287·94
Total (A) :	35,253·93	14,422·75
(B) Provisions		
Amounts held in suspense		
(a) Interest	294·44	295·00
(b) Commitment charges	0·05	0·05
(c) Incidental charges	2·38	2·38
Provision for taxation	7,145·28	6,247·22
Provision for dividend	1,214·45	720·70
Total (B):	8,656·60	7,265·35
Total (A)+(B):	43,910·53	21,688·10

Schedule 10 — **Earmarked Funds**

Description	As at the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund	1,188·80	1,028·71
Special Jute Development Fund	193·50	180·10
Staff Welfare Fund	188·91	136·39
Exchange Risk Administration Fund	600·30	—
Total :	2,171·51	1,345·20

Schedule 11 — **Interest from Loans, Advances, Deposits and Income from other Financial Assistance**

Description	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Interest Income	41,225·31	25,158·98
Interest on Short-term and other deposits	1,848·56	1,838·70
Commitment Charges	1,061·84	460·81
Lease Rentals	1,960·00	318·05
Standing Charges	199·77	0·80
Total :	46,295·48	27,777·34

Schedule 12 — **Cost of Borrowings**

Description	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Interest on Bonds and Borrowings	35,393·76	21,055·97
Interest to Exchange Risk Administration Fund	61·03	—
Commitment Charges on Foreign Currency Loans availed	20·84	15·70
Cost of issue of Bonds	319·20	290·17
Total :	35,794·83	21,361·84

Schedule 13 — **Income from Other Sources**

Description	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Business Service Fee	398·80	180·46
Dividend	431·86	280·97
Profit on Sale of Investments	380·16	605·60
Miscellaneous Income	81·64	58·55
Total :	1,292·46	1,125·58

Schedule 14 — **Personnel Expenses**

Description	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Salary and Allowances	805·32	468·83
Staff Welfare Fund Expenses	4·44	2·38
Other Personnel Expenses	45·35	30·64
Total :	855·11	501·85

Schedule 15 — **Rental, Maintenance and Depreciation**

Description	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Rent, Taxes, Insurance and Lighting	183·48	153·59
Repairs & Maintenance	83·97	27·99
Depreciation on Fixed Assets	880·18	581·07
Total:	1,147·63	762·65

Schedule 16 — **Other Expenses**

Description	Year ended the 31st March, 1990 Rs. Lakhs	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs
Audit Fees	1·55	1·25
Travelling and Halting Expenses	48·12	25·99
Communication Expenses	64·76	44·90
Printing Stationery & Advertisement	56·71	41·67
Loss on Investments	17·51	30·69
	79·16	69·45
Other Expenses		
Total :	267·81	213·95

Schedule 17

Accounting Policies and Notes
(Forming part of Accounts)

(A) *Significant Accounting Policies* :

1. *Revenue Recognition* :

(a) The Corporation does not account for income by way of interest, Commitment Charges, Commission, etc. till the receipt of such amount in cases where the borrowers have committed a certain number of consecutive defaults since the possibility of recovery in such cases has been considered remote as per the policy consistently followed by the Corporation. Commitment Charges are accounted for as Income only on conclusion of the Loan Agreement.

(b) Interst on those loans and advances where court orders have been obtained by the Corporation is accounted for only when such amount is received.

2. *Investments*

2.1 Valuation :

Aggregate market value/break-up value of investments is campared to Book value thereof on a global valuation basis :

2.2 *Transactions* :

(a) Gains or Losses on sale of investments are computed with respect to the Average cost of the investment held under the respective clause of Section 23 of Industrial Finance Corporation Act, 1948.

(b) Loss, if any, in the value of shares of companies proposed to be merged with other healthy companies, nationalised, in liquidation or companies with negative networth or where sales of assets is contemplated, is accounted for as and when finally ascertained.

3. *Exchange Transactions* :

(a) The balance of :

(i) foreign currency loans availed of by the Corporation,

(ii) the loans granted to sub-borrowers therefrom,

(iii) the balances in foreign currency accounts with banks, and

(iv) contingent liabilities in respect of guarantee undertaken in foreign currency

are all expressed in Indian Currency at TT selling rates prevailing as on 31st March 1990.

(b) Profit, if any, arising on account of fluctuations in currency exchange rates is accounted for in respect of each line of credit only after the borrowings are fully repaid to the foreign lending institutions and the loans granted out of such borrowings to assisted concerns are fully recovered. Loss, if any, on account of such fluctuations in respect of each line of credit is accounted for when such line is fully repaid by the Corporation. Meanwhile, the exchange difference relating to :—

(i) the recovery and repayment of foreign currency loans :

(ii) conversion of year-end foreign currency balances, and

(iii) operations in the foreign currency accounts with Banks,

are accounted for in difference in exchange suspense account. The contribution received from Central

Government, in part reimbursement of exchange losses incurred, has also been credited to the said account.

(c) The balances of the Foreign Currency Loans granted to sub-borrowers under ERAS, are expressed in rupee equivalent at the rate prevailing at the time of its disbursement. The deficit/surplus in respect of exchange fluctuation at the time of repayment of the borrowings will be met from Exchange Risk Administration Fund. Any deficit or surplus in ERAF will be paid by or reimbursed to the Government of India.

4. *Fixed Assets* :

(a) Leased assets are depreciated on the Straight Line Method over the primary period of lease of assets or the number of complete years determined with reference to the income tax depreciation rates relating to these assets, whichever is shorter.

(b) Other assets are depreciated by the written down value method at the rates prescribed under the Income tax Act, 1961 and the rule framed thereunder :

(c) The assets are stated at cost less depreciation.

(B) *Notes Forming Part of Accounts* :

(*Figures in brackets relate to the previous period ended 31st March, 1989*)

(1) The Corporation has contingent liabilities in respect of

(a) Outstanding underwriting contracts [Under Section 23(d) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948] Rs. 314.00 lakhs (Rs. 305.00 lakhs).

(b) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares/debentures held as investment [under Section 20, Section 23(d) and Section 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act 1948], Rs. 240.88 lakhs (Rs. 216.32 lakhs).

(c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account approximately Rs. 2,202.55 lakhs (Rs. 1,117.50 lakhs) (net of advances paid).

2. The Income Tax Department/the Corporation have gone in appeal/reference on certain matters in which the earlier orders have gone in favour of/against the Corporation. The disputed liability in this regard amounts to Rs. 192.37 lakhs (Rs. 55.39 lakhs).

3. Sundry Creditors include Rs. 1,361.78 lakhs (Rs. 1,365.61 lakhs) in respect of Bonds which have matured but have remained unclaimed/unpaid.

4. Investment Under Section 23(d) and 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, include Rs. 432.78 lakhs (Rs. 127.27 lakhs) in Shares and Debentures of certain companies which are in the process of liquidation nationalisation, amalgamation with other companies or finalisation of proceedings for sale of assets.

5. A sum of Rs. 60.17 lakhs (Rs. 56.55 lakhs) has been utilised upto the 31st March 1990 partly out of Benevolent Reserve Fund and partly out of specific Grant from Government of India for subscribing to the share capital in certain Technical Consultancy Organisations as part of the Promotional activities of the Corporation. Hence, these investments have not been included in the 'investments' of the Corporation.

6. Loans and Advances made to certain units, including sick units, have been considered good, irrespective of value of security, wherever rehabilitation schemes have been formulated or are in process of formulation or under implementation and units have been found to be viable, on the basis of detailed viability studies.

7. An agreement amount of Rs. 2089.29 lakhs (Rs. 1,626.78 lakhs) was due on the date of the Balance Sheet from certain companies the undertakings of which have been acquired by the Central/State Government under Statute. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the guarantors. besides, a sum of Rs. 35.11 lakhs (Rs. 35.11 lakhs) is due on the Balance Sheet date from certain companies whose liabilities have been frozen under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

8. Balances with Banks in India in Current Accounts include Rs. 499.85 lakhs (Rs. 6,800.00 lakhs approx.) invested by bankers in Central and/or State Govt. Securities/units of Unit Trust of India/bonds with the concurrence of the Corporation and Rs. 2,299.87 lakhs (Rs. 2,100.00 lakhs) in bills under the Bills Rediscounting scheme of Reserve Bank of India.

9. In respect of some of the premises acquired by the Corporation, formalities regarding conveyancing are in the process of completion.

10. The previous financial year of the Corporation which ended on 31st March, 1989 was for nine months duration. Therefore, the figures are not comparable with those of the previous year. Previous year figures have been rearranged wherever necessary.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990